खण्ड-253, अंक-5
शुक्रवार, 23 माघ, शक संवत् 1886
(12 फरवरी, 1965 ई0)

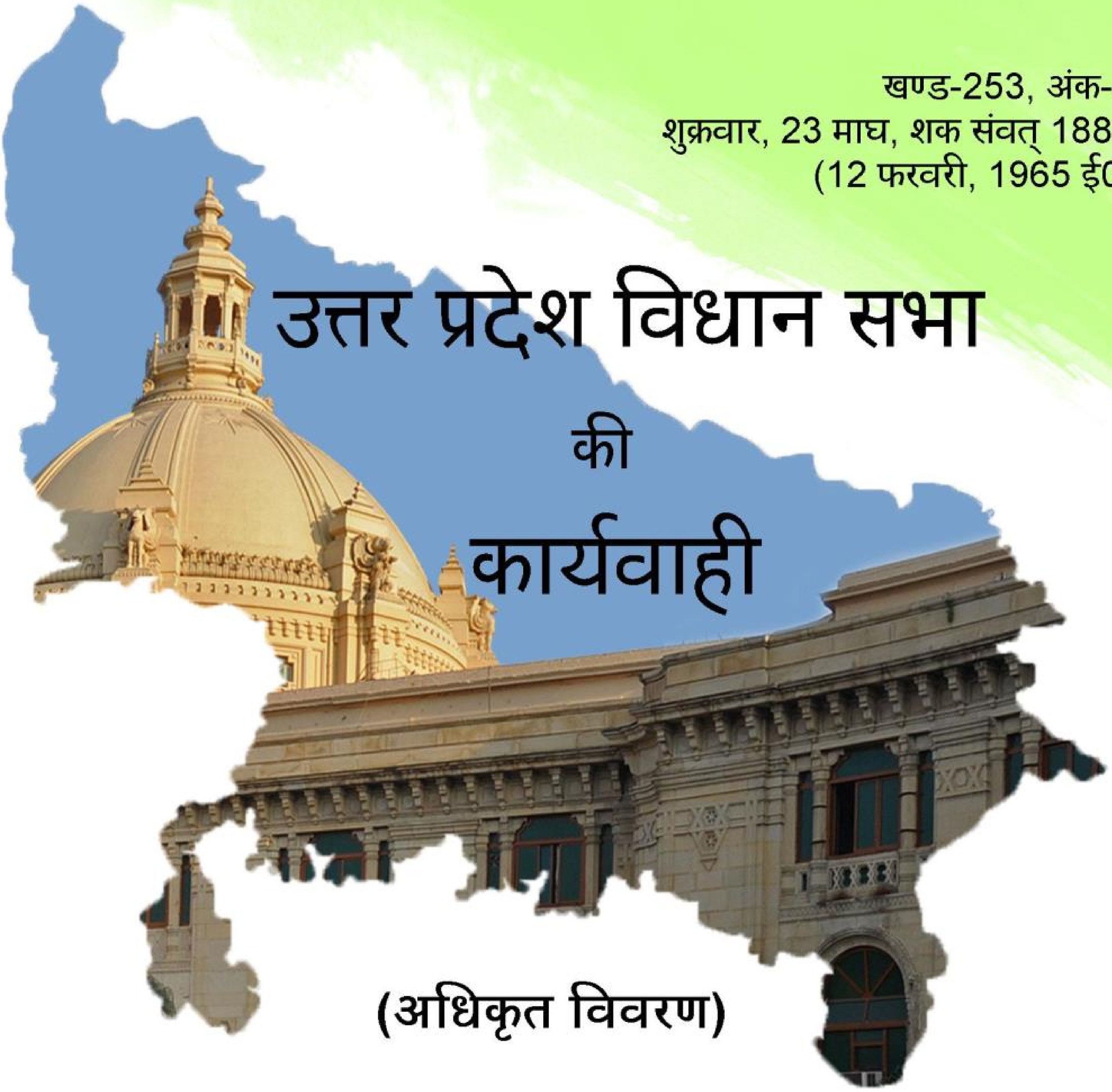

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 253 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६५

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	४५५–४५६
प्रश्नोत्तर	४५६–५०६
प्रश्न का अंग्रेजी में उत्तर प्राप्त होने पर आपत्ति	५१०
आगामी कार्यक्रम के सम्बन्ध में सूचना	५१०
श्री चन्द्रबलीसिंह द्वारा विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना ..	५१०–५११
नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनाएं	५११–५१२
श्री भानुप्रतापसिंह द्वारा अपने भाषण के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण ..	५१२
१९६४-६५ के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य विवाद ..	५१२–५५०
१९६४-६५ के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या १—बृहत् जोतकर (स्वीकृत)	५५०
अनुदान संख्या ३—राज्य आबकारी (स्वीकृत)	५५०
अनुदान संख्या ६—स्टाम्प (स्वीकृत)	५५१
अनुदान संख्या ८—राज्य विधान मंडल (स्वीकृत)	५५१
अनुदान संख्या १०—आयुक्त और जिला प्रशासन (स्वीकृत)	५५१
अनुदान संख्या १२—न्याय प्रशासन (स्वीकृत)	५५१
अनुदान संख्या १३—कारागार (स्वीकृत)	५५२
अनुदान संख्या १४—पुलिस (स्वीकृत)	५५२
अनुदान संख्या १५—खाद्य और रसद तथा अन्य संगठन (स्वीकृत) ..	५५२
अनुदान संख्या १६—वैज्ञानिक शोध तथा सांस्कृतिक कार्य (स्वीकृत) ..	५५२
अनुदान संख्या १७—शिक्षा (स्वीकृत)	५५३
अनुदान संख्या १८—चिकित्सा (स्वीकृत)	५५३
अनुदान संख्या १९—सार्वजनिक स्वास्थ्य (स्वीकृत)	५५३
अनुदान संख्या २०—कृषि सम्बन्धी विकास (स्वीकृत)	५५३
अनुदान संख्या २२—पशुपालन और मत्स्य पालन (स्वीकृत)	५५४
अनुदान संख्या २३—सहकारिता (स्वीकृत)	५५४
अनुदान संख्या २४—उद्योग (स्वीकृत)	५५४
अनुदान संख्या २६—श्रम और सेवा योजन (स्वीकृत)	५५४
अनुदान संख्या २७—सूचना निदेशालय (स्वीकृत)	५५५
अनुदान संख्या २९—समाज कल्याण (स्वीकृत)	५५५
अनुदान संख्या ३०—राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण-कार्य (स्वीकृत)	५५५
अनुदान संख्या ३२—अभियंत्रण (इंजीनियरिंग) संस्थायें (स्वीकृत) ..	५५५

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, १२ फरवरी, १९६५

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३६६

अक्षयवरसिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अयोध्याप्रसाद, श्री
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अवेद्यनाथ, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
(उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री

गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पांडेय, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथराव, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान श्री, (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जुगल किशोर, आचार्य
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखण्डेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री

पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री

रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजदेव, श्री
राजनार्थसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रमाअवध, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विजयकुमार, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शारदाभक्तसिंह, श्री
शिवबनलाल सक्सेना, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीनिवास, श्री
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपाल सिंह, कुंवर

श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदार सिंह, श्री
सूरजपालसिंह यादव, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त कांडपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—गृह मंत्री श्री हरगोविन्दसिंह, वित्त मंत्री श्री कैलाश प्रकाश तथा शिक्षा उपमंत्री श्री रामनारायण पांडेय भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, १२ फरवरी, १९६५

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

बीज भंडारों में बचा हुआ गेहूं

**१—श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कृषि विभाग के बीज भंडारों में राज्य के प्रत्येक जिले में कितना-कितना गेहूं का बीज १९६४ में कृषकों को देने से बच गया और उक्त गेहूं के बीज का वितरण से बचाने का क्या कारण है ?

कृषि उपमंत्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)—

९,२८६ टन पंजाब से आया हुआ गेहूं, बीज वितरण के बाद, कृषि विभाग के बीज गोदामों पर बचा । इसकी जिलेवार तालिका संलग्न है । २४,६२२ टन पंजाब का गेहूं कृषि विभाग के बीज गोदामों द्वारा बांटा गया । १५ अक्तूबर, १९६४ तक केवल २४,५८१.४८८८ टन गेहूं पंजाब से रवाना हो पाया था । इसके बाद अक्तूबर के दूसरे पखवारे में केवल ५,३८७.४४२९ टन गेहूं पंजाब से भेजा जा सका । ३१ अक्तूबर, १९६४ के बाद ६,२८५.१४५३ टन गेहूं भेजा गया । चूंकि अक्तूबर के महीने में मांग बहुत अधिक थी इसलिये यह प्रतिबन्ध लगाया गया था कि यह गेहूं केवल साढ़े सात एकड़ तक के किसानों को ही बांटा जाय और इसकी मात्रा ४० किलोग्राम प्रति किसान से अधिक न हो । नवम्बर के महीने में अधिक गेहूं आने की आशा में जिला अधिकारियों को यह भी अधिकार दे दिया गया था कि यदि साढ़े सात एकड़ तक के

काश्तकारों की आवश्यकता से अधिक गेहूं हो तो वह बड़े काश्तकार को भी दे दें। वितरण से गेहूं बच जाने का पहिला कारण यह था कि गेहूं के बीज की मांग की सम्भावना बहुत अधिक थी परन्तु उतनी मांग न रही जितनी कि सम्भावना थी। दूसरा कारण यह था कि बीज भंडारों को आदेश दे दिये गये थे कि बीज बांटने में छोटे काश्तकारों को प्राथमिकता दी जाय। तीसरा कारण यह था कि सब गेहूं ३१ अक्तूबर तक जिलों में नहीं पहुंच पाया।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ५७९–५८० पर)

**२—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त वितरण से बचे हुये गेहूं के बीज का सरकार क्या प्रयोग करेगी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

वितरण से बचे हुये गेहूं के बीज को खाद्य तथा रसद विभाग को हस्तान्तरित किया जा रहा है। यह सस्ते गल्ले की दूकानों से राशन कार्ड पर बेचा जा रहा है। खाद्य एवं रसद विभाग ने खाने के लिये ही गेहूं का प्रबन्ध किया था, बीज की आवश्यकता होने पर कृषि विभाग को दे दिया था। बीज से जो बचा वह उस विभाग को वापस किया जा रहा है।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब कि हकीकत में किसानों को बहुत आवश्यकता थी और सरकार का जो ख़याल था कि उनको आवश्यकता है तो वह सही होते हुये भी गेहूं के बच जाने का क्या कारण है ?

कृषि मंत्री (श्री चरणसिंह)—

अध्यक्ष महोदय, गवर्नमेंट का जो खयाल था वह सही निकला। गवर्नमेंट का यह खयाल था कि किसान अपने पास बीज रखते हैं और प्रयोग नहीं करते जब तक कि वे बिलकुल मजबूर नहीं होते। चारों तरफ से यह कहा गया कि जमीन बोये बगैर रह जायेगी क्योंकि किसानों के पास बीज नहीं है। लेकिन जमीन पड़ी नहीं रही, सब बोयी गयी। इससे यह साबित होता है कि किसानों के पास बीज था और गवर्नमेंट की धारणा सही थी।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जगह-जगह से जहां वितरण के लिये गेहूं बीज के लिये रखा गया, वहां से इस प्रकार की शिकायतें आपके अधिकारियों के खिलाफ, जिनके हाथ में वितरण की व्यवस्था थी, आई कि लोगों को गल्ला नहीं दिया जाता इसलिये कि वे रिश्वत मांगते थे और उसमें से कुछ परसेन्टेज भी मांगते थे। यही नहीं अनेकों बार ऐसी शिकायतें कलेक्टरों को की गयीं पर कुछ नहीं हुआ और इतना बीज पड़ा रह गया ?

श्री चरणसिंह—

मेरे पास एक भी शिकायत नहीं आयी बुलन्दशहर और सहारनपुर से कि फलां आदमी ने फलां बीज भंडार पर फलां किसान से रिश्वत ली।

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—

वह गेहूं ४३ रु० प्रतिमन पर खरीदा गया तो बीज भंडार के लोगों ने कहा यदि बीज चैत बैसाख में नहीं लौटा दिया गया तो ९६ रुपये फी मन के दाम लिये जायेंगे, जिसकी वजह से किसानों ने बीज नहीं उठाया ?

श्री चरणसिंह—

इसके लिये नोटिस की जरूरत है। यह बात गालिबन फाउन्डेशन सीड के सम्बन्ध में होगी। वैसे जो सीड पंजाब से आया उसकी इतनी कीमत का सवाल पैदा नहीं होता।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

माननीय मंत्री ने कहा कि बीज, बीज गोदामों पर देर से पहुंचा जिसकी वजह से बीज पूरा वितरण नहीं हो सका। तो इस देर से पहुंचने का कारण क्या है ?

श्री चरणसिंह—

मैंने तो यह नहीं कहा कि सब बीज देर में पहुंचा। कुछ बीज देर से ३१ अक्तूबर तक पहुंचा जिसका कारण यह है कि बाहर से मंगाया गया जिसमें पंजाब गवर्नमेंट और सेन्ट्रल गवर्नमेंट दो और अथारिटीज कंसर्न्ड हो गयीं। उनसे बड़ी कोशिश के बाद वह मिला जिसकी वजह से कुछ बीज देर से पहुंचा। लेकिन उसकी वजह से कोई अन्तर नहीं पड़ा किसान की बुवाई में।

श्री रामअवधसिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या यह सत्य है कि जो पंजाब से बीज मंगाया गया वह गोरखपुर तथा देवरिया में सूट नहीं करता था जिसके कारण उसकी खपत नहीं हो सकी ?

श्री चरणसिंह—

इसमें काफी कंट्रोवर्सी चली। यह कहा गया कि किसान यह बीज इसलिये नहीं ले रहा है कि यह पंजाब का बीज है और वह देर में पकेगा और हवा से खराब हो जायगा लेकिन यह विचार करने की बात है कि किसान के सामने दो ही आल्टरनेटिव थे या तो बीज को ले ले, चाहे फसल देर में पके या फिर उसकी जमीन खाली पड़ी रहे तो फिर मोटी-सी बात है कि बजाय खाली रखने के देर से होने वाले बीज को वह ले लेगा। लिहाजा जो बात लोगों ने कही वह गलत है।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि मथुरा जिले में किस कारण बीज बचा रहा और किसान की जमीन बिना फसल बोये रह गयी ?

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने कारण बतला दिये।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

यह जो बीज दिया गया है इसके जमने की रिपोर्ट कैसी है ?

श्री चरणसिंह—

बीज जो दिया गया उसका हर जिले में पहले जर्मिनेशन टेस्ट कर लिया गया तभी वह तकसीम किया गया और मेरे मित्र सहमत होंगे कि जो रिपोर्ट्स हैं उनसे ज्ञात होता है कि जर्मिनेशन बहुत अच्छा है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

किसानों को १ रुपया २७ पैसे किलो के हिसाब से यह बीज देने का हुक्म दिया गया। इतना महंगा होने की वजह से किसान ने इसे समय से नहीं लिया तो क्या माननीय मंत्री जांच करायेंगे कि इतना महंगा क्यों दिया गया ?

श्री चरणसिंह—

अध्यक्ष महोदय, गवर्नमेंट के लिये उसमें मुनाफा कमाने का सवाल नहीं था । जिस हिसाब से पंजाब से आया उस पर कुछ ट्रांसपोर्ट वगैरह के चार्जेज लगा कर वह किसान को दिया गया । मेरे पास इस समय आंकड़े तो नहीं हैं, लेकिन यह तयशुदा बात है कि गवर्नमेंट ने उसमें कोई प्राफिटियरिंग नहीं की ।

श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या सरकार को पता है कि ४० किलो गेहूं एक एकड़ से अधिक के खेत के लिये काफी नहीं है तो क्या सरकार बतायेगी कि इस वर्ष गेहूं के अलावा मोटे अनाज की काश्त ज्यादा की गई है और गेहूं की कम ? क्या सरकार के पास ऐसे स्टेटिस्टिक्स हैं ?

श्री चरणसिंह—

अध्यक्ष महोदय, माननीय मित्रों ने देखा होगा कि अखबारों में बड़ी कन्ट्रोवर्सी चली कि इतना थोड़ा गेहूं बीज के लिये क्यों दिया जा रहा है । लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि किसान सारी जमीन में गेहूं थोड़े ही बोते हैं । ४ करोड़ २० एकड़ जमीन सारे उत्तर प्रदेश में है लेकिन उसमें से लगभग एक करोड़ में गेहूं बोते हैं । किसी काश्तकार के पास ५ एकड़ जमीन है तो वह सब में गेहूं नहीं बोयेगा । वह मुश्किल से २४ प्रतिशत में गेहूं बोयेगा । हर किसान का अलग-अलग हिसाब निकालना सरकार के लिये इम्पासिबिल था । इसलिये ऐसे मौकों पर सरकार एवरेज के हिसाब वे काम चलाती है । इसलिये हमने कोशिश की कि छोटे किसानों को बीज मिल जाय और बड़ों के लिये हमने आवश्यकता नहीं समझी क्योंकि हमारे पास बीज की बहुत कमी थी । यह ठीक है कि एक एकड़ के लिये ४० किलो गेहूं नाकाफी है । मैं यह चाहता था कि छोटी जमीनें जरूर बोई जायं । बड़ी जमीनों के बच जाने का अंदेशा इसलिये नहीं था कि जिनके पास बीज नहीं था वह खरीद सकते थे ।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)—

क्या मंत्री जी को खबर है कि पूर्वी जिलों में जिनमें बनारस, फैजाबाद तथा गोरखपुर डिवीजन सम्मिलित हैं इसलिये बीज नहीं लिया कि उनको डर था कि उगेगा नहीं जैसे कि बलिया बार्ली में बात पैदा हुई थी । इसीलिये पूर्व के किसान पंजाब का गेहूं बीज के इस्तेमाल में नहीं लाये ?

श्री अध्यक्ष—

लोगों का खयाल है कि देर में निकलता है और यह ठीक भी है ।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जैसा कि मूल प्रश्न के उत्तर में गेहूं के बचने के कारणों में से एक कारण उन्होंने यह बताया है कि छोटे काश्तकारों को गेहूं देने के इन्तजार में बच गया। जहां वस्तु स्थिति यह थी कि छोटे काश्तकारों ने बड़े काश्तकारों से लेकर बुआई की, तो क्या मंत्री जी इसका पता लगायेंगे कि बीज भंडार के अधिकारियों ने किसानों को यह नहीं बताया कि पंजाब का गेहूं छोटे काश्तकारों के लिये आया है ?

श्री चरणसिंह—

मैं तहकीकात की आवश्यकता नहीं समझता । क्योंकि इस तरह की हिदायत थी और उन लोगों ने बताया था । अगर किसी खास जगह के लिये मेरे मित्र कहें तो मैं तहकीकात करा लूंगा ।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि उनके विभाग ने यह कब आदेश दिया कि यह बीज खाद्य तथा रसद विभाग को दे दिया जाय ?

श्री चरणसिंह—

इसकी तारीख इस वक्त मुझे मालूम नहीं है । लेकिन अगर बीज भंडारों में पड़ा हुआ है तो कोई नुकसान इससे नहीं हो रहा है । बुलन्दशहर के कलेक्टर ने पहले तो कहा कि इतना बीज हमें दे दो । जब हमने भेज दिया तो उन्होंने नहीं उठाया और कहते हैं कि वापस ले जाइये ।

तारांकित प्रश्न

एटा जिले के तराई क्षेत्र में सड़कों की आवश्यकता

*१—श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को ज्ञात है कि परगना निधपुर, तहसील अलीगंज, जिला एटा बाढ़-पीड़ित तराई क्षेत्र है तथा सरकारी कागजों में भी तराई क्षेत्र ही दर्ज है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री जगनप्रसाद रावत)—

जी हां ।

*२—श्री राजेन्द्रसिंह—

क्या मंत्री जी को यह भी ज्ञात है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना की १९६४ की प्रगति रिपोर्ट जो विधायकों को बांटी गई है उसकी हिन्दी की प्रति के पृष्ठ ५३ के पैरा २ में तराई क्षेत्र में सड़क यातायात के विकास के लिये एक विस्तृत योजना चालू करने की बात कही गई है ? यदि हां, तो परगना निधपुर जिला एटा जो कि तराई क्षेत्र है उसमें—(१) सहावर से शहबाजपुर तक, (२) गंजडुंडवारा से कादिरगंज तक, (३) पटियाली से नरदौली तक, (४) पटियाली से बढ़ौला होती हुई थाना दरियावगंज स्टेशन तक सड़कों को भी तराई क्षेत्र विस्तार योजना में सम्मिलित करने की कृपा करेंगे ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

तराई क्षेत्र में सड़क यातायात के विकास की योजना केवल हिमालय पर्वत की तराई के क्षेत्र के लिये ही सीमित रखी गई है । इस योजना में अन्य तराई क्षेत्र की सड़कों तथा पुलों के निर्माण का कार्य सम्मिलित करना सम्भव नहीं है ।

श्री राजेन्द्रसिंह—

इस बात को देखते हुए कि प्रशासनिक दृष्टि से भी इन चार सड़कों का महत्व बहुत ज्यादा है क्या मंत्री जी इन सड़कों को मैन पावर यूटिलाइजेशन योजना में लेने की कृपा करेंगे ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

तृतीय पंचवर्षीय योजना में तो जो होना था वह हो गया फिर चतुर्थ योजना में सवाल उठेगा तो देखेंगे कि क्या सम्भव है ।

श्री लोकपालसिंह (जिला एटा)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि प्रस्तावित क्षेत्र को तराई एरिया मानने में मंत्री जी को क्या आपत्ति है ? क्या मंत्री जी बतायेंगे कि तराई क्षेत्र हिमालय की तलहटी से आया है ?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं बुलाया गया ।)

श्री राजेन्द्रसिंह—

श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी मैन पावर यूटिलाइजेशन स्कीम में इनको सम्मिलित करने की कृपा करेंगे ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जो सड़कें इसमें सम्मिलित की जाती हैं उसकी कुछ शर्तें हैं। इसमें तराई क्षेत्र का सवाल नहीं है। वे ब्लाक को दी हुई हैं। जब वहां से सुझाव आता है तो उस पर विचार होकर काम होता है।

श्री राजेन्द्रसिंह—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो शर्तें निर्धारित की गई हैं और जिन ब्लाकों में यह सड़कें पड़ती हैं, उनसे रिपोर्ट मंगायेंगे और विचार करेंगे कि ये उसमें सम्मिलित हो सकती हैं या नहीं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जो सुझाव माननीय सदस्य देंगे उसकी मैं जांच कराऊंगा।

श्री दयाराम शाक्य—

इन योजनाओं में जो क्षेत्र दो नदियों के बीच में पड़ते हैं उनका इसलिये विकास नहीं हो सका है कि वहां आवागमन के साधन नहीं हैं तो क्या सरकार इस अंतिम चरण में उनके लिये कोई साधन निकालने का प्रयास करेगी ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

इस संबंध में मेरा कुछ कहना सम्भव नहीं है।

बाराबंकी जिले में स्कूलों को अनुदान

*३—श्री द्विजेन्द्रनारायण (जिला बाराबंकी) (अनुपस्थित)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जिले में हर एक हायर सेकेन्डरी या रिकग्नाइज्ड जूनियर हाई स्कूल को सन् १९६२–६३ और १९६३–६४ में कितनी-कितनी रिकरिंग और नान-रिकरिंग ग्रांट मिली ?

वित्त मंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)—

वांछित सूचना संलग्न †तालिका 'क' तथा 'ख' में दी हुई है।

*४—श्री द्विजेन्द्रनारायण (अनुपस्थित)—

ग्रांट देने में सरकार ने किन-किन नियमों का पालन किया जिसके आधार पर दोनों प्रकार की ग्रांटें दी गयीं ?

श्री कैलाशप्रकाश—

दोनों प्रकार के अनुदानों के वितरण में पालन किये गये नियमों का उल्लेख संलग्न †तालिका 'ग' में है।

---

†छापी नहीं गई।

जे० पी० गर्ल्स हिन्दू हायर सेकेंडरी स्कूल, कन्नौज संबंधी अपील

*५—श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जिले के गर्ल्स हायर सेकेन्डरी स्कूलों के किन-किन प्रबन्धकों द्वारा रीजनल एपीलेट कमेटी, महिला प्रेसीडेंट, डिप्टी डाइरेक्टर महिला शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश के यहां नवम्बर, १९६० में अपीलें दायर की गई हैं और उन पर फैसले हो गये या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

शिक्षा उपमंत्री (डाक्टर रामनारायण पांडेय)—

केवल १ मामले में । जे० पी० गर्ल्स हिन्दू हायर सेकेन्डरी स्कूल, कन्नौज । प्रबन्धक द्वारा १९६० में अपील की गई जिसका फैसला अभी तक नहीं हो सका ।

इसका कारण यह है कि १९६१–६२ में महिला रीजनल अपीलेट कमेटी की बैठकें मैनेजर्स ऐसोसियेशन के असहयोग के कारण न हो सकी । १९६२–६३ में इस मामले की सुनवाई के लिये २८–८–६२ तथा २०–११–६२ को कमेटी की बैठक बुलाई गई, किन्तु सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण कार्य संचालन न हो सका । तदोपरांत १९६३ से महिला रीजनल कमेटी के गठन का मामला विचाराधीन होने के कारण इस मामले में निर्णय नहीं लिया जा सका किन्तु अब आदेश दे दिया गया है कि इन मामलों का निपटारा ३१ मार्च, १९६५ तक अवश्य कर दिया जाय ।

श्री होरीलाल यादव—

क्या माननीय शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यह महिला कमेटी जो है, वह गठित हो गयी है या अभी नहीं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

अध्यक्ष महोदय, अब हो गयी है ।

नैनीताल-भुवाली सड़क का निर्माण

*६—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नैनीताल भुवाली रोड पर तीसरे मील में सन १९६३ और सन् १९६४ में पत्थर आ जाने के कारण सड़क बन्द हुई तो उससे सरकार को कितना नुकसान हुआ ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

सन् १९६३ में इस सड़क के तीसरे मील में पत्थर व मलवा को साफ करके चालू करने में ६,००० रु० व्यय किये गये तथा सड़क के किनारे की पहाड़ियों को मजबूत करने के कार्य में ५२,००० रु० व्यय किये गये । सन् १९६४ में इसी कार्य पर १,२०० रु० व्यय हो चुके हैं ।

*७—श्री रियासत हुसैन—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि नैनीताल-हल्द्वानी सड़क पर ९ वें मील पर सन् १९६३–६४ में कितनी बार पत्थर सड़क पर लुढ़क कर आ जाने से सड़क बन्द हुई और उससे सरकार को कितना नुकसान हुआ ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

नैनीताल-हल्द्वानी सड़क के नैनीताल से ९ वें मील में १९६३–६४ में एक बार पत्थर और मलवा आ जाने से सड़क बन्द हो गई थी जिसको साफ करने में ३,००० रु० व्यय हुए और १२,००० रु० उस स्थान पर एक पुलिया बनाने तथा उसके साथ ही पहाड़ी को पक्का करने में व्यय हुए ।

*८—श्री रियासत हुसैन—

क्या मंत्री जी इन दोनों मुकामों पर परमानेंट ड्रेनेज बनाये जाने का आदेश देंगे ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

इन दोनों स्थानों पर पहाड़ी की ऊपरी सतह नरम तथा कच्ची है और वह इस योग्य नहीं है कि वहां पर नालियां (परमानेंट-ड्रेनेज) बनाई जा सकें ।

श्री रियासत हुसैन—

जैसा मंत्री जी ने बताया उससे मालूम होता है कि हर साल रास्ते खराब होते हैं तो क्या मंत्री जी इन दोनों स्थानों पर कोई स्थायी प्रबन्ध करने का प्रयत्न करेंगे, जिससे कि यह हर साल समस्या न आये और यह भारी नुकसान न हो सके ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

इस प्रकार की घटना को रोकने के लिये जो सम्भव उपाय होंगे वह किये जायेंगे ।

गोंडा जिले में टेस्ट वर्क की बकाया मजदूरी

*९—श्री सुखदेवप्रसाद (जिला गोंडा) (अनुपस्थित)—

क्या यह सत्य है कि जिला गोंडा की महाराजगंज-ललिया एवं मथुरा बाजार सड़कों पर जो टेस्ट वर्क चल रहा है उसके मासिक वेतन पाने वालों को ३ माह की मजदूरी नहीं मिली है ? यदि हां, तो क्या सरकार उनकी मजदूरी तुरन्त दिलाने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—

जिला गोंडा में अब कोई स्टेट वर्क नहीं चल रहा है ।

जो लोग मासिक वेतन पर टेस्ट वर्क के संबंध में रखे गये थे उनमें से केवल दो को छोड़कर सब को वेतन दिया जा चुका है । उनके वेतन का ४१ रु० ६० पैसे इसलिये बाकी है कि वे मिल नहीं रहे हैं । धन जिले में उपलब्ध है, जब चाहें ले सकते हैं ।

नैनीताल कलेक्टरी के कर्मचारियों का स्थायीकरण

*१०—श्री खुशीराम (जिला पिथौरागढ़)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला नैनीताल में बोर्ड के इंस्ट्रक्शन पर डिप्टी कमिश्नर, नैनीताल ने अपने आदेश संख्या ३३०५/९—५४ (१)—बी० सी०, दिनांक ८ अगस्त, १९५८ के अनुसार कलेक्ट्रेट नैनीताल के आफिशियल्स की कन्फर्मेशन हेतु कोई लिस्ट बनाई थी ? यदि हां, तो कितने आफिशियल्स थे जिनकी कन्फर्मेशन हेतु लिस्ट सीनियारिटी के हिसाब से बनाई गई और इस लिस्ट के अनुसार कितने व्यक्तियों (आफिशियल्स) को कन्फर्म किया गया ?

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री रामकुमार शास्त्री)—

जी हां, १२ कर्मचारियों की एक सूची स्थायीकरण के लिये बनाई गई थी जिसमें से कुल सात कर्मचारी स्थायी किये जा चुके हैं ।

*११—श्री खुशीराम—

डिप्टी कमिश्नर, नैनीताल के मेमो० ९—बी० सी०, दिनांक २२ जून, १९६४ के अनुसार जो कन्फर्मेशन हेतु लिस्ट सीनियारिटी के हिसाब से बनायी गयी उसमें कितने आफिशियल्स ऐसे ह जिनका नाम १९५८ की लिस्ट के अनुसार सीनियर मोस्ट में होना था, लेकिन १९६४ की लिस्ट के बमूजिब उन्हें जूनियर दिखाया गया है ? यदि हां, तो ऐसा होने का क्या कारण है तथा उन आफिशियल्स का नाम क्या है ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

ऐसे केवल चार कर्मचारी सर्वश्री मथुरा दत्त काण्डपाल, योगेन्द्र चन्द्र पन्त, प्रहलाद कुमार शर्मा तथा बेनी लाल वर्मा हैं जिन्हें १९६४ की ड्राफ्ट लिस्ट में कुछ कर्मचारियों के नीचे दिखाया गया है क्योंकि इन व्यक्तियों की कुल सेवा-अवधि इनसे ज्येष्ठ दिखाये गये कर्मचारियों से कम थी।

देवरिया तहसील में तकावी की वसूली

*१२—श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिला में देवरिया तहसील के तहसीलदार ने गत १ अक्तूबर, १९६३ से ६ फरवरी, १९६४ तक १ हजार रुपये से अधिक तकावी के पावनों की वसूली के लिए कितनों को वारेन्ट निकाल कर गिरफ्तार किया ? समूची देवरिया तहसील में उक्त अवधि में १,००० रु० से अधिक तकावी के कितने देनदार थे ? क्या सभी देनदारों के साथ वसूली की समान कार्यवाहियां की गयीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

चार बकायादारों को। १ हजार से अधिक के ६८ बकायादार थे। बकायादारों के विरुद्ध कार्यवाही परिस्थिति के अनुसार की जाती है।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि वह ४ बकायादार जो हैं उनके नाम क्या हैं ? और यह जो ६८ बकायादार हैं वह इन ४ के पहले के बकायादार हैं या बाद के ? इन चारों को इन ६८ वालों से पहले रुपया दिया गया था या बाद में ? इन ६८ के खिलाफ भी वारण्ट निकालकर तकावी की वसूली की कोशिश न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

कुछ जिद्दी होते हैं, उनके लिए वारन्ट निकालकर वसूली करना जरूरी हो जाता है।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो ४ बकायादार हैं यह उन ६८ बकायादारों के पहले के हैं या बाद के ? इन ४ को पहले तकावी दी गयी थी या इन ६८ को पहले तकावी दी गयी थी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

इसके विस्तारपूर्वक जवाब के लिए नोटिस की जरूरत पड़ेगी।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

यह ४ आदमी जो गिरफ्तार किये गये वारण्ट के जरिये, उनके लिए वारण्ट गिरफ्तारी के निकालने के पहले कोई सम्मन आदि भी भेजा गया था या नहीं ? और यदि नहीं, तो क्यों ? जब कि नियम है सम्मन भेजने का कि फलां तारीख तक रुपया दे दो नहीं तो वारण्ट निकाला जायगा और सम्मन के बाद ही वारण्ट जारी होता है ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

अध्यक्ष महोदय, बराबर तकाजा अदायगी के वास्ते किया जाता रहा है।

श्री कमलासिंह यादव—

श्रीमन्, मैं सम्मन के बारे में पूछ रहा हूं, मौखिक तकाजे के बारे में नहीं। आपने लिखित भी उनके पास इस बारे में कुछ भेजा ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

जी हां।

श्री अध्यक्ष—

श्री कमलासिंह को शिकायत इसमें कुछ इस प्रकार की है कि आप उनके भी खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं कर रहे हैं?

श्री चन्द्रबलीसिंह—

जिन ४ बकायादारों पर वारण्ट निकाल कर तकावी वसूल करने की कोशिश की गयी उनको आखिरी किस तारीख को भेजा गया था?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

इसकी सूचना इस वक्त नहीं है।

चौधरी अब्दुल हसीब खां (जिला बहराइच)—

वारण्ट निकालन की जरूरत ही क्यों पड़ी?

श्री रामकुमार शास्त्री—

बार-बार तकाजा करने पर जब वसूली उनसे न हो सकी तो वारण्ट निकालने की जरूरत पड़ी।

विज्ञान स्नातक

*१३—श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

क्या सरकार ने प्रदेश के ४० हजार विज्ञान के स्नातकों को तैयार करने का लक्ष्य तीसरी योजना में निर्धारित किया है? यदि हां, तो अब तक कितने तैयार हुए?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

जी हां। अब तक ११,८६३ विज्ञान के स्नातक तैयार हो चुके हैं।

श्री ऊदल—

जो हमारा लक्ष्य था उससे वन थर्ड ही पूरा कर पाये, इसका क्या कारण है?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

अभी दो वर्ष बाकी हैं। कमी का मुख्य कारण यह है कि जितने लड़के भरती हुए उनमें से पास करके निकलने वालों का प्रतिशत बहुत कम है।

श्री ऊदल—

यदि मंत्री की बात मान भी ली जाय तो भी दो वर्ष के बाद तो ५० प्रतिशत ही होंगे। शेष को कैसे पूरा करेंगे?

श्री अध्यक्ष—

वह कहते हैं कि पास नहीं हो रहे हैं तो जो फेल हो जायं क्या उनको पास कर दिया जाय, यह आपका मतलब है?

श्री ऊदल—

जी नहीं। बहुत से लोगों को भरती में दिक्कतें ज्यादा होने की वजह से भरती नहीं मिल पाती। तो क्या सरकार उन दिक्कतों को दूर करेगी जिससे भरती ज्यादा हो?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

भरती तो ४० के बजाय ६० हजार ५ वर्षों में करेंगे लेकिन उनम से पास होकर निकलने वालों की संख्या एक तिहाई रह जाती है। तो या तो फिर स्तर नीचा किया जाय। क्या किया जाय, लड़के भरती किये जाते हैं लेकिन पास नहीं हो पाते।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

अच्छे स्टैन्डर्ड के लड़के जो पास होकर निकलते भी हैं उनको जो वेतन हमारे यहां मिलता है वह दूसरी जगहों से बहुत कम है इसलिए भी अच्छे स्टैंडर्ड के लड़के इसमें नहीं आते।

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

हम तो यही समझ रहे हैं कि अच्छे विद्यार्थी आते हैं लेकिन स्टैन्डर्ड अच्छा है।

श्री कमलासिंह यादव—

क्या स्नातकों का चुनाव मैरिट पर न हो कर पक्षपात के आधार पर हुआ है और इसीलिए फेल वालों की संख्या ज्यादा है ?

(उत्तर के लिए मंत्री जी को नहीं पुकारा गया)

कुंवर श्रीपालसिंह—

क्या ऐडमिशन के समय कोई टेस्ट सरकार की तरफ से हुआ था और यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

वे तो इंटरमीडिएट पास लिये ही जाते हैं।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

विद्यार्थियों के अधिक असफल होने के कारणों पर विचार करके उन कारणों को दूर करेगी ?

(उत्तर के लिए मंत्री जी को नहीं पुकारा गया)

श्री होरीलाल यादव—

क्या सरकार को ज्ञात है कि उनको पढ़ाने वाले अध्यापक अच्छे नहीं मिल पाते हैं जिसके कारण पढ़ाई अच्छी नहीं होती है और लड़के फेल ज्यादा हो जाते हैं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

स्थिति ऐसी नहीं है।

श्री ऊदल—

बहुत से कालेज ऐसे हैं जहां पढ़ाई नहीं होती है, युनिवर्सिटी में भी जगह कम है जहां भर्ती कम होती है और अच्छे टीचर भी कम मिल पाते हैं, यह भी दिक्कत है क्योंकि उनको तनख्वाह कम मिलती है जिसकी वजह से वे कम स्नातक पैदा कर सकती हैं तो क्या माननीय मंत्री जी कोई जांच बड़े पैमाने पर सूबे में करायेंगे जिससे ये सब दिक्कतें दूर हो सकें ?

श्री कैलाशप्रकाश—

इसमें जो दिक्कत माननीय सदस्य ने बतलाई उनके संबंध में जांच कराने की आवश्यकता नहीं है। उनमें बहुत सी दिक्कतें मालूम हैं लेकिन सहायता उसी हद तक की जा सकती है जिस हद तक आप बजट के द्वारा उस कार्य के लिए पैसा देते हैं और यह कहा जा सकता है कि जितना पैसा इस कार्य के लिए बजट द्वारा मिलता है वह सब संस्थाओं को देखकर दिया जाता है।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—

क्या सरकार को मालूम है कि स्नातकों की कमी का खास कारण यह है कि आपने ग्रामीण संस्थाओं को इसके लिए रिकग्नीशन नहीं दिया है और रिकग्नीशन न देने से उनको बहुत-सी अड़चनें हैं। तमाम कंडीसंस हैं जो ग्रामीण संस्थायें पूरी नहीं कर पाती हैं ? तो क्या रिकग्नीशन के लिए जो सख्त शर्तें हैं उनको वैध करने के लिए तैयार है ताकि वहां भी विज्ञान के विद्यार्थी ज्यादा तादाद में दाखिला ले सकें ?

श्री कैलाशप्रकाश—

माननीय सदस्य का सम्भवतः यह विचार सही नहीं है। मेरा कहना यह है कि शैक्षिक दृष्टि से हमारे जो कालेज चलते हैं उनको साधारण शर्तों के अनुसार मान्यता प्रदान की जाती है। जिन शर्तों की चर्चा माननीय सदस्य ने की उनके विषय में यह कहा जाता है कि वे बहुत मुलायम हैं इसलिए विज्ञान की कक्षाओं में जो बी० एस सी० के विद्यार्थी जाते हैं उनकी पढ़ाई ठीक तरीके से नहीं की जाती। यह भी एक कारण बताया गया कि हमारी परीक्षाओं में इतने कम पास रहते हैं जैसे कि आजकल हैं। यह बात सही है कि स्नातकों की संख्या बढ़नी चाहिए और उनकी कमी है और यह भी सही है कि विज्ञान की कक्षाओं के लिए शिक्षक नहीं मिल पाते हैं किन्तु दूसरी तरफ यह बात भी सही है कि विद्यार्थियों का स्तर बहुत नीचे ले जाकर स्नातक पैदा करना इस प्रदेश के हित में नहीं है।

श्री रघुनाथसिंह—

क्या शिक्षा मंत्री जी को मालूम है कि प्रायः सभी हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट कालेजों में अगर देखा जाय तो विधिवत हाई स्कूल की कक्षाओं तक विज्ञान की पढ़ाई प्रैक्टिकल न होकर एक तरीके से मौखिक हुआ करती है। तो विज्ञान की कक्षाओं में प्रैक्टिकल के संबंध में वे अपरिचित रह जाते हैं और उनको प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ने का मौका नहीं मिलता है। तो इस स्थिति को ध्यान में रखकर क्या मंत्री जी विशेषरूप से इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे कि छठीं कक्षा के बाद लड़कों की पढ़ाई प्रैक्टीकल रूप से हो सके ?

श्री कैलाशप्रकाश—

इस वर्ष इस बात का ध्यान रखते हुए एक विशेष प्रोग्राम चलाया जा रहा है जो केंद्रीय सरकार की सहायता से चलेगा। उस प्रोग्राम का नाम क्रैश प्रोग्राम रखा गया है। इस प्रोग्राम के अनुसार जिन संस्थाओं को विज्ञान में मान्यता प्राप्त हैं उनसे यह जानकारी प्राप्त की गई कि उनके यहां विज्ञान की पढ़ाई देने के लिए किन साधनों की कमी है। उस सूचना के प्राप्त होने के बाद उन संस्थाओं को अनुदान दिया गया है जिससे वे अपने विज्ञान के साधन और उपकरण पूरा कर लें।

इस वर्ष तो ऐसी संस्थाओं को यह अनुदान नहीं दिया जायगा लेकिन पुरानी संस्थाओं को, जिनके यहां ऐसे पढ़ाने के साधनों की कमी थी, उन्हें रुपया दिया गया है।

जौनपुर जिले में पुलों की कमी

*१४—श्री रमेशचन्द्र शर्मा—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जौनपुर जिलान्तर्गत बरसठी, रामपुर, रामनगर, मड़ियाहूं ब्लाकों में हाई पावर कमेटी द्वारा बर्ना, बसुड़ी, घुड़सारी, गड़ई तथा अरसी नदियों तथा हथेरा नाले पर कितने तथा किन-किन सड़कों पर पुल बनवाने की योजना वह कार्यान्वित कर रही है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

पटेल आयोग ने प्रश्न में उल्लिखित किसी नदी के ऊपर पुल निर्माण की सिफारिश नहीं की है। अतः इन पुलों के निर्माण का इस समय प्रश्न नहीं उठता।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा—

क्या मंत्री जी को पता है कि जौनपुर जिले में इतनी अधिक नदियां हैं और अंग्रेजी काल में सब सड़कें कच्ची थी और उन पर पुल नहीं थे। पटेल कमीशन ने दो एक पुल या सड़कों को लिया है इसलिए क्या सरकार जौनपुर जिले में कोई नवीन कामों को लेने के लिए तैयार है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जौनपुर जिला उन चार जिलों में है जिन के लिए खास तौर से धन दिया गया है। उसमें काफी सड़कों और पुलों का प्रबंध है, रुपया भी काफी दिया गया है, लेकिन अधिक रुपया खर्च करने के लिए हमारे पास पैसे की कमी है।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा—

क्या मंत्री जी को पता है कि जौनपुर जिले में केशवपुर बंधवा बांध की साढ़े २७ मील लम्बी जो सड़क है और जिस पर १६ या १७ बाजार हैं तथा जिस पर किसानों का माल आता जाता रहता है उसे और बसई नदी पर पुल बनाने की बड़ी आवश्यकता है और क्या उसके लिए सरकार का विचार है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

मैंने निवेदन किया कि जहां तक संभव हो सकता है, हमने दिया है। आगे के लिए अगली योजना में विचार किया जायगा।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

मछलीशहर-चकिया सड़क पर जो बसई का पुल है उसे दो ताखे और बढ़ा देने की बात कही गयी है जिसके कारण ५, ७ मील के एरिया में सैलाब आ जाता है, क्या इस प्रकार की सूचना मंत्री जी के पास है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है।

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)—

क्या मंत्री जी को जानकारी है कि पटेल स्कीम में जौनपुर में ८ पुल बनने वाले हैं ? यदि हां, तो वे कौन कौन से ह ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

निम्नलिखित पुलों का निर्माण स्वीकृत हुआ है :—

महाराजगंज-पालखा-खुटान-त्रिकुलिया मार्ग पर, (१) गोमती का पुल, (२) पीली नदी का पुल, (३) थानागढ़ के राकट मार्ग पर गोमती का पीपे का पुल, (४) बादलपुर-तेजीबाजार-मछलीशहर मार्ग पर सई का पुल, (५) जौनपुर-इलाहाबद-गोरखपुर मार्ग पर सई का पुल (६) सुजानगंज-महाराजगंज मार्ग पर सई का पुल, (७) जलालपुर में लखनऊ-वाराणसी मार्ग पर सई का पुल, आदि।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या मंत्री जी के पास जिला बुलन्दशहर के भी कुछ पुलों को बनाने की योजना है ?

(उत्तर के लिए मंत्री जी को नहीं पुकारा गया।)

गोंडा-उतरौला सड़क का निर्माण

*१५—श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जनपद गोंडा में जो सड़क गोंडा से उतरौला जाती है, कितनी मील लम्बी है और उस पर १९६३–६४ में कितने पुल का निर्माण-कार्य हुआ है ? यह कार्य विभाग द्वारा हो रहा है या ठेकेदार द्वारा ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

गोंडा-उतरौला सड़क की लम्बाई ३१ मील २ फर्लांग है। १९६३–६४ में इस सड़क पर किसी पुल का निर्माण नहीं हुआ।

*१६—श्री गंगाप्रसाद (अनुपस्थित)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त (गोंडा-उतरौला) सड़क कर किस ठेकेदार को पुल निर्माण के लिए ठेका दिया गया है और किस माह में ठेका हुआ और कितने रुपये का, कितना बोरा सीमेंट विभाग ने ठेकेदार को दिया और कितना धन भुगतान किया गया तथा पुल निर्माण में कितना समय और लगेगा ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

प्रश्न नहीं उठता।

जौनपुर में गोमती पर पुल

*१७—श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि जौनपुर शहर में गोमती नदी पर वह कोई नया पुल निर्माण करने जा रही है और जिले में अन्य कितने नये पुल बनाने की योजना है और उनका निर्माण कब से प्रारम्भ होगा ?

श्री जगन प्रसाद रावत—

जी हां। इसके अतिरिक्त ६ अन्य पुलों के निर्माण की योजना है। इनका निर्माण सम्भवतः १९६५–६६ में प्रारम्भ होगा।

श्री यादवेन्द्रदत्त—

क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि गोमती पर जो पुल बन रहा है वह मौजूदा पुल के पूर्व में बन रहा है या पश्चिम में ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

दोनों तरफ का सर्वेक्षण हुआ है लेकिन फैसला होने के बाद ही यह बतलाया जा सकता है।

श्री यादवेन्द्रदत्त—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पटेल कमीशन में जो और पुलों के बारे में सिफारिश की गयी है उनके बारे में मंत्री जी का क्या विचार है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जितनी सूचना थी वह मैंने दे दी। बाकी के लिए नोटिस चाहिए।

श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)—

यह जो सर्वे कराया गया है उसमें कितना रुपया व्यय होगा और अब तक कितना काम हुआ है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

अभी तो सर्वेक्षण हो रहा है, उसके बाद आगणन तैयार होना, उसके तैयार होने पर ही बता सकूंगा कि कितना व्यय होगा ।

श्री यादवेन्द्रदत्त—

जौनपुर शहर में जो पुल बन रहा है वह कब तक प्रारम्भ हो जायगा ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

आशा है कि तृतीय योजना के अंतिम चरण में प्रारम्भ कर सकेंगे ।

श्री जे० पी० मिश्र—

जिस तरह से जौनपुर जिले में मौजूदा पुलों के स्थान पर नये पुल बनाने की योजना है, उसी तरह हरदोई जिले के लिए भी क्या कोई कमीशन नियुक्त करेंगे जो अपनी रिपोर्ट दे ?

(उत्तर के लिए मंत्री जी को नहीं पुकारा गया ।)

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर में जो पुल बन रहा है वह किस तरफ बन रहा है ?

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने कहा है कि अभी सर्वेक्षण हो रहा है ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

टेक्निकल राय शायद उनको पश्चिमी अप स्ट्रीम की तरफ पुल बनाने की दी गयी है, क्या यह सही है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जब तक कोई फैसला न दे दिया जाय, कुछ कहना सम्भव नहीं है ।

फर्रुखाबाद जिले में अनुसूचितजातीय कर्मचारी

*१८—श्री पातीराम अहिरवार (जिला फर्रुखाबाद) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला फर्रुखाबाद के चकबन्दी विभाग में कितने ए० सी० ओ० और कानूनगो, लेखपाल तथा चपरासियों का सेवायें समाप्त की गयीं ? उनमें कितने अनुसूचित जाति के हैं ?

श्री ठकुरसिंह विसेन—

जिला फर्रुखाबाद में चकबन्दी विभाग में चकबन्दी प्रारम्भ होने के समय से अगस्त, १९६४ के अन्त तक कुल ४२४ कर्मचारियों की सेवायें समाप्त की गई जिनका विवरण सदन की मेज पर रखा है इनमें १९ कर्मचारी अनुसूचित जाति के थे ।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ५८१ पर)

*१९—श्री पतीराम अहिरवार (अनुपस्थित)—

क्या सरकार जिला फर्रुखाबाद के वर्तमान चकबन्दी स्टाफ की सूची प्रस्तुत करेगी ? इसके किन-किन पदों पर कितने अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ५८१ पर)

रुद्रपुर में कथित ग्राम समाज

*२०—श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि रुद्रपुर ग्राम समाज जो अब ग्राम सभा में संनिहित है आज भी कायम है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार बतायेगी कि किस साल के किस तिथि के किस पन्ने के गजट द्वारा रुद्रपुर ग्राम समाज (देवरिया) को रुद्रपुर टाउन एरिया में मिलाने की घोषणा की गई ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५० के अन्तर्गत रुद्रपुर में ग्राम समाज की स्थापना ही नहीं की गई । प्रश्न का शेष भाग नहीं उठता ।

*२१—श्री चन्द्रबली सिंह—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या कोई ऐसा पत्र एवं निवेदन-पत्र जिलाधीश, देवरिया को दिनांक १ सितम्बर, १९६३ से ३० नवम्बर १९६३ के मध्य मिला है जिसमें तहसील देवरिया के परगना सिलहट के तथा नानाटीकर के रुद्रपुर ग्राम समाज या ग्राम सभा की संपत्ति को किन्हीं व्यक्तियों द्वारा हड़पने की बात कही गई है ? यदि हां, तो क्या उन पर जांच तहसीलदार, देवरिया द्वारा कराई गई और जांच रपट क्या है तथा उस पर कौन सी कार्यवाही अमल में लाई गई ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

जी नहीं । प्रश्न का शेष भाग नहीं उठता ।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

जब १९५० में भूमि व्यवस्था अधिनियम लागू हो गया और ग्राम समाज स्थापित होने लगे, तो क्या कारण है कि रुद्रपुर गांव में ग्राम समाज स्थापित नहीं हुई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

उसमें कुछ मुकदमा चल रहा था, एक रिट दायर की गयी थी । जब तक वह फैसला न हो जाय, यह नहीं हो सकता ।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

सन् ५४ में जब टाउन एरिया बन गये और वहां पर भी जमींदारी भूमि-व्यवस्था अधिनियम लागू हो गया और वहां पर चकबन्दी भी लागू हो गयी, तो इसके न बनने का क्या कारण है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

हम सवाल ही नहीं समझे, जवाब क्या दें ।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

जब सन् ५४ में भूमि-व्यवस्था अधिनियम लागू हुआ तो उसके अनुसार जहां वह लागू हुआ वहां जमींदारी टूटी या नहीं टूटी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

अब जरा कानून पढ़ लें तो बतायें ।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

माननीय मंत्री जी कृपा करके दूसरे सवाल के सिलसिले में बतायेंगे कि १ सितम्बर १९६३ तथा १ नवम्बर, १९६३ के बीच क्या मैंने कोई दरख्वास्त जिलाधीश देवरिया को दी थी और उस पर तहसीलदार देवरिया ने जांच की और जांच के बाद रिपोर्ट की कि वहां पर ग्राम समाज की संपत्ति स्थानीय जमींदारों द्वारा लूटी जा रही है । क्या उसकी प्रतिलिपि देने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जो रिपोर्ट मेरे पास आई है उसके अनुसार कोई दरख्वास्त जिलाधीश के पास नहीं पहुंची ।

श्री कमलासिंह यादव—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि रिट पर अपील कब हुई है और एन्फोर्समेन्ट कब हुआ है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

इसकी सूचना मेरे पास नहीं है ।

मुरादाबाद के डिग्री कालेजों की मैनेजिंग कमेटियों में टीचरों का प्रतिनिधित्व

*२२—श्री रियासत हुसैन—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उसके उस जी० ओ० के अनुसार जिसके मातहत हर विद्यालय में मैनेजिंग कमेटी में टीचर्स का रिप्रजेंटेटिव होना चाहिये, मुरादाबाद में किस-किस डिग्री कालेज की मैनेजिंग कमेटी में टीचर्स का रिप्रजेन्टेशन है और कौन-कौन रिप्रेजेंटेटिव हैं ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय—

आगरा विश्वविद्यालय के statutes (परिनियम) में ऐसी व्यवस्था है कि प्रत्येक कालेज की प्रबन्ध समिति में, अध्यापकों का एक प्रतिनिधि हो ।

सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ५८२ पर)

श्री रियासत हुसैन—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि ये रिप्रेजेन्टेटिव नामिनेटेड होते हैं या इलैक्टेड होते हैं । अगर नामिनेटेड या इलैक्टेड होते हैं तो इनका नामिनेशन या एलेक्शन कौन करता है ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय—

श्रीमन, ये एक वर्ष के लिये होता है और लेक्चरर्स ही सीनिअरिटी के अनुसार नामिनेट किये जाते हैं ।

मंझन तहसील में भूदान में प्राप्त भूमि

*२३—श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद) (अनुपस्थित) तथा श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ग्राम सभा शाहपुर, तहसील मंझनपुर, जिला इलाहाबाद के अन्तर्गत भूदान में भूमि दी गई है ? यदि हां, तो वह भूमि किस भूमिहीन को दी गई है और उसका नम्बर क्या है तथा रकबा क्या है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जी हां, भूदान कमेटी ने किसी को पट्टा नहीं दिया है ।

*२४—श्री नाथूराम शिक्षक, (अनुपस्थित) तथा श्री रक्षपालसिंह (अनुपस्थित)—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि ग्राम सभा पवोसा, तहसील मंझनपुर जिला इलाहाबाद के अन्तर्गत भूदान में भूमि दी गई है ? यदि हां, तो उसका नंबर और रकबा क्या है तथा वह भूमि किस भूमिहीन को दी गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जी हां, भूदान कमेटी ने किसी को पट्टा नहीं दिया है ।

फर्रुखाबाद जिले में तकावी की वसूली

*२५—श्री महरामसिंह (जिला फर्रुखाबाद) (अनुपस्थित)—

क्या राजस्व मंत्री को एता है कि फर्रुखाबाद जिले के खास कर बाढ़ तथा पाला दोनों से पीड़ित क्षेत्रों में, जिनके निवासी इस समय बहुत ही संकट की परिस्थिति में हैं, पिछली तकावी का रुपया वसूल किया जा रहा है ? यदि हां, तो कितना रुपया ऐसे क्षेत्रों से किस्तों का इस अवसर पर वसूल करना है ? क्या सरकार संकटकालीन परिस्थिति को देखते हुए उसे तुरन्त स्थगित करने के आदेश अगली फसल तक के लिये देने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

फर्रुखाबाद जिले में संकट की स्थिति नहीं है । शेष भाग के उत्तर का प्रश्न ही नहीं उठता ।

कानपुर जिले में जी० टी० रोड पर अनधिकृत निर्माण

*२६—श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर जिले में जी० टी० रोड पर सन् १९६२ से अब तक कितने नये मकान व नयी दूकानें जनता ने बनाई हैं क्या बना रहे हैं और उनमें से कितने नियमानुकूल सड़क के किनारे न छोड़ कर नियम विरुद्ध हैं तथा उनके प्रति क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

सन् १९६२ से १६ मकान तथा ६ दूकानें बनी हैं जो सड़क की भूमि पर होने के कारण अनधिकृत पाये गये हैं और उनको हटाने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

श्री मुरलीधर कुरील—

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि ये १६ मकान और ६ दुकानें कहां पर हैं ? क्या ये सड़क के किनारे हैं या बीच में ही हैं ?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया ।)

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—

क्या उनमें सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपा करके अपने अधीनस्थ इंजीनियरों को ऐसे आदेश देंगे कि जिससे वे देखें कि उनसे सड़कों पर कोई एन्क्रोचमेन्ट तो नहीं हुआ है या अगर यातायात को कठिनाई पड़ रही है तो वह दूर की जाय ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

इस प्रकार के आदेश उन्हें पहिले ही दिये जा चुके हैं और जहां एन्क्रोचमेन्ट होता है उसकी सूचना भी जिला मैजिस्ट्रेट को दी जाती है और जो कानूनी कार्यवाही होती है, वह की जाती है ।

इलाहाबाद में दारागंज-झूसी सड़क पर पुल निर्माण योजना

*२७—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार बतायेगी कि इलाहाबाद में दारागंज से झूसी जाने हेतु जो पैन्टून ब्रिज प्रत्येक वर्ष बनाया जाता है उसको हटाकर स्थायी पुल लोहे का वह बनवाने जा रही है ? यदि हां, तो उसके बनाने में कितने व्यय का अनुमान है तथा वह कब तक बन कर तैयार हो जायगा ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जी हां, उक्त स्थान पर एक स्थाई पुल के निर्माण की योजना है । इसकी अनुमानित लागत २४४.४७ लाख रुपया है । आशा की जाती है कि यह नया पुल १९६९ के अन्त तक तैयार हो जायगा ।

*२८—श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इलाहाबाद में दारागंज से झूसी जाने वाले पैन्टून ब्रिज को बनाने में कितना धन १९६१-६२ और १९६३-६४ में खर्च हुआ था ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

१९६१-६२ में ७९,२३५ रुपया ।

१९६३-६४ में ७७,६२४ रुपया ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह रेल के लिये बनेगा या सवारियों के लिये भी होगा ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

प्रश्न दोहराया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

इनके कहने का मतलब है कि सिर्फ सवारी के लिये या रेल के लिये पुल बनेगा ।

श्री जगनप्रसाद रावत—

रेल से उसका संबंध नहीं है। यह तो जो सड़क है उसी से इसका संबंध है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—

माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि क्या इस पर टेंडर मांगे गये थे ? यदि हां, तो सबसे ऊंचा किसका था और सबसे कम किसका था ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

इस संबंध में अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। चूंकि यह पुल केन्द्रीय सरकार के धन से बन रहा है इसलिये उनकी स्वीकृति के बाद ही यह तय होता है कि कौन-सा टेंडर माना जाय, कौन सा न माना जाय।

श्री सत्यनारायण पाण्डेय (जिला इलाहाबाद)—

यह जो पुल बन रहा है यह इकहरा बनेगा या दोहरा बनेगा ? वन व ट्रैफिक इस पर होगा या दोनों तरफ से एक साथ सवारी आ-जा सकेगी ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

यह पुल काफी चौड़ा होगा और इस पर एक ही साथ सवारियां आ-जा सकेंगी।

दातागंज तहसील में चकबन्दी

*२९—श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)—

क्या यह सही है कि ग्राम रुदेली मुडेली, तहसील दातागंज, जिला बदायूं में जहां चौकोर चकबन्दी की गई है, किन्तु चक नंबर ३७ में जो चार चक बनाये गये हैं उनमें आठ-आठ दस-दस कोने हैं ? यदि हां तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

चार नहीं तीन चक कर दिये गये हैं। दो चक चार-चार कोने के हैं। एक में नहर इत्यादि के कारण सात कोना बैठता है।

*३०—श्री बलवानसिंह (अनुपस्थित)—

क्या यह सत्य है कि उक्त ग्राम की भूमि में सरकारी सर्विस रोड से पश्चिम ग्राम खानपुर दया व ग्राम नाथपुर बनवारी व ग्राम धौरेरा के धुरे पर जो चक बनाये गये हैं उन चकों पर आने जाने के लिये कोई चक रोड चकबन्दी में नहीं दी गई है जिससे वहां के बीसों किसानों को चकों पर पहुंचने में भारी असुविधा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त असुविधा दूर करने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

चक रोडों की सुविधा कर दी गई है।

काशीपुर उपनिवेशन योजना में प्राप्त भूमि का मुआवजा

*३१—श्री देवीदत्त (जिला नैनीताल) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि लैन्ड एक्वीजीशन ऐक्ट में जो जमीन जिला नैनीताल में सरकार ने काशीपुर कालोनाइजेशन के लिये ग्रहण की है एसी सब जमीनों का मुआवजा अदा कर दिया गया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

काशीपुर कालोनाइजेशन योजना के निमित्त ४८ ग्रामों की भूमि लैन्ड एक्वीजेशन ऐक्ट के अन्तर्गत ली गई थी। उसमें से ४० ग्रामों की भूमि का पूरा-पूरा मुआवजा संबंधित व्यक्ति ले चुके है शेष ८ गावों की भूमि में निर्धारित मुआवजे का कुछ भाग अभी बटने को शेष है।

*३२—श्री देवीदत्त (अनुपस्थित)—

क्या सरकार को यह विदित है कि सरकार द्वारा तहसील काशीपुर, जिला नैनीताल ग्राम महेशपुर में जो जमीनें सन् १९४९ में कालोनाइजेशन के लिये ग्रहण की थीं उसका मुआवजा अदा हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

महेशपुरा की जमीन विस्थापितों को बसाने के लिये यू० पी० लैन्ड एक्वीजीशन रिहैबिलिटेशन आफ रिफ्यूजीज ऐक्ट, १९४८ के अन्तर्गत ली गई थी। बाद में यही भूमि लैन्ड एक्वीजेशन ऐक्ट के अन्तर्गत अध्याप्त की गई जिसकी धारा ६ की विज्ञप्ति ७ अक्तूबर, १९६३ को प्रकाशित हुई —मुआवजा अभी तक अदा नहीं हुआ है क्योंकि लैन्ड एक्वीजेशन आफिसर ने अभी अवार्ड नहीं दिया है।

देवरिया जिले में सड़कों व पुलों का निर्माण

*३३—श्री कैलाश (जिला देवरिया)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिला में नदावर तथा भटनी के पुल का निर्माण कब से प्रारम्भ किया जायगा ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

नदावर घाट के पुल का निर्माण कार्य अगली बरसात के बाद आरम्भ होने की आशा है। भटनी के पुल का आगणन तैयार किया जा रहा है।

*३४—श्री कैलाश—

उपरोक्त जिले के भटनी, भाटापार, बनकटा ब्लाक में कौन कौन सी सड़कें १९६४-६५ में प्रारम्भ की जायेंगी ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

भटनी विकास क्षेत्र में—भटनी बलुआ अफगान सड़क (१० मील) इस पर कार्य चालू है।

भाटपार विकास क्षेत्र में—भाटपार रानी मिगारी सड़क (६ मील) का और बनकटा विकास क्षेत्र में रतसिया कोठी से सोहनपुर (६ मील) तथा भटनीघाटी (१० मील) सड़कों का सर्वेक्षण हो रहा है। सर्वेक्षण के बाद इन पर निर्माण कार्य आरम्भ करने का प्रयास किया जायेगा।

श्री कैलाश—

क्या यह सही है कि भटनी-बलुवा-अफगान सड़क केवल दस मील है और उस पर सालों से काम हो रहा है लेकिन गोरखपुर अधीक्षण अभियन्ता के यहां से अभी तक उसका अनुमानित व्यय पास नहीं हो पाया है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

ऐसी बात नहीं है। यह सड़क मार्च, ६३ में स्वीकृत हुई और इस पर काफी काम हो चुका है।

श्री कैलाश—

मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मैन पावर मोबिलाइजेशन स्कीम में कई लाख रुपया जो पटेल आयोग द्वारा देवरिया जिले को दिया गया है उसमें से गोरखपुर अधीक्षण अभियन्ता ने कितनी सड़कों पर काम शुरू किया है?

श्री जगनप्रसाद रावत—

यह तो अलग-अलग तफसील पूछें तो मैं एक-एक के बाबत बता सकता हूं। आम-तौर से बताना मुश्किल है।

श्री कैलाश—

जो रुपया दिया गया है उसमें से एक भी सड़क पर कार्यवाही शुरू नहीं हुई है, तो माननीय मंत्री जी क्या ऐसा आदेश देंगे कि जल्दी से जल्दी जो रुपया पटेल आयोग द्वारा दिया गया है वह रुपया जल्दी से जल्दी खर्च किया जाय और अगर नहीं खर्च होता है तो कानूनी कार्यवाही की जाय और जल्दी से जल्दी उस अभियन्ता को वहां से हटाया जाय?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जो भी रुपया हमको दिया जाता है उस रुपये को जिस शर्त पर वह मिलता है उसी शर्त पर हम खर्च कर सकते हैं और उसको खर्च करने की पूरी कोशिश हम करेंगे। यदि कोई अधिकारी उसमें लापरवाही करता है तो जरूर उसके खिलाफ कार्यवाही होगी।

शिक्षा संहिता में संशोधन

*३५—मुमताज मुहम्मद खां—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनका ध्यान दैनिक नेशनल हेरल्ड १३ अगस्त, सन् १९६४ के पृष्ठ ५ के कालम ७ में यू० पी० एजूकेशन कोड के शीर्षक से प्रकाशित एक पत्र की ओर गया है जिसमें लेखक ने नये उत्तर प्रदेश एजूकेशन कोड (हिन्दी) में घोर त्रुटियों की ओर ध्यान आकर्षित किया है?

श्री कैलाशप्रकाश—

पत्र में लेखक ने इन्टरमीडिएट एजूकेशन (अमेंडमेंट) ऐक्ट के अन्तर्गत बने हुये रेगुलेशन्स के अनुसार तथा १९५९ में शिक्षकों आदि को आकस्मिक अवकाश प्रदान करने के लिये जो राजाज्ञा निकली थी, उनके आधार पर शिक्षा संहिता में संशोधन न होने की शिकायत की है।

*३६—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यदि उक्त पत्र में वास्तविकता है, तो उक्त त्रुटियां क्यों रहीं और इनके लिये कौन उत्तरदायी है?

श्री कैलाशप्रकाश—

इन्टरमीडिएट एजूकेशन ऐक्ट के अन्तर्गत बने हुये रेगुलेशन्स लागू हैं और उनके अनुसार कार्य हो रहा है। इन रेगुलेशन्स के आधार पर शिक्षा संहिता में संशोधन अभी विचाराधीन हैं।

आकस्मिक अवकाश से संबंधित राजाज्ञा के अनुसार संशोधन क्यों नहीं किया जा सका, इस पर जांच की जा रही है और आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस खामी के अलावा उन्होंने एजूकेशन कोड में और भी खामियां मालूम करने का प्रयास किया है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

पूरा कोड विचाराधीन है।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

इसकी जिम्मेदारी किन लोगों पर है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

पहले कोड का तरजुमा शुरू किया गया और इस बीच में कुछ आदेश नये हुए। उनको भी शामिल किया जा रहा है लेकिन १, २ बात पुरानी रह गई, और उनकी जांच तथा कार्यवाही की जा रही है।

बरेली उपखण्ड में जिला विद्यालय निरीक्षक

*३७—श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर) (अनुपस्थित)—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा विभाग क द्वितीय मण्डल बरेली उपखण्ड में ऐसे कितने जिला विद्यालय निरीक्षक हैं जो अपने पद पर एक ही जिले में ३ वर्षों से अधिक अवधि से कार्य कर रहे हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश—

कोई नहीं।

*३८—श्री बिपिनबिहारी तिवारी (अनुपस्थित)—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस उपखंड में ऐसे कौन-कौन जिला विद्यालय निरीक्षक हैं जिनका स्थानान्तरण जिले में आने के बाद एक बार किया गया परन्तु फिर स्थगित कर दिया गया तथा ऐसा करने का कारण क्या था ?

श्री कैलाशप्रकाश—

कोई नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

कालपी तहसील में भूमि वितरण

*३९—श्री शिवसम्पति शर्मा (जिला जालौन)—

तारांकित प्रश्न संख्या २७, २८, २९ दिनांक ४ सितम्बर, १९६४ के उत्तर के क्रम में क्या सरकार हाकिम परगना कालपी ने जैसा कि जवाब में कहा गया है कि २२ जुलाई को आदेश वापस लेकर पट्टा वितरण किया है तो ऐसा कौन सा कारण रात भर में उपस्थित हो गया जिससे कि उन्हें अपना आदेश दिनांक २१ जुलाई, १९६४ को वापस लेकर २२ जुलाई, १९६४ को पट्टा वितरण करना पड़ा और फिर भी पट्टा लाटरी पद्धति से न करने के लिये बाध्य होना पड़ा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

२१ तारीख को आदेश देते समय हाकिम परगना को उस आवेदन-पत्र की सूचना न थी जिस पर तहसीलदार द्वारा जांच भूमि देने के विषय में हो चुकी थी और उनका प्रतिवेदन भी जिला अधिकारियों द्वारा प्राप्त हो चुका था और उस पर जिलाधीश के आदेश भी हो चुके थे। २२ तारीख को जब यह बात उनके ध्यान में लाई गई तो उन्होंने भूमि वितरण के आदेश दे दिए।

*४०—श्री शिवसम्पति शर्मा—

क्या उपरोक्त सब बातों को देखते हुये सरकार, जैसी कि मेरी सूचना है कि जिलाधीश जालौन ने १५ जुलाई, १९६४ को ही पट्टा का आदेश अनियमित रूप से दे दिया था और सही तथ्यों को छिपाया जा रहा है, पूरी फाइल मंगाकर देखने की कृपा करेगी और यदि पट्टे की कार्यवाही में अनियमितता हुई हो तो उसे रद्द करते हुये लाटरी पद्धति से पुनः वितरण करने का आदेश देंगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

सरकार इस विषय में जांच कर चुकी है । पट्टा देने में कोई अनियमितता नहीं हुई है। इसलिए पट्टा रद्द करने का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

श्री शिवसम्पति शर्मा—

क्या सरकार ने कोई ऐसा आदेश जारी किया है कि कोई अफसर बिना फाइल के आर्डर कर सकता है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

ऐसा कोई आर्डर नहीं है ।

श्री शिवसम्पति शर्मा—

जब २१ तारीख को शाम ४ बजे हाकिम परगना ने आर्डर कर दिया तो २२ तारीख की सुबह उसने फिर हुकुम क्या किसी के दबाव से किया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जब उनकी जानकारी में वह बात आई तो उन्होंने वह कर दिया । सम्भव है पहले उनसे गलती हो गई हो ।

*४१-४२—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

[दूसरे गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या ७९-८० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

मालगुजारी गल्ले में वसूल करने का सुझाव

*४३—सर्वश्री रक्षपालसिंह, कमलासिंह यादव, मुमताज मुहम्मद खां, अनीसुर्रहमान (जिला नैनीताल)—

क्या सरकार किसी योजना पर विचार कर रही है कि लगान बजाय रुपये के गल्ले में ही काश्तकारों से वसूल किया जाय ? यदि हां, तो—

(१) उसकी पूरी योजना क्या है,
(२) वह कब से लागू की जायगी,
(३) इससे प्रदेश के काश्तकारों का क्या हित होगा, तथा
(४) इससे सरकार को क्या लाभ होने की सम्भावना है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

काश्तकारों से मालगुजारी बजाय रुपये के गल्ले में वसूल करने की योजना पर सन् १९५९ में विचार किया गया था और उसमें व्यावहारिक कठिनाइयां होने के कारण इसे सरकार ने नहीं माना । इस नीति में अभी कोई परिवर्तन नहीं किया गया है ।

प्रश्न का शेष भाग नहीं उठता ।

नोट—तारांकित प्रश्न ४० के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

*४४-४६—श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

[९ फरवरी, १९६५ को उत्तर दिया गया।]

बाढ़ पीड़ितों को सहायता

*४७—श्री भीमाप्रसाद (जिला आजमगढ़) तथा श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष १९६३-६४ में किन-किन जिलों के बाढ़, कटाव एवं अतिवृष्टि पीड़ित क्षेत्रों के गरीब छात्रों की फीस, पुस्तकीय अनुदान आदि में सहायता करने के लिये कितना-कितना रुपया एवं किन-किन आधारों पर जिलाधीशों को दिया गया है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

वित्तीय वर्ष १९६३-६४ में गरीब छात्रों को सहायता देने के लिये जो रुपया जिलों को दिया गया था उसका ब्योरा संलग्न है।

उपलब्ध धनराशि का वितरण जिलों की बाढ़ स्थिति को ध्यान में रखते हुये किया गया था।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ५८३ पर)

*४८—श्री भीमाप्रसाद तथा श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किन-किन जिलों के जिलाधीशों ने कितने-कितने रुपये की मांग की थी?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

बाढ़ के पूर्व ही सभी आयुक्तों को आदेश दे दिये गये थे कि आवश्यकता पड़ने पर वे शासन से वितरण के हेतु आवश्यक धनराशि मांग लें। परन्तु प्रदेश के समस्त जिलों से सूचना यथासमय प्राप्त न होने के कारण सरकार ने समस्त जिलों की बाढ़ की स्थिति को देखते हुये विभिन्न जिलों को अनुदान का रुपया दे दिया था। जिन-जिन जिलों की मांगें आई थी वह संलग्न हैं।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ५८३ पर)

बलरामपुर तहसील में सड़कें

*४९—श्री बलदेवसिंह (जिला गोंडा), श्री सुखदेवप्रसाद—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला गोंडा में तहसील बलरामपुर के अन्तर्गत जितनी सड़कें इस वर्ष सन् १९६४ में टेस्ट वर्क में बनी हैं सरकार उन्हें पक्की कराने की कृपा करेगी? यदि हां, तो कब तक?

श्री जगनप्रसाद रावत—

तहसील बलरामपुर में सन् ६४ में टेस्ट वर्क में अभी सड़कों को पक्का कराने की इस समय कोई योजना नहीं है।

*५०-५१—श्री जगन्नाथ राव—

[तीसरे बुधवार के लिये प्रश्न संख्या ७२-७३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

बर्डघाट पुल जांच समिति की रिपोर्ट

*५२—श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जिले के वर्डघाट पुल के टूटने की जांच के लिये जो कमेटी बनी थी उसने अपनी कोई रिपोर्ट दी या नहीं ? यदि दी है, तो क्या उसे सदन की मेज पर वे रखेंगे ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। और अभी वह शासन के विचाराधीन है अतः उसे सदन की मेज पर रखना अभी सम्भव नहीं है।

*५३—श्री कल्पनार्थसिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि उपरोक्त कमेटी कब बनी और क्या यह सच है कि उसके किसी मेम्बर ने उससे अपने को अलग कर लिया ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

उक्त कमेटी २४ जुलाई, १९६१ को नियुक्त की गई थी। कमेटी के अध्यक्ष ने अस्वस्थ होने के कारण त्याग-पत्र दिया था।

घोसी तहसील में पालाग्रस्त फसल की जांच

*५४—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता दिनांक १९ फरवरी, तथा ७ अप्रैल, सन् १९६४ के लिखित दो पत्र उन्हें प्राप्त हुये हैं जिसमें पछुआ हवा से रबी की फसल की हानि का तखमीना अधिकारियों द्वारा ठीक से न लगाये जाने की शिकायत की गई है और फिर से जांच करने की मांग की गई है ? यदि हां, तो उस पर कौन-सी कार्यवाही की गई और परिणाम क्या निकला ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जी हां, उन दोनों पत्रों में घोसी तहसील के पाला-पीड़ित गांवों में क्षति की पुनः जांच की प्रार्थना की गई थी। सम्बन्धित परगनाधीश, तहसीलदार, नायब तहसीलदार तथा सुपरवाइजर कानूनगो ने पाला से प्रभावित प्रत्येक गांव का २२-२-६४ से २३-३-६४ तक पुनः निरीक्षण किया जिसके फलस्वरूप यह पता चला कि पाले से हुई क्षति ३५ पैसे से अधिक नहीं थी। इस प्रकार ५० पैसे से क्षति कम होने के कारण राजस्व-कर में छूट नियमानुसार नहीं दी जा सकती थी।

*५५—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक २५ अप्रैल, १९६४ का लिखा हुआ ग्राम छपरा तहसील घोसी, जिला आजमगढ़ के किसानों का कोई प्रार्थना-पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है जिसमें सम्बन्धित गांवों के लेखपालों द्वारा गलत इन्दराज करने, इन्तखाब न देने तथा सौ-सौ रुपये घूस लेने की शिकायत की गई है ? यदि हां, तो प्रार्थना-पत्र की जांच किस अधिकारी द्वारा कराई गई और परिणाम क्या निकला ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जी नहीं। केवल सुदामा चौहान का एक प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था। जिलाधीश ने नायब तहसीलदार से जांच कराई। आरोप निराधार पाया गया।

हैदरगढ़ तहसील में टेस्ट वर्क चलाने की मांग

*५६—श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—

क्या यह बात सही है कि तहसील हैदरगढ़ के तहसीलदार द्वारा हैदरगढ़ तहसील में टेस्ट वर्क चालू करने का कोई एस्टीमेट बना कर सरकार के पास जून या जुलाई, १९६४ के बाद भेजा गया था ? यदि हां, तो क्या ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जी नहीं।

*५७—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या सरकार उक्त एस्टीमेट के अनुसार क्षेत्र की जनता की पाले, शीत लहर, आवर्षण से उत्पन्न खाद्यान्न अभाव की स्थिति को देखते हुये टेस्ट वर्क चालू करने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर-इलाहाबाद सड़क पर कंकड़ की सप्लाई

*५८—श्री कल्पनाथसिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री ६ मार्च, १९६४ के तारांकित प्रश्न १९ क सन्दर्भ में बतायेंगे कि जिन लोगों पर खराब काम लेने का आरोप था उन पर अब-तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

इस मामले में जांच हो रही है। जांच अधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त होने पर दोषी अधिकारियों को दण्ड देने के विषय पर विचार किया जायेगा।

स्कूल चपरासियों का प्राविडेंट फंड

*५९—श्री मुहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सरकारी सहायता पाने वाली शिक्षा संस्थाओं के चपरासियों को प्राविडेंट फंड की सहूलियत न होने के क्या कारण हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश—

स्थानीय निकायों द्वारा संचालित शिक्षा संस्थाओं के चपरासियों को प्राविडेंट फंड की सुविधा प्राप्त है। व्यक्तिगत ट्रेनिंग कालेजों, जूनियर हाई स्कूलों, संस्कृत पाठशालाओं तथा अरेबिक मदरसों के चपरासियों को प्राविडेन्ट फन्ड देने का कोई नियम नहीं है। व्यक्तिगत उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के चपरासियों को प्राविडेन्ट फंड देने का प्राविधान इन्टरमीडिएट एजूकेशन ऐक्ट की धारा १६—जी के अधीन विनियम ७७ में है परन्तु चपरासियों के वेतन-क्रम निर्धारित न होने के कारण अभी तक उक्त विनियम कार्य रूप में लागू नहीं हो सका। व्यक्तिगत डिग्री कालेजों की प्रबन्ध समितियों को चपरासियों को प्राविडेंट फंड देने की अनुमति है।

*६०—श्री मुहम्मद रफी खां—

क्या सरकार ऐसे संस्थाओं के चपरासियों को जल्दी ही प्राविडेंट फन्ड की सहूलियत देने की कृपा करेगी ?

श्री कैलाशप्रकाश—

प्रश्न ५९ के उत्तर में बतलायी गयी स्थिति में प्रस्तुत प्रश्न नहीं उठता।

*६१—६३—[हटा दिये गये।]

इटावा जिले में प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों का तबादला

*६४—श्री घासीराम जाटव (जिला इटावा)—

क्या यह सच है कि सरकार ने अभी हाल ही में जिला इटावा के ब्लाक प्रमुखों को यह आदेश भेजे हैं कि जिले के अन्तर्गत प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों का तबादला ब्लाक प्रमुख कर सकते हैं? यदि हां, तो वह आदेश क्या है?

श्री कैलाशप्रकाश—

जी नहीं।

कानपुर जिला परिषद् अध्यापकों का वेतन

*६५—श्री रक्षपालसिंह—

क्या विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर जिला परिषद् के अध्यापकों को गत कितने माह से वेतन नहीं दिया गया है तथा वह कब तक दे दिया जायगा?

श्री कैलाशप्रकाश—

प्राप्त सूचना के अनुसार जिला परिषद्, कानपुर के अध्यापकों को केवल दिसम्बर, १९६४ का वेतन जनवरी, १९६५ में बकाया था। जिला परिषद् उसके भुगतान की व्यवस्था भी शीघ्र ही कर रही है।

कालेज खुलने की तिथि

*६६—श्री मन्नालाल (जिला खीरी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस वर्ष कालेजों को किस तारीख से खोलने का आदेश हुआ तथा प्रवेश किस तारीख से प्रारम्भ हुये?

श्री कैलाशप्रकाश—

इस वर्ष विद्यालयों को १-७-६४ से खोलने के आदेश हुये। प्रवेश के लिए कोई निश्चित तिथि निर्धारित नहीं है।

*६७-६८—श्री मन्नालाल—

[(११ फरवरी, १९६५) को प्रश्न संख्या १२३-१२४ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है।]

विधायक निवास कर्मचारी संघ

*६९—श्री शारदाभक्तसिंह (जिला हरदोई)—

२८ अगस्त, १९६४ के तारांकित प्रश्न १२ के उत्तर से सम्बन्धित इस बात को ध्यान में रखकर कि राज सम्पत्ति अधिकारी ने जिस समय विधायक निवास कर्मचारी संघ का सदस्य बनने से मना करने का आदेश जारी किया था उस समय उन्हें संघ के रजिस्टर्ड होने की सूचना नहीं थी परन्तु क्योंकि अब प्रश्न ११ के उत्तर से स्पष्ट है कि उक्त संघ ट्रेड यूनियन ऐक्ट के अन्तर्गत रजिस्टर्ड हो चुका है क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सम्पत्ति अधिकारी द्वारा उक्त संघ के सदस्य बनने की निषेधाज्ञा कब तक रद्द कर दी जायगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

वह आज्ञा रद्द की जा चुकी है।

*७०—श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

[दूसरे गुरुवार के लिए प्रश्न संख्या ५० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*७१—श्री जगदीशप्रसाद पांडेय (जिला बस्ती)—

[हटा दिया गया।]

जौनपुर जिले में सड़कें

*७२—श्री जगन्नाथ राव—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिलान्तर्गत मड़ियाहूं से तरती व केशपुर से बधवां तक जाने वाली सड़क को पक्की करने की योजना कब तक पूरी हो जायगी और उसके बनाने में कितना पैसा व्यय होगा और क्या ये सड़कें मैन पावर युटिलाइजेशन योजना में सम्मिलित हैं।

श्री जगनप्रसाद रावत—

इन सड़कों के निर्माण की इस समय कोई योजना नहीं है। उनके निर्माण में अनुमानित ६७.०० लाख रुपये व्यय होगा।

यह सड़कें मैन पावर युटिलाइजेशन योजना में सम्मिलित नहीं हैं।

घाघरा पर पुल बनाने का सुझाव

*७३—श्री सूरजलाल गुप्त वकील (जिला गोंडा)—

क्या सरकार को यह पता है कि एक अन्तर-प्रान्तीय पक्की सड़क देहली से लखनऊ, बाराबंकी, जरवल, गोंडा से होती हुई आसाम तक गयी है परन्तु घाघरा नदी पर घाघरा रेलवे पुल के पास पी० डब्लू० डी० का कोई पुल नहीं होने से यातायात में जनता को बड़ी कठिनाई है? क्या सरकार घाघरा रेलवे पुल के पास पी० डब्लू० डी० द्वारा घाघरा नदी पर पक्का पुल बनाने की योजना बनाने की कृपा करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री जगनप्रसाद रावत—

लखनऊ–बाराबंकी–गोंडा सड़क पर स्थित घाघरा घाट पर पक्के पुल के निर्माण की कोई योजना धनाभाव के कारण इस समय नहीं है।

जौनपुर जिला परिषद् के अप्रशिक्षित अध्यापक

*७४—श्री यादवेन्द्रदत्त तथा श्री विश्वनाथप्रसाद (जिला वाराणसी)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जौनपुर जिला परिषद् को कोई आदेश भेजे हैं कि सन् १९६१–६२ तथा ६३–६४ में अस्थायी तथा अप्रशिक्षित शिक्षक नियुक्त करे और तदनुसार जिला परिषद् जौनपुर द्वारा जो नियुक्त किये गये हैं उन में कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो कत्ल के मामलों में सजा पा चुके हैं? यदि हां, तो ऐसे कितने व्यक्ति हैं तथा वे किस-किस स्कूल में पढ़ा रहे हैं?

श्री कैलाशप्रकाश—

तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत १९६१–६२ में १२९ तथा १९६३–६४ में ७१३ अप्रशिक्षित अध्यापकों के नियुक्त करने की अनुमति दी गयी थी। जिला परिषद् से सूचना मिली है कि १९६१–६२ में एक ऐसा व्यक्ति नियुक्त हो गया था जिसे कत्ल के मामले में सजा मिल चुकी थी किन्तु अब वह परिषद् की सेवा में नहीं है।

*७५—श्री यादवेन्द्रदत्त तथा श्री विश्वनाथप्रसाद—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला परिषद् अशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति के पूर्व किसी प्रकार की अनुमति सरकार से लेती है? यदि हां, तो हर जिले में बड़ी संख्या में जे० टी० सी० तथा एच० टी० सी० ट्रेन्ड व्यक्ति दरख्वास्त देते हैं तो उन्हें नियुक्ति में प्राथमिकता क्यों नहीं दी जाती है?

श्री कैलाशप्रकाश—

अध्यापकों की संख्या शासन से निर्धारित होने के पश्चात् चुनाव समिति द्वारा चुने हुये अध्यापकों की नियुक्ति अध्यक्ष जिला परिषद् करते हैं। शासन को ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है कि हर जिले में जे० टी० सी० और एच० टी० सी० की नियुक्ति नहीं हो रही है। जहां तक जौनपुर का प्रश्न है जे० टी० सी० तथा एच० टी० सी० अध्यापक जो अप्रशिक्षित अध्यापकों के वेतन-क्रम के लिये लिखित सम्मति देते हैं, नियुक्त किये जाते हैं।

*७६—श्री यावेन्द्रदत्त तथा श्री विश्वनाथ प्रसाद—

क्या सरकार उन अप्रशिक्षित अस्थायी शिक्षकों की उनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सहित एक लिस्ट सदन की मेज पर रखेगी जिन की नियुक्ति जिला परिषद् जौनपुर द्वारा सन् १९६०–६१, १९६१–६२, १९६२–६३, तथा १९६३–६४ में की गयी है?

श्री कैलाशप्रकाश—

१९६०–६१ में कोई अध्यापक नियुक्त नहीं हुआ और १९६१–६४ में जो अध्यापक नियुक्त हुये उन की सूची बहुत बड़ी है जिसके छपाने में जो व्यय और श्रम लगेगा वह होने वाले लाभ के अनुरूप न होगा। एक †सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

रमनगर के अग्निपीड़ितों को सहायता

*७७—श्री चन्द्रपाल (जिला बस्ती)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि दिनांक २३ जुलाई, १९६४ को बस्ती जिले की तहसील नौगढ़ के ग्राम रमनगर में जो भीषण अग्नि-काण्ड हुआ उस में अनुमानित हानि क्या है तथा सरकार द्वारा सम्बन्धित परिवारों को क्या सहायता प्रदान की गयी है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

इस अग्निकांड से अनुमानितः दो भाइयों के परिवारों की १,०५५.०० रु० की सम्पत्ति की हानि हुई। उन के सहायतार्थ ३०० रु० की धनराशि तकावी बांटने के लिए स्वीकृत की गयी थी किन्तु उन्होंने वह नहीं ली।

*७८—श्री चन्द्रपाल—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि:

(अ) आग लगाने के सम्बन्ध में पुलिस को किन के बारे में सूचना दी गयी?

(ब) पुलिस को जिन पर आरोप लगाकर सूचना दी गयी उसके सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी?

(स) किन-किन के घर जल गये?

---

†सूची छापी नहीं गई।

श्री हुकुमसिंह विसेन—

(अ) आग लगने के सम्बन्ध में निम्नलिखित तीन व्यक्तियों के विरुद्ध थाना लोटन में रपट लिखायी गयी थी :—

(१) जिकरी पुत्र मुन्शी,

(२) उमर पुत्र भीखू मल्लाह, निवासी रमनगर,

(३) मुसलिम पुत्र वल्लन, निवासी तरैनी, थाना लोटन ।

(ब) प्रथम सूचना प्राप्त होने पर पुलिस ने धारा ४३६ आई० पी० सी० के अन्तर्गत मुकदमा अपराध नं० ४१ दिनांक २४ जुलाई, १९६४ को कायम किया। जांच के पश्चात् सबूत की कमी के कारण मामल में फाइनल रिपोर्ट नम्बर १७, दिनांक २५ अक्तूबर, १९६४ को लगायी गयी। इसको ए० डी० एम० (जे०) बस्ती ने दिनांक २२ नवम्बर, १९६४ को स्वीकृत किया।

(स) निम्न व्यक्तियों के मवेशियों के फूस के छप्पर जले थे :—

(१) श्री महादेव } पुत्र बलिराज
(२) श्री बासुदेव, }

जिला परिषद्, फतेहपुर के अध्यापक

*७९—श्री रक्षपालसिंह—

क्या सरकार यह आदेश जारी करने की कृपा करेगी कि जिला परिषद्, फतेहपुर के अध्यापकों को यथासम्भव उनके निवास स्थान से ५ मील की दूरी के अन्दर कार्य करने का अवसर दिया जाय ?

श्री कैलाशप्रकाश—

ऐसा आदेश शासन द्वारा दिया जाना उचित नहीं है ।

अतिरिक्त रेलवे भूमि पर खेती

*८०—श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि केन्द्रीय सरकार द्वारा सितम्बर, १९६४ के अन्तिम सप्ताह में कोई इस आशय का निदेश राज्य सरकार को प्राप्त हुआ है जिसके अनुसार रेलवे लाइनों के किनारे की कृषि योग्य भूमि पर भी खेती कराने की योजना दी गयी है ? यदि हां, तो :

(अ) पूरी योजना क्या है ?

(ब) भूमि के वितरण की व्यवस्था तथा आधार क्या होगा ?

(स) सरकार भूमिहीनों को जमीन देगी अथवा स्वयं खेती करायेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

अतिरिक्त रेलवे भूमि को खेती के लिए पट्टे पर दिये जाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार मार्च, १९६३ में ही केन्द्रीय सरकार के परामर्श से एक योजना बना चुकी है। सितम्बर, १९६४ के अन्तिम सप्ताह में तो नहीं बल्कि अगस्त, १९६४ के अन्तिम सप्ताह में अवश्य ही भारत सरकार से इस आशय का एक पत्र राज्य सरकार को प्राप्त हुआ था कि रेलवे विभाग की अतिरिक्त भूमि शीघ्रातिशीघ्र खेती के लिए पट्टे पर दिये जाने के निमित्त आवश्यक कदम उठाये जायं। भारत सरकार ने यह कहा था कि रेलवे के पास २०,४८५ एकड़ भूमि कृषि के लिए उपलब्ध है, जिसमें से तब तक रेलवे प्रशासनों ने कलेक्टरों को २,२९३ एकड़ भूमि पट्टे पर देने के लिए हस्तान्तरित

कर दी थी। रेलवे प्रशासनों को लिखा गया है कि शेष भूमि भी जल्दी से जल्दी कलेक्टरों क कब्जे में दे दें ताकि उनका पट्टा जल्दी हो जाय। अब तक की प्राप्त सूचना है कि ९२३ एकड़ भूमि पर पट्टे दिये जा चुके हैं। कलेक्टरों को आदेश दिये गये हैं कि इस कार्य में शीघ्रता करें।

संक्षेप में योजना इस प्रकार है कि रेलवे की ओर से उनका एक अधिकारी पट्टे पर दी जाने के लिए उपलब्ध भूमि की कलेक्टरों को सूचना देता है। कलेक्टर गांव के ऐसे निवासियों से भूमि के लिए आवेदन पत्र आमन्त्रित करते हैं जो या तो भूमिहीन हों या जिनके पास ६ १/४ एकड़ से कम भूमि हो। किसी को भी ६ १/४ एकड़ से अधिक भूमि नहीं दी जाती है और जिन के पास कुछ भूमि पहले से भी रहती है उन्हें केवल उतने क्षेत्रफल की ही भूमि दी जाती है जिसको उनकी पहले की भूमि के क्षेत्रफल के साथ जोड़ने के फलस्वरूप ६ १/४ एकड़ से अधिक न आ सके।

भूमि देने में सर्वोच्च प्राथमिकता उन लोगों को दी जाती है जो भूमिहीन खेतिहर मजदूर अथवा ऐसे असामी हों, जो भूमिधरी अथवा सीरदारी अधिकार से कोई भी भूमि न रखते हों। इनम से उन लोगों को सर्वप्रथम प्राथमिकता दी जाती है जिनकी भूमि १ जूलाई, १९५२ को अथवा उसके पश्चात् किसी सार्वजनिक प्रयोजन के निमित्त अध्यापित की गयी हो। दूसरी प्राथमिकता वीरगति को प्राप्त सैनिकों के आश्रितों को, तीसरी प्राथमिकता राजनैतिक पीड़ितों को, चौथी प्राथमिकता अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को, पांचवीं प्राथमिकता भूतपूर्व सैनिकों को, छठी प्राथमिकता स्वर्णकारों को तथा सातवीं प्राथमिकता अन्य भूमिहीन खेतिहर मजदूरों अथवा भूमिधरी या सीरदारी अधिकार से कोई भी भूमि न रखने वाले असामियों को दी जाती है।

उपर्युक्त में से कोई भी व्यक्ति भूमि लेने का इच्छुक न होने की दशा में भूमि ऐसे भूमिधरों, सीरदारों अथवा असामियों को दे दी जाती है जिनके पास ६ १/४ एकड़ से कम भूमि हो और ऐसे लोगों में से भी कोई भी भूमि लेने का इच्छुक न पाया जाने की दशा में भूमि किसी भी व्यक्ति को दे दी जाती है।

भूमि का पट्टा कलेक्टरों द्वारा स्वीकृत किया जाता है और लगान की वसूली भी वही करते हैं। पट्टे की अधिक से अधिक अवधि १० वर्ष की रहती है, किन्तु शर्त यह रहती है कि जब कभी भी भूमि की रेलवे के प्रयोजन के निमित्त आवश्यकता हो, १ महीने की नोटिस पर भूमि खाली कर देनी होगी। पट्टा १, २ तथा ३ वर्ष के ही लिए किया जाने की दशा में लगान मौरूसी दर के बराबर लिया जाता है और जब पट्टा चार वर्ष अथवा उससे अधिक अवधि के लिए किया जाता है तो लगान पहिले वर्ष में तो मौरूसी दर के एक-चौथाई के बराबर, दूसरे वर्ष में मौरूसी दर के आधे के बराबर, तीसरे वर्ष में मौरूसी दर के बराबर, और चौथे तथा उससे आगे के वर्षों में मौरूसी दर के १३३ फी सदी के बराबर लिया जाता है। लगान की ९० फी सदी धनराशि रेलवे प्रशासन को जाती है और १० फी सदी राज्य सरकार को इस योजना के खर्च के लिए, जिसमें वसूली का खर्च भी सम्मिलित है, मिलता है। रेलवे भूमि पर स्वयं खेती करने का राज्य सरकार का कोई विचार नहीं है।

शिक्षा संस्थाओं में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सेवा नियम

*८१—श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

क्या शिक्षा मन्त्री राज्य के गैर सरकारी मान्यता प्राप्त माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में काम करने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों (दफ्तरी, चपरासी, लैबविभव, चौकीदार तथा वाटरमैन आदि) के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेगी कि :

(क) वेतन-क्रम क्या है?

(ख) सेवा की शर्तें क्या हैं ?

(ग) महंगाई भत्ता किस दर से दिया जाता है ?

(घ) लाभत्रयी योजना इन पर लागू है या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(ङ) यदि सरकार द्वारा कोई निश्चित वेतन-क्रम नहीं तो इस समय प्रदेश के विभिन्न विद्यालयों में चपरासियों को न्यूनतम तथा अधिकतम कितना वेतन मिल रहा है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

राज्य के गैर सरकारी मान्यता प्राप्त माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में काम करने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों (दफ्तरी, चपरासी, लैबविभव, चौकीदार, तथा वाटरमैन आदि) के सम्बन्ध में सूचना इस प्रकार है :—

(क) कोई वेतन-क्रम निर्धारित नहीं है।

(ख) सेवा की शर्तें नहीं बनी हैं।

(ग) महंगाई भत्ता २० रु० प्रतिमाह की दर से दिया जाता है।

(घ) इन पर लाभत्रयी योजना लागू नहीं है क्योंकि उनके वेतन क्रम निर्धारित नहीं हैं।

(ङ) न्यूनतम तथा अधिकतम वेतन क्रमशः १० रु० तथा ८० रु० प्रतिमाह हैं।

बहराइच कलेक्टरी कर्मचारी दीनानाथ दीक्षित पर इरशाद अली का आरोप

*८२—श्री प्रेमसिंह (जिला बहराइच)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि श्री इरशाद अली, पुत्र असगर अली, निवासी मोहल्ला बड़ी हाट, शहर बहराइच द्वारा दीनानाथ मुहाफिज दफ्तर, माल कलक्टरी, कचहरी, बहराइच के विरुद्ध दिनांक १ मई, १९६३ को रिश्वत मांगने के आरोप में थाना कोतवाली में जो रिपोर्ट लिखाई गई थी, उस पर कोई कार्यवाही उक्त कर्मचारी के विरुद्ध की गई ?

*८३—क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त मामले में पुलिस का उपेक्षात्मक रुख देखकर श्री इरशाद अली ने उक्त दीनानाथ पर व्यक्तिगत रूप से मुकदमा चलाने के लिये आवश्यक आज्ञा प्राप्त करने के लिये बहराइच के दो वकीलों द्वारा दिनांक १६ सितम्बर, १९६३ को धारा १९७ दंड प्रक्रिया सहिता तथा धारा ६ अपराध निरोधक अधिनियम के अन्तर्गत जो आवेदन पत्र जिलाधीश, बहराइच के समक्ष प्रस्तुत किया था, उस पर अब तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

*८४–८५—श्री शारदाभक्तसिंह—

[तीसरे बुधवार के लिये प्रश्न संख्या ७४–७५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

आगरा विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के विरुद्ध कथित शिकायत

*८६—श्री सुरेन्द्रविक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि आगरा विश्वविद्यालय के वाइस चान्सलर के खिलाफ किसी पोस्ट ग्रेजुएट क्लास के विद्यार्थी ने कोई शिकायत शिक्षा मंत्री को दी है ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही हो रही है और क्या यह भी सही है कि उपरोक्त शिकायतों की जांच के लिये एक कमेटी भी नियुक्त हो गई है जो कि आगरा जा भी चुकी है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जी नहीं। शासन की जानकारी में कोई ऐसी कमेटी नियुक्त नहीं हुई।

तहसीलदार, फरीदपुर के खिलाफ जांच

*८७—श्री सुरेन्द्रविक्रम—

क्या माल मंत्री को पता है कि जिला बरेली की तहसील फरीदपुर के तहसीलदार श्री रघुवीर सिंह के खिलाफ कुछ विधायकों ने लिखकर शिकायत की थी? यदि हां, तो क्या हुआ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जी हां। अतिरिक्त जिलाधीश जांच कर रहे हैं।

*८८—श्री सुरेन्द्रविक्रम—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि उपरोक्त तहसीलदार के खिलाफ जांच ए० डी० एम० बरेली के पास है? यदि हां, तो कब तक जांच हो जायगी?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जी हां, शीघ्र ही।

कन्या दीक्षा विद्यालयों में प्रशिक्षार्थी

*८९—श्री द्विजेन्द्रनारायण—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ और गोरखपुर रीजन में हर एक कन्या राजकीय दीक्षा विद्यालय में एडीशनल डायरेक्टर, एजूकेशन यू० पी० के सरकुलर के अनुसार स्थानीय निकायों (लोकल बाडीज) के कन्या प्राइमरी स्कूलों में काम करने वाली अध्यापिकाओं में से कौन-कौन नार्मल स्कूलों में ट्रेनिंग के लिये पूरे वेतन पर भेजी गई हैं? उनकी सर्विस की अवधि और शिक्षा संबंधी योग्यतायें क्या-क्या है?

*९०—गवर्नमेन्ट नामीनेटेड महिला राजकीय दीक्षा विद्यालयों में कौन-कौन गयीं? उनकी शिक्षा संबंधी योग्यता क्या क्या है?

श्री कैलाशप्रकाश—

†सूची संलग्न है।

कन्या दीक्षा विद्यालय, गोरखपुर

*९१—श्री द्विजेन्द्रनारायण—

लखनऊ और गोरखपुर रीजन के राजकीय कन्या दीक्षा विद्यालयों में काम करने वाली अध्यापिकायें कितनी ऐसी हैं जिन्हें एक ही स्थान पर काम करते तीन वर्ष से अधिक हो गये हैं? इनके ट्रांसफर क्यों नहीं किये गये?

श्री कैलाशप्रकाश—

यह आवश्यक नहीं है कि सहायक अध्यापिकायें तीन वर्ष से अधिक एक स्थान पर न रहें।

---

†छापी नहीं गई।

मड़ियाहूं तहसील में सूखा पीड़ितों को सहायता

*९२—श्री जगन्नाथ राव—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जौनपुर जिले की मडियाहूं तहसील में सूखे के कारण कितने एकड़ में धान की फसल सूख जाने का समाचार है ? सरकार ने सूखे के कारण नष्ट हुई फसल से प्रभावित किसानों को क्या-क्या सुविधायें प्रदान कीं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जौनपुर जिले की मडियाहूं तहसील में सूखे के कारण ५६३३ एकड़ भूमि में धान की फसल को क्षति पहुंची। जहां क्षति की मात्रा प्रति रुपया ५० पैसे या अधिक थी, मालगुजारी की वसूली ३१ मार्च, १९६५ तक के लिये निलंबित कर दी गई है तथा छूट भी नियमानुसार दी जावेगी। इसके अतिरिक्त १५,००० रु० की तकावी वितरित की गई है।

हल्द्वानी तहसील में शिल्पकारों की शिकमी भूमि

*९३—श्री खुशीराम—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला नैनीताल तहसील हल्द्वानी के हल्का कमलुवागंज तथा लामाचौड़ में शिल्पकार कालोनी के अन्तर्गत ऐसे कितने कृषक हैं जिन्होंने अपने नाम एलाट भूमि मुखतारनामे के आधार पर अन्य व्यक्तियों को दे दी? यदि हां, तो सरकार इस पर अन्य भूमिहीनों के हितों की रक्षा के लिये क्या करने जा रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

इस प्रकार के कृषकों की संख्या पांच है। प्रचलित नियमानुसार इन कृषकों को भूमि शिकमियों को उठाने का अधिकार प्राप्त है अतः इनके विरुद्ध किसी कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

*९४—श्री खुशीराम—

क्या यह सही है कि उक्त संबंध में स्थानीय कृषकों के सामूहिक शिकायत-पत्र जिला अधिकारियों तथा मंत्री जी को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जी हां, उक्त संबंध में जिलाधिकारियों को शिकायती पत्र प्राप्त हुए और उन पर जांच की गई। जांच से यह सिद्ध नहीं हो सका कि काश्तकारों ने भूमि का हस्तान्तरण नियम विरुद्ध किया है, अतः कोई भी अन्य कार्यवाही नहीं की गई।

इलाहाबाद जिले में लगान वसूली कार्यवाही

*९५—श्री नाथूराम शिक्षक—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद जिले के चायल, मंझनपुर तथा सिराथू तहसीलों के कितने ऐसे किसान हैं जिनके विरुद्ध १९६२–६३ व १९६३–६४ तथा वतमान वित्तीय वर्ष में ३१ अगस्त तक लगान तकावी तथा रबी की फसल की वसूली के सिलसिले में कुर्की नीलाम तथा वारन्ट की कार्यवाही की गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ५८४ पर)

देवरिया जिले में दैवी आपदा ग्रस्तों को सहायता

*९६—श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि १९६३–६४ तथा १९६४–६५ की बाढ़, ओला, पाला तथा सूखे के कारण सहायता के रूप में देवरिया जनपद के प्रत्येक तहसील में (अ) कितनी मालगुजारी की छूट हुई ?

(ब) कितनी अहेतुक सहायता दी गई ?

(स) छात्रों की फीस माफी में कितनी सहायता दी गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

वर्ष १९६३–६४ में सूखा तथा १९६४–६५ में ओला, पाला तथा सूखे का प्रकोप देवरिया जिले में कहीं भी नहीं रहा। अन्य प्रश्नगत आपदाओं के कारण दी गई सहायता का विवरण संलग्न तालिका में दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ५८५ पर)

सदर तहसील में चकबन्दी

*९७—श्री उग्रसेन—

क्या राजस्व मंत्री बतायेंगे कि ग्राम मूसाडोही देवार सलेमपुर देवरिया चकबन्दी के संबंध में उन्होंने गत ३ माह के अन्दर जिलाधीश देवरिया एवं आजमगढ़ से कोई रपट मांगी है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

उक्त अवधि में चकबन्दी के विषय में संबंधित जिलाधिकारियों से कोई रिपोर्ट नहीं मांगी गई है। अतः प्रश्न का शेष भाग नहीं उठता।

*९८—श्री उग्रसेन—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जनपद में किन-किन तहसीलों में इस आर्थिक वर्ष में चकबन्दी का कार्य प्रारम्भ हुआ है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

इस वित्तीय वर्ष में देवरिया जिले की सदर तहसील में चकबन्दी का कार्य आरम्भ किया गया है।

तहसीलदार, बुलन्दशहर के खिलाफ कथित शिकायत

*९९—श्री रियासत हुसैन—

क्या सरकार को तहसीलदार बुलन्दशहर के खिलाफ कोई दरख्वास्त प्राप्त हुई थी जिसकी जांच श्री राम कुमार शास्त्री पार्लियामेन्ट्री सेक्रेटरी ने मौके पर जाकर की ? यदि हां, तो उस जांच का क्या नतीजा निकला ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जी नहीं।

प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

फैज़ाबाद जिले में लेखपालों का निलम्बन

*१००—श्री सुखरामदास (जिला फैज़ाबाद)—

क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला फैजाबाद सदर तहसील में सन् १९६३–६४ में कितने लेखपाल निलम्बित किये गये और कितने लेखपाल ६ माह से अधिक से निलम्बित हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

दस लेखपाल निलम्बित किये गये । उनमें से एक लेखपाल ६ माह से अधिक निलम्बित रहा ।

*१०१—श्री सुखरामदास—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कितने लेखपालों का मुकदमा ६ महीने से अधिक से हो गया, अभी तक फैसला नहीं किया गया और क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जिस एक लेखपाल का मुकदमा ६ महीने से अधिक हो गया था वह भी २–११–१९६४ को फैसल हो गया ।

*१०२—श्री ऊदल—

[तीसरे सोमवार के लिये प्रश्न संख्या ४७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

बांदा में केन पर पुल की आवश्यकता

*१०३—श्री बृजमोहनलाल गुप्त (जिला बांदा)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जिले में बांदा शहर में केन नदी से यातायात की सुविधा के वास्ते पुल निर्माण करने की योजना बनाई गई है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जी नहीं ।

*१०४—श्री बृजमोहनलाल गुप्त—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि केन नदी पर पुल योजना का निर्माण-कार्य कब से शुरू होने की संभावना है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

प्रश्न नहीं उठता ।

*१०५—श्री बृजमोहनलाल गुप्त—

क्या सरकार पुल के निर्माण के कार्य को प्राथमिकता देने पर विचार कर रही है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

इस पुल के निर्माण का कार्य सड़कों एवं पुलों की किसी योजना में सम्मिलित नहीं है । अतः इस कार्य की प्राथमिकता देने का इस समय कोई प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम समाज त्रिवेदीगंज की भूमि का वितरण

*१०६—श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

क्या यह बात सही है कि ग्राम समाज त्रिवेदीगंज तहसील, हैदरगढ़, जिला बाराबंकी ने लावारिस या अन्य कृषि योग्य भूमि भूमिहीनों को न देकर समिति के सदस्यों के ही नाम करा ली है ? यदि हां, तो उस भूमि का विवरण क्या है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जो कागजात उपलब्ध हैं उनके आधार पर केवल यही कहा जा सकता है कि कार्यवाहक प्रधान ने जो पट्टे किए हैं उनमें एक पट्टा समिति के एक सदस्य को भी किया है । यह पट्टा बिजौली ग्राम की १ बीघा ६ विस्वा १३ विस्वांसी भूमि के विषय में है ।

*१०७—श्री लखीसिंह—

क्या यह बात सही है कि भूमिहीनों एवं स्वर्णकारों ने भी भूमि प्राप्त करने की जिलाधीश के पास दरख्वास्त दी थी, किन्तु उन्हें भूमि नहीं दी गई ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

एक स्वर्णकार ने प्रार्थना पत्र अवश्य दिया था परन्तु उसके पूर्व भूमि के पट्टे हो चुके थे और कोई भूमि नियमानुसार पट्टे पर देने के लिये नहीं थी। इसलिये उन्हें भूमि नहीं दी जा सकी ।

*१०८—श्री लखीसिंह—

क्या सरकार समिति के सदस्यों के पट्टे कैंसिल कर भूमिहीनों तथा स्वर्णकार बन्धुओं को भूमि दिलाने तथा सदस्यों द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करन पर कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं , तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

इस पट्टे के विषय में कोई आपत्ति न्यायालय में नहीं की गई और यह चकबन्दी अधिकारियों द्वारा माना जा चुका है। कार्यवाहक प्रधान तथा सदस्य के व्यवहार के विषय में जिलाधीश आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं ।

चकिया—नौगढ़ सड़क

*१०९—श्री ऊदल—

क्या सार्वजनिक निर्माण-मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चकिया, जिला वाराणसी से नौगढ़ जाने वाली सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़क जिसकी हालत बहुत खराब है सरकार तारकोल की बनाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

इस समय ऐसी कोई योजना नहीं है ।

*११०—श्री होरीलाल यादव—

[दूसरे सोमवार के लिये प्रश्न संख्या ८६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।

फर्रुखाबाद में कलेक्शन अमीनों का चुनाव

*१११—श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद में जो कलेक्शन अमीनों का चुनाव पिछले कुछ माह पूर्व हुआ था उसमें कितने व्यक्तियों का चुनाव किये जाने की स्वीकृति सरकार से प्राप्त हो चुकी थी और कितने व्यक्तियों का चुनाव हुआ ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

कलेक्शन अमीनों के १४ अतिरिक्त अस्थायी पदों की स्वीकृति राजस्व परिषद् द्वारा दी गई थी और उन पर नियुक्ति के लिये १४ व्यक्तियों का चुनाव हुआ ।

*११२—श्री दयाराम शाक्य—

क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि उक्त चुनाव में कितने प्रार्थना-पत्र आये थे और उनको अलग-अलग कितने-कितने वर्ष का कलेक्शन अमीनी का अनुभव था तथा चुने हुए व्यक्ति किन-किन जिलों के हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

चुनाव के लिये कुल ७५ प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए थे । इनमें से केवल २९ को कलेक्शन अमीन के कार्य का अनुभव था जिनकी सूची संलग्न है । चुने गये व्यक्तियों में से १३ जिला फर्रुखाबाद के थे और १ जिला मुजफ्फरनगर का था ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ५८६ पर)

*११३-११४—श्री नाथूराम शिक्षक—

[दूसरे सोमवार के लिये प्रश्न संख्या ५२-५३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

सैंगुर नदी पर डेरापुर पुल व नाले का निर्माण

*११५—श्री नित्यानन्द पांडेय (जिला कानपुर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कानपुर जिला के अन्तर्गत डेरापुर में जो सैंगुर नदी का पुल विगत ५-६ वर्षों से बन रहा है वह कब तक बन कर तैयार हो जायगा ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

इस पुल का निर्माण जून, १९६५ तक हो जाने की आशा है ।

*११६—श्री नित्यानन्द पांडेय—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त पुल जो डेरापुर में बन रहा है उसकी प्रगति इतनी धीमी क्यों है ? क्या यह सही है कि पुल न बनने का कारण इंजीनियर और ठेकेदार का कोई झगड़ा है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो पुल के बनने में प्रगति नहीं हो रही है इसका उत्तरादायित्व किस पर है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

१९६०-६१ में, नदी में बाढ़ का स्तर बढ़ जाने से इस पुल का डिजाइन तथा आगणन बदलना पड़ा और इस बीच कार्य स्थगित करना पड़ा । पुल का संशोधित आगणन मई, १९६४ में स्वीकृत हुआ । गत बरसात में काम बन्द कर देना पड़ा और बरसात के बाद पुल में काम आने वाले सामान को पहुंचाने के लिए मार्ग ठीक करने में कुछ समय लगा । इससे कार्य की प्रगति धीमी रही । अब कार्य तेजी से चलेगा । इंजीनियर और ठेकेदार में कोई झगड़ा नहीं है ।

*११७—श्री नित्यानन्द पांडेय—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कानपुर जिले के अन्तर्गत डेरापुर और गलुवांपुर के बीच में बरसाती नाले का जो पुल गत ४–५ वर्षों से बन रहा है उसके बनने में विलम्ब क्यों हो रहा है जिसके कारण डेरापुर जो तहसील का सदर मुकाम है वहां आवागमन में बड़ी असुविधा होती है ? क्या इसे शीघ्र ही बनवा देने की सरकार कृपा करेगी और कब तक ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

इस पुल का कार्य दो वर्ष हुए शुरू किया गया था। तह पर कंकरीली मिट्टी होने के कारण कुओं की गलाई में बड़ी कठिनाई पड़ी और ठेकेदार काम छोड़कर चला गया इस कारण प्रगति धीमी रही। इस पुल के इस वर्ष मार्च तक बन जाने की आशा है।

इलाहाबाद में विद्यार्थियों पर मुकदमे

*११८—श्री रियासत हुसैन—

क्या सरकार यह बताएगी कि लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद में किन-किन स्कूलों और कालेजों को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों द्वारा चलाये गये पिछले अन्दोलन के सिलसिले में बन्द किया गया है और कब तक के लिए ?

श्री कैलाशप्रकाश—

लखनऊ और कानपुर में कोई विद्यालय बन्द नहीं किया गया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय २८ सितम्बर, १९६३ से १ नवम्बर, १९६३ तक बन्द रहा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कालेज २८ सितम्बर, १९६३ से ६ अक्तूबर, १९६३ तक बन्द रहे। इलाहाबाद शहर के समस्त स्कूल २८ सितम्बर, १९६३ से ४ अक्तूबर, १९६३ तक बन्द रहे।

*११९—श्री रियासत हुसैन—

क्या सरकार यह बतायेगी कि इस आन्दोलन के सिलसिले में कुल कितनी गिरफ्तारियां विद्यार्थियों की और दूसरे व्यक्तियों की की गई और उन पर किन धाराओं के अन्तर्गत मुकदमा चलाया जायगा ?

श्री कैलाशप्रकाश—

कुल ४७ गिरफ्तारियां की गयीं और उन पर निम्नलिखित धाराओं के अन्तर्गत मुकदमा चलाया गया :— १४७, ३२३, ३३२, ४२७, ३३६, ४४८, ५११, ३५३, ४५२, ३३७, १८८, ३०८, ३०७।

"स्वतंत्र भारत" में प्रकाशित शिक्षा बोर्ड की शिकायत

*१२०—श्री कमलासिंह यादव—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि स्वतंत्र भारत, दिनांक ५ दिसम्बर, १९६४ के पृष्ठ चार पर छपे शीर्षक उत्तर प्रदेश शिक्षा बोर्ड परेशान करता है नामक जो समाचार फीस वापसी तथा अन्य बातों के संबंध में छपा है उसकी सत्यता क्या है और उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

५ दिसम्बर, १९६४ के "स्वतंत्र भारत" में जो शिकायत छपी है वैसा कोई मामला नहीं है।

इस विषय पर अन्य कुछ व्योरेवार सूचना मिलेगी तो जांच कराई जायगी।

*१२१-१२२—श्री कमलासिंह यादव—

[दूसरे सोमवार के लिए प्रश्न संख्या ४०-४१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किए गये।

सहारनपुर स्वर्णकारों द्वारा लगाये गये आरोपों की जांच

*१२३—श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सहारनपुर के तहसीलदार ने २० नवम्बर, १९६४, को स्वर्णकारों को दिए जाने वाले लाइसेंसों के हासिल करने में भ्रष्टाचार के विरुद्ध शिकायत करने पर श्री रामचन्द्र स्वर्णकार नेता को गिरफ्तार करने का आदेश दिया था ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जी नहीं ।

*१२४—श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि सरकार तहसीलदार तथा तहसील के अन्य सरकारी नौकरों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के उन आरोपों के बारे में जो वहां के स्वर्णकारों ने ए० डी० एम० (ई) के सामने अपने नेता की गिरफ्तारी के विरुद्ध प्रदर्शन करते समय २० नवम्बर, १९६४ को लगाये थे, वह क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

ए० डी० एम० (ई) ने भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर ली है तथा उनको प्रमाणित नहीं पाया ।

ललितपुर क्षेत्र में सैपुरा-धौरी सड़क बनाने की मांग

*१२५—श्री ऊदल—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला झांसी के ललितपुर क्षेत्र में सैपुरा से धौरी पिपरई तक पक्की सड़क कब तक बनाने का विचार सरकार कर रही है, जिससे कि वहां का पत्थर उद्योग काफी उन्नति कर सके और आसानी से ललितपुर, झांसी, मऊ, मोठ, गरोठा तथा उरई को पहुंचाया जा सके ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

इस समय इस सड़क के बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

सार्वजनिक निर्माण विभाग के निलम्बित एवं अस्थायी अधिकारी

*१२६—श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सार्वजनिक निर्माण विभाग में ऐसे कितने गजेटड आफिसर (नाम व पद सहित) हैं, जिनको १ दिसम्बर, १९६४ तक प्रदेश से बाहर डेप्यूटेशन या फारेन सर्विस पर लगातार काम करते हुए चार या उससे अधिक वर्ष पूरे हो गये हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

कोई नहीं ।

*१२७—श्री नवलकिशोर—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सार्वजनिक निर्माण विभाग में १ दिसम्बर, १९६४ तक ऐसे कोई गजेटेड आफिसर हैं जो सस्पेंड कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो कौन (नाम व पद सहित) और कब से ? इनमें से कितनों को भी कोई चार्जशीट नहीं दिया गया है और क्यों नहीं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जी हां, केवल श्री चन्द्रपाल गुप्त, सहायक अभियन्ता, अस्थायी खंड, सार्वजनिक निर्माण विभाग, झांसी को २२ सितम्बर, १९६४ (अपराह्न) से निलम्बित कर दिया गया है। निकट भविष्य में उनको चार्जशीट दे दी जाएगी।

*१२८—श्री नवलकिशोर—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सार्वजनिक निर्माण विभाग में ऐसे कितने गजेटेड आफिसर हैं जिनको अस्थाई तौर से १ दिसम्बर, १९६४ तक कार्य करते हुए एक वर्ष से ऊपर हो गया है, परन्तु नियमानुसार उनकी स्वीकृति लोक सेवा आयोग से अभी तक नहीं मांगी गई है ? यदि हां, तो कौन (नाम व पद सहित) और कब से ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

केवल १० व्यक्ति ऐसे हैं। आवश्यक सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिए नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ५८७ पर)

*१२९—श्री राजेन्द्रसिंह—

[दूसरे बुधवार के लिए प्रश्न संख्या ५६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

सीतापुर-बहराइच एवं बिसवां-सिधौली मार्ग सुधारने की प्रार्थना

*१३०—श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा (जिला सीतापुर)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को विदित है कि बिसवां-सीतापुर जिला की सबसे बड़ी तहसील सीतापुर के बाद जिला का दूसरे नम्बर का नगर होते हुए इस नगर से जिले को जाने वाली सीतापुर-बहराइच मार्ग तथा मेन रोड से जोड़ने वाली बिसवां-सिधौली सड़क अत्यन्त शोचनीय स्थिति में है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जी हां। प्रश्नगत दोनों सड़कों के कंकड़ वाले मीलों की हालत अच्छी नहीं है।

*१३१—श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री इस बात की जानकारी किसी उच्च अधिकारी द्वारा कराके बताने की कृपा करेंगे कि जो सालाना मरम्मत तथा नई कंकड़ सड़क इन मार्गों पर बनाई जाती है और पिछले वर्ष बनाई गई वह विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण अत्यन्त काम चलाऊ प्रकार की थी तथा अभी निर्माण-अवधि के पांच मास के अन्दर ही पुनः बेकार हो गई है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

सड़कें जल्दी खराब होने का कारण इन पर बैलगाड़ियां तथा भारी मोटर गाड़ियों का बहुत अधिक मात्रा में यातायात होना है जो गत दो वर्षों में अधिक बढ़ गया है। इस यातायात के लिए कंकड़ की सड़क संतोषजनक सिद्ध नहीं होती। इस ट्रेफिक के लिए इन सड़कों का आधुनीकरण करना जरूरी है।

*१३२—श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री इस बात को ध्यान में रखते हुए कि रोडवेज की बसों का तथा अन्य प्रकार का इन मार्गों पर यातायात अत्यधिक है, जनहित में इन मार्गों को कब तक कोलतार की सड़क बनवाने की कृपा करेंगे ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

प्रश्नगत मार्गों को तारकोल की बनाना तृतीय योजनाकाल में संभव नहीं है।

नैनीताल जिले में लेखपालों का वेतन

*१३३—श्री इन्द्रासनसिंह (जिला आजमगढ़)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तराई भावर, जिला नैनीताल के लेखपालों को जो एक रुपया वार्षिक बढ़ोत्तरी मिलती थी सन् १९५७ से अब तक नहीं मिली है ? क्योंकि इन्हें लेखपाल की संज्ञा नहीं मिली है ? यदि हां, तो सरकार कब तक उपरोक्त धन दे देगी और नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

तराई भावर सरकारी आस्थान जिला नैनीताल के पटवारियों को १ रु० की वार्षिक बढ़ोत्तरी बराबर दी जा रही है।

*१३४—श्री इन्द्रासनसिंह—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५७ से लेखपालों का वेतन २५ रु० से ३५ रु० कर दिया गया है और तत्कालीन १ रु० प्रति माह बढ़ोत्तरी वेतन के साथ जिन लेखपालों का वेतन ३० से ३५ और ४० रुपये के हो गया था उनको ३० से ४०, ३५ से ४५ और ४० से ५० रुपये नहीं किया बल्कि सबका ३५ रु० ही वेतन मान लिया गया जिससे उन पुराने लेखपालों की आर्थिक हानि हुई है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

सदस्य महोदय का तात्पर्य तराई भावर सरकारी आस्थान के पटवारियों से प्रतीत होता है। इन पटवारियों का वेतन-क्रम २५–१–४० रु० के स्थान पर ३५–१–५५ रु०, १ अप्रैल, १९५७ से कर दिया गया है। वेतन क्रम परिवर्तन के फलस्वरूप प्रत्येक पटवारी के व्यक्तिगत वेतन में १० रु० की वृद्धि १ अप्रैल, १९५७ से नियमानुसार संभव नहीं है। उनका वेतन नये वेतन-क्रम में फंडामेंटल रूल २२ के अनुसार निर्धारित होना चाहिए।

*१३५—श्री सुरजनराम विशारद (जिला आजमगढ़)—

[हटा दिया गया।]

इलाहाबाद जिले में टेस्ट वर्क

*१३६—श्री नाथूराम शिक्षक—

इलाहाबाद जिले की तहसील चायल, सिराथू तथा मंझनपुर में इस वर्ष जो टेस्ट वर्क खोले गये उनके संबंध में पृथक-पृथक क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि (क) टेस्ट वर्क कहां-कहां खोले गए और कब से ?

(ख) प्रत्येक में अलग-अलग कितने लोगों ने कितने दिनों तक काम किया (ग) कितना धन सरकार द्वारा व्यय किया गया, तथा (घ) क्या निर्माण किया कार्य गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

इलाहाबाद जिले की इन तहसीलों में खोले गए टेस्ट वर्क्स के संबंध में वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है ?

(देखिए नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ५८८ पर)

लखनऊ में गोमती पर बाढ़ नियंत्रण कार्य

*१३७—श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बाढ़ नियंत्रण योजना के अन्तर्गत लखनऊ में गोमती के किनारे होने वाला निर्माण कार्य नवम्बर, १९६४ से क्या बन्द कर दिया गया अथवा उसकी प्रगति की गति मंद कर दी गई है ? यदि हां, तो इसका कारण क्या है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

प्रश्नगत कार्य को नवम्बर, १९६४ के बाद न तो बन्द किया गया है और न उसकी प्रगति की गति मंद की गई है। परन्तु भूमि तथा इमारतों की प्राप्ति में समय लगने के कारण तथा पुलों और वियर के पास बन्धों का संरक्षण अध्ययन करने के लिए रुड़की में बनाये गए गोमती नदी के माडल की रिपोर्ट प्राप्त न होने के कारण कार्य में आशातीत प्रगति नहीं हुई है।

अलीनगला ग्राम की भूमि का पट्टा

*१३८—सर्वश्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली), माधोप्रसाद त्रिपाठी तथा टम्बेश्वर-प्रसाद—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम अलीनगला, तहसील, दातागंज, जिला बदायूं की मार्च, १९६४ में ग्राम की बैठक वहां के लेखपालों ने बुलाई और कुछ भूमि का पट्टा करने के संबंध में प्रस्ताव पास कराया था और उस संबंध में उस गांव वालों के ८० प्रार्थना-पत्र पट्टे के लिए थे ? यदि हां, तो वे किन-किन के थे और कितनों को उनमें से भूमि दी गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

मार्च १९६४ में गांव सभा की बैठक नहीं हुई बल्कि भूमि प्रबंधक समिति की बैठक हुई। इसमें दो आदमियों को पट्टे पर भूमि देने के लिए प्रस्ताव पारित हुआ।

*१३९—सर्वश्री हरीशकुमार गंगवार, माधोप्रसाद त्रिपाठी तथा टम्बेश्वरप्रसाद—

क्या राजस्व मंत्री को यह भी ज्ञात है कि उक्त मार्च, १९६४ के ग्राम सभा के प्रस्ताव द्वारा अलीनगला के प्रार्थियों को भूमि नहीं दी गई और दूसरे गांव के लोगों को लेखपाल ने ग्राम सभा की भूमि के पट्टे दिये तथा उन अन्य गांव वालों को अलीनगला के निवासियों से झगड़ा करने के लिए उत्तेजित किया कि शामिल खाते में जो भूमि अलीनगला के लोग जोतते हैं वह भी उन्हीं की है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

उक्त प्रस्ताव द्वारा दो व्यक्तियों को पट्टा दिया गया जिसमें से एक ग्राम आलीनगला व दूसरा गांव बछलिया का निवासी था।

पट्टे भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा दिये गए। झगड़ा कराने का प्रयास लेखपाल द्वारा नहीं आ।

*१४०—सर्वश्री हरीशकुमार गंगवार, माधोप्रसाद त्रिपाठी तथा टम्बेश्वरप्रसाद—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मार्च, १९६४ में ग्राम सभा का प्रस्ताव ग्राम सभा के सदस्यों को धोखा देकर अगूंठा निशानी अथवा हस्ताक्षर लेखपाल ने करा लिये और महीनों बाद तक उसी प्रस्ताव द्वारा अन्य ग्राम वालों को भूमि देता रहा और गांव वालों को नहीं दी जबकि बैठक में दूसरे गांव के प्रार्थना-पत्र पेश नहीं थे ? यदि हां, तो उक्त लेखपाल के इस कृत्य पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

यह सब नहीं हुआ। लेखपाल के विरुद्ध कार्यवाही करने का वर्तमान दशा में कोई प्रश्न नहीं उठता।

रामनगर-कालिंजर सड़क बनाने का सुझाव

*१४१—श्री मतोलासिंह (जिला बांदा)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला बांदा के परगना नरैनी के ग्राम रामनगर जो आधा मध्य प्रदेश व आधा ग्राम उत्तर प्रदेश म है, वहां तक मध्य प्रदेश सरकार पक्की सड़क पन्ना से बना रही है, क्या उत्तर प्रदेश सरकार भी रामनगर से कालिंजर तक पक्की सड़क सिर्फ दो मील है उसे आने वाली योजना में बनाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

आगामी योजना बनाते समय इस प्रस्ताव पर विचार किया जायगा।

*१४२—श्री मतोलासिंह—

क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जिले की प्राचीन कच्ची सड़क जो पन्ना-कालिंजर होती हुई चित्रकूट को जाती है उसमें कालिंजर से चित्रकूट तक बचत के धन से अथवा मैनपावर स्कीम से या तीर्थयात्री कर से आगामी योजना में बनाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

इस सड़क के निर्माण का कार्य किसी स्वीकृत योजना में सम्मिलित नहीं है, अतः इसका निर्माण इस समय कराना संभव नहीं है।

दारागंज-झूसी मार्ग पर पैण्टून ब्रिज टूटने से क्षति

*१४३—श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इलाहाबाद में दारागंज से झूसी जाने वाला पुल जिसका निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष होता है, वह पैन्टून ब्रिज नवम्बर, १९६४ को टूट कर बह गया तथा उसके पीपे इंजन ब्रिज रेलवे में जाकर टकराये ? यदि हां, तो उस पुल के टूटने से कितनी हानि निर्माण विभाग को हुई तथा उसे रेलवे ब्रिज में कितनी हानि हुई ? उपरोक्त घटना को देखते हुए क्या सरकार ने जांच कराई ? यदि नहीं तो, क्यों ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जी हां। नदी में पानी अधिक होने के कारण कुछ सामान अभी निकाला नहीं जा सका है। अतः अभी यह नहीं बताया जा सकता कि सार्वजनिक निर्माण विभाग की कितनी हानि होगी, पर अनुमान है कि यह हानि बहुत कम होगी। रेलवे पुल को कोई हानि नहीं हुई। इस घटना की जांच अधिशासी अभियन्ता, प्रांतीय खंड, इलाहाबाद द्वारा की गई।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ की मांगें

*१४४—श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ का प्रतिनिधि मंडल श्री मूलकृष्ण चतुर्वेदी के नेतृत्व में हाल ही में लखनऊ में मंत्री जी से मिला था तथा राज्य सरकार द्वारा अध्यापकों के लिये घोषित त्रिसूत्रीय लाभों के सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया और लिखित मांगें पेश की थीं ? यदि हां, तो यह मांगें क्या थीं तथा सरकार ने उनमें से कौन-कौन-सी मांगें स्वीकार कीं और कौन-कौन-सी नहीं ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जी हां। श्री मूलकृष्ण चतुर्वेदी के साथ माध्यमिक शिक्षक संघ का प्रतिनिधि मंडल शिक्षा मंत्री जी से २८–११–६४ को मिला, लेकिन कोई लिखित मांगें नहीं पेश कीं। प्रतिनिधि मंडल द्वारा की गई मौखिक मांगें निम्नलिखित थीं—

(१) लाभत्रयी योजना में अध्यापकों तथा प्रधान अध्यापकों की पेंशन की अधिकतम सीमा ६० रु० तथा ७५ रु० से बढ़ा कर ७५ रु० तथा १०० रु० क्रमशः कर दी जाय।

(२) लाभत्रयी योजना १–१०–६४ के बजाय १–४–६४ से लागू की जाय।

(३) सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं के अध्यापकों को सरकारी कर्मचारियों की भांति ग्रेचुटी की सुविधा प्रदान की जाय।

(४) राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाले अध्यापकों को लाभत्रयी योजना के सभी लाभ दिये जायें चाहे वे १–१०–६४ के पहले रिटायर हुये हों।

उपर्युक्त मांगों में से कोई मांग शासन द्वारा स्वीकार नहीं की गई।

अतारांकित प्रश्न

वाराणसी जिले में प्राइमरी स्कूल अध्यापकों की ग्रेचुटी

१—श्री गयाप्रसाद (जिला वाराणसी)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वाराणसी जिलान्तर्गत राजकीय प्राइमरी तथा जूनियर हाई स्कूल में कार्य करने वाले विलीन काशी राज्य के अध्यापक तथा भृत्य क्रमशः श्री संकटा प्रसाद, श्री राजकरन मिश्र तथा नरोत्तम की मृत्यु के बाद ग्रेचुटी का भुगतान अब तक नहीं हो सका ?

श्री कैलाशप्रकाश—

सम्बन्धित कर्मचारियों के ग्रेचुटी के भुगतान के आदेश, महालेखाकार, उत्तर प्रदेश द्वारा सम्बन्धित कोषाध्यक्षों को दिये जा चुके हैं।

२—श्री गयाप्रसाद—

क्या सरकार बतायेगी कि अब तक ग्रेचुटी क्यों नहीं प्राप्त हो सकी और इसके लिये जिम्मेदार कौन है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

प्रश्न नहीं उठता।

३—श्री बेदराम (जिला एटा)—

[तीसरे बुधवार के लिए प्रश्न १९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

बिजनौर जिले में कृषि फार्म

४—श्री श्रीराम (जिला बिजनौर)—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बिजनौर जिले में गंगा नदी के किनारे किस-किस व्यक्ति के नाम के कितने-कितने एकड़ जमीन के कृषि फार्म हैं और क्या इन फार्मों के व्यक्तियों ने या किसी एक व्यक्ति ने हजारों बीघे एकड़ भूमि पर जो फारेस्ट विभाग की है, नाजायज कब्जा कर रखा है ? यदि कर रखा है, तो मंत्री जी ऐसी जमीन छुड़ाने के लिये क्या कर रहे हैं?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

नाम और रकबा संलग्न सूची में दर्ज हैं। किसी एक व्यक्ति ने हजारों बीघे फारेस्ट की जमीन पर कब्जा नहीं किया है। वन विभाग की जमीन पर नाजायज कब्जा जाहिर हुआ है जिसके लिये बन विभाग की ओर से अदालती कार्यवाही की जा रही है।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ ५८९ पर)

५—श्री श्रीराम—

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बिजनौर जिले में पुराने जमींदारों ने जमीन को लैंड सीलिंग में जाने से बचाने के लिये कृषि फार्म के रूप में दर्ज करा रखा है ? इन फार्मों में कृषि हो रही है या नहीं ? यदि हो रही है, तो पैदावार के क्या आंकड़े हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

शासन को ऐसे किसी जमींदार का पता नहीं है। प्रश्न का बाकी भाग नहीं उठता है।

देवरिया जिले में शिक्षा संस्थाओं का निरीक्षण

६—श्री कैलाश—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिला विद्यालय निरीक्षक ने १९६० जुलाई से लेकर सन् १९६३ जून के भीतर देवरिया जिले की कितनी संस्थाओं का निरीक्षण स्वयं और पैनेल निरीक्षण किया तथा उसमें से कितने की रिपोर्ट भेज दी और कब-कब और कितने का टी० ए०, डी० ए० (भत्ता) उन्होंने प्राप्त कर लिया है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

इस अवधि में जिला विद्यालय निरीक्षक, देवरिया ने ३३ संस्थाओं का निरीक्षण पैनल द्वारा किया जिसमें से २१ संस्थाओं का निरीक्षण रिपोर्ट भेजी गयी। इसके अतिरिक्त ४३ संस्थाओं का स्वयं निरीक्षण किया जिसमें से केवल ६ संस्थाओं की निरीक्षण रिपोर्ट भेजी गयी। यह निरीक्षण आख्यायें कब भेजी गयीं और इनके सम्बन्ध में कितने का टी० ए० व डी० ए० प्राप्त किया गया इस सम्बन्ध में पूर्ण† सूचना संलग्न तालिकाओं में अंकित है।

---

†छापी नहीं गई।

गोमती पर चकवक पुल का निर्माण बन्द होना

७—श्री ऊदल—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी-आजमगढ़ मार्ग पर गोमती नदी में चकवक स्थान पर जो पुल बन रहा था उसे ठेकेदार ने कब से और क्यों बन्द कर दिया है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

ठेकेदार ने पुल का निर्माण-कार्य १९६४ से बिलकुल बन्दकर दिया। ठेकेदार के कथनानुसार कार्य को बन्द करने का कारण बन्ध-पत्र (Bond) में दी गई दरों पर कार्य को पूरा करने में नुकसान है।

८—श्री ऊदल—

क्या अब विभाग उक्त पुल बनवायेगा ? यदि हां, तो पुल कब तक बन जायगा और ठेकेदार को कितने रुपये का ठेका दिया गया था ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जी हां। पुल के १९६६ के अन्त तक बन जाने की सम्भावना है। ठेकेदार को १०,६७,८७५ रुपये में पुल बनाने का ठेका दिया गया था।

स्याना क्षेत्र में किसानों को सहायता

९—सर्वश्री मुमताज मुहम्मद खां, अनीसुर्रहमान तथा कमलासिंह यादव—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विधान सभा क्षेत्र स्याना, जिला बुलन्दशहर में जुलाई और अगस्त, सन् १९६४ में लगातार वर्षा से, सितम्बर, सन् १९६४ से पहले तीन हफ्तों में खुश्की से और आखिरी हफ्ते में अत्यन्त वर्षा से जो खरीफ की फसल को महान् क्षति पहुंची है, तो उस सम्बन्ध में कितने ग्रामों में, कितने किसानों को कितने रुपये की मालगुजारी में छूट दी गई और इसके अतिरिक्त कृषकों की राहत व सुबिधा के लिये क्या-क्या उपाय करने की व्यवस्था की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

इस क्षेत्र में सितम्बर के पहले तीन हफ्तों में खुश्की से फसल को हानि नहीं हुई। जुलाई और अगस्त, सन् १९६४ तथा सितम्बर, सन् १९६४ के आखिरी हफ्ते में वर्षा के कारण खरीफ की फसल को हानि पहुंची। फलस्वरूप इस क्षेत्र के २२ गांवों में क्षतिग्रस्त क्षेत्र के किसानों को नियमानुसार लगान में लगभग रु० २,१७२.४८ पैसे की छूट दिये जाने की सम्भावना है। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र के तहसील बुलन्दशहर के १९ ग्रामों के २४२ व्यक्तियों को १५,२५५ रु० की व तहसील अनूपशहर के ३ ग्रामों के ८४ व्यक्तियों को ३,८५० रु० की धनराशि तकाबी के रूप में दी गई। जिला बुलन्दशहर के क्षतिग्रस्त क्षेत्रों में, जिसमें बिधान सभा क्षेत्र स्याना भी सम्मिलित है, १,११५.२० मैट्रिक टन अनाज बीज के रूप में वितरित किया गया।

बांदा जिले की पुरानी सड़क

१०—श्री मतोलासिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जिले की सब से पुरानी सड़क जिस पर हर मील में पक्के कुयें बने हुये हैं और पुल भी बने हैं और जो मुगलकालीन समय से

पहले के हैं और जिससे तीर्थ-यात्री मध्य प्रदेश से राजापुर तथा प्रयागराज को जाया करते थे और जा सकते हैं, यह सड़क यातायात की नजर से बहुत उपयोगी है जिस पर पांच-पांच हजार की आबादी के बेलगांव, बेसंडा, कुर्रही, ओरन तथा सिंहपुर बसे हैं क्या सरकार इस उपयोगी सड़क को आगामी योजना में लेने को तैयार हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

आगामी योजना की रूप रेखा अभी निश्चित नहीं हुई है। अतः अभी यह कहना सम्भव नहीं है कि इस सड़क को उस योजना में लेना सम्भव हो सकेगा अथवा नहीं।

फरेंदा-धानी, उस्का बाजार मार्ग एवं पवह नाला पर पुल निर्माण योजना

११—श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले के फरेंदा तहसील का फरेंदा-धानी—उस्का बाजार रोड किस योजना में स्वीकृत हुआ था तथा पुल (पवह नाला) पर कितना खर्च होता था तथा सड़क पर कितने का प्राक्कलन था ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

फरेंदा धानी तथा धानी-उस्का बाजार सड़कों का निर्माण क्रमशः तीन लाख बासठ हजार तथा तीन लाख पचास हजार रुपया की अनुमानित लागत पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत स्वीकृत हुआ था।

पवह नाले पर पुल तीन लाख छियानवे हजार रुपये की अनुमानित लागत पर केन्द्रीय सड़क निधि योजना के अन्तर्गत स्वीकृत हुआ था। इसका आगणन पांच लाख इकसठ हजार रुपये का बना है।

१२—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अभी तक पुल का निर्माण न होने का क्या कारण है और क्या अब सड़क का कार्य पूर्ण हो गया है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

इस पुल के आगणन में लगभग १ लाख ६५ हजार की वृद्धि हो गई है। इस अतिरिक्त धन का प्रबन्ध किया जा रहा है इसके बाद आगणन स्वीकार किया जायेगा और निर्माण-कार्य आरम्भ होगा। सड़कों का निर्माण कार्य अभी चल रहा है। इनके ३१-१२-१९६५ तक पूर्ण होने की आशा है।

१३-१६—[हटा दिये गये।]

बाराबंकी जिला परिषद् अध्यापकों का बकाया वेतन

१७—श्री द्विजेन्द्रनारायण—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जिला परिषद् में काम करने वाले ऐसे कौन-कौन अध्यापक हैं जिन्हें कई महीनों से वेतन नहीं मिला है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जिला परिषद्, बाराबंकी के प्रश्नगत अध्यापकों की सूची संलग्न है। सूची में वे कारण भी दिये हुए हैं जिनके फलस्वरूप वेतन रुका हुआ है।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ ५९० पर)

१८—सर्वश्री हरीशकुमार गंगवार तथा मन्नालाल—

[पहले सोमवार के लिये प्रश्न संख्या ३० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

रुद्रपुर बाढ़ क्षेत्र में नाविकों की मजदूरी

१९—श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि देवरिया जिला के रुद्रपुर बाढ़ क्षेत्र में बाढ़ के समय इस साल नाव चलाने के काम करने वालों की मजदूरी तिथि २७ नवम्बर, १९६४ तक नहीं दी गई थी? यदि हां, तो क्यों? क्या जिम्मेदार अधिकारियों को सजा देने की सरकार व्यवस्था करेगी? यदि हां, तो वह क्यों? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

२७ नवम्बर, १९६४ को किसी नाविक की मजदूरी बाकी नहीं थी। इसके पूर्व ही पूरी मजदूरी का भुगतान हो गया था।

बांदा-नरैनी मार्ग

२०—श्री मतोलासिंह—

[क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा-नरैनी रोड के मील ७ व ८ पर ग्राम बढ़ोखर से बांदा की तरफ सड़क की कुटाई व तारकोल कब डाला गया और उसकी निगरानी में कौन-सा ओवरसियर रहा तथा ठेकेदार कौन था?

श्री जगनप्रसाद रावत—

इन मीलों की कुटाई सन् १९५३ में और तारकोल डालने का कार्य सन् १९५४ में हुआ था। कुटाई का कार्य श्री हरदेव सिंह ठाकुर, ठेकेदार द्वारा श्री एम० पी० मित्तल, ओवरसियर की निगरानी में किया गया था। तारकोल डालने का कार्य विभागीय गैंग द्वारा श्री एम० पी० मित्तल तथा श्री शाह मुहम्मद, ओवरसियर की निगरानी में हुआ था। दोबारा तारकोल मील ७ में मई १९६० में तथा मील ८ में जून १९६० में डाला गया था।

२१—श्री मतोलासिंह—

क्या मंत्री जी जांच कराने की कृपा करेंगे कि सड़क की कुटाई सरसरी कराई गई जो उखड़ रही है और उसमें गड्ढे हो गये हैं? सड़क अन्दर खोखली है और ऊपर से तारकोल डालकर लीपापोती की गई है?

श्री जगनप्रसाद रावत—

इसकी जांच करा ली गई है। सड़क खराब होने का कारण यह है कि जिस भार की यातायात इस सड़क पर अब चल रही है, उसके लिये यह निर्माण नहीं की गई थी। सड़क की चौड़ाई केवल ९ फुट है। अर्थात् बरसात के दिनों में मील ७ व ८ में बहुत-सी जगहों पर पानी सड़क के ऊपर और दोनों ओर भर जाता है और सड़क दलदल जैसी हो जाती है। इन कारणों से सड़क एक तरफ से दबती है और दूसरी तरफ से उठ जाती है। सड़क के दबने से गड्ढे हो जाते हैं और ऊपर उठने से वह टूट जाती है। इन गड्ढों को पेन्ट मिट्टी और ग्रिट मिला कर भर दिया जाता है, जो कुछ दिनों काम देता है। इस सड़क को थोड़ा चौड़ा एवं तह को मोटा करने का कार्य भी किया जा रहा है, जिससे भविष्य में यातायात को असुविधा न हो।

२२—श्री मतोलासिंह—

क्या सरकार जांच कराके उचित कार्यवाही करेगी ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

प्रश्न नहीं उठता।

बाराबंकी जिले में कलेक्शन अमीन

२३—श्री द्विजेन्द्रनारायण—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बाराबंकी जिले में कलेक्शन अमीनों में से कितने अमीन ऐसे हैं जिनकी छुट्टी की दरख्वास्तें महीनों से पड़ी हैं और उनकी मंजूरी की सूचना सम्बन्धित व्यक्ति को नहीं दी गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

किसी की नहीं पड़ी है और न सूचना देना ही शेष है।

२४—श्री द्विजेन्द्रनारायण—

हर तहसील में इस वक्त कितने टेम्पोरेरी और कितने परमानेंट अमीन हैं और इन परमानेंट अमीनों की ग्रेड लिस्ट क्या सरकार सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

वांछित †सूचना संलग्न तालिका में दी गई है।

चकिया नौगढ़ सड़क

२५—श्री ऊदल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वाराणसी जिले में चकिया-नौगढ़ सड़क, चकिया से मझौरा नाका तक नहर विभाग की, मझौरा नाका से चन्द्र प्रभा बांध तक पी० डब्ल्यू० डी० की की तथा चन्द्र प्रभा बांध से नौगढ़ बांध मार्ग तक नहर विभाग की और नौगढ़ बांध मार्ग से नौगढ़ तक बिला विभाग की है ? यदि हां, तो इस पूरी सड़क को सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़क अब तक न बनाने का क्या कारण है ? और क्या यह सड़क जब बन्धे बन रहे थे उसी वक्त की बनी है जिसकी आज हालत बहुत खराब है ? क्या सरकार इस पूरी सड़क को सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत लेने पर विचार करेगी ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जी हां, धनाभाव के कारण अभी तक यह सम्भव न हो सका कि सार्वजनिक निर्माण विभाग इस पूरी सड़क को पक्की निर्माण कराये। इस समय सड़क को निर्माण विभाग में लेने की कोई योजना नहीं है।

प्रश्न का अंग्रेजी में उत्तर प्राप्त होने पर आपत्ति

श्री यादवेन्द्र दत्त (जिला जौनपुर)—

७४ नम्बर पर मेरा प्रश्न है उसका सारा पोथा अंग्रेजी में आया है। यह भाषा के मामले में कभी चित और कभी पट नीति क्यों है ?

---

†छापी नहीं गई।

शिक्षा उपमंत्री (डाक्टर रामनारायण पांडेय)—

खेद है कि यह असावधानीवश चला गया।

आगामी कार्य-क्रम के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—

कल ११ फरवरी को कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक हुई और कार्यक्रम जो सर्वसम्मति से निर्धारित हुआ है वह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं।

वित्तीय वर्ष १९६५–६६ के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा	१५, १६, १७, १८ व १९ फरवरी, १९६५ को प्रत्येक दिन ५ बजे सांयकाल तक।
८ फरवरी, १९६५ को सदन की मेज पर रखे गये अध्यादेशों से संबंधित अननुमोदन के संकल्पों पर विचार तथा इन अध्यादेशों के स्थान पर लिये जाने वाले विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण।	१५, १६, १७, १८ व १९ फरवरी, १९६५ को प्रत्येक दिन सांयकाल ५ बजे से २ घंटे तक कम से कम १ १/२ घंटे और अधिक से अधिक २ घंटे प्रत्येक दिन है।
वित्तीय वर्ष १९६५–६६ के आय व्ययक की मांगों पर मतदान	२२, २३, २४, २५ व २६ फरवरी तथा २, ३, ४, ५, ८, ९, १०, ११, १२, १३, २२, २३, २४, २५ व २६ मार्च १९६५ को सांयकाल ५ बजे तक तथा २९ मार्च को सांयकाल ४.३० बजे तक।
राष्ट्रपति महोदय द्वारा उच्चतम न्यायालय को किये गये १९६४ ई० के रैफरेंस संख्या १ में उच्चतम न्यायालय के मत संबंधी प्रस्ताव पर चर्चा।	२२, २३, २४, २५ व २६ फरवरी को प्रत्येक दिन सांयकाल ५ बजे से २ घंटे।

१३ मार्च के शनिवार के अतिरिक्त अन्य शनिवारों को बैठक नहीं होगी। १४ मार्च से २१ मार्च तक होली के कारण बैठक नहीं होगी। पहले यह था कि १५ मार्च को बैठक थी और १६ से २१ मार्च तक छुट्टी थी। १५ का सोमवार है, तो सोमवार के बजाय १३ शनिवार को बैठ कर १४ से २१ तक होली के कारण बैठक नहीं होगी।

यह सदन के सामने है और स्वीकृत समझा गया।

श्री चन्द्रबलीसिंह द्वारा विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—

मेरा एक विशेषाधिकार का नोटिस है। माननीय राजस्व मंत्री जी ने जिन अधिकारियों की सचना हमारे सवालों के उत्तर में दी है, उस पर विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की नोटिस देता हूं।

श्री अध्यक्ष—

वह आप दे दीजियेगा। लेकिन उस संबंध में निवेदन मेरा यह है कि जो रूलिंग्स पहले दी जा चुकी हैं, अध्यक्षों द्वारा वे ये हैं कि अधिकारियों के ऊपर कोई विशेषाधिकार का प्रश्नयों नहीं उठता कि अधिकारियों का और इस सदन का कोई साक्षात् संबंध नहीं है। तो सब बातों को ध्यान में रखते हुए और उन रूलिंग्स को देखकर ही सूचना दीजिये ताकि उसमें अड़चन न आये।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

मैंने इसलिये कहा कि अब तक माननीय माल मंत्री जी के खिलाफ मैंने दो-तीन बार विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया था और आपने कहा था कि अधिकारियों ने जो रिपोर्ट दी उसके अनुसार उन्होंने कहा, उन्होंने जानबूझकर गलत नहीं कहा। लेकिन इस सवाल का उत्तर जानबूझकर गलत दिया जाता है। वहां जमींदारी टूट चुकी है, गांव समाज वहां कायम है। वहां का जमींदार माननीय हुकुमसिंह जी का रिश्तेदार है और इस प्रकार कलेक्टर से मिलकर गलत जवाब दिलाया जाता है और सारे मामले को गड़बड़ किया जाता है। इसलिये मैं उनके खिलाफ विशेषाधिकार का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

अच्छा तो आप लिखकर दे दीजिये मैं उसको देख लूंगा।

नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

नियम ५२ के संबंध में मैं माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस संबंध में हमारे नियम हैं और कुछ रूलिंग्स हैं उनको अगर देख लिया जाय तो मालूम हो जायगा कि किस प्रकार की सूचनायें स्वीकृत होती हैं।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

नियम तो सब को मालूम है। आप यह बता दीजिये कि आपने किस-किस को स्वीकार किया है और किस-किस को अस्वीकार किया है।

श्री अध्यक्ष—

वह यह है कि सूचना निश्चित और स्पष्ट होनी चाहिये जैसा कि सन् ५२ से ६२ तक के अध्यक्ष पद से दिये गये निर्णयों क संकलन में रूलिंग दी हुई है कि नियम ५२ के अधीन उठाई जाने वाली अविलंबनीय सूचनाओं की भाषा स्पष्ट और विषय निश्चित होना चाहिये।

माननीय चन्द्रबलीसिंह जी ने एक नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना दी है उसका विषय अनिश्चित है और अस्पष्ट है इसलिये उसको मैंने स्वीकार नहीं किया है।

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—

जब अधिकारी सरकार को राय देते हैं तो हमको भी राय दे सकते हैं, अगर वे ऐसा करें तो कोई गड़बड़ ही न हो।

श्री अध्यक्ष—

मैं आदरणीय सदन के सदस्यों से प्रार्थना करता हूं कि अगर वे मुझसे साढ़े तीन बजे मिल लिया करें तो बहुत-सी बातें साफ हो जाया करें और आपको भी यह मालूम हो जाय

[श्री अध्यक्ष]

कि ऐसे कौन से तत्व हैं जो सूचनाओं में होने चाहिये ताकि दिक्कत आपको भी न हो और मुझे भी न हो।

माननीय राधेश्याम जी की नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना एक घटना के संबंध में जो २९ जनवरी के बाद हुई है, वह लखनऊ में एक मकान के संबंध में है। इस संबंध में उच्चतम न्यायालय में एक याचिका गुजरी और उसका फैसला भी हुआ। जब एक कानून के तहत उसके बारे में कार्यवाही हो चुकी है तो उसके बारे में न्यायालय से ही न्याय मांगा जा सकता है।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

न्यायालय का तो दूसरा मामला था। दफ्तर तो श्री हरगोविन्दसिंह जी ने जब्त कर लिया है। इसके बारे में कोई मुकदमा न्यायालय में नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

यह बात आप प्रश्नों के द्वारा साफ करा लें तो ठीक होगा।

श्री भानुप्रतापसिंह द्वारा अपने भाषण के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण

श्री अध्यक्ष—

आदरणीय सदन के समक्ष में माननीय भानुप्रतापसिंह जी द्वारा भेजा हुआ एक पत्र रख देना चाहता हूं जो इसी सदन की कार्यवाही से संबंधित है और उस विषय में माननीया मुख्य मंत्री का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट करना चाहता हूं। उन्होंने लिखा है १० तारीख को राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के धन्यवाद के प्रस्ताव पर बोलते समय मैंने जूतों की ठोकरों से सरकार को "उड़ा देने" की बात कही है। उस समय भी मैंने स्पष्ट कर दिया था कि मेरा अभिप्राय ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश जनता से था, अपनी सरकार से नहीं। फिर भी यदि मेरे इन शब्दों से किसी को कष्ट हुआ हो तो मैं खेद प्रकाश करता हूं क्योंकि मेरा इरादा किसी को अपमानित करने का नहीं था। इस पत्र को आप सदन में पढ़ कर सुना दें।

१९६४–६५ के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य विवाद

श्री अध्यक्ष—

अब माननीय नेता सदन और माननीय नेता विरोधी दल से मैं यह जानना चाहता हूं कि इन अनुदानों पर पहले जनरल डिस्कशन हो या मांगों पर अलग-अलग डिस्कशन करना चाहते हैं?

श्री शारदाभक्तसिंह (जिला हरदोई)—

एक ही साथ हो जाय तो ठीक होगा।

वित्त मंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)—

मैं समझ नहीं पाया। अगर जनरल डिस्कशन हो तो मैं मांगों को पढ़ दूं।

श्री अध्यक्ष—

नियमों के अनुसार मांगों के संबंध में आपको और नेता विरोधी दल दोनों को मिलकर यह तय कर लेना चाहिये था कि किस-किस मांग पर कैसे बहस हो। मैं समझता हूं एक एक मांग पर बहस हो जाय।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन् आप खुद इस बात को कह चुके हैं कि जब समय खत्म होने लगे तो मांगों को रखा हुआ समझ लिया जाता है । उसी प्रकार से इन मांगों को पेश हुई मान लिया जाय और माननीय सदस्य जनरल बहस शुरू कर दें तो ठीक होगा ।

श्री अध्यक्ष—

वही चीज मेरे मन में थी । इन सब को प्रस्तुत हुआ समझ लिया जाय और बहस हो जाय ।

श्री कैलाशप्रकाश—

मैं समझता हूं कि साढ़े चार बजे तक जनरल डिस्कशन हो जाय और उसके बाद मांगों को पेश करके उन पर मत ले लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

चार बजे जनरल डिस्कशन खत्म हो जाय । उसके बाद एप्रोप्रियेशन बिल पर बहस होगी । ५ बजे फिर बजट प्रस्तुत किया जायगा ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

जब सरकार और माननीय नेता विरोधी दल साढ़े चार बजे तक करने को तैयार हैं तो आपको क्या अधिकार है ४ बजे करने का ?

श्री अध्यक्ष—

मैं सुझाव रख रहा हूं । ४ बजे तक जनरल डिस्कशन होगा तो उसके बाद मांगें रखी जायेंगी, ४० मांगें हैं उनमें भी तो कुछ समय लगेगा ही । उसके बाद एप्रोप्रियेशन बिल आयेगा । अगर चार बजे जनरल डिस्कशन खत्म न किया जायगा तो ५ बजे किस प्रकार से बजट प्रस्तुत किया जा सकता है। सदन का कार्य ठीक ढंग से संचालन करने के लिये मुझे यह सब देखना पड़ता है।

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री राममूर्ति)—

मैं अर्ज यह करना चाहता था कि अच्छी प्रणाली तो यही होती कि मांग प्रस्तुत कर दी जाती और उसके बाद बहस हो जाती ।

श्री अध्यक्ष—

वह तो बाकायदा पेश हो ही चुका है । इन मांगों के ऊपर ४ बजे तक सामान्य विवाद होगा और यह आप ४ बजे तक कर सकते हैं । उसके बाद एक-एक मत लिया जायगा और वह पास होगा ।

वित्त उपमंत्री (श्री जयराम वर्मा)—

पहले तो यह होना चाहिये कि वित्त मंत्री सारी मांगों को सदन के सामने रखें । अब तक की यही प्रथा रही है ।

श्री अध्यक्ष—

सारी मांगें प्रस्तुत समझी जायेंगी । अब उसके ऊपर भाषण होंगे ।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

अध्यक्ष महोदय, मैं इसको भी मानता हूं कि जो कटौती प्रस्ताव हैं वे सब प्रस्तुत हो गये । ये अनुपूरक मांगें जो प्रस्तुत की गयी हैं लगभग ५० करोड़ रुपये की हैं । इससे

[श्री हरीशकुमार गंगवार]

पहले २२ करोड़ रुपये की मांगें स्वीकृत करायी गयीं और इस प्रकार से ७२ करोड़ रुपये पूरक और अनुपूरक अनुदानों के रूप में लिये गये हैं।

मैं एक-दो बातों की ओर और संकेत कर रहा हूं। इसमें कई प्रकार की मांगे हैं। कई खर्चे तो ऐसे हैं जो मेरी निगाह में बिलकुल अनावश्यक और गलत दिखलाये गये हैं। उदाहरण के लिये अनुदान संख्या ३ राज्य आबकारी के अन्तर्गत १,०५,७०० रु० की अनुपूरक मांग पुरानी सज्जा को बदल कर नयी-नयी सज्जा के लिये मांगी गयी है। श्रीमन्, मेरी समझ में नहीं आता कि कौन-सी जरूरत पड़ गयी जो इस ३ महीने के अन्दर इनका बदलना आवश्यक है। इसको देख लिया जाय और साथ ही यह भी निवेदन है कि जब नया बजट पेश हो तो उसमें लिख दिया जाय कि कौन से सामान ऐसे हैं जिनको बदलना आवश्यक है जिससे मालूम हो जाय कि वास्तव में वे सामान बदलने के लायक हैं इसलिये ही उनको बदला जा रहा है।

इसी प्रकार से एक और बात की ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। अनुदान संख्या १४—पुलिस के अन्तर्गत मरम्मत के लिये ८४ हजार रुपया "झ—निर्माण कार्य" शीर्षक में मांगा गया है। पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद के अधिकारियों के भोजनालय भवन की छत का पुनर्निर्माण कराये जाने के कारण होने वाले व्यय के लिये ८४,००० रु० की आवश्यकता है। मेरी समझ में नहीं आता कि यह छत कितनी लम्बी चौड़ी है। न मालूम यह इमामबाडे की छत के बराबर है या उससे भी आगे है जिस भोजनालय की छत की मरम्मत में ८४ हजार रुपये खर्च होगा। माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि इसका वे खुलासा करें तो बहतर होगा, अन्यथा वे इसकी पूर्ण रूप से जांच करावें कि उत्तर प्रदेश में ८४ हजार रुपये से मरम्मत होने वाली छत कौन है और कैसी है।

श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि अनुदान संख्या २७—सूचना निदेशालय के अन्तर्गत "श्रोतृशाला रवीन्द्रालय" के निर्माण के लिये १२,१२,००० रु० तो हम गुप्ता जी को दे चुके। मोतीलाल स्मारक समिति में और उनमें कोई भेद नहीं है। उनको इतना रुपया देने के बाद अब फिर १,८४,००० रु० उसको पूरा करने में खर्च कर चुके, जिसके लिये फिर यहां से स्वीकृति मांगी जा रही है। माननीय मंत्री जी को यह देखना है कि जो १२,१२,००० रु० दिये गये थे वे ठीक काम में लगे या नहीं और फिर १,८४,००० रु० एक प्राइवेट संस्था को गुप्ता जी के चरणों में देने की बात है। तो इसको भी ध्यान में रखने की बात है कि वह रुपया सही तरीके से खर्च हो रहा है या नहीं और उसकी आवश्यकता है भी या नहीं।

इसी तरह से अनुदान संख्या ४१—अधिवर्ष भत्ते और पेन्शन के शीर्षक के अन्तर्गत हमारे शिक्षकों के लिये त्रिसूत्रीय लाभ की योजना बनायी गयी है। मैं समझता हूं कि यह एक तरह से हमारे टीचरों का मजाक उड़ाया गया है। इसमें लिखा है "इस योजना में ऐसे कर्मचारियों की पेंशन देने की भी व्यवस्था है जो १० वर्ष की सेवा पूरी करने के पश्चात सेवा निवृत्त हो रहे हों। पेंशन, कर्मचारियों को प्रत्येक पूर्ण सेवा वर्ष पर उनके गत तीन वर्षों के औसत वेतन के १/१२० की दर से देय होगी किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि पेंशन की अधिकतम धनराशि अंतिम तीन वर्षों के औसत वेतन का ३०/१२० या विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों के लिये निर्धारित अधिकतम सीमा से, इन दोनों में से जो भी कम हो, अधिक न हो।"

मेरा निवेदन यह है कि अगर किसी की तीन वर्ष की कुल आय ३,६०० रु० वेतन के रूप में होगी तो एक साल की आय १,२०० रु० हुई और अगर उसका १२०वां हिस्सा देखा जाय तो १० रु० ही पेंशन के रूप में आता है इस तरह से १०० रु० वतन

पाने वाले किसी टीचर को १० रु० की पेंशन सरकार देने जा रही है। इसे इसके सिवा और क्या कहा जा सकता है कि लाभत्रयी योजना के जरिये टीचरों का मजाक उड़ाया गया है। सरकार को चाहिये कि वह इस पर गौर करे कि बाद में उसे कहीं सेने के देने न पड़ जायं। क्योंकि मैं जानता हूं कि आज-कल कितना रोष टीचरों में व्याप्त है, चाहे वे माध्यमिक स्कूलों के टीचर्स हों, चाहे यूनिवर्सिटीज के टीचर्स हों, चाहे प्राइमरी स्कूलों के टीचर्स हों।

इसी प्रकार से वन विभाग द्वारा अनुदान संख्या ४४—वन के अन्तर्गत उस जंगल विभाग के कर्मचारियों व अधिकारियों के बंगले के लिये देहरादून में जमीन खरीदने के लिये ३ लाख रुपये की मांग की गयी है। आप बजट पुस्तिका खन्ड १ के पृष्ठ ९६ पर देखें, उसमें लिखा हुआ है—

"यह निश्चय किया गया है कि ३,००,००० रु० की लागत पर राजपुर मार्ग देहरादून में ३६ बीघा भूमि खरीदी जाय।" इस विभाग का कहना है कि उसके पास कोई उपयुक्त जमीन इसके लिये उपलब्ध नहीं है इसलिये अधिकारियों के बंगले के लिये उस जमीन का खरीदना जरूरी है और विभाग द्वारा जमीन खरीदने की बात तो मैंने सुनी थी लेकिन जंगल विभाग जिसके पास ऐसे ही काफी जमीन है उसके द्वारा जमीन खरीदने की बात पहली बार ही सुन रहा हूं। अगर उसके पास और कहीं जमीन नहीं थी तो किसी जंगल को ही साफ करके जमीन उपलब्ध की जा सकती थी। लेकिन वह न किया जाकर ३ लाख रुपये की जमीन खरीदी जा रही है। इस संबंध में माननीय मंत्री जी पता लगायें कि इसमें कहीं कोई गड़बड़ घोटाला तो नहीं है?

इसी तरह से अनुदान संख्या ४५ के अन्तर्गत बर्मा तथा पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए प्रवजकों को अनुदान देने व उनकी बेरोजगारी दूर करने के लिये कुछ रकम की मांग की गयी है ताकि उनको पुनर्वासन किया जा सके। लेकिन क्या उनको दिया जायेगा, इसका एक नमूना देख लें।

एक सदस्य वाले परिवार को १ रु० प्रतिदिन, दो सदस्यों वाले परिवार को १.३३ रु० तीन सदस्यों वाले परिवार को १.६७ रु० चार सदस्यों वाले परिवार को १.९२ रु०, पांच सदस्यों वाले परिवार को २.१७ रु० और पांच सदस्यों से अधिक वाले परिवार को २.३३ रु०। अब आप ही देखें कि उन लोगों को भूखों मारने की बात यह है या नहीं कि एक आदमी के लिये तो १ रु० और पांच सदस्यों वाले परिवार के लिये २.३३ रु०। इतने कम पैसे में कैसे जिन्दा रह सकेंगे, यह एक विचार करने का प्रश्न है।

दूसरी बात यह है कि एक दिन माननीय बनारसीदास जी ने स्वयं ही कहा था कि आजकल सहकारी समितियों की दशा कुछ अच्छी नहीं है। एक उदाहरण आपके सामने है। अनुदान संख्या ४७ के अन्तर्गत पृष्ठ १०१ पर आप देखें —

एक शख्स श्री किर्ताराम को १९५७ तथा १९५८ में कृषि बीज भंडार गाजियाबाद जिला मेरठ से २२ मन २२ सेर मटर, ज्वार तथा बाजरा का बीज सवाई पर दिया गया था श्री किर्ताराम ने उक्त बीज की सवाई कृषि बीज भंडार को वापस नहीं की। अतः जिलाधीश मेरठ से अनुरोध किया गया कि वे राजस्व अधिकारियों के माध्यम से श्री किर्ताराम से उक्त वसूली कर लें। तदनुसार उनसे उक्त सवाई बीज के मूल्य और उस पर देय ब्याज की कुल मिलाकर ६३५ रु० ४५ पै० की धनराशि वसूल कर ली गयी।

जब उससे जबरदस्ती यह धनराशि वसूल कर ली गयी तब उसने मुन्सिफ की अदालत में दरख्वास्त दी कि मैंने तो कभी बीज लिया ही नहीं। जब उसने कहा कि बीज देने वाले मुझे पहचान लें, तो कृषि बीज भंडार का कोई कर्मचारी उसे नहीं पहचान सका। किसी कामदार या सुपरवाइजर ने उसे नहीं पहंचाना और यह न बतला सके कि किस आदमी

[श्री हरीशकुमार गंगवार]

को बीज दिया गया था। यही हालत है आपके बीज भंडारों से बीज व खाद देने की कि लेने वाले को आपका कोई कर्मचारी पहचानता तक नहीं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

यह सोचने की बात है कि जब मंत्रिमंडल के सदस्य ही आपस में बातचीत करेंगे तो और सदस्य क्या करेंगे ?

श्री हरीशकुमार गंगवार—

श्रीमन्, यहां की कुछ ऐसी परम्परा ही पड़ गयी है। इस प्रकार से मेरा कहना है कि यह जो ऊंचा करने की योजना है यह तो ऐसा लगता है कि पाताल लोक पहुंचाने की योजना है। मेरा कहना यह है कि आजमगढ़, देवरिया, जौनपुर और गाजीपुर में दस लाख रुपया ३०० गावों की सतह ऊंचा करने के लिये है। यह सब पैसा बेकार जा रहा है और कुछ हो नहीं रहा है। अफसरों को पता ही नहीं कि बाढ़ का पानी कैसे आता है और कैसे सब कुछ बहा ले जाता है। अगर वह वास्तव में गांवों को ऊंचा करने में दिमाग लगायें तो देखें कि कैसे वे ऊंचे हो सकते हैं। मैंने गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़ और बस्ती सबमें देखा है, गोरखपुर और देवरिया में लोग कह रहे थे कि जैसे ठाकुर हुकुम सिंह ठोकर मारते हैं वैसे ही श्री राममूर्ति जी ऊंचा कर रहे हैं।

इसी तरह से मैं आपकी सेवा में निवेदन करूंगा कि अन्न के व्यापार की जो योजना है उसमें सबसे बड़ा खर्च है। पहले २१ करोड़ रुपया खर्च किया गया अन्न खरीदने में और अब ३० करोड़ की यह दूसरी मांग है। मैं कहूंगा कि अन्न खरीदने के बाद भी आप कुछ कर नहीं सके, आपने भाव बढ़ाये, लेकिन जनता को कोई सुख नहीं मिला, किसी को भर पेट रोटी नहीं मिली, इस पर काफी बहस हो चुकी है, मैं ज्यादा इस संबंध में नहीं कहूंगा। इस तरह से रुपया व्यय हो, लेकिन इस खर्च से क्या कोई नतीजा निकल रहा है ? मांग पर मांग आती जाती है, हर साल दो-तीन पूरक और अनुपूरक बजट आते हैं, आप पैसा लेते हैं, लेकिन उससे होता क्या है ? मैं अपनी बात नहीं कहता योजना आयोग द्वारा एक सर्वेक्षण की रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश के कई पूर्वी जिलों के बारे में जो वहां के लोगों के रहन-सहन के स्तर का चित्र है वह मैं प्रस्तुत करता हूं। "वहां खेतों में कच्ची दहाड़ी पर काम करने वाले मजदूरों को जौनपुर में प्रति दिन नगद १६ पैसे, आजमगढ़ में केवल ४ पैसे नगद दहाड़ी मिलती है। जिन्स के रूप में अन्य जो कुछ दिया जाता है उस सब की कीमत लगाने पर क्रमशः ७५ पैसे और ६ पैसे ही दहाड़ी के पड़ते हैं। गाजीपुर में मजदूर को ६ पैसे नगद दहाड़ी दी जाती है और देवरिया में १४ पैसे दहाड़ी।" इस के अलावा हमारे राज्य में जो औसत शहरी है उसका क्या स्तर है उस पर भी एक सर्वे हुआ है। आर्थिक सूचना एवं सांख्यिकी निर्देशक द्वारा आयोजित एक सर्वेक्षण के अनुसार उत्तर प्रदेश के शहरी इलाकों में औसतन प्रति व्यक्ति का मासिक खर्च १६.४२ रुपया है। पर कैपिटा आय में भी यू०पी० बहुत पीछे है, यहां का फिगर है २९७.४। जब कि दिल्ली सबसे ऊपर है, उसके बाद महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, पंजाब, गुजरात, मद्रास, आसाम, त्रिपुरा, हिमांचल प्रदेश, केरल और मैसूर भी क्रमशः उसके ऊपर हैं। इतने प्रदेशों के बाद हम आते हैं जबकि हम इतना पैसा व्यय कर रहे हैं और जबकि हर तरह से हमारा खून चूस कर रुपया कर में वसूल किया जा रहा है। अकेले यही बात नहीं है, हमने खर्च करने में कौन-सी कमी की है ?

श्री राममूर्ति—

यह दहाड़ी क्या चीज है ?

श्री हरीशकुमार गंगवार—

मुझे ऐसा लगता है कि मंत्री जी कभी गोरखपुर या देवरिया नहीं गये और मजदूरों में घुस कर उनकी समस्याओं को नहीं देखा, फुर्र मोटर उड़ाई और वहां से चल दिये।

मंत्रियों के खर्च की ५८ से ६० तक ३ साल के खर्च की फिगर्स हैं। १९५७–५८, १९५८–५९, और १९५९–६०, तीन साल की फीगर्स हैं। पहले के राजा महाराजा खत्म हो गये, आज के राजा, महाराजाओं की बात सुनें। इसमें पेट्रोल और कार पर होने वाला व्यय शामिल नहीं है। माली पर, सुरक्षा पर, बिजली यन्त्रों पर, उद्यानों पर, फर्नीचर पर तथा मरम्मत और वाटर टैक्स पर कितना खर्च हुआ, जरा इसको देखें :—

	रु०
माली पर खर्च हुआ तीन वर्षों में (इसमें सभा सचिव भी शामिल हैं)	८७,११३.४३
सुरक्षा प्रकाश पर	१२,०१७.५०
बिजली यन्त्रों पर	११,७८७.६८
उद्यानों पर	२७,३२४.३५
फर्नीचर पर	१,९१,८६०.३२
पानी कितने का पी गये, एवं मरम्मत में	२,२५,१९८.९९

(इस समय १२ बज कर २९ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होती लाल अग्रवाल, पीठासीन हुये।)

मेरे पास अलग-अलग भी आंकड़े हैं। माननीय सम्पूर्णानन्द जी के १९५७–५८ के आंकड़े दे रहा हूं :—

	रु०
माली पर	३,४१३.२८
सुरक्षा प्रकाश पर	१,०८५.६४
बिजली यन्त्र पर	१,७६९.०६
उद्यान पर	१,५८४.८९
फर्नीचर एवं सज्जा पर	१,७३८.९६
मरम्मत एवं वाटर टैक्स	६०,५०.८४

बड़ी भारी दुहाई दी गयी, अन्न मन्त्री ने कहा कि हमने बड़ा भारी काम किया है। श्रीमन्, अन्न की जो स्थिति है वह आपको भी मालूम होगी। जब हम गल्ले की बात करते हैं तो मन्त्री जी कहते हैं कि फसलें खराब हो गयीं, पानी बरस गया, सिंचाई नहीं हुई। लेकिन शक्कर हमारे प्रदेश में पैदा होती है उसका क्या इन्तजाम किया जरा इसको देखें। वाराणसी में पाल बिस्कुट मैनुफैक्चरिंग कम्पनी है उसे १३८ बोरे शक्कर बराबर दी गयी। सेल उसका २,३०,००० रु० है जबकि १३८ बोरे शक्कर जो १२ महीने दी गयी उसकी कीमत २,५०,००० रु० होती है। अब आप ही सोचें कि उसने शक्कर का क्या किया, जरा अन्न मन्त्री जी बतायें ?

कानपुर की जो सबसे बड़ी बिस्कुट कम्पनी है, जिसका १५ लाख रु० का सेल है, उसको १४ बोरे शक्कर जुलाई में दी गयी।

बहराइच में कन्फेक्शनरी वर्क्स है, एक भूतपूर्व एम० एल० ए० का, उसका उद्घाटन भी नहीं होने पाया, २ महीने पहले ही ३०० बोरे शक्कर दी गयी और इस वक्त तक २०० बोरे

[श्री हरीशकुमार गंगवार]

चीनी प्रति मास उनको दी जा रही है जबकि भगवान की दया से वहां कोई बिस्कुट बनाने की मशीन है ही नहीं। श्रीमन्, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कानपुर में करीब दो दर्जन कन्फेक्शनरी फैक्टरी में केवल ४४ बोरे क्रिस्टल शुगर माह जुलाई, १९६४ में दिया गया जबकि एक बहराइच के एक्स एम० एल० ए० की फक्टरी जो कि लखनऊ में है, जिसका नाम मेसर्स एलाइड कन्फेक्शनरी वर्क्स ऐन्ड बिस्कुट फैक्टरी है, उसको ३५ बोरे शूगर दिये जा रहे हैं।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—

ये आंकड़े कहां से दे रहे हैं? ये सब आंकड़े गलत मालूम होते हैं, श्रीमन्।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

श्रीमन्, यह तो जो सही बात हम लोग कहते हैं, इसको तो ये लोग गलत मानते ही हैं। श्रीमन्, ये आंकड़े जो मैं दे रहा हूं यह मैं अपनी जानकारी के आधार पर निश्चित रूप से दे रहा हूं। यदि किसी माननीय सदस्य को इन आंकड़ों पर सन्देह है तो इसकी जांच माननीय मन्त्री महोदय करा लें, लेकिन जांच तो ऐसी होती है जैसे हमारे माननीय मन्त्री श्री हरगोविन्द सिंह करते हैं।

श्रीमन्, एक लखनऊ में फैक्टरी है—मेसर्स एलाइड कन्फेक्शनरी वर्क्स। श्रीमन् उसको जरा देख लें कि शूगर का कोटा मौजूदा उसको कितना दिया जा रहा है।

श्रीमन्, एक बात मैं और आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं कि मुजफ्फरनगर में एक कन्डेंस्ड मिल्क फैक्टरी है, जिसकी लागत ३० लाख की है। इस फैक्टरी को एक मिस्टर मौड़ हैं, जिन्होंने उसे स्टार्ट किया है। इस फैक्टरी को वहां के डी० एम० ने शूगर का कोटा नहीं दिया जिसके कारण उस फैक्टरी को ३,००० मन ताजा दूध रोजाना एक हफ्ते तक फेंकना पड़ा। श्रीमन्, यह तो शूगर की बात मैंने आप से कही।

श्रीमन्, आपके सामने मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार हरिजनों के लिए क्या कर रही है। दूसरे प्रकार से बड़ी-बड़ी बातें कहीं जाती हैं कि हरिजनों का उत्थान कर रहे हैं, इसमें सुधार कर रहे हैं, उसमें सुधार कर रहे हैं। श्रीमन्, एक मामूली-सा सवाल रख रहा हूं। माननीय शिक्षा मन्त्री ध्यान दें कि जो हरिजनों के बच्चों को हायर सेकेन्डरी स्कूल में सरकारी सहायता दी जाती है, उनको प्रायः यह होता है कि हर एक बच्चे को जिसकी आमदनी कम है, जिनके मां बाप की आमदनी कम है, उनको सबको वजीफा मिल जाता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि जितने जिला परिषद् के जूनियर हाई स्कूल चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में उनमें जो हरिजन विद्यार्थी कक्षा ६, ७ व ८ में पढ़ते हैं, उन को नहीं मिलता है, वजीफा उनमें किसी को भी नहीं मिलता, यह कैसी आपकी विषमता है?

वह अगर किसी एडेड स्कूल में पढ़ लें, तो सम्भवतः उसे कोई वजीफा मिल जाये परन्तु यदि वह किसी गांव के स्कूल में पढ़ता है तो उसे वजीफा नहीं मिलता है। इस सम्बन्ध में मैं एक बार जिला परिषद् के अध्यक्ष से मिला। उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें केवल ३० वजीफे देने होते हैं और वे भी मेरिट के आधार पर दिये जाते हैं। फिर मैं हरिजन कल्याण अधिकारी के पास गया तो उन्होंने बताया कि हमारे यहां पर कोई ऐसी ग्रांट ही नहीं है। उनके संबंध में एक और परेशानी है और वह यह है कि वे कभी दफ्तर में ही नहीं मिलते हैं। दूसरे वे यह भी कहते हैं कि वे तो खन्ना जी के भतीजे हैं।

चिकित्सा मंत्री (श्री दाऊदयाल खन्ना)—

इस दुनिया में मेरा कोई भतीजा नहीं है।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

श्रीमन्, दूसरी समस्या हरिजनों की जो है उसकी ओर भी मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और वह यह है कि हमने जो ब्लाकों को ५००, ६०० या १,००० रु० हरिजनों के लिये नल लगाने के लिये दिये हैं वह रुपया बहुत कम है ।

(लाल बत्ती होने पर)

श्रीमन्, मैं १० मिनट में ही अपनी बात समाप्त कर दूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

आपको बोलते आधा घंटा हो चुका है । अब आप समाप्त कीजिये ।

श्री हरीशकुमार गंगवार--

श्रीमन्, आपसे ही उम्मीद है, आप मुझे कुछ समय और दीजिये । अब ५ या ७ मिनट में ही समाप्त कर दूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

नहीं, आप २ मिनट में ही समाप्त कीजिये ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से अपील करता हूं कि वे वहां जाकर देखें । एक नल लगाने में, जैसा सबको विदित है, लगभग ९० या १०० रु० लगते हैं परन्तु जहां पर हरिजनों की आबादी १०० या उससे भी अधिक है और जहां पर वे लोग खेती करते हैं, उन लोगों को इन नलों से कोई लाभ नहीं होता । मैं प्रार्थना करूंगा कि कम से कम इतना अनुदान दिया जाय कि ऐसे स्थानों पर कुंयें बनाये जा सकें ।

जहां तक १८ प्रतिशत के निश्चित कोटे का संबंध है, वह भी सरकार ने पूरा नहीं किया । २७ अगस्त, १९६४ को माननीय राधाकृष्ण की रिपोर्ट पर बहस करते समय बताया गया था कि एक उच्चस्तरीय समिति बनायी जायगी जिसके सभापति समाज कल्याण मंत्री होंगे परन्तु कुछ नहीं हुआ । अतः हरिजनों की नौकरी की परसेंटेज अभी तक असुरक्षित है । नार्मल ट्रेनिंग में भी हरिजनों को भरती करना चाहिये ।

न्याय प्रशासन में बड़ा भ्रष्टाचार है । अभी हमारी बरेली की एक घटना है जहां के हमारे एक मंत्री भी हैं। वहां पर एक अवैतनिक स्पेशल मैजिस्ट्रेट की भरी अदालत में एक व्यक्ति ने जूता फेंक कर यह मांग की कि हमसे रिश्वत भी ले ली और फिर भी मुकदमा हमारे हक में नहीं किया । इस चर्चा के बारे में आप बरेली में किसी भी व्यक्ति से पूछ सकते हैं वहां पर आम चर्चा है कि २०० रु० देकर जैसा चाहिये निर्णय करा लीजिये । वे भी हमारे माननीय राममूर्ति मंत्री जी के ही संबंधी हैं ।

न्याय को किस प्रकार से भ्रष्ट किया जा रहा है ! आज बंदूकों के लाइसेंस किस तरीके से दिये जा रहे हैं ! अभी हाल में उस स्थान पर, जहां के हमारे माननीय राममूर्ति जी रहने वाले हैं, एक बनिये को एक सीमेंट के केस में फांस दिया और २,००० रु० सिटी मैजिस्ट्रेट ने अल्पबचत योजना में जमा करा कर ही उनकी जमानत ली । इसी प्रकार एक केस में ५,००० रुपया अल्प-बचत योजना में जमा कराकर ही उस व्यक्ति को बंदूक का लाइसेंस दिया गया । इसी प्रकार मैं यह कहना चाहता हूं कि हम अपनी योजनाओं पर अपार धनराशि खर्च कर रहे हैं; उसका कोई उपयोग नहीं होगा अगर कम्युनिस्टों की ओर ध्यान नहीं दिया गया चाहे वह वाम पंथी हों अथवा दक्षिण पंथी । उनका सिर्फ दिखावे का झगड़ा है । एक आदमी काम करता है, दूसरा पीठ पर हाथ रखता है । इस तरह से सरकार के खिलाफ बगावत की, उसको उलटने की योजना बन चुकी थी और पूरा होने में कुछ समय बाकी था, लेकिन नन्दा जी ने ऐन वक्त पर उसे पकड़ लिया । हमारे लिये जो दुहाई दिया करते हैं कि राजाओं की पार्टी

[श्री हरीशकुमार गंगवार]

है, सामन्तशाहों की पार्टी है; तो चिन्ता उनकी नहीं है बल्कि चिन्ता इस बात की आज है कि किस तरह से देश हमारा बचे—अगर देश को बेंच दिया गया कम्युनिस्टों के द्वारा एक रूस को सलाम करता है तो दूसरा चीन को सलाम करता है इससे हमारा क्या वास्ता—तो हम झमेले में पड़ जायेंगे। इन दोनों को ही बन्द कर दिया जाय।

एक सदस्य—

टाइम निर्धारित कर दिया जाय क्योंकि बोलने वाले बहुत हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

बाकी लोगों को दस मिनट का टाइम है और जिनको इसमें टाइम मिलेगा उनको जनरल डिस्कशन के वक्त टाइम नहीं मिलेगा।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, ५० करोड़ ७४ लाख की अनुपूरक मांगें उपस्थित की गयी हैं, इनका मैं समर्थन करता हूं। गंगवार जी ने इसमें से कुछ आइटम्स की चर्चा इस प्रकार की कि वास्तविकता तथा अच्छी बातों को छिपा कर कुछ छोटी-छोटी बातों का उदाहरण देकर उसे हास्यास्पद बनाने की कोशिश की। अगर मोटे तौर से ५० करोड़ की अनुपूरक मांगों का विश्लेषण किया जाय तो आप देखेंगे कि इसमें ३० करोड़ की रकम खाद्यान्नों की बिक्री तथा स्टोरेज के संबंध में है। ६,७ करोड़ रुपया महापालिकाओं को जो ऋण दिया गया है उसके संबंध में है। डेढ़ करोड़ रुपया रिहन्द बांध से मऊ, सोहावल और गोरखपुर पावर स्टेशंस हैं उनको जोड़ने के संबंध में है और कानपुर में रेलवे लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन होने जा रहा है उसके संबंध में है और यह लगभग ४६ करोड़ रुपया हो जाता है। इसमें कोई भी अनावश्यक मांग नहीं कही जा सकती और जो ३, साढ़े ३ करोड़ रह जाता है उसमें भी इस प्रकार की आवश्यक मांगे हैं जैसे शिक्षा विभाग द्वारा लड़कियों की दसवीं क्लास तक फीस माफी रखी गयी है, उसमें कुछ भुगतान करना है। अध्यापकों की त्रिसूत्री लाभकर योजना के संबंध में कुछ भुगतान करना है और अगर ५० करोड़ की योजना में कुछ साज-सज्जा में व्यय कर दिया गया तो उसकी इस प्रकार आलोचना करना कुछ न्यायसंगत बात नहीं है। इन मांगों में कोई आइटम ऐसी नहीं है जिसको अनुचित कहा जा सकता हो।

इतना अवश्य निवेदन करना है कि अनुपूरक मांगों के सिद्धांत के बारे में थोड़ा-सा मुझे कभी-कभी सन्देह हुआ करता है। बजट के आरम्भ में २०० करोड़ के लगभग रुपया सरकार ने स्वीकार किया था और यह आशा की जाती है कि इतने लम्बे बजट को स्वीकार करने के बाद सरकार के पास कम से कम एक साल का कार्यक्रम निश्चित रूप से होगा, लेकिन बजट को पास करने के बाद अगस्त में २२ करोड़ रुपये की अनुपूरक मांगें पास करनी पड़ीं और अब फिर जबकि अगले साल का बजट पेश होने जा रहा है ५० करोड़ के अनुपूरक अनुदान रख दिये गये। इस प्रकार २०० करोड़ रुपये का बजट पास करने के बाद ७२ करोड़ रुपये की अनुपूरक मांगें सरकार ने मांगी, तो यह जरा सोचने की बात है। इसलिये नहीं कि उसमें किसी गलत आइटम के लिये मांग की गयी है, सभी आवश्यक चीजों के लिये मांग की गयी है, लेकिन इस योजना के युग में यह बात साबित होती है कि जब बजट बनने लगता है तो उसकी कोई रूपरेखा निश्चित नहीं की जाती है जिससे इतनी लम्बी धनराशि अनुपूरक बजट के रूप में मांगी जाती है।

श्रीमन्, इसलिये थोड़ा-सा पक्षपात होने की भी गुंजाइश होती है। अभी, श्रीमन्, पूर्वी जिलों के लिये पटेल इंक्वायरी कमेटी बैठी थी और उसने बहुत सी रिकमेन्डेशन दी थी। यह मैं अनुभव कर सकता हूं कि कोई अप्रत्याशित परिस्थिति पैदा हो जाये कि तब तो अनुपूरक अनुदानों की जरूरत पड़ती है जैसे देश पर कोई संकट आ जाये, भीषण दैवी आपदा आ जाये, लेकिन श्रीमन्, कोई नई स्थिति न आये और उन्हीं पूर्व से चले आने वाले विभागों के संबंध में

अनुपूरक अनुदान मांगे जा रहे यह बात समझ में नहीं आती। पुराने विभागों के संबंध में जब कि पूरे साल का हिसाब लेखा जोखा करके लगा लिया जाता है, उसमें, खर्च में बीच में भारी मांग पैदा होना कुछ अधिक ठीक नहीं है। इसको हम लोग यों ही नहीं छोड़ सकते, इस बारे में हमें सोचने की आवश्यकता है।

श्रीमन्, मैं माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान इस पर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि जो २८ सौ पोस्ट्स इसमें इन नई मांगों के जरिये से क्रियेट की गयी हैं, इसे देखकर तो मुझे आश्चर्य हुआ। क्या वर्ष के आरम्भ में कोई आर्थिक कार्यक्रम नहीं था जिससे मालूम हो कि कौन-कौन सी पोस्ट हम क्रियेट करने जा रहे हैं? मैं नहीं कहता कि यह आवश्यक नहीं है लेकिन थोड़ा-सा माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन अवश्य करूंगा कि इस प्रश्न पर गंभीरता-पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है कि अनुपूरक अनुदान में इतनी बड़ी धनराशियां न रखी जाया करें।

श्रीमन्, पटेल इन्क्वायरी कमेटी के बारे में मैं चर्चा कर रहा था। केंद्र और प्रांत की सरकार की तरफ से वह कमेटी बनाई गई थी, उसने पूर्वी जिलों का दौरा किया था और उसने कुछ सिफारिश की थी। उसने अति पिछड़े हुये पूर्वी जिले के लोगों के विकास के लिये कुछ सुझाव बताये थे। यदि इसमें उनके लिये खर्च किया जाता तो उनके—आंसू पूछते, लेकिन उनके लिये कोई बड़ा काम नहीं किया गया है। सिवाय इसके कि इन जिलों में कुछ नालियां आदि बनाने और पटेल कमेटी के अन्तर्गत के चारों जिलों में १—१ लड़कियों के स्कूल खोले जाने की व्यवस्था की गई है। ट्यूबवेल के लिये नालियां बनाने और लड़कियों के स्कूल के अलावा उनके विकास के लिये कोई खर्च की मांग इस अनुपूरक अनुदान में नहीं है। यदि इस ओर ध्यान दिया जाता है तो मैं समझता कि यह आवश्यक चीज है और इसके पूरा करने की मांग की गई है। श्रीमन् दसों साल से माननीय शिक्षा मंत्री जी से एक मांग की जा रही थी कि गाजीपुर में एक हायर सेकेंडरी स्कूल है जो उन्हीं का है, जर्मन मिशनरियों ने प्रदेश सरकार को दे दिया था वहां पर १,५०० लड़के पढ़ते हैं, ६० अध्यापक हैं। उसके प्रबन्ध और विकास के लिये अनुदान का प्राविधान होता, लेकिन उसके लिये कुछ नहीं किया गया। मैं उम्मीद करता था कि उसके लिये खर्च रख दिया गया है, किन्तु वह भी देखने को नहीं मिला। श्रीमन्, अब मुझे इस संबंध में कोई विशेष बातें नहीं निवेदन करनी हैं। यह जो ४९ करोड़ रुपये की मांग रखी गई और इसमें जितने आइटम्स पर मांग रखी गई है वह बहुत आवश्यक हैं, किन्तु इतना मैं अवश्य कहूंगा कि इतनी लम्बी धनराशि अनुपूरक मांग में रखना कहां तक उचित है, इस पर अवश्य विचार किया जाना चाहिये।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस फरवरी के महीने में इस बजट वर्ष के अन्तिम अनुदानों पर चर्चा हो रही है।

(व्यवधान, पीछे बैठे कुछ सदस्यों की ओर से)

जब मैं किसी को भाषण के बीच में नहीं टोकता तो किसी को मेरे भाषण के बीच में मुझे भी नहीं टोकना चाहिये।

मान्यवर, तो इस सम्बन्ध में मैं कुछ खास तथ्यों के आधार पर, केवल विरोधी होने के नाते नहीं, इस अनुदान की मांग का विरोध करता हूं। इसका पास होना या न होना तो दूसरी बात है। जब हमारा मूल आय-व्ययक बनता है तो उसमें प्रत्येक विभाग के सेक्रेटरी अपने विभाग से सम्बन्धित सेक्रेटरीज बड़ी सावधानी से आय-व्ययक का लेखा-जोखा कर लेते हैं और तब उसको फाइनल करते हैं, इस पर भी अनुपूरक मांगें इतनी बड़ी तादाद में आती हैं। जैसा कि अभी कुछ सदस्यों ने कहा कि अगस्त में आपने २२ करोड़ से ऊपर मांगा और ४९ करोड़ अब मांग रहे हैं तो यह कुल मिलाकर ७२ करोड़ की राशि बहुत बड़ी धनराशि होती है। जिसकी मांग की गई है। अनुपूरक मांग किन-किन स्थितियों में होती है, इसके सम्बन्ध में संविधान के

[श्री रघुनाथसिंह]

आर्टिकिल २०५ में दिया गया है, जिसका सारांश यह है कि सेवा की कुछ विशेष मदें ऐसी कायम हो गई हों जिन पर हमारा मूल अनुमान ठीक न बैठा हो, और उस पर विशेष कारणों से कुछ विशेष खर्चा हो गया हो। इसी प्रकार साल के दौरान में कुछ अप्रत्याशित नई मदें भी उपस्थित हो सकती हैं। लेकिन यह बात तो मैं कह सकता हूं कि ४९ करोड़ के ऊपर इस बार और २२ करोड़ के ऊपर पहले अनुपूरक के समय मांग की गयी है, संविधान के निर्माताओं ने विशेष परिस्थितियों का विचार करके कि हो सकता है कि साल में कोई विशेष सेवाओं की आवश्यकता आ पड़े और बिना उस आवश्यकता के जनहित में बाधा पड़ती हो, क्योंकि जनता के अहित की बात तो नहीं की जायगी, जनहित को देखते हुये नई सेवाओं के बनाने के लिये, नई सेवायें प्राप्त करने के लिये या जो सेवायें चल रही हैं उनमें ही किसी विशेष खर्च की आवश्यकता पड़ जावे जिसको आरम्भ में न देखा जा सका हो और आकस्मिक रूप से आ जावे तो उसके लिये अनुपूरक मांगों द्वारा धन की मांग का प्राविधान किया गया है लेकिन ७२ करोड़ रुपये की मांग साल के दौरान में करना संविधान के प्राविधानों के बहुत अनुकूल नहीं प्रतीत होता।

दूसरी बात यह है कि इसी अनुपूरक आय-व्ययक में २०–२५, २२–२७ और २७–३२ के वेतन क्रम में हमें देखने को मिलते हैं। मूल आय-व्ययक में तो इस प्रकार के वेतन-क्रम बहुत थे, लेकिन आज के समय में जब महंगाई इतनी अधिक है तब भी इस प्रकार का २०–२५ या २७ प्रारम्भिक वेतनों पर चौकीदार, चपरासियों को रखा जाता है और उसमें भी यह विधान है कि २२–२७ या २७–३२, जैसा सम्भव हो, दोनों में से किसी में रखा जा सकता है, जिसका मतलब स्पष्ट यह है कि २०–२५ के वेतनक्रम में पहले चपरासी को रखा लेकिन अगर अधिकारियों का सौदा पट जाय और कुछ लेकर हिसाब किताब बंध जाय तो उस को २७–३२ के वेतनक्रम में भी रखा जा सकता है। आज के युग में भी आपका चौकीदार क्या तनख्वाह पाता है, यह भी सोचने की बात है। यह हमारे जनतंत्र के लिये अत्यन्त लज्जा की बात है कि हमारे पुलिस चौकीदार को आज भी ५ रुपया महीना वेतन मिलता है। इस प्रकार के निम्नवेतनभोगी लोगों की आय, छोटे खेतिहर मजदूरों की आय, इन सबके बारे में सोचकर बड़ी लज्जा सी आती है। महंगाई के विषय में क्या कहा जाय! इसको हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। उसको कह कर मैं अपने भाषण के इस थोड़े से समय को खत्म नहीं करना चाहता लेकिन मैं यह समझता हूं, कि इस अनुपूरक आय-व्ययक द्वारा इतनी लम्बी धनराशि की मांग के बाद भी इस महंगाई के समय में भी कोई खास सुविधा इन निम्नवेतनभोगी लोगों के जीवन-स्तर को उठाने के सम्बन्ध में नहीं है। यह ७२ करोड़ रुपया साल के दौरान में लिया गया, तो मुझे प्रारम्भ में ऐसा लगा कि यह अनुपूरक बजट ऐसा जरूर होगा कि जिसमें जनता की सुविधा को देखा गया होगा क्योंकि यह जन प्रतिनिधि सरकार है। देश को आजाद करने वाली कांग्रेस की यह सरकार है। इस के प्रति मेरा बड़ा आदर है मैं सोचता था कि इसमें जनता के लिये बहुत सी व्यवस्था की गई होगी। यह ४९ करोड़ का अनुपूरक बजट है जिसमें इतनी बड़ी रकम को मांगा गया है। मैं ने इसको पढ़ा और पढ़ने के बाद सोचता रहा कि कहीं पर इसमें कोई मेरे सन्तोष की बात मिले लेकिन सिर्फ दो जगहों पर कुछ तसल्ली की बात मिली। मैं सोचता हूं कि शायद ही कहीं देखने में भूल गये हों लेकिन दो जगहों पर मेरी कुछ मुराद पूरी होती दिखाई दी। सहकारी अनुदान के शीर्षक में सहकारिता के आधार पर चलने वाली दुग्धशालाओं में २२–२७ के वेतन क्रम पाने वाले लोगों को ५ रुपया का विशेष वेतन दिया गया है। हजारों कर्मचारी इस २२–२७ के वेतन-क्रम वाले हैं, २०–२५ के वेतन-क्रम वाले हैं और ५ रुपये के पुलिस विभाग के चौकीदार भी हैं लेकिन उनके लिये इसमें ऐसे विशेष वेतन की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। केवल सहकारिता के आधार पर दुग्धशालाओं के निम्नतम कर्मचारियों के लिये यह व्यवस्था की गई है कि उनको ५ महीने का विशेष वेतन दिया जाय। मैं समझता हूं सभी निम्न वर्ग के कर्मचारियों के लिये यह व्यवस्था होनी चाहिये थी। केवल सहकारिता के कर्मचारियों को ही ५ रुपया विशेष वेतन देने की क्या आवश्यकता थी?

इस प्रकार से केवल चपरासियों को ९,१०० रुपये टोटल रूप में इस अनुदान के अन्तर्गत दिया गया है जिसको यहां पर अनुपूरक मांग में मांगा गया है।

इसी प्रकार से कृषि विभाग में कुक्कुट विकास सत्वर कार्यक्रम के अन्तर्गत २५० के वेतन क्रम वाले लोगों को कम वेतन पाने के आधार पर ऋण दिया गया है और राज्य सहायता के आधार पर भी कुछ अनुदान दिया गया है। ऋण के रूप में ४ लाख रुपये और राज्य सहायता के रूप में १० हजार रुपया उनको दिया गया है। जो कम वेतन पाने वाले कर्मचारी हैं उनके सम्बन्ध में सरकार का ध्यान जाना चाहिये था लेकिन वे लोग जहां के तहां हैं हमारे मंत्री लोग बहुत पढ़े लिखे हैं और देश की सेवा करने वाले रहे हैं और इसीलिए चौकीदार, चपरासियों और उनमें अन्तर है। लेकिन जिस तरह से आप के बच्चे हैं उसी तरह से उनके भी बच्चे हैं। दार्शनिक दृष्टि में तो सब बच्चों का एक ही स्वरूप बाल रूप में भगवान का माना गया है। आप के बच्चे पढ़ें और अर्दलियों के बच्चे भूखों मरें, तो क्या यही हमारे देशमें श्रम की कीमत है और इसी तरह से श्रम की कीमत आंकी जाती रहेगी? इसकी तरफ ध्यान जाना चाहिये कि देश की भविष्य पीढ़ी न बरबाद हो।

इसी प्रकार से अनुदान ३२ में अभियन्त्रण (इंजीनियरिंग) संस्थाओं के अन्तर्गत रुड़की विश्वविद्यालय के अभियन्त्रण संकाय फैक्लटी के अध्यापकों के वेतन क्रम का पुनरीक्षण किया गया है। जिसमें पुराने वेतन क्रम को बढ़ाया गया है। लेक्चरर का २५० रुपये से ८५० तक था उसको अब ४०० रुपये से प्रारम्भ किया गया है। इसी प्रकार वे ५०० रुपये का ७०० किया गया है जिससे वहां पर पठन पाठन का स्तर बना रहे। इसी प्रकार से २१ हजार रुपया बीते हुये समय में खर्च किया गया है। जो भरे पूरे हैं उनको भरा-पूरा किया जाता है और जो भूखों मर रहे हैं उनकी कोई व्यवस्था नहीं की जाती। आपके समाजवादी शासन में यह ध्यान देने की बात है।

राज्य के विभिन्न विभागों के ५६ अनुदान शीर्षकों में ४४ अनुदान शीर्षकों के लिये अनुपूरक अनुदान मांगा गया है। यह इसी से स्पष्ट है कि कितनी लापरवाही सभी विभागों में बरती जाती है। ४४ विभागों में ये अनुदान मांगे गये हैं जबकि पिछले अगस्त में ही इन शीर्षकों पर अनुपूरक बजट रखा गया था। अब श्रीमन्, मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि हमारे संविधान में बताया गया है कि नयी अनुपूरक मांगें कब मांगनी चाहियें। यह संविधान के अनुच्छेद २०५ (१) में बताया गया है। इसके अनुसार अतिरिक्त व्यय की अनुपूरक मांग विधान मंडल से तीन स्थितियों में तभी की जानी चाहिये जब १ साल के दौरान में किसी विशेष सेवा पर व्यय की अधिकृत धनराशि अपर्याप्त हो। २—किसी अप्रत्याशित आवश्यकता से व्यय की नयी मदें आ जायं और ऐसी नयी सेवाओं पर मूल आय व्ययक में कोई प्राविधान न हो। और ३—किसी सामान्य सेवा की पुरानी मद पर अनुमान की स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय करना पड़ जाय। ऐसी स्थिति में हमारे संविधान में आय व्ययक के अर्थ शास्त्रियों को ऐसी लाचारी में पूरक मांग करने की व्यवस्था की गयी है। तीसरे नम्बर पर जो गुंजायश रखी गयी है उसका प्रयोग अपवाद रूप में ही होना चाहिये क्योंकि वह पुरानी मदों के सम्बन्ध में है और हमारे अधिकारियों को उनके व्यय का अनुभव होता है। किन्तु यदि इस वर्ष के पिछले और इस अनुपूरक बजट तथा मूल बजट को देखा जाय तो पता चलेगा कि मांगें जरूरत से ज्यादा की गयी हैं जो बजट की स्प्रिट के मेल में अनुचित हैं। संविधान के अनुबन्धों को ध्यान में रख कर ही सरकार ने बजट मैनुअल बनाया है। बजट मैनुअल के अनुसार आय व्ययक की आय अनुमान में निवारित हो सकने वाली अतिरिक्त धन व्यवस्था उसी हद तक वित्तीय अनियमितता है जिस हद तक स्वीकृत धनराशि से अधिक धन व्यय हो जाना। यह सिद्धांत कभी कभी गंभीर परिणाम प्रस्तुत करता है जिस के लिये संबंधित अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिये। आज ७२ करोड़ की अनुपूरक मांगे प्रस्तुत की गयी हैं। पहले अंधाधुंध खर्च किया गया और फिर विधान मंडल के सामने उसे पेश कर दिया गया और उसे इस पैरेड ग्राउन्ड के सिपाहियों के समान अनुशासन मानने वाले अपने दल के विधायकों के समर्थन

[श्री रघुनाथसिंह]

के बल पर पास करा लिया जायगा जो केवल ६७ के इलेक्शन के टिकट की फिक्र रखते हैं, भले ही जनता डूबे या रहे, हिन्दुस्तान रसातल में चला जाय, इससे उन को मतलब नहीं होता। बस, अमेरिका के शक्ति सन्तुलन की चिन्ता पर यह देश चल रहा है। इस तरह से हमारे देश की यह कागज की नाव कब तक चलेगी? अगर यहां पक्ष-विपक्ष में दो, चार सदस्यों का अंतर होता और अंतरात्मा की आवाज पर विरोध करने वाले सदस्य उधर भी बैठे होते तो इस खर्च की पूर्ति के लिये मंजूरी लेना आप के लिये इतना सरल न होता। आज उसमें सफल भी हो पाते या नहीं इसमें सन्देह है। तो मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप नये वित्त मंत्री हैं, इस प्रकार की गलतियों को बचाने की अ ने समय में कोशिश करें और अधिकारियों पर सख्ती करें ताकि जो असंवैधानिक का र्य हुआ है—आप मुझे क्षमा करेंगे मैं इसे असंवैधानिक कह रहा हूं—यह जो जनता के धन के साथ खिलवाड़ हुआ है, हमारे प्रदेश की गिरी हुई आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार का मजाक आइन्दा न करेंगे। यह स्थिति लज्जा-जनक है। इसे बचाने की कोशिश करनी चाहिये।

श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा अफसोस है कि इस समय माननीया मुख्य मन्त्री जी यहां सदन में मौजूद नहीं हैं, यद्यपि माननीय वित्त मंत्री जी हैं। अभी दो दिन पहले माननीया मुख्य मंत्री जी ने एक प्रस्ताव पेश किया था और मेरा और माननीय रा त मौलाई साहब का नाम लेकर सम्बोधित किया गया था, किन्तु, मान्यवर, न तो आप की तरफ से, न उनकी पार्टी की तरफ से, मुझे अपनी सफाई करने का मौका दिया गया गोकि मैं अपनी सफ़ाई पेश करने के लिये कितनी ही बार खड़ा हुआ, जानबूझ कर मुझे मौका नहीं दिया गया। एक कातिल को, एक मुलजिम को, भी अपनी सफ़ाई पेश करने का मौका दिया जाता है, किन्तु मुझे मौका नहीं दिया गया। आपकी तरफ से भी नहीं दिया गया। आपकी व आपके मश.रों की नाराजगी में समझ सकता हूं कि दुराग्रह की बिना पर आप वह मौका मुझे देना नहीं चाहते थे, अगर आप मौका देते तो इसमें मेरे साथ कोई एहसान नहीं था बल्कि नेचुरल जस्टिस (natural justice) का आ प अपना फर्ज अदा करते। मैं समझता था कि नेचुरल जस्टिस के आधार पर मुझे अपनी सफ़ाई पेश करने का मौका अवश्य दिया जायेगा। माननीय मुख्य मंत्री सदन में मौजूद रहीं, और उनकी पार्टी की तरफ से क्लोजर मूव कर दिया गया। वह खामोश रहीं; मुझे उनसे ऐसी आशा नहीं थी।

खैर, अब मैं सप्लीमेन्टरी बजट पर आता हूं। सप्लीमेन्टरी बजट किस समय आता है? इस पर माननीय कृष्णानन्दराय जी ने भी कहा है, और सदस्यों ने भी अपने विचार रखे हैं। मान्यवर, यह या तो उन मांगों के लिये आता है जिनका प्राविजन पिछले साल बजट में हो जाता है और खर्चा कुछ कारणों से ज्यादा हो जाता है, या उन चीजों के लिये आता है जिन पर खर्च होने का पहले से कोई अनुमान नहीं होता है। अगर ऐसी मदों के लिए सप्लीमेन्टरी पेश होता तो मुझे बड़ी खुशी होती उस पर बोलते हुये। किन्तु सरकार का तो सालाना रवैया सा होता जा रहा है इस तरह से सप्लीमेन्टरी बजट पेश करने का। हमेशा उन चीजों के लिये सप्लीमेन्टरी बजट आता है जिनका जिक्र मैं पहले कर चुका हूं। इसमें एक मद संख्या ३ है जिसमें मद्यनिषेध तथा समाजोत्थान के लिये नई सज्जा का क्रय तथा पुरानी सज्जा के बदलाव पर १,०५,७०० रुपये की मांग रखी गयी है। मैं प्रार्थना करूंगा कि माननीय वित्त मंत्री जी कृपया यह बतलायें कि अव्वल तो पुरानी सज्जा से कुछ समय और काम हो सकता था। अगर वह ऐसी थी कि साल भर तक उससे काम नहीं चल सकता था तो पिछले बजट में उसे पेश कर देते। इस सब के पीछे माननीय वित्त मंत्री का एक उसूल है। मुझे मजबूर हो कर कहना पड़ता है कि सदन को गुमराह करने के लिये ही ऐसी बातों को रखा जाता है। सदन को इस बात का अधिकार है कि वह जान सके कि इसके क्या कारण हैं। आप डेफिसिट बजट ले आते हैं जब डेफिसिट बजट आता है तो उसको पूरा करने का दिखावा किया जाता है। अन्य चीजों

पर टैक्सेशन लाकर हमसे वोट करा लिया जाता है। किन्तु उस रुपये को आप खर्च नहीं कर पाते हैं और यह मैं आगे बतलाऊंगा भी। आप का इरादा पाक और साफ नहीं है। मैंने अभी अनुदान संख्या ३ के बारे में बताया था। मैं अभी और भी बताता हूं। न्यायपालिका में उच्च न्यायालय का शताब्दी समारोह १९६६ में होगा। एनुअल बजट आया; उस में इसका जिक्र भी नहीं, जबकि यह मालूम था कि समारोह होगा। शताब्दी हो रही है, ठीक है। हम आप के साथ हैं। जैसे आप मनाना चाहते हैं, मनाइये हमारा कोई मतभेद नहीं है। मतभेद यही है कि आप उसके लिये सही तरीके से रुपया लीजिए। अगर आपकी नीयत साफ और पाक है तो आखिर क्या वजह है कि इसको आपने जनरल बजट में नहीं रखा। आपको क्या जरूरत पेश आई कि आप ने इसको सप्लीमेन्टरी बजट में रखा। जबकि विधान में दिये हुए असूलों के मुताबिक इस ग्रान्ट को सप्लीमेन्टरी में लाना आप किसी हालत में जस्टीफाई नहीं कर सकते। रकम भी दस लाख रुपये की है, कुछ कम नहीं है।

इसी तरह से कुम्भ मेले का मामला ले लिया जाय। आज से १०-१२ साल पहले जिसके विषय में मालूम हो जाता है कि ये कब होने वाला है, तब इतने पहले की सूचना होते हुये भी आप इसे जनरल बजट में नहीं लाये। इससे या तो हम इस बात को मान लें कि आप के बजट बनाने का जो सिस्टम है या जो सेक्रेटरिएट की मशीनरी है, वह इनएफिशियेन्ट है। अगर वह भी इनैफिशियेन्ट नहीं है तो वह आप के इशारों के मातहत हो सकती है। इस के लिये मैं पहले ही मुआफी के लिये श्री कैलाश प्रकाश जी से कह चुका हूं। जब से कांग्रेस का शासन हुआ है तब से निरन्तर आप की बजेटिंग का यही तरीका है। मुझे अफसोस है कि माननीय नवल किशोर जी नहीं हैं। बड़े चैम्पियन हैं लेजिस्लेचर के राइट्स के। अब कहां गये राइट्स? क्यों नहीं आवाज उठाते हैं इन रवैयों के खिलाफ? उस दिन भी बैठे हुये थे जिस दिन मुझे मौका नहीं दिया गया था अपनी सफ़ाई पेश करने का। मैं उम्मीद करता रहा उनकी बातों को देखकर कि माननीय नवलकिशोर जी खड़े होंगे और अपनी आवाज उठाएंगे इसके खिलाफ़ क्योंकि लेजिस्लेचर राइट्स के वे बड़े चैम्पियन बताते हैं अपने को। वे भी बजाय कुछ जवाब देने के चुपचाप बैठ रहे। मुझे सफाई का मौका नहीं दिया गया, जो मौका एक कातिल और डकैत को भी दिया जाता है। उन्होंने उस वक्त आवाज नहीं उठाई कि माननीय भगवान सहाय को मौका मिलना चाहिये। मैं जो अर्ज कर रहा था, श्रीमन्, वह यह है कि गवर्नमेन्ट आफ उत्तर प्रदेश की आडिट रिपोर्ट १९६४ के १३६वें पेज पर एपेन्डिक्स (१) रेफरेंस-पेज २५ व २६; इसमें १२ ग्रान्ट रिक्विजीशन की गई थीं जिनमें सप्लीमेन्टरी प्राविजन कतई नाजरूरी साबित किया गया है। इसमें लिखा है कि—"१२ ग्रान्ट्स, एप्रोप्रिएशन्स इन ह्विच सप्लीमेन्ट्री प्राविजन्स प्रूव्ड होल्ली अननैसेसरी"—

			लाख	प्रतिशत
लैन्ड रेवेन्य	..	..	३१.१३	४.१
एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज	..	..	५.१७	५.६
जनरल एडमिनिस्ट्रेशन	..	..	१९.७६	८.८

जेल ४.८१ लाख, सोशल ऐंड डिपार्टमेंटल सर्विसेज में प्लानिंग ऐंड कोआर्डिनेशन के अन्तर्गत १६.५१ लाख, इन्फामशन डाइरेक्टोरेट ५.३६ लाख, शिड्यूल्ड ऐंड बैकवर्ड क्लासेज २५.८० लाख, इन्जीनियरिंग इन्स्टीट्यूशंस १४.३३ लाख, पब्लिक वर्क्स मेट फ्राम रेवेन्यू ७९.५४ लाख, मिसलेनिअस चाजज ११८.६७ लाख, कैपिटल आउट ले आन रोड ट्रांसपोर्ट ऐंड अदर स्कीम में २०४.७० लाख, यह रुपया आपने पास करा लिया और खर्च नहीं कर पाये और आज भी यह रुपया आप खर्च नहीं कर सकते हैं, मेरी यह नम्र चेतावनी आपको है कि आप इस खर्च नहीं कर पायगे जो कि आप मांग रहे हैं और सिर्फ यह बजट में इसलिये ला रहे हैं क्योंकि बजट में नये टैक्सेज आप लाना चाहते हैं। जनता के सामने आर्थिक तस्वीर आप सही नहीं रखना चाहते हैं, उसको गुमराह करना चाहते हैं। आपका बजट आपकी आर्थिक स्थिति,

[श्री भगवान सहाय]

आर्थिक तस्वीर का आइना नहीं है कि जिसमें देखकर उत्तर प्रदेश का आदमी यह समझ सके कि आप क्या खर्च करना चाहते हैं और कहां कमी है, कहां बढ़ती है। आपके बजट से कोई बात साफ जाहिर नहीं होती और उसके बाद उसको मीट करने के लिये आप टैक्स लगा देते हैं। यह तो मैंने वह फिगर्स दीं जिनमें कि आपने गैरजरूरी तरीके से रुपया पास करा लिया।

अब आप उनको लीजिए—अप्रोप्रियेशंस इन ह्विच सप्लीमेंटरी प्राविजन प्रूव्ड एक्सेसिव—पुलिस—७.३२ लाख, ग्रान्ट्स-इन-एड आफ पब्लिक वर्क्स—.८३ लाख, फेमिन रिलीफ—५.४० लाख, सुपरएन्युएशन एलाउंसेज ऐंड पेंशन्स—११.५४ लाख, फारेस्ट—२.७४ लाख, एक्सपेंडीचर कनेक्टेड विद दी नेशनल इमजंसी—१५१.१२ लाख, इन्टरेस्ट आन डेट ऐंड अदर आबलिगेशंश—५३.४१ लाख, कैपिटल आउटले आन एलेक्ट्रसिटी स्कीम्स—१६८.१७ लाख, लोन्स ऐंड ऐडवांसेज बीअरिंग इन्टरेस्ट—१५.३३ लाख, यह हुआ। यह पारसाल की तस्वीर मैंने आप के सामने पेश की। कोई भी बजट आप लायें, उत्तर प्रदेश का एक विधायक होने और जनता के हित में उसका नुमाइन्दा होने के नाते अगर किसी चीज में हमारा मतभेद है तो उसको हम इस सदन के सामने रखें, यह हमारा पुनीत कर्त्तव्य है और यह भी हमारा पुनीत कर्त्तव्य है कि जनता के हित के लिये जो रुपया सरकार मांगे अगर उसको हम सही समझते हैं तो उसका समर्थन भी करें और वोट भी करें। तो यह जो आपका अनुपूरक बजट है, ईमानदारी की बात यह है कि ऐसी कोई चीज मुझे इसमें नहीं मिली कि जिससे मैं आपको अपना समर्थन दे सकूं अगर मैं देना भी चाहूं। मुझे आपके इरादों में कुछ सफाई नहीं मालूम हो रही है। मैं वित्त मन्त्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि जब वह इसका जवाब देने लगें तो मेहरबानी करके इन बातों पर भी रोशनी डालें, आडिट रिपोर्ट उनको मिल सकती है, न मिले, तो मैं पेश करने को तैयार हूं। बहरहाल, वह बतायें कि रुपया आपने पास तो करा लिया, लेकिन खर्च नहीं कर पाये, तो इसमें मैं क्या समझूं। या तो आप यह कहें कि आपकी सर्विसेज इतनी निकम्मी हैं, इनएफिशियेंट हैं, कि वह खर्च नहीं कर पा रहे हैं और यह पुरानी कहानी है कि जिस दिन से आप ने इस प्रदेश की गद्दी को सम्भाला है तभी से यही रवैया है। मैं चाहता था कि आपका समर्थन करता, इस राज्य को और इस मुल्क को बनाने में आपका साथ देता, लेकिन आप मजबूर कर देते हैं अपने कागजात से, अपने आंकड़ों से, अपने तरीकों से, कि मैं इसका विरोध करूं। अब भी समय है आप अपने तरीके को बदलिए और बजट ऐसा पेश कीजिए जो आपकी आर्थिक तस्वीर का सच्चा आइना हो, जिसमें उत्तर प्रदेश की असली आर्थिक हालत मालूम हो सके। इस सरकार का यह रवैया है कि चाहे कुछ भी कहते रहिये, जो बातें इनको इनकनवीनियेंट मालूम होती हैं, उन्हें गौर से सुनते ही नहीं हैं। पिछले जमाने में बजट पर बड़ी अच्छी परम्परा थी कि हर कट मोशन के मूव होने पर सरकार इंडिविजुअल जवाब देती थी, इसमें माननीय नवल किशोर जी मुझे सपोर्ट करेंगे। अगर कोई सदस्य गलत बात कहता था तो उसे उसका सीधे उत्तर मिल जाता था। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में इंसाफ नहीं हो रहा है। हम चाहते हैं कि आप सब क्रिटिसिज्म का इंडिविजुअली जवाब दें और अगर आप ऐसा करेंगे तो डेमोक्रेसी की जड़ें मजबूत करेंगे।

श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज इस अनुपूरक अनुदान के संबंध में मुझे यह कहना आवश्यक हुआ कि जैसे २ बजट बढ़ता जाता है वैसे ही अनुपूरक बजट भी बढ़ता जाता है। अनुपूरक बजट, संविधान की धारा ११५—के अनुसार, केवल उन्हीं ग्रान्ट्स में आना चाहिये जिसमें सरकार को खर्चा करते समय कुछ किसी खास मद में कमी महसूस हो या कोई आकस्मिक खर्चा आ जाय। परन्तु इसमें कुछ ऐसी मदें हैं जिनमें अनावश्यक खर्चा भी शामिल किया गया है जो मूल बजट में आ सकता है। हर ग्रान्ट में एक टोकेन ग्रान्ट शामिल की गई है। टोकेन ग्रान्ट की आवश्यकता तब होती है जबकि सरकार कोई नई योजना चलाना चाहती है और मूल तथ्यों को सदन के सामने लाना नहीं चाहती लेकिन यदि यह योजना आवश्यक थी तो तुरन्त

ही २ घंटे बाद बड़ा बजट आने वाला है, यह उसमें दिया जा सकता था। केन्द्रीय वित्त मंत्री ने पिछली बार अपने बजट भाषण में कहा था कि हम ७५ करोड़ रुपये की बजट में कमी करने जा रहे हैं और इसके विपरीत यहां सरकार ७५ करोड़ रुपये की बढ़ोतरी कर रही है। आज इस सरकार को यह दिखाना चाहिये था कि उसने क्या इकानामी की है। पुरानी आदत दुहराई है, नयी योजनाओं में स्टाफ की हर जगह बढ़ोतरी की गई है। मिसाल के तौर पर आप ग्रान्ट नम्बर २२, ऐग्रीकल्चर में पशुपालन और मत्स्य पालन में १९६०–६१ का और अब का स्टाफ देखें, निरन्तर बढ़ोत्तरी है। दो विभाग आपके राज्य में बिलकुल बेकार से हैं, जिनमें से सूचना विभाग तथा एक समाजकल्याण भी है। जैसा कि मैंने गत वर्ष भी कहा था कि इसका काम केवल यह है कि मन्त्रियों के दिखावटी कामों का प्रचार और उनके आमोद प्रमोद का इन्तजाम करे। इस विभाग की राज्य में कोई अवश्यकता नहीं है। दूसरे समाज कल्याण विभाग में सरकार की ओर से ही कुछ कमी की जा रही है। आवश्यकता तो यह थी कि इस विभाग को ही समाप्त कर देना चाहिये, कोई उपयोगी नहीं है। समाज का कल्याण तो इस सरकार के आने से ही हो चुका है। सरकार की दूसरी दूरदर्शिता देखिये। अनुदान संख्या १० में, जिसमें आयुक्त और जिला प्रशासन का विवरण है, उसमें एक टोकेन ग्रान्ट मांगी गई है जो कृषि के सम्बन्ध में है। इसे कृषि विभाग में जाना चाहिये था। यह उत्तराखंड के लिए एक विशेष देन रखी गयी है जहां से सरकार को विशेष प्रेम है। मान्यवर, एक अपव्यय की दूसरी मिसाल है कि उत्तराखण्ड के प्रखंड में जिला सूचनाधिकारियों के लिये तीन जीपें खरीदने की व्यवस्था की गई है। यह भी खर्चा अनावश्यक है।

अभी हाल में एक बहुत सुन्दर वोट कैंचिंग प्रोपेगेंडा सरकार ने किया है। सरकार की ओर से घोषणा की गयी है कि प्रदेश में छात्राओं को दसवें दर्जे तक शिक्षा निःशुल्क होगी। इसका ९० प्रतिशत फायदा शहर वालों को होगा और देहात वालों को दस प्रतिशत फायदा भी नहीं होने की संभावना है। इससे साधारण जनता को भ्रम में डाला गया है। अपने स्वभाव के जरिये यह सरकार देहात और शहर में भेद की खाई इसी तरह से बढ़ाती चली जा रही है जैसी इनमें आपस में खाई है और निरन्तर भीषण स्थिति पैदा करती जाती है।

आज के सप्लीमेन्टरी बजट में एक और ग्रान्ट है और वह है सांस्कृतिक प्रोग्राम के लिये। उस प्रोग्राम को सुनकर या देखकर अपनी मुर्झाई भावना को शहर के लोग जागृत करते हैं। लखनऊ में यह व्यवस्था रवीन्द्रालय में होती है इसमें २ लाख रुपये से अधिक दिया जा रहा है। इससे देहात की जनता से कोई मतलब नहीं है। यह सारी ग्रान्ट शहरों के निवासियों के लाभ के लिये खर्च की जा रही है। जहां सरकार के लोग विशेष तौर से सम्पर्क में हैं वहां रुपया लुटाया जा रहा है। अनुदान संख्या १८ जिसमें चिकित्सा का जिक्र है उसमें लिखा है कि रोगियों की संख्या ढाई लाख से बढ़ कर दो लाख हो गई है। मालूम होता है इसमें कुछ छपने की गलती है या सरकार इसी बात को तरक्की मानती है। सरकार ने किंग जार्ज मेडिकल कालेज में नवीन भवन निर्माण के लिए लाखों रुपया रखा है लेकिन देहातों के अस्पताल के निर्माण के लिये एक पैसा भी इसमें नहीं रखा गया। वहां की छतें टूटी हुई हैं दान में दी हुई इमारतें ध्वस्त होती जाती हैं पर उनकी मरम्मत नहीं करायी जाती। यह मिसाल मैंने जालौन जिले के भेड़ अस्पताल की दी है। बुन्देलखण्ड के अस्पतालों की व्यवस्था यह है कि वहां मेडिकल अफसरों के क्वार्टर्स नहीं हैं। मैंने भी कई दफा उपरोक्त भेड़ के अस्पताल के क्वार्टर्स बनवाने को अप्रोच किया, लेकिन सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की। देहात में मेडिकल आफीसर्स के लिए क्वार्टर्स बनवाना बहुत जरूरी है पर इसे सुनता कौन है। इस से यह साफ है कि सरकार की नीति शहर वालों की ओर झुकी हुई है, उनकी आवाज सुनकर सरकार सचेत हो जाती है उनको सभी सुविधायें दी जाती हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की सरकार परवाह नहीं करती। मैं, मान्यवर, दूसरी ओर आपका ध्यान आकृष्ट करता हूं कि माननीय खाद्य मंत्री जी ने कल अपने भाषण में कहा था कि अगर हमें यह बताया जाय कि हमारी अमुक

[श्री विजयसिंह]

पालिसी गलत साबित हुई है तो हम उसके लिए अपने पद से त्यागपत्र दे सकते हैं। ठीक है कौन सी पालिसी गलत हुई है और कौन सी सही पालिसी आपकी है वह बात तो केवल जनता ही बता सकती है वह हमारी आपकी अदालत है। इस निर्णय को जनता कैसे प्रदर्शित कर सकती है? जनवाणी का प्रदर्शन तो केवल पत्रकारों द्वारा पत्रों में ही मुखरित होता है। अगर उनकी नीति की टीका-टिप्पणी पत्रों में बराबर होती रही है तो उसी से उनको समझ लेना चाहिए कि वह कहां तक त्रुटिरहित रही है। सरकार की ओर से बराबर यह होता रहा है कि कभी मूवमेंट बन्द किया जाता है, कभी खोला जाता है। इस रोज रोज की रोक थाम और पाबंदियों से रोजगार करने वाले और किसान परेशान। इसका उदाहरण है कि बस्ती जिले में नदी के इस पार लाने में पहले चावल पर रोक लगा रखी थी और बहुत सख्ती की थी, लेकिन इलेक्शन की वजह से जो वहां हो रहा है फिर खोल दिया गया वह भी जबानी। कुछ दिन पहले रोक लगाने की आवश्यकता थी और फिर अब क्यों नहीं रही? इस तरह की ढुलमुल नीति चलती रहती है और घटा बढ़ी होती रहती है।

आज किसानों से भी सरकार बहुत नाराज है। ग्रामीण क्षेत्र से और पिछड़े हुए बुन्देलखंड के क्षेत्र से सरकार की नाराजी हो सकती है और वह भी इसलिए चूंकि वहां से कांग्रेस को ३६ प्रतिशत ही वोट मिले। इसी कारण से उस तरफ सरकार का ध्यान नहीं जाता और किसी न किसी प्रकार वहां के लोगों को परेशान करने की चेष्टा की जाती है। वहां देहातों में भी यह समझकर कि किसान गल्ले का होर्डर है और उनके पास गल्ला है, छापे मारे गये, यद्यपि कई बार कहा गया कि इस समय किसानों के पास खत्तियों में बीज रहता है उसको न खुलवाया जाय। उस बात पर सरकार को सोचना चाहिए था कि अगर किसान के पास साल भर के खाने को गल्ला है तो यदि उसके पास गल्ला अधिक है तो वह उसे दस बारह मास में स्वयं ही निकाल कर साफ करेगा क्योंकि वह कोई सोना चांदी तो है नहीं कि तिजौरी में बन्द रखे रहेगा। उसे तो बीज और निजी खर्च के बाद बचा गल्ला बाजार में हर हालत में लाना ही होता है। इस तरह से देहातों में एजीटेशन पैदा करना सरकार के लिए उचित नहीं था। गल्ला नष्ट होने वाली चीज है। इसे तो बेचा ही जायगा, रखकर नुकसान किसान नहीं उठाना चाहेगा।

इस सप्लीमेंटरी बजट के संबंध में जो ग्रांट्स पेश की गई हैं उनके संबंध में तो हमारे अन्य माननीय सदस्यों ने बहुत कुछ कह दिया और मैं भी अधिक न कहकर केवल इतना कहूंगा कि सरकार इस तरह से बजट को नया रूप न दे और सप्लीमेंटरी ग्रांट्स में वही मदें रखी जातीं कि जिनका लाना बहुत ही आवश्यक हो। अभी निरन्तर ६ मास तक सदन बन्द रहा जो प्रजातंत्र का नियंत्रक है। और इस प्रकार नये-नये आइटम लाकर आर्डीनेन्स के रूप में रखना उचित नहीं है। इतना कह कर मैं माननीय शारदा भक्त सिंह, नेता विरोधी दल के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री रामअधार कनौजिया (जिला बहराइच) :

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत अनुपूरक अनुदान जिसके संबंध में वादविवाद चल रहा है उसके विषय में यह सही है कि बहुमत के बल पर किसी न किसी प्रकार वह पास हो जाना है, लेकिन उसका परिणाम क्या होना है? खर्च होना निश्चित है परन्तु जब उससे जनता को लाभ न हो तो बेकार है। राजस्व के अनुदान के संबंध में यदि देखा जाय तो इस के द्वारा देहाती क्षेत्र के कृषकों को कुछ लाभ नहीं होता है। और जो भ्रष्टाचार प्रशासन में है उससे उनको बड़ी कठिनाई होती है। मैं जनता द्वारा प्रस्तुत किये गये एक प्रार्थना-पत्र को आपके द्वारा सदन में पढ़कर सुनाना चाहता हूं, जिससे स्पष्ट हो जायगा कि चकबन्दी विभाग में इस समय लगान के निर्धारण के संबंध में क्या-क्या अनियमित कार्य हो रहे हैं। बहराइच के काश्तकारों ने चकबन्दी के संबंध में एक प्रार्थना-पत्र दिया है जो इस प्रकार है :

"हम काश्तकारान जिला बहराइच सरकार की वर्तमान निरंकुश शासन व्यवस्था में पिसे जा रहे हैं। हम लोगों का जीवन संकटमय हो गया है। सरकार की गलत-सलत नीतियों के कारण हम काश्तकारान परेशान हो रहे हैं। अपनी खेती पर न तो पूरा ध्यान दे पा रहे हैं न पूरा लाभ ही उठा पाते हैं। हमारी दशा दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है। सरकार हम लोगों की छोटा-छोटी कठिनाइयों, समस्याओं को दूर करने के लिए जागरूक नहीं है। कृषक वर्ग में निराशा की लहर दौड़ गयी है। भूमि सुधार योजनाओं का अब तक क्या लाभ हुआ यह देश की वर्तमान स्थिति से स्पष्ट है। इस समय चकबन्दी की योजना भी हम लोगों को कष्टदायक हो रही है। जिस स्थान पर चकबन्दी समाप्त हो गयी है वहां चकबन्दी अधिकारियों ने भूमि के लगान व चकबन्दी के खर्चे के निर्धारण में निरंकुश राज्य का परिचय दिया है। आज हमारी इज्जत मिट्टी में मिला जा रही है। अन्याय चरम सीमा पर पहुंच गया है। सरकार अपने वादों से अलग जा रही है...."

श्री उपाध्यक्ष—

यह आप क्या पढ़ रहे हैं?

श्री रामअवार कनौजिया:—

यह एक प्रार्थना-पत्र है जिसमें पूरा विवरण दिया है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप प्रार्थना-पत्र न पढ़ें, बल्कि अपनी बात कहें।

श्री रामअवार कनौजिया—

पूरे सदन को मालूम हो गया कि चकबन्दी अधिकारियों ने लगान निर्धारित करने में किस तरह गलतियां की हैं। उसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि हमारी सरकार और माननीय सदस्यों को जानकारी है कि असल खातेदार व शिकमी काश्तकार जो अब तक पटवारी के कागजात में दर्ज चले आ रहे हैं और वह लगान भी जमा कर चुके हैं उनके ऊपर ६, ६ साल का पिछला लगान निर्धारित किया गया है और जबरदस्ती वसूल किया जा रहा है। यह अन्याय है और जो कृषकों से कर के रूप में धन वसूल किया जा रहा है उससे उनको कोई लाभ नहीं होता है। चकबन्दी में ऐसे बागात और आराजी पर जो चक के बाहर हैं, उन पर ६ रु० प्रति एकड़ के हिसाब से निर्धारित कर दिया है। ऐसे खाते जो किसी प्रकार के बड़े भाई कर्ता के नाम थे और जिनका लगान उसी के द्वारा जमा होता चला आया है, लेकिन चकबन्दी में जब कब्जे के आधार पर अलग-अलग चक बने तो असल खातेदार का लगान नहीं बदला, लेकिन शेष लोगों को ६, ६ साल का लगान देना पड़ रहा है।

जहां तक नियमों का संबंध है, धारा २१० जमींदारी उन्मूलन कानून के अन्दर सीरखास बनाये गये, लेकिन आज तक कोई स्पष्ट आदेश नहीं है कि उनसे ६ साल पहले का बकाया लगान लिया जाय, जबकि जमीन के लगान की उनके पास रसीद मौजूद है। सरकार इस पर ध्यान दे और ऐसी कठिनाइयों को देखते हुये शीघ्र दूर करें। इतनी लम्बी रकम का अनुपूरक बजट सदन में पेश किया गया है मैं समझता हूं कि इसमें कृषक का हित निहित नहीं है। इसलिये ऐसे विभाग को दिया जाय जो केवल जनता की भलाई के लिये ही कार्य करे। तथा इस रुपये से यदि साधारण जनता को लाभ पहुंचे तथा उसको आराम पहुंचे तभी मैं समझूंगा कि उचित धन का उपयोग हुआ। चूंकि अभी तक अनुचित व्यय होता ही चला आया है, अतः रोका जाय। इस प्रकार का व्यय यदि होता रहेगा तो कल्याण नहीं होना है। मैं वित्त मंत्री जी से कहूंगा कि अनुचित व्यय पर नियंत्रण रखेंगे। मैं इतना कह कर अपना भाषण समाप्त करता हूं।

*माल मंत्री के सभा सचिव (श्री रामकुमार शास्त्री)—

प्रस्तुत बजट में जहां तक राजस्व विभाग का संबंध है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अनुदान संख्या १ जो वृहद जोतकर से संबंध रखता है। जहां तक राजस्व विभाग का संबंध है, वह केवल ११,००० रुपया वृहद जोतकर के सिलसिले में मांगा की गई है स्वीकृति के वास्ते। मेरे अभी पूर्व वक्ता ने सही मद का हवाला न देकर के उन्होंने चकबंदी की तरफ इशारा किया है। प्रदेश के करीब करीब ३७ जिला में चकबंदी का कार्य चल रहा है। आपने खास तौर से उपाध्यक्ष, महोदय बहराइच जिले का हवाला दिया है। बहराइच जिले का कार्य जहां तक विभाग का संबंध है और मेरी जानकारी है और बहराइच जिले में मैं २-३ बार स्वयं होकर आया हूं, वहां पर योग्य से योग्य एस० ओ० (सी०) को रखा गया है। ए० सी० ओ० और सी० ओ० के कार्य को हम लोगों ने अच्छी तरह से देखा है, उन लोगों का कार्य बहुत ही अच्छा हो रहा है। अभी-अभी हमारे एक साथी ने एक प्रार्थनापत्र को ले करके ऐसा हवाला दिया है कि मुझे ऐसा लगता है कि उनको वहां के बारे में कोई जानकारी नहीं है। गलत आदमी को हम कहीं पर रखने नहीं देते। केवल जमींदारी उन्मूलन कर देने से ही प्रदेश का कल्याण होता तो वहां हम अपना काम खत्म कर देते। यह सही है कि जहां पर प्रथम सत्र में पहले ही कदम में हमने काम शुरू किया, वहां पर कुछ त्रुटियां रह गई हैं, लेकिन ज्यों ज्यों अनुभव होता गया त्यों त्यों सुधार हो रहा है। जिस स्थान का माननीय सदस्य जिक्र कर रहे हैं वहां पर मेरी जानकारी है, अच्छा काम हुआ है, केवल हंसने की बात नहीं है, २० नक्शे टांगे हुए हैं, देखेंगे कि जब १९५६ में हमने काम शुरू किया तो उनके आकार टेढ़े मेढ़े थे और अब देखेंगे तो उनके हदों की तरफ से तो चौकोर नक्शा बनाया है। आप यह कहें कि लखनऊ जिले के मोहनलालगंज में अच्छा काम नहीं हुआ है तो हम मानने के लिये तैयार हैं, लेकिन जिस जिले के लिए माननीय सदस्य ने इशारा किया है उस जिले को जाकर यदि निरीक्षण करें तो स्पष्ट बात मालूम हो जायेगी।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

तियरा और जलालाबाद को देख लें तो मालूम हो जायगा कि किस प्रकार से कार्य हो रहा है।

श्री रामकुमार शास्त्री—

जलालाबाद, गाजीपुर जिले में एक स्थान है और अभी-अभी एक या दो हफ्ते हुए होंगे मैं वहां गया था। यह गांव एक बड़ा कस्बा है। वहां पर जो त्रुटियां हैं, उनके सुधार की व्यवस्था की जा रही है। मैं माननीय सदस्य के जिले से भी गुजरा हूं। आपके जिले के बनारस स्टेट के हल्के में भी चकबन्दी हो रही है। अगर वहां की स्थिति को माननीय सदस्य ने स्वयं देखा हो तो पाया होगा कि वहां उत्तम स्थिति है। उसी के समकक्ष बहराइच जिले की स्थिति है। अनर्गल बात करने से कोई लाभ नहीं है। वैसे तो माननीय सदस्य को पूर्ण अधिकार है जो चाहें कहें, पर ऐसी निराधार बातें कहने से न उनका कोई कल्याण होने वाला है और न जनता का। ३५ जिलों में से बहुत से ऐसे जिले हैं जिनमें किसानों ने चकबन्दी को उत्तम प्रक्रिया बताया है। विषयान्तर जाने से आप उन किसानों का, जिनका आप प्रतिनिधित्व करते हैं, कोई लाभ नहीं करते हैं। आप ऐसा कहकर एक ऐसा वातावरण पैदा करते हैं जिससे उन किसानों का कल्याण होने वाला नहीं है। अतः यदि माननीय सदस्य ने यह वृहद् जोत कर के बारे में कह दिया होता तो मुझे कुछ नहीं कहना था परन्तु चकबन्दी की व्यवस्था के बारे में इस प्रकार अनर्गल प्रचार करना उपयुक्त नहीं है। (व्यवधान) मैं दावा करता हूं और निवेदन करता हूं कि वे चलकर देखें और यदि कहीं ऐसा हो, तो हमें बतायें। उन्हीं किसानों के लिए हम चकबन्दी के आन्दोलन को चला रहे हैं। राजस्व विभाग एक साफ-सुथरा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विभाग है। जो बातें चकबन्दी के विषय में इस प्रकार के विभाग के विरुद्ध कही गयी हैं मैं प्रोटेस्ट करता हूं। मैं आदरणीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वे हमको मौका दें और हम तहकीकात करेंगे ताकि उनके जो बिखरे हुए खेत हैं पास पास हो जायें जहां जहां पर चकबन्दी अभी तक नहीं हो पायी है वहां से हमारे पास तकाजे लोग करते हैं कि उनके यहां भी चकबन्दी कर दी जाय पर हमारे माननीय सदस्य ऐसी बातें करते हैं। दूसरे इस चकबन्दी की बात को मेरी राय में इस अनुदान के सिलसिले में नहीं लाना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं।

*श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो अनुपूरक बजट के सिलसिले में हमारे विरोधी पक्ष के लोगों ने जो अपनी राय जाहिर की, विशेषतया डा० रघुनाथ जी ने, मैं उनसे पूर्णरूप से सहमत हूं और सोचता हूं कि सरकार के वित्त विभाग के बजट बनाने वाले जो लोग हैं, वे जनतंत्र में बजट की क्या व्यवस्था हो, क्या प्रणाली हो, क्या मैनुअल है और संविधान क्या है, इनको पढ़ लिख लेने के बाद बजट तैयार करते हैं लेकिन दो दो अनुपूरक बजट बनाने के बाद ७२ करोड़ रुपये की धनराशि मांगने से ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे मंत्रीगण सोये सोये समय काटा करते हैं और इसी तरह से बड़े बड़े उनके अधीनस्थ कर्मचारी सोया करते हैं। उनको पता नहीं कि वित्त व्यवस्था क्या है, बजट व्यवस्था क्या है और संविधान क्या है? मैं वित्त मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उत्तराखंड के विषय में जो स्मृति पत्र दिया गया है जिसमें वहां द्वीपों के लिये व्यवस्था करनी है, अलग से प्रोग्राम बनना है, कृषि की व्यवस्था करनी है तो दो साल से चीन का हमारे ऊपर हमला है, आज आपको उत्तराखंड की समस्याओं का ध्यान हुआ है, दो साल से क्या आप सोये हुए थे? पिछले साल जब आपने बजट तैयार किया था तो उस समय क्या उत्तराखंड का नक्शा आपके तथा आपके अधिकारियों के दिमाग में नहीं था और उसी समय मुकम्मल योजना आपने क्यों तैयार नहीं की उत्तराखंड के लिये?

जब मैं रात को इस बजट को पढ़ता हूं तो ऐसा लगता है कि जितने बड़े बड़े सरकार के रहनुमा हैं और नेता हैं उन्होंने उत्तर प्रदेश के बजट को अपने घर की बात समझ रखी है। कहीं मोतीलाल नेहरू स्मारक बन रहा है, कहीं किसी के नाम पर स्तम्भ बन रहा है और कहीं रवीन्द्र लय बन रहा है। दो लाख रुपये रवीन्द्रालय पर खर्च कर दिये गये। एक तरफ लोग प्रदेश में भूख से मरते हों और दूसरी ओर लखनऊ, प्रदेश की राजधानी, में रवीन्द्रालय पर दो लाख खर्च कर दिये जायं, तो इसके क्या मानी हैं? रवीन्द्रालय के सांस्कृतिक समारोहों में कौन लोग हिस्सा लेते हैं और किस की सांस्कृतिक भूख मिटती है? जो प्रदेश के बड़े बड़े धनी मानी लोग हैं एम० पी०, एम० एल० ए० बन कर यहां बैठते हैं और जो सरकार को चलाते हैं और जो राजसत्ता को हथियाये हैं उन्हीं के लिये यह बजट होता है, यह आम जनता का बजट नहीं है। यह अनुपूरक बजट किनके लिये पेश किया जाता है। यह केवल दो फीसदी लोगों के फायदे के लिये होता है, ९८ फीसदी लोगों का इस बजट से कोई फायदा नहीं। मंत्रिगण और बड़े-बड़े अफसर ही रवीन्द्रालय से फायदा उठा सकते हैं, नाच-गान देखते हैं। ऐसे संकट के समय जबकि उत्तरी सीमा पर चीन का आक्रमण हो इस प्रकार का अनुपूरक बजट को पेश करने के क्या मानी होते हैं? साफ है कि जब बजट बनाया जाता है तो आपके सामने कोई नक्शा नहीं होता है, कोई प्रोग्राम नहीं होता है कि कैसे विकास किया जाय? जो मन में आया लिख दिया फिर तीन महीने के बाद मालूम हुआ कि यह छूट गया है तो उसे जोड़ दिया और फिर दो महीने के बाद मालूम हुआ कि यह छूट गया है तो उसे भी जोड़ दिया। बंशीधर पांडेय जी बतलायें कि दुनिया के कितने देश में डेमोक्रेसी के अन्दर इतने बड़े अनुपूरक बजट पेश किये जाते हैं? वह भी एक बार नहीं, दो-दो बार। इंग्लैंड में कदाचित ही आप कोई साल बतला सकेंगे जब दो दो बार सप्लीमेंटरी बजट पेश किये गये हों। जैसा कि डाक्टर साहब ने कहा, जो लोग चुन कर आते हैं उनमें अधिकांश लोग यही

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री काशीनाथ मिश्र]

नहीं जानते कि जनतंत्र क्या है, शासन किस तरह से चलना चाहिये। हाथ उठा दिया और बजट पास हो गया। बहुमत के बल पर जो आप चाहें कर दें, और करते चलें, लेकिन अधिक दिनों तक यह नहीं चल सकता। मैं कहना चाहता हूं कि इन सब चीजों से प्रदेश व देश में ऐसी विस्फोटक स्थिति पैदा होगी जिससे सारा देश तथा प्रदेश ध्वस्त हो जायगा, जिससे अव्यवस्था तथ अराजकता फैलेगी। अगर सही मायनों में उधर के बैठने वालों को अहसास हो, यह चाहते हों कि उनका खुद का भला हो और आम जनता की इस सरकार में आस्था हो तो आज का यह अनुपूरक बजट कतई पास न किया जाय। आज बजट पेश होने वाला है। उसमें इसके बारे में चर्चा होगी। जिस तरह से आप यह अनुपूरक बजट पेश करते हैं और जिन-जिन चीजों के लिये करते हैं उससे कुछ होने वाला नहीं है और इस तरह से यह बजट पेश नहीं होने चाहिये। संविधान के आर्टीकिल २०५ में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सप्लीमेंटरी उस समय पेश होगा जब कोई नई सेवा की आवश्यकता पड़े जिसका आप फाइनेंशियल ईयर में नक्शा पेश न कर पाये हों तो बीच में उसके लिये सप्लीमेंटरी बजट आ सकता है। यह संविधान की मान्यता है। लेकिन आप इसका खयाल न करते हुये हर साल इस तरह से सप्लीमेंटरी बजट लाते हैं। यह चीज हर विभाग में है। चाहे सिंचाई विभाग हो या राजस्व विभाग हो, इनके बारे में पहले से मालूम रहता है कि कौन-कौन खर्चा किस तरह से होगा।

जनसंघ के एक साथी ने न्याय विभाग की आलोचना की है। मैं हर विभाग की बात जानता हूं। मुझे सबका चिट्ठा मालूम है, लेकिन उसके कहने में समय काफी लगेगा। जहां तक भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी का सवाल है, एक मैजिस्टेट का जिक्र किया गया है, उसकी मुझे जानकारी है। सप्लीमेंटरी बजट न्याय विभाग की तरफ से भी मांगा गया है। वह सबसे अधिक भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। यहां के मैजिस्ट्रेट और जुडीशियल आफिसर्स खुले आम रिश्वत मांगते हैं। मुझे केसेज की जानकारी है। मुख्य मंत्री को लिखकर दिया है मैंने। [×××] यह हमें जानकारी है। यह आरोप मैं सप्लीमेंटरी बजट के समय लगाना चाहता हूं। मुझे ऐसे केसेज मालूम हैं जिनमें मुकदमा छोड़ दिया गया। आपकी रिकमेंडेशन पर मामला छोड़ा गया है अदालत से। कुछ मामलों में सरकार की तरफ से अपील करने की आज्ञा ली जाती है। उसके आदेश न्याय मंत्री जी देते हैं कि अपील हो। कोई खिलाफ पार्टी को बात मालूम हुई तो वे चले आये [×××] और कहा कि वह आदेश वापस ले लीजिये। जिला फर्रुखाबाद का केस है, स्टेट बनाम महाराजसिंह।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

देखिये, इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिये।

श्री काशीनाथ मिश्र—

स्टेट बनाम महाराजसिंह, फर्रुखाबाद के केस का मैं हवाला देता हूं। अपील के लिये मामला सरकार के पास आया और मंत्री जी ने इजाजत दे दी और फिर वापस ले ली गई। एडवोकेट जनरल को राजाज्ञा जारी की गई और फिर उसको वापस लिया मंत्री जी ने। तो यह कितने खेद की बात है। दूसरा केस है श्रीमन्, स्टेट बनाम बुद्धसेन। इसमें भी यही घपलेबाजी है। जिस राज्य के न्याय मंत्री घपलेबाजी करते हैं उसका क्या भला हो सकता है? एक के बाद एक केस आते रहते हैं। मुजफ्फर हसन जी का केस आपके सामने आ चुका है। हर मंत्री के बारे में इस तरह के केसेज मिल सकते हैं। जिस राज्य के लोग इस तरह के कामों में फंसे हुये हैं वहां विधान सभा के सदस्यों का क्या कर्त्तव्य है? इस तरह के सप्लीमेंटरी बजट को पास न करें क्योंकि ऐसा मालूम होता है कि जनहित की कोई व्यवस्था सरकार के पास

[×××] श्री अध्यक्ष की आज्ञा से निकाल दिया गया।

नहीं है सिवाय इसके कि जो बड़े-बड़े लोग हैं उनका और उनके संबंधियों का विकास होता रहे, आम जनता के विकास से इनका कतई मतलब नहीं है।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह अनुपूरक अनुदान करीब ५० करोड़ रुपये की सदन के सामने सरकार ने पेश की हैं। इसके पहले भी २२ करोड़ रुपये की अनुपूरक अनुदान की मांग आई थी और सदन ने उसे पास किया था। मान्यवर, यह मैं समझता हूं कि जहां तक हो अगर सरकार का इस्टीमेट सही हो तो अनुपूरक अनुदानों की आवश्यकता न पड़े। मगर प्रजातन्त्र प्रणाली में यह सर्वमान्य प्रणाली है और खासकर इस देश में जैसे हमारा प्रदेश है, जहां का आर्थिक विकास बहुत बड़े पैमाने पर तेजी से चल रहा हो वहां पर बजट का पूरा इस्टीमेट सही हो, यह सारी सम्भव कोशिश किये जाने के बाद भी प्रायः सम्भव नहीं हो पाता है और इसमें कुछ न कुछ कमी रह ही जाती है जिससे अनुपूरक अनुदानों की मांग करनी पड़ती है। और इसी कारण अनुपूरक अनुदानों का सिलसिला चला आ रहा है और अब भी आता है।

मान्यवर, इसमें जो आइटम्स हैं उनको मैंने बड़े ध्यान से देखा, बहुत सी नई स्कीमें इसके अन्दर आई हैं, जिनको आना चाहिये था, जैसे कि, मिसाल के तौर पर, मैं समझता हूं शायद काशीनाथ जी बोल गये, कम से कम उन्हें शिक्षा मंत्री को इसके लिये बधाई देना चाहिये था कि उन्होंने हाई स्कूल तक बालिकाओं की शिक्षा को फ्री कर दिया है। मैं समझता हूं कि यह एक ऐसा आईटम है जो इसमें जरूर आना चाहिये था। इसमें कुछ सांस्कृतिक संस्थाओं को भी आर्थिक सहायता देने की बात है जो भी अपनी जगह आना चाहिये था। मगर, मान्यवर, मैं इसमें २—३ बातें कहना चाहता हूं कि इसमें टोकेन ग्रान्ट्स बहुत हैं, यह १००—१०० रुपये की हैं। इसमें एक कठिनाई यह होती है कि हमको अंदाजा नहीं होता कि यह पैसा कहां से बचेगा और कहां खर्च होगा क्योंकि इसमें उसकी कोई डिटेल्स नहीं होती हैं। उसमें डिटेल्स होना चाहिये कि जिस समय यह बजट पास कराया गया था उस समय आप ने कौन-सी स्कीम ली थी और किस विशेष वजह से उसे छोड़ दिया उसमें क्यों बचत हो गई। तो मैं चाहता हूं कि इस प्रकार का विवरण दे करके १०० रुपये की टोकेन ग्रान्ट रखना चाहिये कि इसके लिये जो पैसा डाईवर्ट किया गया वह किस मद का पैसा है और उसके लिये उसे किस आधार पर बन्द किया गया या पूरा नहीं किया गया।

मान्यवर, इसके साथ मैंने यह भी देखा कि इसमें ३० परसेन्ट ऐसी ग्रान्ट्स हैं जिनका पैसा मांगा गया है; उन्हें जो बजट आने वाला है उसमें शामिल किया जा सकता था। आज के दिन अनुपूरक अनुदानों पर वाद विवाद हो रहा है और आज ही ५ बजे शाम को नये साल का बजट भी हमारे सामने पेश होने वाला है तो क्या यह मांगें ऐसी हैं जिन पर १२ घंटे इंतजार नहीं किया जा सकता था? उनको इस समय पास कराना अनावश्यक है। तो इसमें बहुत-सी अनावश्यक ग्रांट्स भी शामिल कर दी गई हैं जो नहीं होनी चाहिये थीं और इस पर फाइनेन्स डिपार्टमेंन्ट तथा कैबिनेट को काफी विचार करना चाहिये। इन मांगों के बारे में खर्च की स्थिति क्या है, पी० ए० सी० रिपोर्ट बनानी है कि इनमें से सप्लीमेंटरी ग्रान्ट तो बहुत दूर की बात है, लेकिन ओरिजनल बजट भी खर्च नहीं हो पाता है। तो इससे मालूम पड़ता है कि इस पर कोई बड़ी संजीदगी के साथ सोचा नहीं जाता है, जिस पर संजीदगी के साथ सोचा जाना चाहिये। इसमें मछलियां पालने और उनके विकास के लिये जलाशय और प्रशिक्षण आदि पर कुछ ग्रान्ट की मांग की गई है, मिर्जापुर में जलाशयों का सघन उपयोग आदि यह आइटम ऐसे नहीं थे जिस पर इतनी जल्दी थी कि बजट का इंतजार नहीं किया जा सकता था। एक योजना है गंजरिया, फैजाबाद व कल्याणपुर आदि में कुक्कुट प्रक्षेत्रों के विस्तार की, जौनपुर, गाजीपुर, देवरिया व आजमगढ़ में कृत्रिम गर्भाधान कार्य के सघनीकरण की योजना है; यह ऐसी मांगें नहीं थीं जिनके लिये इतनी जल्दी हो। एग्रीकल्चर कौंसिल में जो नान आफिशियल मेम्बर हैं

[श्री नवल किशोर]

उनके दौरे की बात, यह सब ऐसी मांगें हैं जो अनुपूरक मांग के अन्तर्गत नहीं आनी चाहिये थी। एक बात मेरे दोस्त कृष्णानन्द राय ने भी कही कि सैकड़ों पोस्ट जो नई क्रिएट की गई हैं, वह भी ऐसी नहीं थी जो इसमें आनी चाहिये थीं। मेरे भाई काशीनाथ जी ने बहुत कमेंट किया, रवीन्द्रालय पर जैसे मोतीलाल सोसाईटी और गुप्त जी के चरणों में पैसे दे दिया आदि आदि। मेरे दोस्त को शायद एक बात की जानकारी नहीं है और हो सकता है कि उनका टेस्ट न हो किन्तु मेरे मित्र राधेश्याम शर्मा जी मथुरा के रहने वाले हैं उनको गाने बजाने को शौक बहुत है, वे इस बात को ऐप्रीशियेट करेंगे कि लखनऊ जैसे शहर में जो इस प्रदेश का कैपिटल है उसमें एक बड़े आडीटोरियम की बहुत बड़ी कमी थी। और हमारे भाई राममूर्ति जी एक बात और कह रहे हैं कि इस आडीटोरियम को एक ऐसे आदमी ने बनवाया है जिसको गाने बजाने का शौक नहीं है। मैं उनकी जानकारी के लिये यह भी कहना चाहता हूं कि रवीन्द्रालय पहले सूचना विभाग के ग्राउन्ड में बनने वाला था, लेकिन सन् १९६० में महसूस हुआ कि वहां जगह कम है और साथ-साथ वहां बाढ़ में पानी भी आगया था। तो यह खयाल हुआ कि ऐसी जगह आडीटोरियम बने जहां जगह काफी हो। जगह ढंढ़ते समय मोतीलाल मेमोरियल सोसायटी ने अपनी ७०,८० हजार रुपए की जमीन को फ्री आफ चार्ज देने को कहा और सरकार से कहा कि १२ लाख रुपये अगर वह दे दे तो हम आडीटोरियम बनवा देंगे। इसमें भी ढाई लाख रुपये केन्द्रीय सरकार के हैं। और उसमें शर्त यह थी कि यह टाउन प्लानर के सुपरविजन में बनाया जायगा। चीफ टाउन प्लानर द्वारा एक एक पैसे के वेराफिकेशन के बाद उसके पेमेंट हुये। इसके लिये कार्यक्रम बनाने के लिये एक कमेटी भी बनाई गयी और यह तय हुआ कि जितने भी फंक्शन इन्फार्मेशन डिपार्टमेंट की तरफ से होंगे उनके लिये एक पैसा चार्ज नहीं किया जायगा। अब इसके लिये मोतीलाल मेमोरियल सोसायटी के लिये यह कहना कि उसके चरणों में १ लाख रुपया फेंक दिया गया, मुनासिब बात नहीं है। और वह सोसायटी भी एक ऐसे आदमी की यादगार में सारा कार्य करती है जिसके लिये सारे देश को ही नहीं बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय जगत का भी गौरव होना चाहिये।

मैं टिप्पणी तो नहीं करना चाहता, लेकिन एक बात बड़े अदब से कहना चाहता हूं। इन्फार्मेशन डिपार्टमेंट के काम करने का जो तरीका है वह मुझे बहुत नापसन्द है। मैंने इस बात को महसूस किया है और मुझे इस बात का दुख है कि जिस तरीके से वह आफिसरान के तफरीह की एक जगह बनती चली जा रही है वह बहुत अनुचित है। मान्यवर, मेम्बर्स को कोई शौक नहीं है कि वे ड्रामा, नाटक या थियेटर देखें, लेकिन इस डिपार्टमेंट का यह जो ब्यूरोक्रेटिक ऐप्रोच है मैं उसके खिलाफ सख्त प्रोटेस्ट करता हूं। अगर कोई फन्कशन इन्फार्मेशन डिपार्टमेंट के तत्वावधान में किया जाय और पासेज ईशू किये जायं तो असिस्टेंट सेक्रेटरियों तक को पासेज ईशू किये जायं और मेम्बर साहबान जो लखनऊ में हों उनको पासेज ईशू न किये जायं, मैं उनके इस तरीके की निन्दा करता हूं। जब रसियन बेलट का आयोजन हुआ उसमें मुझे मालूम है कि वहां १४० से अधिक सीटें खाली थीं, लेकिन यह इन्फार्मेशन डिपार्टमेंट की एफीशियंसी है कि मेम्बर साहबान जो लखनऊ में थे उनको पासेज ईशू नहीं किये गये। या तो किसी को पासेस ईशू न होते और या फिर यह तरीका जो बरता गया है वह बहुत अनुचित था। मेरे दिल में एक सवाल उठता है कि आखिर किस स्तर पर मेम्बर साहबान को यह डिपार्टमेंट रखना चाहता है। मान्यवर, ड्रामा फेस्टीवल हुआ, लेकिन मेम्बर साहबान जो लखनऊ में उस वक्त थे उनको पासेस ईशू नहीं किये गये। वे माननीय अध्यक्ष महोदय से पूछ सकते थे, असेम्बली के मेम्बर साहबान के अध्यक्ष महोदय और कौंसिल के मेम्बर साहबान के चेयरमैन साहब कस्टोडियन हैं, इन्फार्मेशन डिपार्टमेंट का यह फर्ज था कि उनसे पूछते। यही नहीं, माननीय मेम्बर साहबान ने उनसे मांगा और उनसे कह दिया गया कि पासेज ईशू हो चुके हैं। यह इन्फार्मेशन डिपार्टमेंट का क्या तरीका है? मुझे इसकी शिकायत नहीं है कि मेम्बर साहबान ड्रामा देखें या न देखें, लेकिन इसके पीछे जो बेसिक ऐप्रोच है वह ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच है और मैं उसकी सख्त निन्दा करता हूं। १५, १७ साल आजाद हुए हमें हो चुके, लेकिन एक छोटी-सी बात वारन्ट आफ प्रिसीडेंट भी इस सरकार के द्वारा

तैयार नहीं हो पाया कि मेम्बर साहबान की सीट्स कहां पर होंगी, नम्बर २ पर या नम्बर ३ पर या चौथी लाइन में बैठेंगे। अगर जनतंत्र को मजबूत करना है तो आपको जनता के नुमाइन्दों की मान मर्यादा का खयाल रखना पड़ेगा और उनको वह मान देना पड़ेगा जो अन्य देश अपने अतिविधियों को देते हैं। मैं इस मौके पर इस बात की मांग करता हूं कि इस प्रदेश के अन्दर वारन्ट आफ प्रेसिडेन्स होना चाहये। कहीं कहीं ऐसी अपमानजनक बात हो जाती है कि मेम्बर साहबान मुझसे अकेले में आकर कहते हैं। इसमें कोई ऐसा सवाल नहीं है। जब आप जनतन्त्र को मानते हैं तो वारन्ट आफ प्रेसिडेन्स जरूर होना चाहिये। कोई भी इस सदन का सदस्य केबिनेट के सदस्यों को छोड़कर इस वारन्ट आफ प्रेसिडेन्स से नीचे नहीं आता चाहिये।

अन्त में केवल यह बात और निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो ग्रान्ट आती हैं वे ही यहां आनी चाहिये जो बहुत जरूरी हों और जिनकी बहुत अहमियत हो। इन शब्दों के साथ में इसका समर्थन करता हूं।

श्री रामसुन्दर शास्त्री (जिला गाजीपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, आज जो सप्लीमेंटरी बजट पेश किया गया है और जिस तरीके से पेश किया गया है मैं उसका विरोध करता हूं। हमारे देश में संसदीय व्यवस्था है और प्रजातंत्र के आधार पर सरकार को चलाने की बात कही जाती है, लेकिन जैसा कि हम और आप देखते हैं, इस प्रजातंत्र की सरकार में और संसदीय व्यवस्था में जो बजट पेश करने का तरीका है वह राजतन्त्र के तरीके से मिला-जुला है। जैसे कि राजतंत्र में एक राजा आम तौर पर खर्च कर देता है और उस खर्च के लिये एक आर्डर ईशू कर देता है तो उस आर्डर को कोई रोक नहीं सकता है न कोई रोकने वाला होता है, उसी तरह की टेन्डेंसी यहां पर अपनाई जा रही है। आज इतनी मंहगाई की अवस्था में जो सप्लीमेंटरी बजट पेश किया जा रहा है, हम यह उम्मीद करते थे कि इस बजट में राज्य कर्मचारियों की कुछ सुनवाई की गई होगी। प्रदेश में रोजाना उनका प्रदर्शन हमको दिखाई पड़ता है। परन्तु इसमें कोई भी सहायता उनके लिये नहीं दी गई है। डैफिसिट बजट पेश किया जाता है और टैक्सेशन होता है और फिर सप्लीमेंटरी बजट पेश किया जाता है। हमें आशा थी कि इस सप्लीमेंटरी बजट में कुछ ऐसी बात होगी जो कि हम ताईद के लायक समझें, लेकिन उसमें हमें ऐसी बात दिखाई नहीं दी। इसे जो लाने का तरीका है और जो पूरे अनुपूरक बजट की दिशा है उसको देख कर इसकी ताईद नहीं की जा सकती। हमारे साथी डाक्टर रघुनाथ सिंह जी ने कहा कि इस बजट में २२ से २७ और २७ से ३२ वेतन क्रम वाले चपरासियों के लिये क्या किया गया है। हम सोचते थे कि उनके लिये कुछ होगा और उनकी मंहगाई का ध्यान किया जायगा। यह हो सकता है कि यूनियनिज्म के नाम पर और डिसिप्लिन के नाम पर उनको दबाया जा सकता है और धमकी दी जा सकती है, लेकिन आप पेट की ज्वाला के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। उस समय इन्सान उठेगा और अपनी मांग पूरा कराने के लिये लड़ेगा। इस अनुपूरक बजट में उनको कोई आपने राहत नहीं दी है। सरकार ने ३ आदमियों की कमेटी बना दी है जो इसके लिये विचार कर रही है। आपने ऐसे लोगों को उसमें रखा है जो जरूरत महसूस ही नहीं करते हैं और जिनका पेट भरा हुआ है। मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से यह अनुपूरक बजट लाया गया है मैं उसका विरोध करता हूं।

इस सिलसिले में मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस संसदीय प्रणाली में, इस डेमोक्रेसी में राज्यपाल महोदय के सम्भाष में सदन त्याग करके चले जाना संसदीय प्रणाली पर कोई कुठाराघात नहीं है। अभी बंगाल में बंगाल की राज्यपाल जब वहां की विधान सभा में सम्बोधन करने के लिये आईं तो वह स्वयं सदन को छोड़ कर चली गईं। इस विषय पर केन्द्र में विचार हो रहा है कि क्या वह हमारी संसदीय प्रणाली में ऐसा कर सकती हैं। और क्या रास्ता निकाला जाय कि जिससे ऐसा आगे न हो। राज्यपाल या राष्ट्रपति तो नामिनल हेड हैं। वे ऐसा कर सकते हैं या नहीं इस पर अभी विचार हो रहा है। डेमोक्रेसी में प्रभुसत्ता हाउस में निहित होती है, वह जनता में होती है। यह हाउस सावरेन है और जब हाउस में एक नामिनल हेड आता है सरकार के नुमाइन्दे के रूप में और उसके विरोधस्वरूप

[श्री रामसुन्दर शास्त्री]

हम हाउस से वाकआउट करते हैं तो हम जनतांत्रिक प्रणालियों का उल्लंघन नहीं करते, वरन् उनका पोषण करते हैं। अगर ऐसा होता तो हम को भी सेंसर किया गया होता।

छोटे कर्मचारियों तथा गरीबों के लिये इसमें कुछ नहीं किया गया है। हमारे भाई कृष्णानन्द जी ने कहा कि पूर्वी चार जिलों के लिये पटेल कमीशन बहुत कुछ कर रहा है। मैं चाहता हूं कि केवल पूर्वी जिले ही नहीं, बल्कि बुन्देलखंड, उत्तराखंड तथा पश्चिमी जिलों की भी जांच हो और उनके लिये हम पूर्वी जिले वाले लड़ते रहे हैं और लड़ेंगे। उनके लिये भी एक आयोग नियुक्त होना चाहिये और उनकी स्थिति की जांच होनी चाहिये। श्रीमन्, आज भी गाजीपुर में पी० डब्ल्यू० डी० के मजदूर को ५ रुपया बढ़ोत्तरी का नहीं मिल रहा है। उसे पूरे दिन काम करना पड़ता है और ३५ या ४० रुपये उसको तनख्वाह मिलती है। इसलिये मेरी दरख्वास्त है कि आप अपना तरीका बदलें और इसके साथ-साथ जनता से आप अपना रिश्ता ठीक से कायम करिये। हमारे साथियों ने बताया कि हमने उप-चुनाव जीत लिये। आप आगे भी जीतेंगे, लेकिन आपने देखा कि गोंडा का जो चुनाव हुआ उसका मामला भी सुप्रीम कोर्ट में है। उसमें पता चलता है कि आप किस तरह से चुनाव जीतते हैं और यह सब को मालूम है। मैं तो धनहीन हूं, साधनहीन हूं। मैं चुनाव जीत नहीं सकता। जो चुनाव जीता है उसके पीछे मेरी कुर्बानी है, तपस्या है, त्याग है। इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, आप इन मंत्रिगण को समझाइये। पूरा प्रदेश खाद्य संकट से कमजोर हो रहा है, कर्मचारी बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन यहां बनारसीदास जी, राममूर्ति जी, गुप्ता जी और गोविन्द सहाय जी पुराण बांच रहे हैं कि किस की नाक नीची, किस की मोछ बड़ी है। आप लड़िये, लेकिन खुदा के नाम पर जनता की तरफ भी दो मिनट ध्यान दीजिये। श्री राममूर्ति जी अब तो आप भी गिरफ्त में आ गये हैं, बचेंगे नहीं। पता नहीं कब तक कांग्रेस में रहें, इसलिये जब तक आप अपने विभाग में हैं, कम से कम अपने कर्मचारियों का भला कर दीजिये। जो गरीब हैं, सेक्रेटेरियेट के कर्मचारी हैं, मजदूर हैं, अध्यापक हैं, जिनकी तनख्वाहें कम हैं उनको इस महंगाई में कुछ उबारिये।

अभी नवल किशोर जी ने बतलाया कि रवीन्द्रालय बनाया गया है, वह आप सबके मनोरंजन के लिये है। श्रीमन्, मैंने आंखों से देखा है कि हजरतगंज के बगल में जो जयनारायण हायर सेकेन्डरी स्कूल है उसके पास जो गरीब तबके के लोग रहते रहे हैं उनके घर गिरवाये गये, उनको यह आश्वासन दिया गया था कि उनको पहले अलग बसा दिया जायेगा, फिर उनके घरों को गिरवाया जायेगा। मगर उनके घर गिरवा दिये गये, उनके बसाने का कोई इन्तजाम नहीं किया गया। नगरमहापालिका, लखनऊ ने आश्वासन दिया था, मगर उसे पूरा नहीं किया। गरीबों की बस्ती उजाड़ी गयी, रिक्शा वालों को, खोचें वालों को पीटा गया। मैं यह नहीं कहता कि आप फव्वारे न लगवाइये, लक्ष्मण झूला न बनवाइये, आप खूब फव्वारे लगवाइये, नेहरू जी के नाम पर भी लगवाइये, मगर गरीबों की बस्ती मत उजाड़िये। अभी सुना था कि महापालिका खजाना लाने के लिये एक मोटर खरीदने जा रही है। इस काम के लिये रुपया है, मगर गरीबों को बसाने के लिये पैसा नहीं है। मैं कहता हूं कि जितनी नैतिक जिम्मेदारी हमारी है, उतनी आपकी भी है। अपोजीशन और सरकार दोनों ही एक रथ के दो पहिये हैं। अभी मैंने बंशीधर पांडेय जी से पूछा कि आपकी तरफ बोलने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हमने अपोजीशन के लिये छोड़ दिया है। तो आप लोग क्या बकरी हैं, भेड़ हैं, किस लिये यहां बैठे हैं? मैं पूछता हूं कि आज की महंगायी में क्या २२–२५ रुपये पाने वाले का पेट भरेगा। क्या मास्टरों का पेट भरेगा? आपने अपना वेतन भत्ता तो ड्योढ़ा कर लिया, मगर सेक्रेटेरिएट के कर्मचारियों का, निम्न वेतन पाने वालों का वेतन नहीं बढ़ाया। अगर यह लोग अपनी मांगों को लेकर हाथ जोड़ कर आपके पास आते हैं तो आप कहने लगते हैं कि इनमें राजनैतिक गंध आ रही है। इसे तो आप ही पैदा कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आपका समय समाप्त हुआ।

*श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—

मान्यवर, यूं तो मेरा बोलने का इरादा नहीं था, मगर एक विद्वान की बातें सुन कर मुझे बड़ी हैरानी हुई और सोचा कि मैं भी अपने कुछ विचार रखूं। यह कहा गया कि इस अनुपूरक अनुदान को पेश करते समय न तो बजट मैनुअल को सामने रखा गया और न संविधान में दी हुई व्यवस्था को ही ध्यान में रखा गया। मान्यवर, मैंने उन सिद्धान्तों को पढ़ा जिनके आधार पर अनुपूरक अनुदानों को प्रस्तुत किया जाता है। आप जानते हैं कि एक नियोजित अर्थ व्यवस्था में अनुपूरक अनुदानों का कितना महत्व होता है। और फिर ऐसी नियोजित अर्थ व्यवस्था में जिसमें राज्य सरकार की बहुत-सी योजनाओं का संबंध केन्द्रीय सरकार की सहायता पर निर्भर हों। इसके अलावा, मान्यवर, पिछला बजट पेश होने के बाद ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई हैं जिनको यदि माननीय सदस्यों ने अपने ध्यान में रखा होता तो वे ऐसी बात न कहते और वे इस नतीजे पर आते कि यह अनुपूरक अनुदान संविधान में निहित व्यवस्थाओं के ही अनुसार है। मान्यवर, इस संबंध के अनुच्छेद ११५ (१) में इसकी व्यवस्था की गयी है जिसमें है कि—(क) अनुच्छेद ११४ के उपबन्धों के अनुसार निर्मित किसी विधि द्वारा किसी विशेष सेवा पर चालू वित्त-वर्ष के लिये व्यय किये जाने के लिये प्राधिकृत कोई राशि उस वर्ष के प्रयोजनों के लिये अपर्याप्त पाई जाती है अथवा जब उस वर्ष के वार्षिक वित्त-विवरण में अपेक्षित न की गई किसी नई सेवा पर अनुपूरक अथवा अपर व्यय की चालू वित्त वर्ष में आवश्यकता पैदा हो गयी है; अथवा (ख) किसी वित्त वर्ष में किसी सेवा पर, उस सेवा और उस वर्ष के लिये, अनुदान की गई राशि से अधिक कोई धन व्यय हो गया हो, मान्यवर, अनुपूरक बजट इन आधार पर आ सकता है। अब आप देखें कि इसमें एक धनराशि माघ मेले में की जाने वाली व्यवस्था के संबंध में है। मान्यवर, आप जानते हैं, यह विवाद का विषय रहा है, कुछ लोग यह कहते रहे हैं कि माघ मेला १९६६ में लगेगा, कुछ का ऐसा कहना था कि १९६५ में लगेगा। राज्य सरकार ने अपने पूर्व अनुभवों को दृष्टिगत रखते हुए यह आवश्यक समझा कि १९६५ में ज्योतिषियों के प्रचार के कारण अगर जनता माघ मेले के अवसर पर उपस्थित हो गई और वहां पर स्वास्थ्य का प्रश्न उठा तो फिर कहने से काम नहीं चलेगा कि हमें तो नहीं ज्ञात था, हमें तो ज्योतिषियों ने ठीक परामर्श नहीं दिया था, क्योंकि आखिर इसकी जिम्मेदारी तो इधर के बैठने वालों के ऊपर है। इसलिए उसके लिए व्यवस्था करनी पड़ी।

मान्यवर, आज राष्ट्र पर संकट की, विपत्ति की बात की जाती है। इसके लिये इसमें राज्य सरकार की ओर से एक धनराशि की व्यवस्था की गई है जिसका आशय यह है कि उन पुरुषों के बच्चे को स्कालरशिप और फीस देना जो कि सीमा के बर्फीले भाग में डटे हुए हैं आपकी सीमा की रक्षा के लिए।

आये दिन इस बात की चर्चा की जाती है कि इस पिछड़े हुए प्रदेश का कल्याण करना है तो हमारे प्रदेश में टेक्नीशियन्स और डाक्टर्स को हमें पैदा करना होगा, विज्ञान की शिक्षा बढ़ानी होगी। विज्ञान की शिक्षा बढ़ाने हेतु कई व्यवस्थायें शिक्षा विभाग ने कीं जिनके चलते कुछ व्यय इस अनुपूरक बजट में आपको देखने को मिलेगा।

इसके साथ-साथ माननीय सदस्यों को जो अधिकार मिले हैं रेलवे के कूपन द्वारा यात्रा करने का और सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने का एवं उनको मिलने वाले धन में जो वृद्धि हुई है, इन तमाम बातों की ओर अगर उनकी दृष्टि गई होती, यदि उन्होंने पार्टीबाजी की दृष्टि से इस बजट को न देखा होता तो उन्हें ज्ञात होता कि यह ऐसी धनराशियां हैं कि जो संविधान की धाराओं में निहित सिद्धान्तों के आधार पर हैं।

मैं आग्रह करूंगा कि और धनराशियां इसमें देखें। स्वास्थ्य विभाग में एक नयी योजना हमारे नये स्वास्थ्य मंत्री ने चालू की है हाउस मैनशिप की। यह सर्वथा नयी योजना थी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामायणराय]

आपको स्मरण होगा कि जब पिछला बजट पेश किया गया था तो उसमें एक मुश्त धनराशि की व्यवस्था इसके लिये की गई थी, लेकिन जब इस योजना का कार्यान्वयन होने लगा तो उसमें कुछ कठिनाई प्रतीत हुई और राज्य सरकार को विवश होकर कुछ नये पदों का सृजन करना पड़ा जिससे कि यह योजना सफलतापूर्वक कार्यान्वित हो सके ।

इसके साथ-साथ एक बहुत बड़ी धनराशि, जिस के कारण इस अनुपूरक अनुदान का आकार माननीय सदस्यों को बड़ा दिखाई देता है, उस धनराशि का सम्बन्ध माननीय बांकेलाल जी और माननीय दौलतलाल जी से है और उसके लिए उनको राज्य सरकार को बधाई देनी चाहिये थी । पटेल आयोग की स्थापना किन परिस्थितियों में मान्यवर की गई, आप जानते हैं ? उस आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनेकानेक योजनाएं इस अनुपूरक अनुदान के ब्योरे में आपको देखने को मिलेंगी । उनका एक-एक का वर्णन करना मैं नहीं चाहता हूं केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि आलोचना केवल आलोचना के लिए नहीं की जानी चाहिये । सरकार से अगर कोई भूलें हुई हैं तो उन भूलों का दोष-दर्शन कराना आपका पुनीत कर्त्तव्य है । एक माननीय सदस्य अभी बोल रहे थे, मान्यवर, मैं नहीं समझ पाया कि कैसे उन्होंने अनुपूरक अनुदानों के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करते हुए पिछले दिनों जो घटनायें घटीं उन घटनाओं का यहां पर पुनः उल्लेख कर दिया । जब मैंने आपकी बात सुनी तो मेरे लिये यह आवश्यक हो गया कि मैं आपके माध्यम से उनकी सेवा लोक सभा में जो इसी प्रकार की घटना हुई और उसके संबंध में वहां जो विचार व्यक्ति किये गये और जिन सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया, उनको प्रस्तुत करूं । १९६३ की बात है राष्ट्रपति जब लोक सभा को संबोधित करने के लिये आये थे उस समय लोक सभा के कुछ माननीय सदस्यों ने इसी तरह का अशिष्ट व्यवहार किया था । उस समय लोक सभा ने एक समिति का संगठन किया था । उस समिति ने जो सिफारिशें दीं उनको आपके सामने प्रस्तुत कर देना चाहता हूं । उन्होंने लिखा—

"The Committee recommends that if in future any member of Lok Sabha interrupts or obstructs the President's Address to both Houses of Parliament assembled together, either before, during or after the Address, while the President is in the Hall, with any speech or point of order or a walkout or in any other manner, such interruption, obstruction or show of disrespect may be considered as a grossly disorderly conduct on the part of the offending member and dealt with by the House subsequently on a motion moved by a member.

The Committee recommends that, in future for any disorderly conduct during the President's Address committed by a member, he may be suspended from the service of the House for a period which may extend upto one year."

एक वर्ष तक के लिये सदन की सेवा से वंचित किया जा सकता है । यह कितना बड़ा अपराध है । हमारी मुख्य मंत्री बड़ी उदार हैं और जनतंत्र में उनकी दृढ़ आस्था है इसलिये उन्होंने जो कुछ इस संबंध में किया उसके लिये मैं उनकी सराहना करता हूं । उन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिये केवल एक प्रस्ताव उपस्थित किया और उस प्रस्ताव में किसी माननीय सदस्य का नाम भी नहीं लिया, केवल उस घटना के लिये दुख प्रकट किया । अतः बार-बार इस प्रश्न को सदन में उठा कर अपनी जनतंत्र पद्धति के प्रति अज्ञानता को प्रकट न किया जाया करे तो अच्छा है ।

आज जो यह अतिरिक्त अनुदान प्रस्तुत किये गये हैं वे संविधान के सारे सिद्धान्तों के अनुसार ही प्रस्तुत किये गये है फिर भी उसके पक्ष में विचार न व्यक्त करके कुछ माननीय सदस्यों ने अनुदारता ही बरती । इस प्रकार की अनुदारता बरतने से प्रजातंत्र के प्रति आघात होता है । अतः मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इसके पक्ष में ही अपना मत दें ।

*श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है। वह यह है कि जब यहां सप्लीमेंटरी बजट पर बहस हो रही है तब क्या कोई माननीय सदस्य उस बहस के दायरे से बाहर चला जाय और फिर उसका ही जवाब दिया जाय तो क्या उसको गलत माना जायगा या नहीं ? अगर एक माननीय सदस्य द्वारा इस तरह की कोई चीज कही जाय तो क्या उसका जवाब दूसरा माननीय सदस्य उसी तरह से दे सकता है ?

श्री उपाध्यक्ष—

वह विषय के अन्दर ही थे। एक बात इधर से कही गयी तो उधर से भी उस बात को कह सकते हैं।

श्री रतीपाल (जिला रायबरेली)—

उपाध्यक्ष जी, जो सप्लीमेंटरी बजट पेश किया गया है उसका हमारे विरोधी दल के नेताओं ने जो विरोध किया है उसी का समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। जो पुलिस का अनुदान माननीय मंत्री जी ने पेश किया है, समझ में नहीं आता कि इतना रुपया लेकर माननीय मंत्री जी उसे कहां खर्च करते हैं। पता नहीं उससे वे अपनी कार खरीदते हैं या गाय खरीद कर उसका दूध पीते हैं या अपनी जेब में रखते हैं ? इसको तो माननीय गृह मंत्री जी ही अच्छी तरह से जान सकते हैं कि पुलिस के सिपाही तथा गांव के रहने वाले जो चौकीदार हैं उनका पैसा वे वहां खर्च करते हैं। हमारे साथी माननीय रामायणराय जी वगैरह जब इधर बैठते थे तो उन्होंने हमको बड़ी अच्छी ट्रेनिंग दी थी कि सरकार द्वारा किसी गलत काम करने पर उसके लिये किस तरह से लड़ाई करो, लेकिन उधर जाने के बाद न मालूम सरकार के पास कौन-सी चीनी रखी है जिससे इतनी मिठास मिलती है कि वे सरकार का उसी तरह गुणगान गाने लगे जैसे कि पहले श्री बैजनाथसिंह वगैरा गाते थे।

पुलिस का चौकीदार जो गांव के अन्दर बसता है उसकी तनख्वाह केवल ५ रु० है जो करीब ३ आने रोज के हिसाब से पड़ती है जब कि माननीय मंत्रियों के कुत्तों के ऊपर ३ रु० रोज खर्च होता है।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)—

उसकी कोई ड्यूटी नहीं है।

श्री रतीपाल—

यह ठीक है। उसकी सारी ड्यूटी अब हमारे माननीय सदस्यों ने अपने ऊपर ले ली है और उसके बदले माननीय सदस्य थाने में जाकर थानेदारों की चापलूसी करते हैं और गांव के गरीबों को सताते हैं। जब आप असेम्बली नहीं बुलायेंगे तो माननीय सदस्य इसके सिवाय और काम करेंगे ही क्या ? उनके पास उसके सिवाय और कोई दूसरा काम रह ही नहीं गया है। मैंने कई बार इस हाउस में मांग की है कि इस सदन से जितना पैसा लिया जाता है वह पुलिस के सिपाहियों की तनख्वाह बढ़ाने पर खर्च किया जाय जो कि रात-दिन ड्यूटी में रहते हैं। उनकी वर्दी भी ठीक नहीं रहती है जब कि ब्लाक के अन्दर रहने वाले जो आफिसर हैं उनको तरह-तरह के एलाउन्सेज मिला करते हैं। उसको एलाउन्स मिले, लेकिन आप अपने सिपाही को साइकिल अलाउन्स नहीं देते जो रात भर ड्यूटी देता है और मेहनत करता है। आप के ब्लाकों में जीपें हैं, वह लोग उन पर घूमते हैं, हमारे लोहिया जी ने लोकसभा में कहा कि वहां से जीपें हटाई जायं और प्रधान मंत्री जी ने आश्वासन भी दिया था कि वहां से जीपें हटाई जायंगी। मैं चाहता हूं कि अगर पुलिस विभाग में वह जीपें थानेदारों को दे दी जायं तो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रतीपाल]

अपराधियों का पता फौरन लगाया जा सकेगा और उन की कठिनाइयां दूर हो सकती हैं, रिपोर्ट मिलने पर फौरन थानेदार मौके पर पहुंच सकेंगे और कार्य में कुशलता बढ़ेगी। माननीय बंशीधर जी के पास भी जीप होगी घूमने के लिये इसलिये उनको एतराज नहीं है। इन पुलिस के चौकीदारों को भी कम से कम ३ रुपया एलाउन्स मिलना चाहिये। पुलिस विभागों के जो सिपाही हैं उनके फेमिली के लिये क्वार्टर्स की यह हालत है कि उनमें मंत्री जी की बकरी भी नहीं रह सकती इस तरह के मंत्री जी के यह सिपाहियों के क्वार्टर्स हैं। आई० जी० का बंगला यहां पर दस बीघा जमीन पर बना है। इस राज्य में गरीब की कोई सुनवाई ही नहीं है। अभी माननीय राजस्व मंत्री जी ने बड़ी तारीफ की कि हमारी चकबन्दी बहुत बढ़िया हुई है। हमारे क्षेत्र में चकबन्दी हुई है ऐसी चकबन्दी हुई है कि दसगुना दी हुई जमीनों का पता ही नहीं कि कहां गई जिनकी सनद मौजूद है, न जानें जमीन कहां चली गई। २-२ बिस्वा और ३-३ बिस्वा के चक बने हैं और तालाबी जमीन में तीन-तीन और दो-दो चक दिये गये हैं। खूब पैसा चला है और मंत्री जी डींग मारते हैं कि बहुत बढ़िया चकबन्दी हुई है। मैं राजस्व मंत्री जी से कहूंगा कि वह हमारे जिले में चलें और किसानों की हालत देखें। हमने वहां भूख-हड़ताल की तब कहीं कमिश्नर साहब ने कुछ किया।

अन्त में मैं अपने नेता जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुपूरक अनुदानों का मैं समर्थन करता हूं। किसी भी विकासोन्मुख राज्य के लिये आवश्यक होता है कि वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये उपयुक्त समय पर अनुपूरक मांगें सदन से मांगे। इन मांगों में खासतौर से २ मदों के लिये मैं मंत्री जी को बधाई देता हूं। टीचर्स वेलफेयर फंड के लिये जो २५ हजार की रकम रखी गई है वह बहुत कम है उसको और बढ़ाना चाहिये ताकि ५ करोड़ की जो केंद्र की योजना है उसके अनुसार हमारे यहां भी शिक्षकों के हितार्थ कम से कम १ करोड़ की सरकार की कोई योजना हो जिससे हम शिक्षकों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचा सकें। दूसरे हमारे राष्ट्र की सारी संस्कृति, संस्कृत साहित्य में निहित है इसलिये संस्कृत स्कालर्स और पंडितों की सहायता के लिये जो रकम रखी गई है, मैं उसका हृदय से समर्थन करता हूं और चाहता हूं कि इस सहायता को और बढ़ाया जाय जिससे हमारी संस्कृति और हमारा संस्कृत साहित्य जीवित रहे और परिवर्धित होता रहे। इन पंडितों की हर प्रकार की सहायता सरकार को करना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, जिन मांगों के संबंध में कहा गया है उन पर मुझको इतना और कहना है, जैसे स्वास्थ्य की बात है, चिकित्सा की बात है। इस दिशा में सरकार की दृष्टि अभी नागरिक है, देहात की तरफ कम है। इस अनुपूरक बजट में जितनी भी रकम मांगी गयी है वह केवल कानपुर, आगरा और लखनऊ मेडिकल कालेजेज के लिये है, जब कि देहातों में डिस्पेंसरीज, अस्पताल, दवाइयों और डाक्टरों के अभाव में जनता की वह सेवा नहीं कर पा रहे हैं जो उन्हें करना चाहिये। इसलिये हमारा दृष्टिकोण शहरों से हट कर देहातों की तरफ ज्यादा जाना चाहिये।

हमारी योजनाओं का कार्यान्वयन गजटेड अधिकारियों पर अवलम्बित नहीं है बल्कि अराजपत्रित कर्मचारियों पर है। यह खेद की बात है कि गजटेड अधिकारियों को तनख्वाह ३,४ हजार तक जाती है। लेकिन जो सरकार के हाथ, पैर हैं, जो राज्य का निर्माण कार्य करते हैं, मेरा मतलब छोटे कर्मचारियों से है, उनको जितना अधिक प्रोत्साहन इस महंगाई के समय मिलना चाहिये उतना नहीं मिल रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन में, केंद्रीय और प्रांतीय, जो अन्तर है वह निम्न स्तर के कर्मचारियों में मिटना चाहिये

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इस महंगाई के युग में। १०० रु० पाने वाला कर्मचारी, चाहे वह चपरासी हो, क्लर्क हो या अध्यापक हो, किस प्रकार अपना निर्वाह कर सकता है यह सोचने की बात है। उम्मीद है कि बजट में इन कर्मचारियों के लिये कोई व्यवस्था की गयी होगी। यदि हम चाहते हैं कि योजनायें अच्छी तरह से चलें तो आवश्यक है कि जो नीचे के कर्मचारी हैं उनको संतुष्ट किया जाय।

सप्लाई विभाग ने यद्यपि इस संकट के समय में बड़े साहस और धैर्य के साथ अपना कार्य निर्वाह करने की कोशिश की, किन्तु कुछ नौकरशाही का ढंग ऐसा है जिसकी वजह से जितना अच्छा काम करना चाहिये उतना नहीं हो पाता। हम लोग देखते हैं जिले में फूड ऐडवाइजरी कमेटीज हैं, लेकिन वह जो चाहती हैं उस प्रकार से सप्लाई का काम नहीं होता है। इसलिये खाद्य मंत्री अपने सप्लाई अधिकारियों को निर्देश दें कि जिला खाद्य सलाहकार समिति के निर्णयों को अविलम्ब और अक्षरशः कार्यान्वित किया जाय तभी खाद्य समस्या के संकट को अधिक सुचारु रूप से दूर करने में हम सफल होंगे।

अन्त में एक बात और कहूंगा कि हमारा दृष्टिकोण शिक्षकों की ओर भी जाना चाहिये। एक तरफ उनको राष्ट्र निर्माता कहते हैं किन्तु आज जो प्राइमरी अध्यापक हैं उनकी दशा एक चपरासी से भी गयी बीती है। मैं चाहता हूं जिला परिषदों को इतना पर्याप्त अनुदान सरकार दें जिसमें प्राइमरी अध्यापकों का वेतन १०० रु० से कम न रहे।

एक बात और कि सरकार आज जिस संकट से चल रही है, ऐसी स्थिति में आज विरोधी पक्ष की ओर से ऐसी बातें कहीं गई, जनतांत्रिक व्यवस्था की बात और लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात। तो हमारी सरकार ने समाजवादी अर्थ व्यवस्था देश में लाने का निर्णय किया है, उस दिशा में अग्रसर होने के लिये आवश्यकता इस बात की है कि विरोधी दल के कुछ भाई जो आलोचना करते हैं, हम आलोचनाओं से नहीं घबड़ाते हैं, लेकिन तथ्य और तत्वों को दृष्टि में हमें रखना है। वे आलोचना करें और एक समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने में जो रुकावटें और बाधायें है उसको दूर करने में उनका सहयोग प्राप्त होना चाहिये। कोई आलोचनाओं से हम राज्य को उस व्यवस्था की ओर अग्रसर नहीं कर सकते। तो यह मेरा विरोधी दल के भाइयों से निवेदन है कि आलोचना वे करें। लेकिन आलोचना के लिये ही जो आलोचना की जाती है उसका कोई इलाज नहीं होता, बल्कि जो हमारे राज्य के शासकीय विभाग या नियोजन विभाग के जो कर्मचारी हैं, वे निरोत्साहित होते हैं और वे समझते हैं कि यदि वे त्रुटियां करेंगे तो निश्चय ही उनकी आलोचना होगी, किन्तु केवल इसलिये कि वे सरकारी कर्मचारी हैं, इस तरह से आलोचना करके हम उनको निरुत्साहित करते हैं और अपने लक्ष्य की तरफ जिस तरफ हम अपने राष्ट्र को ले जाना चाहते हैं, वह हमारी प्रगति का मार्ग ज्यादा लम्बा हो जायगा और पूंजीवादी वर्ग जो यह चाहते हैं कि देश में समाजवादी व्यवस्था न हो उसको विरोधी पक्ष नकारात्मक रूप में, अप्रत्यक्ष रूप में सहायक होगा। अन्त में मैं इन शब्दों के साथ अनुपूरक मांगों का समर्थन करता हूं।

*श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज यह जो वाद-विवाद इस वक्त चल रहा है इस संबंध में कुछ विचार आपके सामने और सदन के समक्ष आपके माध्यम से रखना चाहता हूं। सबसे बड़ी परेशानी आज जो प्रांत के सामने है वह खाद्य की है, चिकित्सा की है, शिक्षा की है। खाद्य के संबंध में अभी २ दिन पहले से बहस चलती रही महामहिम राज्यपाल के भाषण के संबंध में, लेकिन किसी नतीजे पर हम नहीं पहुंच पाये, न कोई हमारे सामने ऐसा नक्शा दिखाई पड़ा कि भविष्य हमारे लिये क्या जुटाये हुये है, परन्तु जो रुपया, जिस धन की मांग आज हमारे सामने रखी गई है, उसे देखने से मालूम होता है कि बहुत बड़ी रकम

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री ब्रह्मदत्त मायर]

५० करोड़ के करीब आज हम स्वीकार करने जा रहे हैं, लेकिन इस ५० करोड़ की रकम के अन्दर आप देखेंगे कि हर विभाग में कहीं दो लाख, कहीं ढाई लाख, कहीं ४ लाख, कहीं ५ लाख की ऐसी-ऐसी रकमें रखी गई हैं, जिनका संबंध भत्ता से है यानी ऐसे भत्ते हर मुहकमें के लिये इसमें रखे गये हैं, जिनको कि सरकार शुरू में जिस वक्त बजट पेश किया गया—वार्षिक बजट, उसके अन्दर रख सकती थी लेकिन नहीं रख पाई। मेरी समझ में नहीं आता कि जो कार्य साल भर से पुराने हैं, जो कार्य पुराने चल रहे हैं, उन तमाम कामों के लिये ओरिजिनल बजट में क्यों प्राविधान नही किया गया था। ये बजट जो अनुपूरक के रूप में पेश किये जाते हैं वे तो ऐसी-ऐसी चीजों के लिये होने चाहिये जिनका आरम्भ में अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। इस अनुपूरक बजट को देखने के पश्चात् ऐसा मालूम होता है कि इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है, कोई ऐसी नयी योजना नहीं है, जिनका पहले अनुमान नहीं लगाया जा सकता था। केवल खाद्य के मामले में हम यह कह सकते हैं कि कुछ ऐसे खर्चे हो सकते हैं जिनका एक वर्ष पहले प्रबन्ध किया जाना मुनासिब नहीं था और नहीं किया जाना चाहिये था। लेकिन इतनी बड़ी समस्या जो प्रांत के सामने आयी, इतनी बड़ी मुश्किल अनाज की, जो हमने देखी, उस मद में भत्ते के रूप में कोई प्राविधान नहीं किया गया। किसी स्थान पर इन्सपेक्टर नहीं बढ़ाये गये, दूसरे अधिकारी नहीं बढ़ाये गये। जो डिस्ट्रिक्ट आफिसर अपने-अपने इलाकों में दौरा करते थे उन्हें ४० रु० माहवार मिला करते थे पर वे भी काट दिये गये। वास्तव में चाहिये तो यह था कि उनका भत्ता बढ़ाया जाय ताकि वे हर दूकान पर, जो उनके इलाके में पड़ती हो, जाकर देखते कि क्या हालत है। जो इन दूकानों पर गल्ला बंट रहा है उसका बंटवारा ठीक से हो रहा है अथवा नहीं। यह तभी संभव था जबकि इस मद में कुछ रुपये का प्राविधान किया जाता। प्रदेश में सप्लाई अफसर के लिये किसी जीप का भी प्रबन्ध नहीं किया गया है जबकि नियोजन विभाग में जीपें दी हुई हैं। अगर कहीं सप्लाई अफसर रिक्शा आदि में बैठकर किसी ब्लैक-मार्किटियर या होर्डर को जाकर चेक करता है तो उसका भत्ता भी बन्द कर दिया गया।

[इस समय ३ बजकर १ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री जगदीशप्रसाद (मुरादाबाद) पीठासीन हुए।]

जहां तक एग्रीकल्चर का संबंध है, इसके अन्दर भी कोई खास रकम का प्राविधान नहीं किया गया है यद्यपि बहुत-सी मदें रखी गयी हैं, जिनका वर्णन करना बहुत मुश्किल होगा। बहुत से पृष्ठ कृषि संबंधी अनुदान के लिये रखे गये है कहीं पर पशुपालन, कहीं पर मत्स्यपालन, परन्तु उनका खर्चा बहुत कम रखा गया है। बहुत बड़ी रकम सामान्य प्रशासन के लिए रखी गयी है। उसकी हालत यह है कि जिले के अन्दर निजी सरकार बनी बैठी है। अभी-अभी २९ जनवरी, १९६५, का वाकया है। माननीय मुख्य मंत्री जी, जरा ध्यान दें हमारे सदन के एक माननीय सदस्य ठा० फूलसिंह सहारनपुर तशरीफ ले जाते हैं। जिस प्रकार के इधर बैठने वाले सदस्य हैं, उसी प्रकार के उधर बैठने वाले सदस्य हैं लेकिन उनके अन्दर कौन-सी भिन्नता है कि वे जिला कांग्रेस कमेटी की एक मीटिंग काल करते हैं और उसमें चकबन्दी के अधिकारी, कोआपरेटिव वाले अफसर, बिजली के अधिकारी और नहर के अधिकारी सब को बुलाया जाता है। मेरी समझ में नहीं आया कि क्या जिला स्तर पर कुछ आर्डर भिजवाये गये कि इस प्रकार एक मीटिंग काल की जाय और उसमें जिले के अधिकारियों को बुलाया जाय? वहां व्यक्तिगत प्रचार किया जाता है। मैं नहीं समझता कि वहां पर मीटिंग करने की क्या भावना थी। हो सकता है कि व्यक्तिगत हो, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि अगर इस तरह होता रहा और एक एक जिले में एक-एक आदमी को पालना शुरू कर दिया तो मुनासिब नहीं होगा। मैं जानना चाहता हूं कि मीटिंग में शामिल होने के लिये जो खर्चा होगा क्या वह भी इसी बजट से दिया जाता है। क्या उनका इन्तजाम भी इसी बजट के अन्दर किया जा जायगा? गांव के अस्पतालों को छोड़िये जहां न डाक्टर, न वैद्य, न धोती पहनने वाले और न पैन्ट पहनने वाले जाना चाहते हैं। बड़े बड़े अस्पतालों में भी जिनमें लाखों, करोड़ों रुपये

व्यय किये गये हैं और उनके लिये मशीनें खरीदी गयीं पिछले १० साल के अन्दर उनमें ९० फीसदी मशीनें खराब पड़ी हैं । उनके कल-पुर्जे नहीं मिल रहे हैं क्योंकि फारेन एक्सचेंज नहीं मिल पाता है और जिन कम्पनियों से वे खरीदी गयीं उनके पास उनके कल-पुर्जे नहीं हैं । इस तरह से आपका करोड़ों रुपया बरबाद हो रहा है, उसके लिये इन्तजाम होना चाहिये ।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—

श्रीमन्, इस अनुपूरक बजट का मैं समर्थन करता हूं और साथ-साथ कुछ शिकायत, कुछ सुझाव और कुछ धन्यवाद तक ही अपने को सीमित रखना चहता हूं । धन्यवाद तो पहले मैं माननीय वित्त मंत्री को और उनकी सरकार को इस मानी में देता हूं कि उन्होंने असेम्बली के मेम्बरों की तनख्वाहों तथा भत्ते को बचा कर बजट में माकूल बचत निकाली । असेम्बली के मेम्बरों को हिन्दुस्तान में बदनामी मिली कि उन्होंने अपनी तनख्वाह तथा भत्ता बढ़ा लिया, लेकिन तो भी उन्होंने उसमें से कई लाख रुपया बचा लिया जिसके लिये मैं वित्त मंत्री जी को दोबारा धन्यवाद देता हूं ।

शिकायत मुझको यह है कि बाबू गेंदासिंह बड़े असरदार, रामसुन्दर पांडेय बड़े असरदार विरोधी हों या कांग्रेसी हो हमारी हलाली में दोनों एक से हैं । हरदोई, सीतापुर, रायबरेली, शाहजहांपुर, प्रतापगढ़, उन्नाव ये सब अवध के बदकिस्मत जिले हैं जिनकी तरफ उत्तर प्रदेश की सरकार का कोई ध्यान नहीं जाता । मैं यह बात पुरजोर कहना चाहता हूं कि बाबू गेंदासिंह जी जो हमारी पार्टी के अगुआ किसान कार्यकर्त्ता हैं क्या वे कभी हरदोई, शाहजहांपुर, रायबरेली तथा उन्नाव नहीं गये या हमेशा गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, बहराइच और बस्ती को ही देखते हैं पहले तो इनको पटेल कमीशन ने कवर कर लिया, बचा-खुचा सुचेता कमीशन, गुप्ता कमीशन ने कवर कर लिया और उससे भी बचा-खुचा श्री राममूर्ति के मेन पावर कमीशन ने पूरा कर दिया । हमको न पब्लिक वर्क्स में, न इर्रीगेशन में, न मेन पावर में गुंजायश है । यह जो अवध का, पुराने ताल्लुकेदारों का इलाका है इसके संबंध में मेरा दस्तबस्ता निवेदन है कि इसकी किस्मत कब जागेगी ? इन पिछड़े हुये जिलों पर कब आपकी तवज्जह होगी ? हरदोई जिले में ९,९ नदियां जाती हैं, लाखों एकड़ जमीन वाटर लागिंग में है, आने जाने का रास्ता नहीं मिलता है, लेकिन उधर बाबू गेंदासिंह जी का ध्यान नहीं जाता ।

सुझाव के संबंध में मुझे माननीय मुख्य मंत्री से नम्रतापूर्वक यह निवेदन करना है कि १९६५–६६ के साल कांग्रेस इतिहास के लिये टेस्ट ईयर्स हैं । इतना रुपया खर्च करने के बाद भी दैवी आपदाओं ने प्रदेश और देश के ऊपर बहुत बड़ा हमला कर रखा है । सरकार इंतिहा ईमानदारी से कदम उठाने का रोजाना प्रयत्न करती जा रही है । लेकिन प्रयत्न होने के बाद भी अड़चनें, हैं, दिक्कतें हैं, उनका सामना करने के लिये सरकार २४ घंटे प्रयत्नशील रहती है लेकिन इसके बाद भी एक वर्ग ऐसा है, शोषित वर्ग, नीचे का वर्ग जिसको तकलीफें हैं, दिक्कतें हैं और शिकायतें हैं और वे जायज हैं । ७५ रुपये पाने वाले चपरासी, १०० रुपये पाने वाला क्लर्क और ६० रुपये पाने वाले मास्टर की आज जो हालत है, वह आपसे और मुख्य मंत्री की सरकार से छिपी नहीं है । वह समय आ गया है जब सरकार को इस पहलू पर बहुत मजबूती के साथ विचार करना होगा और जितनी जल्दी विचार किया जा सके उतना ही मुनासिब और उचित होगा । करेंगे जरूर, नीयत भी है और करना चाहते हैं, लेकिन जो मैं आपसे कहता हूं वह यह है कि इन लाखों इंसानों को आप माननीय श्रीपालसिंह, डाक्टर अहमद साहब और उग्रसेन जी के फंदे से बचाइये । रोज डिमांस्ट्रेशन हो रहा है उसका लाभ उठाने के लिये विरोधी दल बैठा हुआ है । मैं सरकार से साफ कह देना चाहता हूं कि इस विरोधी दल को लिक्वीडेट कीजिये, इसको आबाद करने की कोशिश न कीजिये । जिनको तकलीफें हैं उनसे बात करके, समझौता करके उनकी तकलीफों को दूर करना जरूरी है ।

दूसरी बात यह है कि अन्न के उत्पादन की ओर तेजी से इस सरकार को ध्यान देना होगा और दिया जा रहा है । किसान को इनसेंटिव देने के लिये देशव्यापी आन्दोलन उठाना

[श्री जे० पी० मिश्र]

होगा और किसान समझने लगे कि सरकार करोड़ों रुपया उनके लिये खर्च करती है, कोआपरेटिव बैंक्स के जरिये किसानों को कृषि की उन्नति के लिये रुपया दे रही है। इर्रीगेशन में करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है, कृषि की उन्नति के लिये काफी खर्च किया जा रहा है और माइनर इर्रीगेशन्स को बढ़ावा देकर मुख्य मंत्री जी किसानों का काफी उपकार करेंगी, उसके लिये वे बधाई की पात्र हैं । मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार किसानों को नक्द कर्जा न दे बल्कि एक योजना बना दें और उसके अन्तर्गत सरकार की ओर से उस काम को पूरा करा दें । जैसा नहरों का खोदा जाना, ट्यूबवैल्स का लगाया जाना तथा अन्य माइनर इर्रीगेशन के काम सरकार की तरफ से कराये जायं । काश्तकारों को शार्ट टर्म और लांग टर्म लोन्स दिये जायं और सिंचाई का इन्तजाम सरकार की ओर से किया जाय । सरकार लघु सिंचाई को नेशनलाइज कर दें आपने जहां ट्यूब वेल्स बनवाये हैं, जहां नहरें बनवाई हैं, जहां माइनर्स बनवाई हैं, वहां आप एक साल के १९६५–६६ के बजट में सिर्फ माईनर इर्रीगेशन के ऊपर अपनी और अपनी सरकार की सारी ताकत लगा दें तो आगे आने वाले वर्षों के लिये मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं कि आपके प्रदेश में अन्न की कोई कमी नहीं होगी । सरकार जहां सब्सिडी देती है, छूट देती है फंश प्रोग्राम में, वहां मैं एक सुझाव देता हूं, वह सुझाव आपके सामने यह है कि आप कृषक से भी राय ले लिया करें कि वह किस किस्म की मदद चाहते हैं । इस संबंध में ब्लाकों के फैसले आते हैं, जिला परिषदों के फैसले आते हैं और ग्राम सभाओं की तरफ से भी फैसले आते हैं । इन सब फैसलों की स्क्रूटनी की जाया करे कि किस इलाके और किस जिले की क्या मांग है और उसके ऊपर विचार कर आप उसे कार्यान्वित करने का प्रयत्न किया करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं यदि आपने ऐसा किया तो इस प्रदेश में अन्न की कमी बिलकुल समाप्त हो जायेगी और उपज अवश्य बढ़ेगी । विरोधी तरह-तरह की हवा उड़ाते हैं आपको। यह इस प्रदेश का सौभाग्य है जो आप जैसी महारथी स्त्री इस प्रदेश में आ गई हैं और जो डेढ़ वर्ष में आपने काम किया है उसको दृष्टिकोण में रखते हुए, मेरा विश्वास है कि चौथी और पांचवी योजनाओं तक इस प्रदेश की जनता आपको यहां से जाने नहीं देगी, आपको गिरफ्तार करके प्रदेश की जनता जाने नहीं देगी । आपकी कोई कुछ आलोचना करे, इसका कुछ असर यहां पड़ने वाला नहीं है । अभी आपको १२ वर्ष तक इस प्रदेश में रहना है । आप इस प्रदेश की जीवनधारा को चैतन्य कर रही हैं और आप माइनर इर्रीगेशन्स में अपनी सारी शक्ति लगा दें ।

एक ही बात निवेदन करना चाहता हूं कि काश्तकार, मजदूर, गरीब जनता पर किसी प्रकार का कर का बोझ डालने के पहले आप कांग्रेस के सदस्यों से राय मशविरा कर लें । आज मजदूर मर रहा है, परेशान है, किसान मजबूर है । आज वे महंगाई के शिकार हैं । जहां आज आपके सेक्रेटरिएट के कर्मचारी महंगाई के शिकार हैं, वहां पर माननीय अधिष्ठाता महोदय, काश्तकार भी उसी महंगाई का शिकार है, तेजी से शिकार है नर्मी से नहीं । इन शहर के लोगों को तो आपने भोजन दिया है । हम लोगों ने कोई एतराज नहीं किया, लेकिन इस ९०–९२ परसेंट प्रदेश की जनता के लिये आपने इस कठिन समय में क्या किया अपने बजट के कोटे से ? कानपुर, लखनऊ, आगरा, और वाराणसी को आपने भोजन दिया है, देहात की तरफ आपने ध्यान नहीं दिया और देहात के किसान आपसे शिकायत भी नहीं करते, केवल देहात पर आपकी अच्छी दृष्टि होनी चाहिये यही मेरी आपसे प्रार्थना है ।

*श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

अधिष्ठाता महोदय, मुझे ३–४ रोज से जिस खाद्य समस्या पर बात कहनी थी उस पर काफी सदस्य कह चुके हैं और सरकार से हम कितना भी कहें यह सुनने वाली है नहीं, बहरी सरकार है, कोई कुछ है । सिद्धान्त के नाते से मुझे यह जरूर कहना है कि कोई भी औरत बड़े पद पर रहे हम सिद्धान्त के नाते उसका विरोध नहीं करते,

*वक्ता ने भाषण का पर्यवेक्षण नहीं किया ।

क्योंकि वह पिछड़ी जाति है और हम चाहते हैं कि पिछड़ी जाति की उन्नति हो, क्योंकि वह पद तो मुख्य मंत्री का है। वह तो अभी एक मुख्य मंत्री ही है हम तो चाहते हैं कि औरत ही हमारे राष्ट्र की राष्ट्रपति बने, वही प्रधान मंत्री हो, लेकिन कांग्रेस की नहीं सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर ।

कुछ आवाजें—

महिला सदस्य तो पहले चुनवाकर लाइये ।

श्री लखीसिंह—

अरे सुनिये, मैं वह बात कहूंगा तो घर जाकर आराम से सोचोगे तो याद करोगे । चाहे हम ५० करोड़ का, चाहे ६० करोड़ का अनुपूरक अनुदान स्वीकार कर दें क्योंकि हम भी यह मानते हैं कि बिना पैसे के तो सरकार का काम नहीं चलेगा लेकिन उस पैसे से काम क्या करोगे, यह तो बताओ । बदकिस्मती यह है कि उत्तर प्रदेश में कोई भी तहसील ऐसी नहीं होगी जिसमें एक भी बिजली की लाइन न हो सिवाय मेरी तहसील के । आप इसे मिश्रा जी वाली बात न समझिये जो सिर्फ हरदोई, हरदोई की बात चिल्लाया करते हैं, जो मैं कहता हूं कोई भी माननीय सदस्य जांच कर ले, जिस तहसील में बरसाना और नन्दगांव जैसे तीर्थस्थान हों और छाता जैसी तहसील हो वहां खेद के साथ कहना पड़ता है कि उस तहसील में जो पंजाब और राजस्थान से मिला हुआ है उसमें एक भी लाइन १८ साल के स्वराज्य में नहीं हुई जब कि उसकी सीमा पर एक-एक गांव में बिजली लग गयी । मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि हर साल अनुपूरक बजट और बजट पास करते हैं, सारे किसानों और मजदूरों के खून पसीने की कमाई हम यहां पास करके दे देते हैं, लेकिन वह मंत्रियों, बड़े बड़े-डाइरेक्टरों और कमिश्नरों की बिलासिता में खर्च हो जाती है । हम सदस्य भी बदनाम होते हैं कोई अर्थशास्त्री वित्तमंत्री जी बचालें तो बात दूसरी है लेकिन हमारा सदस्यों का वेतन इसी से ३ सो हो गया और हमें सारी यू० पी० का पास मिल गया, अब जो छोटे-छोटे कर्मचारी हैं जो ६०, ५०, ७५, १५० और २०० तक पाते हैं जब हम उनसे बात करते हैं तो वह कहते हैं कि हम तो श्रीमती जी की साड़ी लेने गये और मोटा अनाज लेने गये उसी में सारी तनख्वाह खत्म हो गयी, हम कहां से पढ़ावें अपने बच्चों को, जब हम यह सुनते हैं तो हमें नीचा देखना पड़ता है । परम पिता इस सरकार को सद्बुद्धि दे । महंगाई तो इस सरकार से रुकती नहीं, क्योंकि महंगाई तब रुकेगी जब आप जितने भी खाली जंगल पड़े हैं वहां पर पानी पहुंचाने का प्रबन्ध करें और वहां पर सिंचाई का इन्तजाम करें । अब आपने पैसा तो काफी पास कर दिया, लेकिन वहां पर पानी नहीं लोगों को मिलता है । आपके पास जाते हैं तो आप कहते हैं कि नहर खुद रही है और रामगंगा डैम बनकर तैयार हो रहा है वहां से पानी मिलेगा, लेकिन वह तो १९७१ तक तैयार होगा । तब तक क्या किया जाय । हम मंत्री जी से कहते हैं कि गांवों में कुंओं का ही इन्तजाम कर दो मगर इस सरकार के दिमाग में कुछ हमारी बात जंचती नहीं है । अधिष्ठाता महोदय, आप ही सरकार का दिमाग सुधारें । मैं अपना सुझाव आपके सामने रखता हूं कि बहुत से खाली जंगल पड़े हैं । वहां पर कुंआ बनाने के लिये आप रुपया लगायें और कुंऐं बनवायें । कहीं पर खारी पानी निकलता है तो उससे काम नहीं चल सकता है । उससे तो फसल जल जाती है । जो यहां पर किसान हैं उनको किसानों को लाभ की बातों का विरोध नहीं करना चाहिये । जो किसान हैं वे जानते होंगे कि खारी पानी से गेहूं और जौ तो बिलकुल होता ही नहीं है । चने में पानी देने की जरूरत नहीं है । यह सब बातें किसान जानते हैं, लेकिन बदकिस्मती यह है कि किसान बेचारा ऐसा है जिसमें जागृति नहीं है, जिसके अन्दर जागरूकता नहीं है । यहां पर जो लोग किसानों की मांग की बात नहीं कहते हैं और उनकी बातों को यहां पर नहीं रखते उनको अगले चुनाव में किसानों के वोट से हाथ धोना पड़ेगा और वोट नहीं मिलेगा । अगले चुनाव में उनको पता चलेगा । मेरे क्षेत्र में ऐसा हुआ है कि जो किसानों का हमदर्द नहीं था उसको वहां पर वोट नहीं मिले और हार गये । आज जो यह अरबों रुपया बजट में और अनुपूरक बजट में

[श्री लखीसिंह]

मांगा जाता है अगर किसानों को इससे लाभ न पहुंचे तो इसके पास करने से हमको क्या लाभ है ?

*श्री ज्वालाप्रसाद (जिला कानपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, जो अनुपूरक बजट पेश किया गया है उसके ऊपर अपने विचार रखता हुआ मैं आपके द्वारा शिक्षा मंत्री जी से कुछ निवेदन करना चाहता हूं। हमारे शिक्षा मंत्री जी के प्रयास से हमारी शिक्षा का स्तर दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है परन्तु जिस कदर शिक्षा का प्रसार होता जा रहा है उसी तरह से शिक्षितों की बेकारी बढ़ती जा रही है। जो सम्पन्न घरों के लड़के हैं उनको तो सर्विस मिल जाती है, लेकिन जो गरीब घरों के लड़के हैं उनको अखबारों के जरिये कुछ मालूम नहीं हो पाता है। वे अपने जिले की जिला परिषद् में पहुंच जाते थे और वहां प्रार्थना पत्र देते थे ऐसे लोग जब जिला परिषद् की तरफ से या माननीय शिक्षा मंत्री की तरफ से एच० टी० सी० की ट्रेनिंग करने जाते हैं तो उनका कोर्स राजकीय दीक्षा विद्यालय में दो साल का होता है और उसमें मेरी समझ में उनको मासिक २०रुपया छात्रवृत्ति मिलती है। वह भी सबको नहीं मिलती और आज तक उसमें कोई बढ़ोत्तरी इतनी महंगाई होने के बाद भी नहीं हुई है। वह डबडबाई आंखों से चलते हैं और मिलने पर कहते हैं कि भोजन, कपड़े की बात तो क्या, जलाने के लिये कुप्पी में मिट्टी के तेल का भी प्रबंध हम लोगों के लिये नहीं हो पाता। उसके लिये भी पैसा नहीं रहता। तो हमारी शिक्षा का प्रारम्भिक काम जिन के हाथों में है उनकी ट्रेनिंग के समय उनके पास पुस्तकें न हों, कपड़ा, खाना और रोशनी का प्रबन्ध न हो, तो हम कैसे आशा कर सकते हैं कि हमारे बच्चों की प्राइमरी शिक्षा अच्छी हो सकेगी। इसके लिये मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जैसा मैंने पिछले सत्र में भी कहा था कि वे प्राइमरी अध्यापकों की तरफ ध्यान दें और दीक्षा विद्यालयों में जाकर उनकी हालत को स्वयं देखें। उनका रख रखाव, शरीर, उनकी चारपायी, पुस्तकें, खाना, रहना आप देखें। मैं समझता हूं कि उसको वहां मिट्टी के तेल की भी कमी ही मिलेगी। वह भी उनको मुश्किल से ही मिल पाता है। ऐसी स्थिति में अगर हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाना चाहते हैं तो हमें पहले उनका प्रबंध करना चाहिये और ऐसी महंगाई के दिनों में कम से कम उनकी छात्रवृत्ति ४० रुपये कर देनी चाहिये और ऐसा कोई भी छात्र नहीं रहना चाहिये कि जिसको यह न मिले। देहात का गरीब विद्यार्थी प्राइमरी टीचर ही बनाना चाहता है और उसके लिये उसे दो साल की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। वहां सामान इकट्ठा करने में तथा पुस्तकें आदि लेने में काफी खर्च हो जाता है। थ्योरी वह मुश्किल से पूरी कर पाता है तो कैसे वह अच्छा अध्यापक बन सकता है। इसलिये मैं फिर माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह दीक्षा विद्यालयों की हालत को देखें और उनकी स्थिति की जानकारी प्राप्त करें और यदि वे इस निर्णय पर पहुंचे कि उनकी स्थिति वास्तव में भयावह है तो उनकी मासिक सहायता दूनी करने की कृपा करें।

(शिक्षा मंत्री का नाम पुकारे जाने पर)

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

अधिष्ठाता महोदय, हम को ५ मिनट जरूर मिलने चाहिये। सब लोगों को ज्यादा समय दिया गया है ?

(व्यवधान)

श्री कैलाशप्रकाश—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। आज यह दूसरे सप्लीमेन्टरी बजट की मांग है। मैं उन सभी माननीय सदस्यों

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

का अनुग्रहीत हूं जिन्होंने अपने सुझाव दिये। सभी के सुझावों या कही गयी बातों का तो जवाब देना इस समय सम्भव नहीं होगा और आज आवश्यक भी नहीं है, क्योंकि बजट पर विभिन्न मदों पर बहस के समय संबंधित मंत्री उनका उत्तर देंगे और उस समय ब्योरेवार विवाद होगा, इस समय मैं कुछ मुख्य-मुख्य बातों पर ही अपने कुछ विचार रखूंगा।

मान्यवर, यह बात कही गयी कि यह अनुपूरक मांगे जो प्रस्तुत की जाती हैं यह बहुत बड़ी धनराशि की की जाती हैं। यह बात सही नहीं है। श्रीमन्, हमेशा यह सदन बैठा नहीं रहता और जब हम एक प्रगति के पथ पर हैं, परिस्थितियां बदलती रहती हैं और इन बदलती हुई परिस्थितियों में कोई कितना ही सोचने वाला व्यक्ति क्यों न हो, यह नहीं हो सकता कि उसकी सभी बातें सही हों, उसके कभी अनुमान ठीक निकलें। इसलिये जब संविधान बना तो संविधान में अनुपूरक बजट की व्यवस्था की गयी ताकि यदि कोई ऐसी मांग हो जो किसी काम के लिये पूरी न हो, तो अतिरिक्त धनराशि के लिये अनुपूरक बजट आये। उसमें यह भी रखा गया कि यदि साल के दौरान में कोई ऐसी परिस्थिति आ जाये जिसमें अमुक काम करना आवश्यक हो, तो उसके लिये भी अनुपूरक अनुदान रखे जा सकें।

मान्यवर, यह बात अपनी जगह सही है कि अनुपूरक बजट केवल ऐसी ही धनराशियों के लिए आना चाहिये जो अत्यन्त आवश्यक हों। वैसे तो ब्योरा आपके सामने उपस्थित कर दिया गया है। लेकिन मोटे तरीके से मैं आपसे निवेदन करूंगा। जो अनुपूरक लाये गये हैं उनमें यह कहा भी गया कि यहां करीब-करीब ७२ करोड़ रुपये के ये अनुपूरक हैं दोनों मिलाकर। लेकिन अगर थोड़ा-सा इनके अन्दर जाया जाय तो यह स्पष्ट हो जायगा। मैं बजट के बारे में यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि बजट केवल खर्चे के लिये मांग नहीं है। यही जो बजट होता है यही शासन का एक हिसाब-किताब भी होता है और हिसाब-किताब रखने के लिये भी बहुत सी दफा बजट में धनराशियां रखनी पड़ती हैं जिससे वास्तविक रूप में खर्चे पर कोई असर नहीं पड़ता। उदाहरणार्थ, सरकार के पास बहुत सी धनराशियां जमा होती हैं जैसे कि ठेकेदार अपनी धनराशियां जमा करते हैं, बहुत से अग्रिम जमा करते हैं, तो इस तरह से ऐडवांसेज इत्यादि की धनराशियां जमा होती हैं। एक तरीके से देखा जाय तो कोई भी खर्चा इसमें नहीं होता। रुपया जमा हुआ और वापस चला गया। लेकिन क्योंकि हिसाब किताब का यही तरीका है और क्योंकि पाई-पाई का हिसाब-किताब सरकार का बिना बजट में उसे लाये नहीं हो सकता इसलिये बहुत सी धनराशियां ऐसी भी रखी जाती हैं कि वह केवल हिसाब किताब की बात होती है। उनसे शासन के ऊपर खर्चे में कोई असर नहीं पड़ता।

मामूली तरीके से बजट तीन हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। जैसा कि माननीय सदस्यों ने देखा भी होगा। इसमें जो तालिका दी गई है उसमें यह दिया हुआ है। एक हिस्सा वह है जो रेवेन्यू की प्राप्तियों से खर्चा होता है। एक दूसरा कैपिटल का है और तीसरा जो अग्रिम धनराशियां होती हैं, उनका है। मैंने जैसा अभी आपसे निवेदन किया कि जो यह अग्रिम धनराशियों में रुपया रखा जाता है इसका कोई वास्तविक प्रभाव शासन के खर्चे पर नहीं पड़ता। जो आपके समक्ष बजट उपस्थित किया गया है उसमें यदि आप देखने का कष्ट करेंगे तो यह स्पष्ट है कि पहला जो अनुपूरक लिया गया था उसमें ५ करोड़ ६३ लाख इस शीर्षक में है और ६ करोड़ ३६ लाख जो अनुपूरक इस समय सदन के समक्ष हैं उसमें इस शीर्षक में है जिसका नतीजा यह होता है कि करीब-करीब १२ करोड़ रुपया इस शीर्षक में है जो कि अग्रिम इत्यादि से संबंधित है और वास्तविक सरकार की आय के ऊपर वह खर्चा नहीं पड़ता। दूसरा शीर्षक है कैपिटल एमाउन्ट का जिसमें भी यदि माननीय सदस्य देखने का कष्ट करें तो जो पहला अनुपूरक दिया गया था उसमें १३.३ लाख रुपये के करीब था और जो यह अनुपूरक है इसमें ३९ करोड़ ७७ लाख रुपया है। माननीय सदस्य देखने का कष्ट करें इस शीर्षक में तो वह यह पायेंगे कि इसमें से अधिकांश रुपया खाद्यान्न के लिये था, जो १२ करोड़ रुपया प्रथम पूरक में रखा गया था उसमें से १० करोड़ रुपया गल्ला खरीदने के लिये था और २ करोड़ रुपया बीज खरीदने के लिये था और यह भी वास्तविक खर्चा नहीं है क्योंकि वह जो खर्चा हुआ

[श्री कैलाशप्रकाश]

खरीदने में वह उसको बेचने में वापस आ गया। इस तरीके से जो ३९ करोड़ रुपया रखा गया है उसमें लगभग ३० करोड़ रुपया खाद्यान्न की बिक्री के लिये है जो आपके समक्ष उपस्थित है। जो अनुदान का ब्योरा दिया गया है उसमें यह दिया हुआ है, उससे यह स्पष्ट है कि इस धनराशि में से ४२ करोड़ रुपया इस काम के लिये रखा गया है कि खाद्यान्न खरीदे जांय और वितरित किये जांय। आप सब लोग इस बात को महसूस करते हैं कि प्रदेश में इस वर्ष कैसी स्थिति रही, उसके लिये यह आवश्यक हुआ कि बिना इस बात की परवाह करते हुए कि उसमें कितनी पूंजी लगेगी, उसका कार्य किया गया। यह आवश्यक था इसलिये इसको रखा गया। इस रूप से यदि खाद्यान्न, बीज, ऋण और अग्रिम इन चीजों के हिसाब को लगाया जाय तो १४ करोड़ रुपया ऐसा है जो वास्तव में खर्च नहीं है।

जैसा मैंने पहले ही कहा कि समय की कमी के कारण में अधिक ब्योरे में मैं नहीं जा सकता। जो अनुपूरक इस समय आपके समक्ष उपस्थित किया गया है उसमें ९ करोड़ ६७ लाख रुपया आयोजना के लिये रखा गया है। इसका अर्थ है कि हमें कोई चीज ऐसी बनानी है जो पूंजी के रूप में बन जायगी। जब हम विकास और निर्माण के कार्यों को कर रहे हैं, उनके करने में बहुत सी ऐसी स्थितियां आ जाती हैं जिनको मीट करने की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिये यदि नगरों में जल-वितरण योजना बनानी है तो उसके लिये नलों की आवश्यकता होगी जो आवश्यकता के समय पर उपलब्ध कर सकना अत्यन्त कठिन होता है। इसी प्रकार से और भी ऐसी सामग्री होती है जिसको बाहर से समय पर क्रय कर सकना कठिन होता है, इसलिये उसको स्टाक में रखने की आवश्यकता होती है और उनको क्रय करने के लिये पूंजी के रूप में धन को लगाना पड़ता है और इसीलिये प्रत्येक बजट में ऐसी चीजों के लिये धन मांगा जाता है। यह इसलिये किया जाता है कि किसी सामान के समय पर न मिलने के कारण कोई योजना रुक न जाय। ऐसा भी होता है कि किसी योजना को चलाने में गति धीमी हो गयी है, लेकिन दूसरी योजना तेजी से चलाई जा सकती है तो उसको चलाया जाता है। यह नहीं कि धीमी चलने वाली तो तेज हो न सके और तेज चलने वाली को और तेज न किया जाय। इसलिये थोड़ी अदला-बदली की बात भी इसमें की जाती है। करीब ९ करोड़ का पूंजीगत धन इस अनुपूरक बजट में मांगा गया है जो आयोजना के अन्तर्गत है। इसमें से ७ करोड़ रुपया रिहन्द की बिजली के लिये है। यह काम इसलिये रुक गया कि बजट में उसके लिये कोई धनराशि नहीं रखी गयी है, मेरा ख्याल है कि माननीय सदस्य कभी इसको नहीं चाहेंगे। श्रीमन्, इस तरीके से इसमें बहुत से ऐसे और भी खर्चे हैं। यदि उसी तालिका को जिसकी मैंने चर्चा की है, माननीय सदस्य देखेंगे तो राजस्व लेखे में चाहे वह अनुपूरक की पहली किस्त हो, चाहे दूसरी किस्त हो, दोनों किस्तों में करीब-करीब ३ करोड़ ६० लाख का खर्चा है। जो कि राजस्व में है और वाकई पूंजी में है या ऋण में है।

एक तो बात यह है कि साधारणतया कोई भी कुछ काम करता है तो उसमें थोड़े से हेर-फेर की कुछ गुंजायश तो हो ही सकती है। आपका इतना बड़ा बजट है, इतना बड़ा प्रदेश है, यदि इसके दो अनुपूरकों में राजस्व के लेखे में ३ करोड़ ६० लाख रुपये की मांग की जाती है तो कुछ अनुचित-सा नहीं है। मैं इस शब्द का प्रयोग इसलिये कर रहा हूं कि मेरे एक माननीय सदस्य ने इस बात की चर्चा करते हुए कहा कि इतनी बड़ी धनराशि का अनुपूरक बजट इसलिये पेश किया जाता है कि इसमें शासन की मंशा यह होती है कि माननीय सदस्यों को प्रदेश की सही तसवीर न मिले। मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं कि किसी भी शासन या इस शासन की हरगिज यह मंशा नहीं होती और न इस शासन के मंत्रियों को इससे प्रसन्नता होती है, कि प्रदेश की सही तसवीर छिपायी जाय। शासन के मंत्रियों को तो इससे प्रसन्नता ही होती है कि माननीय सदस्यों को सारी चीजों की जानकारी हो ताकि माननीय सदस्य अपने सुझाव दें सकें क्योंकि शासन समझता है कि माननीय सदस्य अपने सुझाव देने के बाद जानकारी होने पर उसे अपना पूरा सहयोग देंगे। शासन यह कभी भी नहीं चाहता है कि जो काम हम अपने

सूबे के लिये करते हैं या करना चाहते हैं उसकी धुंधली छाया लोगों के सामने अनुपूरक बजट पेश करके रखें। यह स्पष्ट है कि तसवीर को बदलने की शासन की कोई मंशा नहीं है।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि लाभत्रयी योजना के द्वारा शिक्षकों की मखौल उड़ायी गयी है। मैं बहुत नम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि समय-समय पर इसी सदन में पहले भी मैं इस बात को कह चुका हूं कि शिक्षा का स्तर सुधारने के लिये आवश्यक है कि शिक्षक सन्तुष्ट हों और शिक्षकों का समाज में सम्मान हो और इसी दृष्टिकोण और धारणा को रखते हुए, शिक्षकों के प्रति सहानुभूति रखते हुए, अपने प्रदेश की आर्थिक दशा को सामने रखते हुए लाभत्रयी योजना यहां लागू करने की बात सोची गयी है। मेरा निवेदन है कि इससे तीन लाभ हैं, एक तो प्राविडेंट फंड की योजना है, एक बीमा की योजना है और तीसरी योजना पेंशन देने की है। इस तरह की योजना कुछ और प्रदेशों ने भी अपने यहां लागू की है।

माननीय सदस्यों को ज्ञात होगा कि बहुधा शिक्षक प्राइमरी के, माध्यमिक स्कूलों के तथा डिग्री कालेजों के हमारे प्रदेश के अन्दर व्यक्तिगत संस्थाओं की सर्विस में हैं। जहां तक सरकारी संस्थाओं का संबंध है, उनका इस योजना से कोई संबंध नहीं है क्योंकि जो सरकारी सेवा के नियम हैं वही उन पर भी लागू होते हैं, पेंशन वगैरह सब उनको भी मिलते हैं। सरकार शिक्षकों को पहले प्राविडेंट फंड देती थी और इसका बटवारा भिन्न-भिन्न रूप में है कि कितना संस्था देगी, कितना शिक्षक देंगे और कितना सरकार देगी, यह चलता था। लेकिन जिस समय यह लाभत्रयी योजना का सिलसिला चला तो माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधि मुझसे मिले और उन्होंने कहा कि लाभत्रयी योजना चालू हो गई तो शासन का इस से कुछ खर्च न होगा, लेकिन जब कभी वह इस तरह की चर्चा करते थे तो मैं उनसे कहता था कि हम तो चाहते हैं कि आप संतुष्ट हों और हम उनकी सुरक्षा भी चाहते हैं, लेकिन अगर प्रदेश की आर्थिक स्थिति इजाजत देगी तब हम लागू कर सकेंगे। मेरी इस कठिनाई के लिये उन्होंने कहा कि शासन को एक भी पैसा खर्च करना नहीं पड़ेगा और उन्होंने कुछ आंकड़े इकट्ठा कर रखे थे जिनके आधार पर वह कहते थे कि बिना शासन के एक पैसा खर्च किये ही लाभत्रयी योजना कार्यान्वित हो सकती है। लेकिन यह बात मुझे कभी नहीं जंची, हमारे वित्त मंत्री को भी नहीं जंची, शिक्षा निदेशक की समझ में भी नहीं आई और एक सज्जन को हमने इसकी छानबीन के लिये भेजा, उन्होंने तमाम चीजों को अच्छी तरह से देखा उसके बाद वह उनको भी नहीं जंची। उन्होंने कहा कि शासन के बिना व्यय किये लाभ नहीं हो सकता। जैसा मैंने कहा प्रशासन चाहता है कि शिक्षकों की सुरक्षा और उनको संतोष होना चाहिये। शासन जो प्राविडेंट फंड में देता था उसमें कोई कमी नहीं की और अतिरिक्त पेन्शन की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। मुझे कभी-कभी खेद भी होता है कि किस तरह से चीजों को दूसरे रूप में रखा जाता है। जो शिक्षक सरकार की नौकरी में हैं उनको प्राविडेंट फंड में कोई पैसा नहीं दिया जाता, उनको पेंशन दी जाती है और अब उन को प्राविडेंट फंड और पेंशन दोनों की सुविधा दी जायगी। उनका कहना है कि सीमा बहुत कम है, वह ६०-७० की बात करते हैं और १/२० जो माननीय सदस्य ने कहा था वह भूल जाते हैं। उनको पेंशन ही नहीं दी जाती, उनको पेन्शन और प्राविडेंट फंड में हिस्सा भी दिया जाता है। इसलिये पेंशन के आंकड़े राजकीय शिक्षकों के और इन शिक्षकों के तुलना में नहीं आ सकते। कभी-कभी भ्रम में बहुत-सी बातें कह दी जाती हैं और वह चलती हैं।

जब शिक्षकों के महंगाई भत्ते का प्रश्न आया तो यह कहा गया कि यहां का शासन विद्यार्थियों से महंगाई भत्ते की फीस लेता है और कुछ आंकड़े एकत्र करके यह चित्र दिखाया गया कि २० रुपये की महंगाई नियत करके जो फीस आती है उससे सरकार ने अधिक लाभ उठा लिया। मैं यह स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि यह बात सही नहीं है। जितनी फीस महंगाई भत्ते से आती है उससे जो महंगाई भत्ता माध्यामिक वर्ग के शिक्षकों को दिया जाता है वह पूरा नहीं होता। शासन को हर वर्ष अपने बजट से उस भत्ते में खर्च करना होता है और यह कहना कि महंगाई भत्ते की फीस लेकर शासन कोई आय कर रहा है, सही बात नहीं है। कभी-कभी आंकड़े भी सबूत में उपस्थित किये जाते हैं लेकिन मैं नहीं समझता कि इन आंकड़ों का कहां औचित्य

[श्री कैलाशप्रकाश]

है। मैंने इस विषय में आंकड़े इकट्ठा कराये और उनसे यह स्पष्ट हुआ कि हर साल शासन को लाखों रुपया इन शिक्षा संस्थाओं को देना पड़ता है जिससे वे वह महंगाई भत्ता दे सकें जो आज शिक्षकों को दिया जा रहा है।

मैं ब्योरे में नहीं जा सकता, किन्तु एक बात इसी सिलसिले में कह दूं कि माननीय सदस्य ने उदाहरण दिया कुम्भ का और कहा कि पहले से इसके बारे में सोचा जा सकता था। यह बात तो ठीक है कि तिथियां पहले से सोची जा सकती हैं। लेकिन इस साल दो तिथियों का किस्सा हो गया, यह तो शासन के हाथ में नहीं है बल्कि पंडितों से पूछ कर तिथि निश्चित होती है। पहले खयाल यह था कि इस साल छोटा कुम्भ होगा और अगले साल बड़ा होगा और यह बात स्पष्ट है कि जो शासन को प्रबन्ध करना होगा वह इस हिसाब से करना होगा कि कितने व्यक्ति उस मेले में आने वाले हैं। तो पहले विचार था कि छोटा कुम्भ होगा इसलिये वैसा इंतजाम किया। लेकिन जब बड़े पैमाने की बात मालूम हुई तो वैसा इंतजाम किया गया। आप सबको मालूम है कुम्भ घटना के बाद जो समिति बैठी थी उसने कुछ निर्धारित किया कि इतने व्यक्ति अंदाजन आवें तो इस पैमाने का इंतजाम करें। वह पैमाना अब बदल गया है। इसके अलावा गंगा जी ने कटाई मचा दी जिसके कारण व्यवस्था करना मुश्किल हो गया। दिन पर दिन कटाव हो रहा था। तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनकी पहले से जानकारी हो सकती है लेकिन जिनकी व्यवस्था किसी पैमाने के अन्तर्गत तथा प्राकृतिक रुकावटों को देख कर करनी पड़ती है जिनका अंदाज पहले से नहीं लगा सकते। मैं आश्वासन देता हूं कि जो सुझाव माननीय सदस्यों ने दिये हैं उन पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जायगा। इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि सदन अनुपूरक बजट को पारित करेगा।

१९६४–६५ के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या १—वृहत जोत–कर

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री रामकुमार शास्त्री)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १—वृहत् जोतकर के अन्तर्गत ११,००० रुपये की अनुपूरक मांग १९६४–६५ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १–वृहत् जोतकर के अन्तर्गत ११,००० रुपये की अनुपूरक मांग १९६४–६५ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित हुआ और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३—राज्य आबकारी

चिकित्सा मन्त्री (श्री दाऊदयाल खन्ना)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३—राज्य आबकारी के अन्तर्गत २,२१,५०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६४–६५ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३–राज्य आबकारी के अन्तर्गत २,२१,५०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६४–६५ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ६--स्टाम्प

वित्त उपमंत्री (श्री जयराम वर्मा)--

अधिष्ठाता महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ६--स्टाम्प के अन्तर्गत ४,३६,५०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६४-६५ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ६--स्टाम्प के अन्तर्गत ४,३६,५०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६४-६५ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ८--राज्य विधान मण्डल

श्री जयराम वर्मा--

अधिष्ठाता महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ८--राज्य विधान मंडल के अन्तर्गत १२,६६,६०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६४-६५ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ८--राज्य विधान मण्डल के अन्तर्गत १२,६६,६०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६४-६५ के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या १०--आयुक्त और जिला प्रशासन

मुख्य मन्त्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पाण्डेय)--

अधिष्ठाता महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १०--आयुक्त और जिला प्रशासन के अन्तर्गत ९२,२५,००० रुपये की अनुपूरक मांग १९६४-६५ के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १०--आयुक्त और जिला प्रशासन के अन्तर्गत ९२,२५,००० रुपये की अनुपूरक मांग १९६४-६५ के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या १२--न्याय प्रशासन

श्री जयराम वर्मा--

अधिष्ठाता महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १२--न्याय प्रशासन के अन्तर्गत १०,७६,६०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६४-६५ के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १२--न्याय प्रशासन के अन्तर्गत १०,७६,६०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६४-६५ के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या १३—कारागार

स्वायत्त शासन मन्त्री की सभा सचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि अनुदान संख्या १३—कारागार के अन्तर्गत १५,७७,००० रुपये की अनुपूरक मांग १९६४–६५ के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १३—कारागार के अन्तर्गत १५,७७,००० रुपये की अनुपूरक मांग १९६४–६५ के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १४—पुलिस

श्री जयराम वर्मा—

अधिष्ठाता महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १४—पुलिस के अन्तर्गत ४३,४१,२०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६४–६५ के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १४—पुलिस के अन्तर्गत ४३,४१,२०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६४–६५ के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १५—खाद्य और रसद तथा अन्य संगठन

श्री जयराम वर्मा—

अधिष्ठाता महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १४—खाद्य और रसद तथा अन्य संगठन के अन्तर्गत ५,५१,८०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६४–६५ के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १५—खाद्य और रसद तथा अन्य संगठन के अन्तर्गत ५,५१,८०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६४–६५ के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १६—वैज्ञानिक शोध तथा सांस्कृतिक कार्य

श्रीमती तारा अग्रवाल—

अधिष्ठाता महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूं कि अनुदान संख्या १६—वैज्ञानिक शोध तथा सांस्कृतिक कार्य के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६४–६५ के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १६—वैज्ञानिक शोध तथा सांस्कृतिक कार्य के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६४–६५ के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १७—शिक्षा

श्री जयराम वर्मा—

अधिष्ठाता महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १७—शिक्षा के अन्तर्गत १४,८५,८०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६४–६५ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १७—शिक्षा के अन्तर्गत १४,८५,८०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६४–६५ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १८—चिकित्सा

श्री दाऊदयाल खन्ना—

अधिष्ठाता महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १८—चिकित्सा के अन्तर्गत ७०० रुपये की अनपूरक मांग १९६४–६५ के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १८—चिकित्सा के अन्तर्गत ७०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६४–६५ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १९—सार्वजनिक स्वास्थ्य

श्री दाऊदयाल खन्ना—

अधिष्ठाता महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १९—सार्वजनिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत ३७,३६,८०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६४–६५ के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १९—सार्वजनिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत ३७,३६,८०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६४–६५ के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २०—कृषि संबंधी विकास

श्री जयराम वर्मा—

अधिष्ठाता महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २०—कृषि सम्बन्धी विकास के अन्तर्गत ६०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६४–६५ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २०—कृषि सम्बन्धी विकास के अन्तर्गत ६०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६४–६५ के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २२—पशुपालन और मत्स्य पालन

श्री जयराम वर्मा—

अधिष्ठाता महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २२—पशुपालन और मत्स्य पालन के अन्तर्गत ६,७७,६०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६४–६५ के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २२—पशुपालन और मत्स्य पालन के अन्तर्गत ६,७७,६०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६४–६५ के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २३—सहकारिता

सहकारिता मन्त्री (श्री बनारसीदास)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २३—सहकारिता के अन्तर्गत ४०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६४–६५ के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २३—सहकारिता के अन्तर्गत ४०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६४–६५ के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २४—उद्योग

श्री बंशीधर पांडेय—

अधिष्ठाता महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २४—उद्योग के अन्तर्गत ९०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६४–६५ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २४—उद्योग के अन्तर्गत ९०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६४–६५ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २६—श्रम और सेवा योजन

श्री बनारसीदास—

अधिष्ठाता महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २६—श्रम और सेवा योजन के अन्तर्गत ९,१७,६०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६४–६५ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २६—श्रम और सेवा योजन के अन्तर्गत ९,१७,६०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६४–६५ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २७—सूचना निदेशालय

श्री बंशीधर पांडेय—

अधिष्ठाता महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २७—सूचना निदेशालय के अन्तर्गत ४०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६४–६५ के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २७—सूचना निदेशालय के अन्तर्गत ४०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६४–६५ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या २९—समाज कल्याण

श्रीमती तारा अग्रवाल—

अधिष्ठाता महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि अनुदान संख्या २९—समाज कल्याण के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६४–६५ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २९—समाज कल्याण के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६४–६५ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ३०—राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य

श्री बंशीधर पांडेय—

अधिष्ठाता महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३०—राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य के अन्तर्गत ५७,०४,२०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६४–६५ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३०—राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य के अन्तर्गत ५७,०४,२०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६४–६५ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ३२—अभियंत्रण (इंजीनियरिंग) संस्थायें

श्री बंशीधर पांडेय—

अधिष्ठाता महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३२—अभियन्त्रण (इंजीनियरिंग) संस्थाओं के अन्तर्गत २०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६४–६५ के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३२—अभियन्त्रण (इंजीनियरिंग) संस्थाओं के अन्तर्गत २०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६४–६५ के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ३६—संचार साधनों का सुधार

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री जगनप्रसाद रावत)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३६—संचार साधनों का सुधार के अन्तर्गत ७,८०,१०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६४–६५ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३६—संचार साधनों का सुधार के अन्तर्गत ७,८०,१०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६४–६५ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३७—सार्वजनिक निर्माण कार्य अधिष्ठान

श्री जगनप्रसाद रावत—

अधिष्ठाता महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३७—सार्वजनिक निर्माण कार्य अधिष्ठान के अन्तर्गत २,८०,३०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६४–६५ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३७—सार्वजनिक निर्माण कार्य अधिष्ठान के अन्तर्गत २,८०,३०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६४–६५ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३८—सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिए सहायक अनुदान

श्रीमती तारा अग्रवाल—

अधिष्ठाता महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि अनुदान संख्या ३८—सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिये सहायक अनुदान के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६४–६५ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३८—सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिये सहायक अनुदान के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६४–६५ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४१—अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें

श्री जयराम वर्मा—

अधिष्ठाता महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४१—अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६४–६५ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४१—अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६४–६५ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ४३—लेखन सामग्री और मुद्रण

श्री बंशीधर पांडेय—

अधिष्ठाता महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४३—लेखन सामग्री और मुद्रण के अन्तर्गत ६,००,००० रुपये की अनुपूरक मांग १९६४–६५ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४३—लेखन सामग्री और मुद्रण के अन्तर्गत ६,००,००० रुपये की अनुपूरक मांग १९६४–६५ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ४४—वन

कृषि उपमंत्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४४–वन के अन्तर्गत २२,०८,३०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६४–६५ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४४—वन के अन्तर्गत २२,०८,३०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६४–६५ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ४५—प्रकीर्ण व्यय

श्रीमती तारा अग्रवाल—

अधिष्ठाता महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि अनुदान संख्या ४५—प्रकीर्ण व्यय के अन्तर्गत ६,९१,३०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६४–६५ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४५—प्रकीर्ण व्यय के अन्तर्गत ६,९१,३०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६४–६५ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ४८—औद्योगिक विकास पर पूंजी परिव्यय

श्री बंशीधर पांडेय—

अधिष्ठाता महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४८—औद्योगिक विकास पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत ८,३०,२०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६४–६५ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४८—औद्योगिक विकास पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत ८,३०,२०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६४–६५ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४९—सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय

श्री बंशीधर पांडेय—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं श्री राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४९—सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत ७,८६,२३,००० रुपये की अनुपूरक मांग १९६४–६५ के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४९—सिंचाई निर्माण-कार्यों पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत ७,८६,२३,००० रुपये की अनुपूरक मांग १९६४–६५ के लिए स्वीकार की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ५०—विद्युत् योजनाओं पर पूंजी परिव्यय

श्री बंशीधर पांडेय—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५०—विद्युत् योजनाओं पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत १,५९,५३,१०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६४–६५ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५०—विद्युत् योजनाओं पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत १,५९,५३,१०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६४–६५ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ५१—सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय

श्री जगनप्रसाद रावत—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५१—सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत २,५०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६४–६५ के लिये स्वीकार की जाये।

(इस समय ४ बजकर २६ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५१—सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत २,५०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६४–६५ के लिये स्वीकार की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ५२—सड़क परिवहन तथा अन्य योजनाओं पर पूंजी परिव्यय

खाद्य मंत्री के सभा सचिव (श्री हरीदत्त कांडपाल)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५२—सड़क परिवहन तथा अन्य योजनाओं पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत २६,४८,१०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६४–६५ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५२—सड़क परिवहन तथा अन्य योजनाओं पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत २६,४८,१०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६४–६५ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ५३—पेंशनों की संराशि

श्री जयराम वर्मा—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५३—पेंशनों की संराशि के अन्तर्गत, ५,१७,००० रुपये की अनुपूरक मांग १९६४–६५ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५३—पेंशनों की संराशि के अन्तर्गत ५,१७,००० रुपये की अनुपूरक मांग १९६४–६५ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ५४—राज्य व्यापार की योजनाएं

श्री हरीदत्त कांडपाल—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५४—राज्य व्यापार की योजनाओं के अन्तर्गत २९,९१,९९,१०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६४–६५ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५४—राज्य व्यापार की योजनाओं के अन्तर्गत २९,९१,९९,१०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६४–६५ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ५५—ब्याज वाले ऋण और अग्रिम

श्री जयराम वर्मा—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५५—ब्याज वाले ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत ६,३६,५२,७०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६४–६५ के लिये स्वीकार की जाये।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५५—ब्याज वाले ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत ६,३६,५२,७०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६४–६५ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६४–६५ का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, १९६५

वित्त उपमंत्री (श्री जयराम वर्मा)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६४–६५ का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, १९६५ को पुरःस्थापित करने के हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६४–६५ का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, १९६५ को पुरःस्थापित करने के हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री जयराम वर्मा—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६४–६५ का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, १९६५ को पुरःस्थापित करता हूं।

(विधेयक की प्रतियां बंटने के अनन्तर)

श्री जयराम वर्मा—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६४–६५ का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, १९६५ पर विचार किया जाय।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री जयराम वर्मा—

मैं अपने विचार रख लूं आपको विरोध करने से रोकता थोड़े ही हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

पहले उनको कह लेने दीजिये, फिर आप विरोध में यह कह लीजियेगा आपको जो कुछ कहना होगा।

श्री जयराम वर्मा—

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदन ने जिन-जिन सेवाओं के लिये जितनी-जितनी धनराशियां स्वीकृत की हैं उन-उन सेवाओं के लिए उतनी-उतनी धनराशि संचित निधि से निकाल कर काम में लाने और व्यय करने की अनुमति के लिये यह विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है और मुझे आशा है कि सदन इस विधयक को स्वीकार करेगा।

*श्री काशीनाथ मिश्र––

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि इस पर सामान्य विवाद के वक्त भी मैंने कहा था, उन बातों को मैं दोहराना नहीं चाहता, लेकिन इस समय हमारे अधिकांश मंत्रिगण बैठे हैं और उन लोगों ने विभिन्न विभागों के लिये अनुपूरक धनराशियां इस सदन के सामने रखीं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा इस आदरणीय सदन के सदस्यों और मंत्री महोदयों का ध्यान बजट की महान् राशि की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं और बड़े अदब से कहना चाहता हूं पहले ५० करोड़ और अब २२ करोड़ अर्थात् ७२ करोड़ रुपया इस सरकार ने बजट के अलावा लिया है। जिस वित्त मंत्री और उसके उच्चाधिकारियों को साल के शुरू में अनुमान लगाना मुश्किल हो गया और इतनी लम्बी धनराशि मांगनी पड़ी उनको शासन व्यवस्था में रहने का हक नहीं है। जिन अधिकारियों को हर २ महीने के बाद पता चलता है कि इतना खर्च और चाहिये उनको इस शासन व्यवस्था में रखने से इस राज्य का सर्वनाश तो होगा ही। मैंने कहा था और मैं इस बात पर जोर दे रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में जितने आज शासन में विराजमान हैं मंत्री लोग और अफसर ये लोग उत्तर प्रदेश के सारे बजट को अपने परिवार का बजट बना लिये हैं। इसके अन्दर जिस तरह की जितनी मांगें हैं वह सब इसी तरह की हैं जैसे कि रवीन्द्रालय के बारे में है। इसी तरह से औद्योगिक विकास के बारे में ७ करोड़ रुपया इन अनुपूरक बजट में मांगा गया है। उत्तर प्रदेश में क्या औद्योगिक विकास हो रहा है। छोटे-छोटे उद्योगों के नाम पर जिलों में कमेटी बनी हुई हैं जो वहां पर रुपये का वितरण करती हैं। वह कमेटी औद्योगिक विकास के नाम पर किन लोगों को रुपया देती है। वह रुपया बड़े-बड़े मंत्रियों के और एम० एल० एज० के सगे संबंधियों को मिलता है। उद्योग बढ़ाने के नाम पर उन लोगों को वह रुपया दिया जाता है। मैं जानता हूं इससे कोई विकास उद्योग का नहीं होता है। मैं चाहता हूं कि इसके लिये एक कमेटी बैठाई जाय जो इस बात को देखे कि किन लोगों को यह रुपया दिया जाता है। मैं समझता हूं और जानता हूं कि इस तरह से कोई उद्योग नहीं बढ़ सकता है। वह सारा रुपया मंत्री और एम० एल० ए० के सगे संबंधी और रिश्तेदार ही खा जाते हैं।

हरिजनों के कल्याण के नाम पर भी इसी तरह से रुपये का अपव्यय किया जाता है। हरिजन विद्यार्थियों के लिये स्कालरशिप और वजीफे के लिये जितना रुपया जाता है वह हरिजन कल्याण अधिकारी और बड़े-बड़े नेताओं की पाकेट म चला जाता ह। हरिजनों के लिये कुआं बनवाने के लिये भी यहां से रुपया दिया जाता है लेकिन हरिजनों के लिये कुंआ नहीं खुदता। हरिजन बस्ती में कोई भी कुंआ नहीं बनाया जाता है। बल्कि ब्राह्मण और ठाकुरों के दरवाजे पर वहां कुयें बनते हैं। यहां से तो जरूर हरिजनों के लिये पानी पीने के इन्तजाम के लिये दिया जाता है, लेकिन वह हरिजन बस्ती के लिये खर्च नहीं होता है। बेचारे हरिजन लोग प्यासे ही मरते रहते हैं। मैं इस आदरणीय सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर इसी तरह से अनुपूरक बजट की परम्परा चलती रही तो इस सूबे में प्रजातंत्र प्रणाली पनप नहीं सकती। दूसरे देशों में जो प्रजातंत्र की प्रणाली है वहां पर इस तरह से भारी रकम के अनुपूरक बजट पेश नहीं किये जाते हैं। मंत्री जी कोई ऐसा देश बतलायें जहां पर इतनी बड़ी धनराशि का अनुपूरक बजट पेश किया गया हो। २५ प्रतिशत से अधिक आप इस अनुपूरक बजट में पूरा करते हैं। २०० करोड़ का यहां पर बजट आया, लेकिन अनुपूरक ७५ करोड़ का फिर पेश कर दिया गया इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है। वास्तव में जिस तरह से मंत्रिगणों ने अपनी अय्याशी की नीति बरती है उसी तरह से उनके अफसर भी नीति बरतते हैं और उसी नीति का परिपालन करते हैं। अफसरों को २ महीने के बाद पता चलता है कि यह खर्चा होगा।

सांस्कृतिक सम्मेलन के नाम पर विधायकों को कुछ रुपया दिया जाता है। मैं भी विधायक हूं। मुझे मालूम नहीं कि कौन सा सांस्कृतिक सम्मेलन कहां पर होता है। वह

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री काशीनाथ मिश्र]

कौन सा कार्यक्रम है मुझे मालूम नहीं है । मैं भी ३ साल से यहां का सदस्य हूं । कई लोग ऐसे होंगे जो सांस्कृतिक सम्मेलन के नाम पर रुपया ले लिया करते हैं । वही रुपया मंत्री और अफसरों से मिलकर अनुपूरक बजट में घुसाया जाता है । इस तरह से उत्तर प्रदेश के गरीब लोगों की गाढ़ी कमाई का पैसा मंत्री लोग अपने दोस्तों के लिये खर्च किया करते हैं और उसको बहुमत से यहां पर पास करा लेते हैं । यह कहां तक प्रजातांत्रिक व्यवस्था है ? जनतंत्र के नाम पर इस तरह से धन का दुरुपयोग क्यों किया जाता है ? उनके सगे संबंधी ही उस मजलिस में बैठते हैं । जो उत्तर प्रदेश के गरीब जनसमुदाय के नुमाइन्दे हैं वे अपने हृदय पर हाथ रखकर देखें कि क्या इस तरह के रवीन्द्रालय को बनाकर आप जनता को लाभ पहुंचा रहे हैं ? जब उसमें प्रदर्शन होते हैं तो बड़े-बड़े अफसर सूट, बूट और गललंगोट वाले उसमें देखने जाते हैं । आम जनता उसमें कहां जाती है ? आपने अपने उद्घाटन के लिये दो लाख रुपया उसमें लगा दिया, यह कहां तक उचित है ? अगर इस प्रदेश में आप जनतांत्रिक प्रणाली को कायम करना चाहते हैं तो इस बजट को किसी हालत में पास न किया जाय, यह मेरी प्रार्थना है ।

*श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—

मान्यवर, जब अनुपूरक अनुदानों पर सदन में पहले विचार हो रहा था उस समय मिश्र जी ने एक तर्क सदन के समक्ष प्रस्तुत किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि यह अनुपूरक अनुदान संविधान में विहित प्रणाली के बिलकुल प्रतिकूल है । श्रीमन्, उन्होंने पुनः इस तर्क को दोहराया और उसके समर्थन में वे फरमाते हैं कि मंत्रीगण की अय्याशी पर खर्च करने के लिये इस अनुपूरक अनुदान की व्यवस्था की गयी है । उन्होंने यह भी कहा कि इस बजट में जो धनराशि रखी गयी है वह मंत्रियों के सगे संबंधियों पर खर्च की जायगी । मान्यवर, आप को स्मरण होगा, उसके बाद जब वे चले गये थे, मैंने आपकी सेवा में संविधान की कुछ धाराओं को कोट किया था । मैं सदन का समय पुनः नष्ट नहीं करना चाहता, किन्तु उनमें बताया गया था कि अनुपूरक अनुदानों के लिये किन सिद्धांतों का पालन किया जायगा । अनुपूरक अनुदानों के संबंध में यह एक संसदीय तथा सर्वमान्य सिद्धांत है कि वर्ष के मुख्य बजट में जो खर्च अनुमान न किया जा सके और राज्य सरकार को आगे चल कर वह खर्च करना पड़ जाय उस धनराशि के लिये अनुपूरक बजट लाया जा सकता है और यह संविधान की मंशा के अनुकूल है । मिश्र जी अपना सिर हिला रहे हैं । मैं उनकी सेवा में दो तीन लाइनें निवेदन करना चाहता हूं । इसमें लिखा है कि अनुच्छेद ११४ के उपबन्धों के अनुसार निर्मित किसी विधि द्वारा किसी विशेष सेवा पर चालू वित्तीय वर्ष के लिये व्यय किये जाने के लिये प्राधिकृत कोई राशि उस वर्ष के प्रयोजनों के लिये अपर्याप्त पायी जाती है अथवा जब उस वर्ष के वार्षिक वित्त विवरण में अपेक्षित न की गयी किसी नयी सेवा पर अनुपूरक अथवा अपर व्यय की चालू वित्तीय वर्ष में आवश्यकता पैदा हो गयी है, अथवा किसी वित्तीय वर्ष में किसी सेवा पर, उस सेवा के और उस वर्ष के लिये, अनुदान की गयी राशि से अधिक कोई धन व्यय हो गया है, तो ऐसी अवस्था में अनुपूरक बजट लाया जा सकता है । मैं आशा करता हूं कि माननीय मिश्र जी ने बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैन्डबुक भी देखी होगी और मैं उनसे आपके द्वारा पूछना चाहता हूं कि राज्य सरकार कैसे पहले से जान सकती थी कि जुलाई के महीने में इतना भयंकर खाद्य संकट प्रदेश में उपस्थित हो जायगा ? मैं समझता हूं कि इसकी अहमियत मिश्र जी समझते होंगे । इस बजट में एक लम्बी धनराशि अन्न वितरण की व्यवस्था के लिये खर्च की गयी है । मैंने उनसे आग्रह किया था और वे अनुपस्थित रहने के कारण मेरी बात नहीं सुन सके । एक लम्बी धनराशि इसमें इसलिये भी रखी गयी है कि हमारी सेना के वे जवान जिनके बलिदान की वह प्रशंसा करते हैं, जो हमारी सीमा के प्रहरी हैं, जिनकी वीरता के लिये कुंवर श्रीपाल जी भी उनकी बड़ाई करते हैं, उनके बच्चों के लिये

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

फीस देने की व्यवस्था करना, स्कालरशिप देने की व्यवस्था करना, यह सब कार्य कहां तक अपने सगे संबंधियों के लिये करना है, इस पर वे स्वयं विचार करें ।

मान्यवर, इसमें एक धनराशि कुम्भ के मेले के लिये व्यवस्था आदि करने पर है । पहले से यह विवादग्रस्त रहा है कि कुम्भ सन् १९६५ में पड़ेगा या सन् १९६६ में पड़ेगा । पहले जो दुर्घटना घटी, उसको ध्यान में रख कर उससे बचने के लिये विशेष प्रबन्ध करना पड़ा । इसके अतिरिक्त उनकी जानकारी के लिये म फिर बताना चाहता हूं कि यदि प्रारम्भ से अन्त तक की अनुपूरक अनुदानों को उन्होंने देखा होता तो वे ऐसी बात न करते । उसमें बहुत-सी ऐसी निधियां है जिनका संबंध केन्द्रीय सरकार की सहायता से चलने वाली योजनाओं से है । पहले से यह पता नहीं हो पाता कि केन्द्रीय सरकार कब और क्या सहायता देगी ।

इसके अलावा पटेल आयोग की सिफारिशों के अनुसार भी धन खर्च किया जा रहा है । उस पर खर्च करने को भी हमारे मित्र अय्याशी पर खर्च समझते हैं । मैं तो उनसे निवेदन करूंगा कि वे हिसाब लगाकर देखें कि इसमें जितनी धनराशियां हैं उनमें से कितना धन पूर्वी जिलों पर खर्च होने वाला है । यह खर्च उन पर होगा जिनकी दरिद्रता की चर्चा यहां पर की जाती है । केवल यह कहने से ही काम नहीं चलेगा कि हम हरिजन कल्याण और महिला कल्याण की कल्पना करते हैं । आपकी कथनी और करनी में सामंजस्य होना चाहिये । इस ओर सरकार की तरफ से जो कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं उनसे आपको आंख नहीं मूंद लेना चाहिये । क्या यह सही नहीं है कि तमाम कठिनाइयों के होते हुये भी हमने नारी कल्याण के लिये हाई स्कूल तक फ्री शिक्षा की ? मान्यवर, मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि चिकित्सा और स्वास्थ्य की ओर जो कदम उठाये जा रहे हैं उनकी ओर भी वे दृष्टिपात करें । उसमें एक धनराशि हाउसमैनशिप के लिये भी रखी गयी है । यह नयी योजना है । इसके अनुसार जो स्नातक मेडिकल कालेज से निकलेंगे, उनको उसमें भरती किया जा सकेगा । तो यह सारे खर्चे हैं, इनके लिये यदि माननीय सदस्य यह कहें कि यह अय्याशी पर खर्चा किया जा रहा है तो यह बड़े अफसोस की बात है । मैं समझता हूं कि जिन विशेषणों का उन्होंने प्रयोग किया वे जनतंत्र को मजबूत करने वाले नहीं हैं । मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वे अपने पुराने तर्क बारबार दोहराने की कृपा न करें ।

*वित्त मंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)—

अध्यक्ष महोदय, जो विधेयक इस सदन में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है वह उन्हीं धनराशियों से संबंधित है जिनको यह सदन अभी पास कर चुका है । इस विधेयक के द्वारा इन धनराशियों को निकाल कर व्यय करने का अधिकार लिया जा रहा है ।

माननीय सदस्य श्री काशीनाथ जी ने उसका विरोध करना उचित समझा और उन्होंने वही बात दोहरायी कि यह ७५ करोड़ रुपये का अनुपूरक अनुदान बहुत अधिक है । मैं इस विषय में निवेदन कर चुका हूं । पुनः सदन का समय लेना नहीं चाहता हूं । सम्भवतः उस समय वह उपस्थित नहीं थे । मैंने यह निवेदन कर दिया था कि यदि इन आंकड़ों को देखा जाय तो स्थिति बहुत कुछ स्पष्ट हो जायगी । बजट केवल खर्चे की मांग नहीं है । यही बजट प्रदेशीय शासन के हिसाब-किताब का चिट्ठा होता है और कोई भी व्यक्ति जब हिसाब-किताब रखता है तो लेने और देने इन सब चीजों की धनराशि वह अंकित करता है । इसलिये इसमें बहुत-सी ऐसी धनराशियां हैं जो वास्तविक खर्चे से संबंध नहीं रखती हैं किन्तु हिसाब-किताब के लिये उन धनराशियों को रखा गया है । मैंने निवेदन किया था कि करीब १२ करोड़ रुपया इसमें ऐसा है जो ऋण और अग्रिम का है, कहीं से आया और कहीं जायगा । मैंने यह भी निवेदन किया था कि इसमें ४२

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री कैलाशप्रकाश]

करोड़ रुपया ऐसा है जिसमें ४० करोड़ रुपया तो गल्ला खरीदने के लिये रखा गया था और जो गल्ला बेंचने पर वापस आ जायगा और २ करोड़ रुपया बीज खरीदने के लिये रखा गया है जो उसको देने पर वापस आ जायगा। तो यह भी एक लोन ऐसा हो गया, वास्तविक खर्च नहीं है। इसके बाद कोई इतनी बड़ी धनराशि नहीं रह जाती जिसके लिये यह कहा जाय कि इतना बड़ा अनुपूरक बजट है। ब्योरे में जाने की इस समय मेरी कोई मंशा नहीं है।

हरिजनों के विषय में बात कही गई। वैसे तो माननीय सदस्य ब्लाकों के और क्षेत्र समितियों के भी सदस्य हैं, जिला परिषदों के भी सदस्य हैं, बहुत कुछ रुपया जो यह दिया जाता है वह उन्हीं संस्थाओं की मार्फत दिया जाता है। यदि उसका कहीं ठीक उपयोग नहीं हो पाता है तो माननीय सदस्य वहां भी देख सकते हैं और यहां भी कह सकते हैं। कहा गया कि शिक्षा संस्थाओं में जो हरिजन छात्र पढ़ते हैं उनको जो सुविधायें दी जाती हैं उसका उपयोग ठीक नहीं हो पाता है। मैं कह नहीं सकता हूं, लेकिन मेरे पास या हरिजन कल्याण मंत्री के पास अगर ऐसी बातें आयें तो अवश्य हम उन्हें ठीक करने का प्रयत्न करेंगे। हम चाहते हैं कि जो धनराशि हरिजन छात्रों के वास्ते रखी जाय वह उन छात्रों को पहुंचनी चाहिये। बहुत-सी बातें मेरे मित्र रामायणराय जी ने कह दी है, उनको भी मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। यदि किन्हीं माननीय सदस्य की धारणा ही यह बन गई है और किसी की बात को सुनकर वह उसे बदलना ही नहीं चाहते हैं तो मैं कुछ कहना नहीं चाहता। इससे तो मैं अपनी बात कहूंगा और वह अपनी बात कहते रहेंगे, कोई लाभ नहीं होने वाला है। लेकिन मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन में बैठकर माननीय सदस्यों का यह उत्तरदायित्व हो जाता है कि चीजों को जिस पृष्ठ-भूमि में वह आवें उन्हीं पृष्ठ भूमियों में देखना चाहिये। इतना निवेदन करने के पश्चात् मैं प्रार्थना करता हूं कि इस विधेयक पर विचार किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६४–६५ का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, १९६५ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १, २, ३ तथा अनुसूची

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६४–६५ का द्वितीय अनुपूरक) अधिनियम, १९६५ कहलायेगा।

उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से वर्ष १९६४–६५ के लिए ४९,७४,६८,२०० रु० का दिया जाना

२—ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के लिये जो ३१ मार्च, १९६५ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ २ में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के संबंध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से इतना रुपया निकाला और काम में लाया जा सकता है जो अनुसूची के स्तम्भ ३ में दी हुई धनराशियों से, जिनका कुल योग ४९,७४,६८,२०० रु० (उनचास करोड़ चौहत्तर लाख अड़सठ हजार दो सौ रुपया) होता है, अधिक न हो।

विनियोग

३—इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का अधिकार दिया जाता है, उनका विनियोग ३१ मार्च, १९६५ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के संबंध में उन सेवाओं, और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा जो अनुसूची में दिये हुये हैं।

अनुसूची

(धारायें २ व ४ देखिये)

१	२	३		
अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों स अनधिक		
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
		रु०	रु०	रु०
१	बृहत् जोत कर ..	११,०००	..	११,०००
२	भू-राजस्व (मालगुजारी)	..	१६,१००	१६,१००
३	राज्य आबकारी	२,२१,५००	..	२,२१,५००
६	स्टाम्प ..	४,३६,५००	..	४,३६,५००
८	राज्य विधान मंडल ..	१२,६६,६००	..	१२,६६,६००
९	सामान्य प्रशासन ..	..	१,००,०००	१,००,०००
१०	आयुक्त (कमिश्नर) और जिला प्रशासन ..	९२,२५,०००	..	९२,२५,०००
१२	न्याय-प्रशासन ..	१०,७६,६००	३०,५००	११,०७,१००
१३	कारागार (जेल) ..	१५,७७,०००	..	१५,७७,०००
१४	पुलिस ..	४३,४१,२००	..	४३,४१,२००
१५	खाद्य और रसद तथा अन्य संगठन ..	५,५१,८००	..	५,५१,८००
१६	वैज्ञानिक शोध तथा सांस्कृतिक कार्य ..	१००	..	१००
१७	शिक्षा ..	१४,८५,८००	..	१४,८५,८००
१८	चिकित्सा ..	७००	..	७००
१९	सार्वजनिक-स्वास्थ्य ..	३७,३६,८००	३००	३७,३७,१००
२०	कृषि संबंधी विकास	६००	..	६००
२२	पशुपालन और मत्स्य पालन ..	६,७७,६००	..	६,७७,६००
२३	सहकारिता ..	४००	..	४००
२४	उद्योग ..	९००	..	९००
२५	नियोजन और समन्वय	..	२,८००	२,८००
२६	श्रम और सेवायोजन	९,१७,६००	..	९,१७,६००
२७	सूचना निदेशालय	४००	..	४००
२८	अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियां ..	..	४००	४००
२९	समाज कल्याण ..	१००	..	१००
३०	राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य ..	५७,०४,२००	..	५७,०४,२००

१	२	३		
		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		योग
अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	
३२	अभियंत्रण (इंजीनियरिंग) संस्थायें ..	२००	..	२००
३५	सार्वजनिक निर्माण-कार्य जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं ..	..	१०,०००	१०,०००
३६	संचार साधनों का सुधार ..	७,८०,१००	..	७,८०,१००
३७	सार्वजनिक निर्माण-कार्य अधिष्ठान ..	२,८०,३००	..	२,८०,३००
३८	सार्वजनिक निर्माण-कार्यों के लिये सहायक अनुदान ..	१००	..	१००
४०	दुर्भिक्ष सहायता ..	..	३००	३००
४१	अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें	१००	..	१००
४३	लेखन सामग्री और मुद्रण ..	६,००,०००	..	६,००,०००
४४	वन ..	२२,०८,३००	७१,४००	२२,७९,७००
४५	प्रकीर्ण व्यय ..	६,९१,३००	..	६,९१,३००
४७	कृषि योजनाओं पर पूंजी परिव्यय ..	..	३,८००	३,८००
४८	औद्योगिक विकास पर पूंजी परिव्यय ..	८,३०,२००	..	८,३०,२००
४९	सिंचाई निर्माण-कार्यों पर पूंजी परिव्यय ..	७,८६,२३,०००	१३,२००	७,८६,३६,२००
५०	विद्युत् योजनाओं पर पूंजी परिव्यय ..	१,५९,५३,१००	९००	१,५९,५४,०००
५१	सार्वजनिक निर्माण-कार्यों पर पूंजी परिव्यय ..	२,५००	..	२,५००
५२	सड़क परिवहन तथा अन्य योजनाओं पर पूंजी परिव्यय ..	२६,४८,१००	..	२६,४८,१००
५३	पेंशनों का राशि मूल्य	५,१७,०००	..	५,१७,०००
५४	राज्य व्यापार की योजनायें ..	२९,९१,९९,१००	..	२९,९१,९९,१००
५५	ब्याज वाले ऋण और अग्रिम ..	६,३६,५२,७००	..	६,३६,५२,७००
	योग ..	४९,७२,१८,५००	२,४९,७००	४९,७४,६८,२००

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १, २, ३ और अनुसूची इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६४–६५ का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, १९६५

३१ मार्च, १९६५ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिये राज्य की संचित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार देने की व्यवस्था के लिये,

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के सोलहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जांय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री कैलाशप्रकाश—

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६४–६५ का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, १९६५ पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६४–६५ का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, १९६५ पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

अब ३–४ मिनट के बाद वित्तीय वर्ष १९६५–६६ का आय-व्ययक प्रस्तुत किया जायगा।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—

उपाध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी बजट के प्रस्तुत करने के बारे में कह दें और इस बीच में बजट कापीज बटवा दी जायं।

श्री उपाध्यक्ष—

लेकिन यह ५ बजे के बाद ही होगा।

१९६५–६६ का आय-व्ययक

वित्त मंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय राज्यपाल महोदय की सिफारिश से वित्तीय वर्ष १९६५–६६ का आय-व्ययक प्रस्तुत करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आय–व्ययक साहित्य बांट दिया जाय।

(आय व्ययक साहित्य बांटा गया)

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, बजट साहित्य बंट गया और माननीय वित्त मंत्री ने बजट को पेश कर दिया। माननीय वित्त मंत्री के बजट भाषण को देखकर हम लोग समझते हैं कि निम्न-स्तर के सरकारी कर्मचारियों के लिये केवल ५ रु० महंगाई भत्ता दिया गया है जो बहुत ही कम है। ५१ से १५० रु० तक पाने वालों को १० रु० और १५१ से ४५० रु० तक पाने वालों को साढ़े १२ रु० महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है।

श्री उपाध्यक्ष—

पाण्डेय जी, आप बैठ जायं। यहां की यह परम्परा नहीं रही है जो आप अपना रहे हैं। बजट साहित्य बंटने के बाद वित्त मंत्री का भाषण होता है। आप कृपया बैठ जायं। यह तरीका गलत है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

यह बजट करीब १५ करोड़ रुपये के घाटे का है तथा प्रदेश की गरीब जनता पर टैक्स लगाने की योजना है। इस तरह से समाजवाद की रक्षा नहीं हो सकती। इसलिये मैं इस सदन का बहिष्कार कर रहा हूं और अपने दल के साथ बाहर जा रहा हूं।

(संयुक्त समाजवादी दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

श्री जेड० ए० अहमद (जिला आजमगढ़)—

उपाध्यक्ष जी, मैं भी समझता हूं कि यह बड़े शर्म की बात है कि निम्न सरकारी कर्मचारियों के लिये केवल ५ रु० महंगाई भत्ते की व्यवस्था की गयी है। इसलिये इसके विरोध में मैं भी अपनी पार्टी के साथ सदन छोड़ रहा हूं।

(कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)—

उपाध्यक्ष जी, मैं भी इस बजट के विरोध में अपने दल के साथ सदन छोड़ कर बाहर जा रहा हूं।

(निर्दलीय दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

श्री कैलाशप्रकाश—

अध्यक्ष महोदय,

मैं वित्तीय वर्ष १९६५–६६ का बजट प्रस्तुत करने जा रहा हूं।

पिछले बजट पर विचार करते समय इस आदरणीय सदन के सभी सदस्य तथा प्रदेश की जनता चिन्तित थी कि १९६३–६४ की रबी की फसल कैसी होगी और उसका क्या असर होगा। दुर्भाग्य से हमारी आशंका सही निकली और हमें पूरे वर्ष भर कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ा। वैसे तो खाद्यान्न का उत्पादन देश भर में कम हुआ, किन्तु हमारे प्रदेश में बहुत ही कम। १९६३–६४ का मौसम इतना खराब रहा जितना कि इधर कई वर्षों से नहीं हुआ था। खाद्यान्न का उत्पादन भी जो केवल ११६ लाख टन हुआ इतना कम रहा जितना कि १९५७–५८ के बाद से किसी भी वर्ष नहीं हुआ। खाद्यान्न का उत्पादन कम होने से भाव बढ़ने लगते हैं, केवल खाद्यान्न के नहीं, बल्कि उन समस्त वस्तुओं के जो जन साधारण के दैनिक जीवन के लिये आवश्यक होते हैं। विकास काल में मुद्रास्फीति में वृद्धि निहित है, विशेष कर पिछड़े देशों में, जिसका प्रभाव कीमतों पर भी पड़ता है। फलतः समस्त प्रकार की नित्योपयोगी वस्तुओं के दाम सारे देश में बढ़ने लगे और हमारे प्रदेश पर भी उसका प्रभाव पड़ा। परिणाम यह हुआ कि अखिल भारतीय नित्योपयोगी वस्तु मूल्यांक (आल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स)

जो १९४९ की कीमतों के आधार पर सितम्बर, १९६२ में १३३ था, सितम्बर, १९६३ में १३७ और सितम्बर, १९६४ में १५९ हो गया। कानपुर के लिये यह मूल्यांक सितम्बर, १९६२ में ११० से बढ़ कर सितम्बर, १९६३ में ११३ और सितम्बर, १९६४ में १५२ हो गया। खाद्यान्नों के लिये यही अंक जब कि समस्त देश के लिये सितम्बर, १९६३ में १३९ से बढ़कर सितम्बर, १९६४ में १६१ हुआ, किन्तु कानपुर के लिये उसी समय में ११२ से १६९ हो गया।

स्पष्ट है कि चालू वित्तीय वर्ष हमारे लिये अत्यधिक परेशानी का वर्ष रहा और इससे जनता को जो मुसीबत उठानी पड़ी उससे मैं परिचित हूं। इन मुसीबतों का हल निकालना सब से पहला काम था। अतः सरकार ने इस दिशा में सभी संभव उपाय किये हैं और करेगी। किन्तु हमें इस बात से भी सचेत रहना होगा कि हमारी वर्तमान आर्थिक कठिनाइयां हमारे ऊपर हावी होक कहीं हमारी दृष्टि को धुंधला न कर दें। हमें अपने दीर्घकालीन लक्ष्यों को भी बराबर दृष्टि में रखना है और किसी भी प्रकार अपने प्रयासों में शिथिलता नहीं आने देनी चाहिये। प्रयासों में किसी प्रकार की शिथिलता या हिचकिचाहट का परिणाम निस्संदेह यही होगा कि हमारी अर्थ–व्यवस्था की प्रगति रुक जायगी और जनता की निर्धनता तथा अभाव से मुक्ति, जिसके लिये हम लड़े तथा स्वतंत्रता प्राप्त की, अनिश्चित काल के लिये टल जायेगी। हमारी परीक्षा इसी में है कि हम किस प्रकार इन दिक्कतों पर विजय पाते हैं और इसीलिये हमें अधिक प्रयास करना है और कार्य में दृढ़ संकल्प के साथ उत्साह तथा लगन से जुट जाना है।

जो बजट मैं पेश कर रहा हूं तीसरी पंचवर्षीय योजना का अन्तिम बजट है। प्रत्येक योजना समाप्त होने पर हम विकास की एक निश्चित अवस्था पर पहुंचने की आशा करते हैं, अतएव हमारे लिये यह आवश्यक है कि इस चालू योजना के अन्तर्गत जिन कार्यों में किसी भी कारण कमी रह गयी हो उनको पूरी कर लें। माननीय सदस्य देखेंगे कि बजट प्रस्ताव इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर तैयार किये गये हैं।

अपनी ५०२ करोड़ २५ लाख रुपये की कुल योजना में से हमने १९६३–६४ तक लगभग २४५ करोड़ रुपये की धनराशि का उपयोग किया है और चालू वर्ष के पुनरीक्षित अनुमानों के अनुसार १९६४–६५ के अन्त तक लगभग १३२ करोड़ रुपये की धनराशि का और उपयोग कर लिया जायगा। इस प्रकार कुल उपयोग की गई धनराशि मूल परिव्यय की लगभग ७५ प्रतिशत हो जागी। वर्तमान कठिनाइयों के कारण हमारे लिये यह अत्यन्त आवश्यक हो गया है कि हम शीघ्र से शीघ्र उत्पादन बढ़ायें। स्पष्ट है कि हमें तीसरी योजना की शेष अवधि में अधिक से अधिक धन लगाना होगा। इसलिये बजट के अनुमानों में लगभग १४१ करोड़ रुपये के योजना परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है। सरकार चाहती है कि यदि साधन उपलब्ध हों तो अगला वित्तीय वर्ष समाप्त होने के पूर्व इस परिव्यय को बढ़ाकर १५५ करोड़ रुपया कर दिया जाय। मेरे विचार से चौथी योजना का सुदृढ़ आधार तैयार करने के लिये ऐसा करना आवश्यक है। योजना आयोग ने कतिपय शर्तों पर हमें कुछ अतिरिक्त सहायता देने का आश्वासन दिया है और बजट वर्ष में इस हेतु अपने हिस्से की धनराशि जुटाने के लिये आवश्यक कार्यवाही करने का विचार है।

चालू तथा बजट वर्ष के कार्यों की चर्चा करने के पूर्व मैं १९६३–६४ के लेखे, चालू वर्ष के पुनरीक्षित अनुमानों और १९६५–६६ के बजट अनुमानों का संक्षेप में उल्लेख करना चाहता हूं।

लेखा

१९६३–६४ के मूल अनुमानों की अपेक्षा राजस्व प्राप्तियों में ११ करोड़ ६६ लाख रुपये की बढ़ती हुई और राजस्व व्यय में ४ करोड़ ६५ लाख रुपये की कमी हुई, जिसमें अधिकतर वह मदें हैं जो योजना के बाहर थीं। केन्द्रीय करों से प्राप्त हमारे भाग में ४०२ लाख रुपये की बढ़ोत्तरी विशेषकर इसलिये हुई कि इसमें १९५२–५३ से १९६०–६१ तक की अवधि के आय-कर के विभाज्य संकोष (डिविजिबिल पूल) की बकाया धनराशि शामिल है, जो आयकर की

[श्री कैलाशप्रकाश]

वास्तविक प्राप्ति के आंकड़ों की संपरीक्षा होने पर राज्य को मिली। केन्द्रीय मूल (बेसिक) उत्पादन शुल्कों एवं आयकर में से राज्य को मिलने वाले हिस्से की वृद्धि भी इसमें शामिल है। राज्य के अपने करों से होने वाली प्राप्तियों में केवल १४० लाख रुपये की वृद्धि हुई, लेकिन करों से भिन्न राजस्व में ६८२ लाख रुपये की वृद्धि हुई, जिसके मुख्य कारण ये थे :—ब्याज प्राप्तियों में वृद्धि (२०५ लाख रुपये), सिंचाई प्राप्तियां (१२२ लाख रुपये), वनों से आय (१८७ लाख रुपये), प्रकीर्ण प्राप्तियां (७५ लाख रुपये) तथा विद्युत् योजनाओं से प्राप्तियां (६९ लाख रुपये)। राजस्व व्यय में कमी मुख्यतया इस कारण हुई कि नागरिक सुरक्षा उपायों का जहां तक हो सका समेकन कर दिया गया जिसके फलस्वरूप ४३६ लाख रुपये की बचत हुई। इन सब से तथा कुछ अन्य कारणों से भी राजस्व की स्थिति में सुधार हुआ है और वित्तीय वर्ष १९६३–६४ के अन्त में पुनरीक्षित अनुमानों में प्रत्याशित १ करोड़ २२ लाख रुपये के घाटे के बजाय ११ करोड़ ३४ लाख रुपये की बचत हुई।

पुनरीक्षित अनुमान

चालू वर्ष के बजट में राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय का अनुमान क्रमशः २२३ करोड़ ८४ लाख रुपये और २३५ करोड़ ४३ लाख रुपये लगाया गया था। इस प्रकार ११ करोड़ ५९ लाख रुपये का राजस्व घाटा होता है। सड़क से ले जाये जाने वाले माल पर एक नया कर लगाया गया है जिससे चालू वित्तीय वर्ष में ४० लाख रुपये के राजस्व की प्राप्ति होने की संभावना है। वर्ष के दौरान में करापवंचन को रोकने और बकाये की वसूली करने के लिये कुछ और उपाय किये गये हैं। पुनरीक्षित अनुमानों में राजस्व प्राप्तियां २२५ करोड़ १ लाख रुपये रखी गयी हैं और राजस्व व्यय का अन्दाजा २३१ करोड़ ६० लाख रुपये लगाया गया है। इस प्रकार राजस्व का घाटा कम होकर ६ करोड़ ५९ लाख रुपया रह जायेगा जिसे राजस्व सुरक्षित निधि से पूरा करने का प्रस्ताव है। प्राप्तियों के पुनरीक्षित अनुमान में कुल १ करोड़ १७ लाख रुपये की वृद्धि होगी, यद्यपि प्रदेश के कर-राजस्व में १ करोड़ १ लाख रुपये की कमी रहेगी। प्रदेश के कर-राजस्व में इस कमी का मुख्य कारण यह है कि वर्ष के दौरान में मालगुजारी के अन्तर्गत जितनी वसूली होने की आशा थी उससे कम वसूली होगी क्योंकि जहां रबी की फसल खराब गई या अन्य दैवी आपदाएं आईं, मालगुजारी में बड़े पैमाने पर छूट देनी पड़ी। गन्ने पर लगाये गये उपकर (सेस) तथा क्रय-कर और (नागर क्षेत्र) भूमि तथा भवन कर से होने वाली प्राप्तियां मूल अनुमानों से कम होने की आशंका है। किन्तु कर से भिन्न (नान-टैक्स) राजस्व में वृद्धि होने की सम्भावना है और यह भी अनुमान है कि केन्द्रीय करों से प्राप्त होने वाले राज्य के अंश में थोड़ी-सी वृद्धि हो जायगी। राजस्व व्यय के पुनरीक्षित अनुमान में ३ करोड़ ८३ लाख रुपये की कमी हुई है। योजना में सम्मिलित स्कीमों पर होने वाले राजस्व व्यय के ४४ करोड़ ६१ लाख रुपये के मूल अनुमान की तुलना में पुनरीक्षित अनुमान ४४ करोड़ १८ लाख रुपये हैं। इस प्रकार योजना के व्यय में केवल ४३ लाख रुपये की कमी होगी। राजस्व व्यय में कमी की शेष धनराशि अर्थात् ३ करोड़ ४० लाख रुपये का संबंध योजना से बाहर की स्कीमों से है।

पूंजीगत व्यय के लिये मूल अनुमानों में ९७ करोड़ ४८ लाख रुपये की व्यवस्था की गयी थी जिसमें ऋण का संवितरण भी सम्मिलित है। इसमें से योजना की स्कीमों के लिये ७५ करोड़ ८२ लाख रुपये की व्यवस्था की गयी थी। पुनरीक्षित अनुमानों में ११० करोड़ ६९ लाख रुपये की व्यवस्था रखी गयी है जिसमें योजना की स्कीमों के लिये ८७ करोड़ ६२ लाख रुपये भी सम्मिलित हैं।

पुनरीक्षित अनुमानों में योजना की स्कीमों का कुल प्रत्याशित व्यय १३१ करोड़ ८० लाख रुपये रखा गया है जब कि मूल बजट में लगभग १२० करोड़ ४३ लाख रुपये की व्यवस्था की गयी थी।

बजट अनुमान

१९६५–६६ के लिये राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय का अनुमान क्रमशः २४७ करोड़ ७४ लाख रुपये तथा २६२ करोड़ ६५ लाख रुपये रखा है। इस प्रकार १४ करोड़

९१ लाख रुपये की कमी होती है। कुल अनुमानित राजस्व प्राप्तियों में योजना की स्कीमों के लिये, वित्तीय सहायता के रूप में भारत सरकार से मिलने वाले अनुदान की धनराशि भी सम्मिलित है, जिसका अनुमान २४ करोड़ रुपये लगाया गया है। इसी प्रकार व्यय के अनुमानों में योजना की स्कीमों पर राजस्व व्यय के लिये ५४ करोड़ ४८ लाख रुपये की धनराशि सम्मिलित है। इस प्रकार योजना के राजस्व व्यय में राज्य का अपना हिस्सा ३० करोड़ ४८ लाख रुपये आता है। योजना से भिन्न व्यय को पूरा करने के पश्चात् राजस्व प्राप्तियों से १५ करोड़ ५७ लाख रुपये की धनराशि रह जाती है जो योजना व्यय के लिये उपलब्ध होगी। इस से योजनागत व्यय का अन्तर कुछ हद तक पूरा हो जायगा। इस प्रकार शुद्ध राजस्व घाटा १४ करोड़ ९१ लाख रुपये तक रह जायगा।

पूंजी व्यय तथा राज्य सरकार द्वारा ऋण और अग्रिम के संवितरण के लिये ११६ करोड़ ६१ लाख रुपये की व्यवस्था की गई है जिसमें से ८६ करोड़ ३३ लाख रुपये की धनराशि योजनागत व्यय के लिये होगी। भारत सरकार ने १४१ करोड़ रुपये के योजनागत अस्थायी परिव्यय के निमित्त बजट वर्ष में १०४ करोड़ रुपये की सहायता देना स्वीकार कर लिया है और उन्होंने आयोजना आयोग द्वारा अनुमोदित १५५ करोड़ रुपये के योजनागत परिव्यय के लिये अपेक्षित अतिरिक्त सहायता को भी इस शर्त पर देने का वचन दिया है कि राज्य सरकार योजनागत परिव्यय के १४१ करोड़ रुपये तथा १५५ करोड़ रुपये के अन्तर की आधी धनराशि को पूरा करने के लिये आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था करे।

योजना के पूंजीगत व्यय को वित्तपोषित करने के लिये बजट वर्ष में १२ करोड़ रुपये का ऋण बाजार से लेने का प्रस्ताव है।

कार्य-कलाप

खाद्य स्थिति

चालू वर्ष के कार्यकलापों पर जब हम विचार करते हैं तो सबसे पहले हमारा ध्यान खाद्य स्थिति की ओर जाता है। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं चालू वर्ष में हम सबको, विशेषकर निर्धारित तथा कम आय के लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। खाद्यान्नों का उत्पादन हमारी आवश्यकताओं से काफी कम हुआ जिसके कारण हमें एक बड़ी हद तक बाहर से मंगाये गये गेहूं पर निर्भर रहना पड़ा। केन्द्रीय सरकार खाद्यान्नों का जितना कोटा हमें देती थी उस पर ही एक बड़ी हद तक हमारी सप्लाई स्थिति निर्भर रही थी। राज्य सरकार ने खाद्यान्नों की अपनी सप्लाई बढ़ाने के लिये पंजाब से बड़े परिमाण में खाद्यान्न मंगाया और राज्य के बाहर खाद्यान्न भेजने पर प्रतिबन्ध लगाये। इसके साथ ही सरकार ने विभिन्न वस्तुओं का व्यापार करने के लिये लाइसेंस लेना आवश्यक कर दिया और विभिन्न स्तरों पर अधिक से अधिक स्टाक रखने का परिमाण निर्धारित कर दिया। इस संबंध में जो कार्यवाहियां की गईं उनके ब्योरे बताना आवश्यक नहीं है क्योंकि मुझे यकीन है कि मेरे माननीय मित्र खाद्यमंत्री, अनुदान के लिये अपनी मांगें प्रस्तुत करते समय सदन को इन ब्योरों की जानकारी करायेंगे। मुझे उम्मीद है कि हमारी दिक्कतें शीघ्र ही दूर हो जायेंगी। पिछली खरीफ की फसल बहुत सन्तोषजनक हुई है और यह भी उम्मीद है कि रबी की फसल भी अच्छी होगी। फिर भी सरकार ने उचित परिमाण में 'बफर स्टाक' बनाने का निश्चय किया है। उद्देश्य यह है कि चालू वर्ष में जिन कठिनाइयों का सामना हमें करना पड़ा है फिर न करना पड़े। इस निमित्त बजट में पर्याप्त व्यवस्था की गई है।

कृषि

यह प्रतीत होता है कि कृषि का क्रम अब बदल जायगा। हमें आशा है कि इस वर्ष हमारी फसल अच्छी होगी। माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि खाद्यान्न की समस्या का प्रभावकारी तथा स्थायी हल यही है कि हम कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये भरसक प्रयत्न करें।

[श्री कैलाश प्रकाश]

हमने अपने विकास संबंधी प्रयत्नों में कृषि को हमेशा सर्वोच्च स्थान दिया है। चालू वित्तीय वर्ष में उत्पादन बढ़ाने की सभी योजनाओं की गति काफी तेज कर दी गई है। राज्य के जिन १५ जिलों में उत्पादन तेजी से बढ़ाया जा सकता है उनमें गेहूं चावल, बाजरा तथा दालों की सघन खेती करने के कार्य-क्रम चालू किये गये हैं। मूंगफली की खेती का पैकेज कार्यक्रम कुछ समय से ३ जिलों में चालू है उसे अब दो और जिलों में चालू कर दिया गया है। पिछले वर्ष से एक कृषि सम्पूर्ति संगठन (सप्लाई आर्गेनाइजेशन) कायम किया गया है। किसानों की आवश्यकतायें पूरी करने के लिये इस संगठन का और विस्तार कर दिया गया है और इससे उन किसानों को विशेष रूप से लाभ पहुंचेगा जो सहकारी समितियों के सदस्य नहीं हैं। चीनी कारखानों के आस-पास के क्षेत्रों में सघन खेती करने के कार्य-क्रम का परिणाम उत्साहवर्धक रहा है और औसत उत्पादन १४२ क्विन्टल प्रति एकड़ से बढ़ कर १६२ क्विन्टल प्रति एकड़ हो गया है। आशा है कि अगले वर्ष तक यह उत्पादन बढ़ कर १८७ क्विन्टल प्रति एकड़ हो जायगा। बजट वर्ष में ९ लाख १८ हजार टन कृषि उत्पादन क्षमता बढ़ाने का प्रस्ताव है, साथ ही कुक्कुट पालन तथा मछली उत्पादन की भी व्यवस्था कर दी गई है।

सिंचाई

कृषि उत्पादन तेजी से बढ़ाने के लिये सिंचाई सुविधाओं का उपलब्ध होना आवश्यक है और वर्तमान स्थिति को देखते हुये छोटी सिंचाई संबंधी निर्माण-कार्यों की गति को तेज करना और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। अतएव सरकार ने चालू वर्ष में सिंचाई सुविधाएं बढ़ाने के लिये भरपूर प्रयास करने का निश्चय किया है। सरकारी ऋणों की सहायता से बड़े पैमाने पर निजी छोटे सिंचाई कार्य-क्रम को शुरू करने और इमारती सामान की सप्लाई से संबंधित सभी प्रबन्धों को सुधारने का निश्चय किया गया है। ऋण देने के संबंध में नियमों को उदार बनाया गया है और उनके भुगतान करने की अवधि बढ़ा दी गयी है। पक्के कुओं को गहरा खोदने और पानी निकालने के यंत्रों को लगाने की सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। राज्य के ८ जिलों के १६ विकास खंडों में एक 'क्रैश कार्य-क्रम' आरम्भ किया गया है। इसी प्रकार देवरिया, आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर के अग्रगामी प्रायोजना (पाइलट प्रोजेक्ट) वाले जिलों में भी कार्य-क्रम प्रारम्भ किये गये हैं। किसान बड़ी संख्या में इसे अपनाने लगे हैं और यदि यही क्रम चलता रहा तो आशा है कि चालू वर्ष की तुलना में हमारी कठिनाइयां कम होंगी।

निजी छोटी सिंचाई योजनाओं के साथ-साथ सरकारी प्रायोजनाओं के निर्माण-कार्य को भी तेज कर दिया गया है। बहुत बड़ी संख्या में नलकूप बनाने की स्वीकृति दी गई है जिनमें से ३२४ नलकूप गन्ना क्षेत्रों के लिए और ११० पूर्वी जिलों के लिए हैं। प्रत्येक नलकूप के लिए दो मील पक्की और तीन मील कच्ची गूलों की व्यवस्था की जायगी। खेतों की और अधिक नालियां बना कर सरकार द्वारा उपलब्ध सिंचाई के समस्त साधनों की क्षमता के उपयोग में वृद्धि की जा रही है। नार्दर्न इंडिया कैनाल ऐण्ड ड्रेनेज ऐक्ट का संशोधन होने के बाद लगभग ९,००० मील लम्बी नालियां बनायी जा चुकी हैं और १९६५-६६ तक और ६,००० मील लम्बी नालियां तैयार हो जाने की आशा है। मुझे विश्वास है कि इन उपायों से तथा सरकार द्वारा अपनाये जाने वाले अन्य उपायों के फलस्वरूप प्रतिकूल मौसम से होने वाला खतरा खेती को कम हो जायगा। इसके अतिरिक्त कृषि उपज के न्यूनतम मूल्य भी निर्धारित किये गये हैं ताकि कृषि लोगों के लिए अधिक आकर्षक और लाभदायक हो जाय। भूतपूर्व वित्त मंत्री जी ने अपने पिछले बजट भाषण में इस सदन के सभी माननीय सदस्यों से यह अनुरोध किया था कि वे उत्पादन बढ़ाने में अपना पूरा सहयोग दें तथा उत्पादन बढ़ाने के सन्देश को गांव-गांव पहुंचा दें ताकि इस समय जो सुविधायें प्राप्त हुई हैं उनका पूरा-पूरा लाभ उठाया जा सके। इन सुविधाओं का लाभ उठाने के लिये संगठित प्रयास उतना ही आवश्यक

है जितना कि सुविधाओं की व्यवस्था करना। अतएव इस समय हमारे किसान कृषि उपज बढ़ाने के लिए अधिक सक्रिय दिखाई पड़ रहे हैं। उनकी इस धारना को व्यापक तथा सुदृढ़ करने की आवश्यकता है क्योंकि इन्हीं उपायों से हमारी खाद्य समस्याओं का स्थायी हल निकल सकता है। अतएव मैं इस सदन के माननीय सदस्यों से फिर से अनुरोध करूंगा कि कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए तथा खेती के नये तरीके अपनाने के लिए वे अपना पूर्ण सहयोग दें।

बजट वर्ष में राज्य की छोटी सिंचाई योजनाओं द्वारा ४ लाख ३ हजार एकड़ तथा बड़ी सिंचाई योजनाओं द्वारा २ लाख ४५ हजार एकड़ भूमि की सिंचाई क्षमता (पोटेंशियल) बढ़ाने का प्रबन्ध किया जायगा।

बिजली

बिजली के क्षेत्र में हमने अपनी प्रगति न केवल अच्छी बना रखी है बल्कि उसे काफी तेज भी कर दिया है। हमारी विद्युत् उत्पादन क्षमता तीसरी योजना के आरम्भ में केवल २७४ मेगावाट थी और अब वह बढ़ कर ६२४ मेगावाट हो चुकी है अर्थात् योजना के पहले तीन वर्षों में राज्य में जितनी विद्युत् क्षमता बढ़ाई गई है वह १९६१ तक की कुल क्षमता से अधिक है। तीसरी योजना के समाप्त होने तक लगभग ४०० मेगावाट की और वृद्धि होने की आशा है और इस प्रकार कुल क्षमता १,०२४ मेगावाट हो जायगी। यमुना जल विद्युत् योजना के प्रथम चरण के अन्तर्गत ढकरानी और धल्लीपुर के दो बिजलीघर बन कर तैयार हो जायेंगे। केन्द्रीय तथा पश्चिमी संभाग में हरदुआगंज की तीसरी प्रसार प्रायोजना (प्रोजेक्ट) को १९६६ के अन्त तक चालू कर दिया जायगा। ६४ मेगावाट की क्षमता का एक नया थरमल स्टेशन कानपुर में बनाया जा रहा है जो वर्तमान योजना की अवधि में ही काम करने लगेगा। बुन्देलखंड में माताटीला में पहली मशीन शीघ्र ही चालू हो जायगी और शेष दो मशीनें इसके कुछ ही समय बाद काम करने लगेंगी। रिहन्द में ५० मेगावाट की छठी मशीन वर्तमान योजना अवधि में तैयार हो जायगी और २५० मेगावाट की ओब्रा थरमल प्रायोजना (प्रोजेक्ट) की कम से कम एक मशीन अगले वर्ष के अन्त तक काम करने लगेगी। विगत वर्षों में विद्युत् उत्पादन क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है और इसका अधिकांश श्रेय राज्य विद्युत् परिषद् को है। रिहन्द प्रायोजना अब तक एक विभागीय उपक्रम (अण्डरटेकिंग) थी, बजट वर्ष में उसे विद्युत् परिषद् को संक्रमित कर दिया जायगा। सरकार की नीति के अनुसार परिषद् ने हाल ही में लखनऊ तथा इलाहाबाद की बिजली सप्लाई कम्पनियों को अपने हाथ में ले लिया है। गांवों में बिजली लगाने का कार्य भी तेजी से किया गया है और तीसरी योजना के अन्तिम दो वर्षों में लगभग ३,००० गांवों में बिजली लग जायगी। परिषद् ने एक ट्रंक ट्रांसमिशन लाइन द्वारा राज्य के समस्त बिजली ग्रिडों को परस्पर संयोजित करने के लिये एक बड़ी विद्युत् प्रायोजना आरम्भ की है। वित्तीय दृष्टि से भी विद्युत् कार्य-क्रमों का परिव्यय मूल लक्ष्यों से बढ़ गया है और राज्य विद्युत् परिषद् के लिए मैं बजट वर्ष में जितनी धनराशि की व्यवस्था कर पाया हूं उससे कहीं अधिक धनराशि की उसे आवश्यकता है। किन्तु मैं आशा करता हूं कि भारत सरकार हमें अतिरिक्त ऋण देने की कृपा करेगी ताकि बिजली की प्रायोजनाओं की प्रगति न रुके।

उद्योग

बिजली की वृद्धि तथा अन्य आर्थिक व्यवस्थाओं के फलस्वरूप पिछले कुछ वर्षों में राज्य में पूंजी लगाने की स्थिति में सुधार हुआ है। उत्तर प्रदेश में अब शीघ्रता से औद्योगीकरण के लिए सभी साधन जैसे कि पर्याप्त मात्रा में बिजली, विकसित औद्योगिक क्षेत्र तथा अनेक प्रकार के औद्योगिक आस्थान, पानी की सप्लाई और एक सुनिश्चित तथा उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ उपभोक्ता बाजार उपलब्ध हैं। उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल कारपोरेशन अपने कार्य-क्षेत्र का विस्तार कर रहा है और उसने अब तक १६ औद्योगिक संस्थाओं के २ करोड़ २९ लाख रुपये तक के शेयरों को जारी करने की हामीदारी की है। राज्य का लघु-उद्योग निगम

[श्री कैलाश प्रकाश]

भी अपने कार्य-कलापों को विशेषकर पूर्वी क्षेत्रों में बढ़ा रहा है। तीसरी योजना के लिए ६१ औद्योगिक आस्थानों को स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिनमें से ३४ औद्योगिक आस्थान पहले ही बन चुके हैं और इन आस्थानों की बहुत सी यूनिटों में उत्पादन आरम्भ हो गया है। २२ और आस्थान अगले ६ महीनों में तैयार हो जायेंगे। इस समय तीन सहकारी चीनी के कारखाने हैं और १९६५ में एक और कारखाना खुल जायगा। आगामी वर्षों में सहकारी चीनी के कारखानों की संख्या बढ़ाने की बातचीत हो रही है। जनवरी, १९६५ तक इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऐण्ड रेगुलेशन ऐक्ट के अधीन निजी क्षेत्रों में २०७ नये लाइसेंस स्वीकृत किये गये हैं और ५२ यूनिटों में उत्पादन आरम्भ हो गया है। राज्य सरकार औद्योगिक क्षेत्र में सभी उचित सुविधायें देने के लिये तैयार हैं। मैं आशा करता हूं कि इन सुविधाओं और साथ ही बिजली, विकसित भूमि, रेल तथा सड़क के सुगम संचार साधनों और उपभोक्ता बाजार में उपलब्ध होने से देश भर के औद्योगिकों को इस राज्य में नई प्रायोजनाएं स्थापित करने के लिये पर्याप्त प्रोत्साहन मिलेगा। केन्द्रीय सरकार से भी मैं निवेदन करूंगा कि वे कुछ बेसिक तथा भारी उद्योगों को इस राज्य में स्थापित करें जिससे कि राज्य में औद्योगिक तथा कृषि सम्बन्धी विकास के लिए मध्यवर्ती तथा अन्य मशीनी सामान की व्यवस्था हो सके।

संचार

संचार के क्षेत्र में जो लक्ष्य रखे गये थे उनसे अधिक कार्य हुआ है। तीसरी योजना में १,६०१ मील लम्बी सड़कें बनाने तथा १,४०२ मील लम्बी मौजूदा सड़कों में सुधार करने का विचार किया गया था। योजना के पहले तीन वर्षों में १,०३० मील लम्बी नई सड़कें बना दी गई हैं और ८६१ मील लम्बी सड़कों का या तो सुधार किया गया है या उन्हें फिर से बनाया गया है। योजना के अन्तिम दो वर्षों में ८८३ मील लम्बी नई सड़कें बना दी जायेंगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश के चार जिलों तथा तराई संभाग में सड़कों का तेजी से विकास करने का एक कार्य-क्रम चालू किया गया है। केन्द्रीय सरकार की लेटरल सड़क प्रायोजना के लिए नक्शे तथा अनुमान तैयार हो चुके हैं। यह प्रायोजना राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कार्यान्वित की जायगी और इसका काम शीघ्र ही शुरू हो जायगा। इस प्रायोजना के पूरी हो जाने पर बरेली से आसाम के अमीन गांव तक सड़क चली जायगी। सड़क विकास कार्य-क्रम के लिए योजना में १८ करोड़ रुपये की धनराशि रखी गई थी। इसे अब बढ़ा कर २७ करोड़ ५६ लाख रुपये कर दिया गया है।

उत्तराखंड

उत्तराखण्ड में बागवानी, उद्योग, पशुपालन और वन तथा भूमि संरक्षण के अन्तर्गत वास्तविक लक्ष्यों को प्राप्त करने में काफी प्रगति हुई है। आर्थिक महत्व की ३७९ मील सड़कें और ६९ लम्बे ब्रिडिल मार्ग का निर्माण किया गया है और ९७ मील लम्बी मोटर की सड़कों तथा १६३ मील लम्बे ब्रिडिल मार्गों का सुधार किया गया है।

समाज सेवा

शिक्षा

औद्योगिक तथा आर्थिक विकास के लिए टेक्निकल शिक्षा की सुविधाओं का उपलब्ध होना अत्यन्त आवश्यक है और इस क्षेत्र में भी काफी प्रगति हुई है। डिग्री प्रदान करने वाली इंजीनियरी संस्थाओं में प्रति वर्ष भर्ती किये जाने वाले छात्रों की संख्या १९६०-६१ में केवल ६९० थी जो बढ़ कर १९६५-६६ में १,११० हो जायगी। रुड़की विश्वविद्यालय के छात्रों तथा अध्यापकों की सुविधाएं बढ़ा दी गई हैं और हरकोर्ट बटलर टेक्नालाजिकल इंस्टीट्यूट

को भी पुनस्संगठित किया जा रहा है जिससे कि वह देश की प्रथम कोटि की औद्योगिक संस्था बन जाय।

इसी प्रकार टेक्निकल शिक्षा के क्षेत्र में डिप्लोमा-स्तर की शिक्षा के लिए भरती होने वाले छात्रों की संख्या २,५९० से बढ़ कर ५,२०० हो जायगी। बहुत सी नई संस्थाएं खोली गई हैं और पुरानी संस्थाओं का विस्तार किया गया है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं की संख्या जो १९६०–६१ में १५ थी अब बढ़ कर ४४ हो गई है और उनमें लिए जाने वाले छात्रों की संख्या भी बढ़ कर १५,६२० हो गई है। चार और संस्थाएं गाजीपुर, सुल्तानपुर, बहराइच और देहरादून में खोली जा रही हैं और चौथी योजना की स्कीमों के लिए अपेक्षित टेक्निकल कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए पहले से ही व्यवस्था करने के सम्बन्ध में बजट वर्ष से ही कार्यवाही की जा रही है।

सामान्य शिक्षा संस्थाओं में भी विज्ञान की शिक्षा पर उत्तरोत्तर अधिक जोर दिया जा रहा है और बहुत सी ऐसी संस्थाओं में विज्ञान की नयी कक्षाएं खोली गई हैं जिनमें अभी तक विज्ञान की शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं।

शिक्षा सम्बन्धी कार्यकलाप के क्षेत्र में प्राइमरी शिक्षा के लिए समय-समय पर छात्रों की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से जो अभियान चलाये गये हैं उनके परिणाम सन्तोषजनक निकले हैं। स्कूलों में पढ़ने वाले ६ से १२ वर्ष की आयु वर्ग के छात्रों का प्रतिशत १९६०–६१ में ४३ था वह बढ़ कर १९६५–६६ में ६३ हो जायगा। लड़कों के सम्बन्ध में यह अनुपात लगभग ८५ प्रतिशत हो जायगा लेकिन लड़कियों के सम्बन्ध में अब भी सम्भवतः ३८ प्रतिशत ही रहेगा। इसलिये लड़कियों की शिक्षा के लिए विशेष कार्यक्रमों को और तेजी से चलाया जा रहा है। जैसा कि सदन को मालूम है इस वर्ष से हाई स्कूल स्तर तक लड़कियों की शिक्षा को निःशुल्क कर दिया गया है।

हरिजन समाज तथा श्रम कल्याण

अनुसूचित जातियों के लिए टाइपराइटिंग तथा आशुलिपि (स्टेनोग्राफी) में प्रशिक्षण देने के लिए तीन और शिक्षण केन्द्र खोलने का विचार है। पूर्वमैट्रिक कक्षाओं में विज्ञान का विषय लेकर पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्तियां दी जायंगी और एक पाली-टेक्नीक इंस्टीट्यूट इस वर्ष से चालू हो जायगा। लखनऊ तथा गोरखपुर के अन्य विद्यालयों में भर्ती की संख्या ५० से बढ़ाकर ७५ कर दी गई है और मानसिक रूप से अविकसित बच्चों के लिए एक स्कूल इस वर्ष खोला जा रहा है। कोढ़ियों के पुनर्वासन के लिये एक उत्तर-रक्षा बूह स्थापित करने के लिये भी व्यवस्था की गई है।

कारखानों में काम करने वाले मजदूरों के निवास स्थान की योजना के अन्तर्गत २५ हजार से अधिक घर बनाये जा चुके हैं। इनमें से अक्तूबर, १९६४ तक २४ हजार से अधिक घर एलाट कर दिये गये हैं।

चिकित्सा तथा स्वास्थ्य

चिकित्सा तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रों की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और यह आशा की जाती है कि राज्य के सभी विकास खण्डों में तृतीय योजना के अन्त तक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित हो जायेंगे। जैसा कि सदन को मालूम है राज्य की स्वास्थ्य सेवा, जो पी० एम० एस० (प्रथम) और पी० एम० एस० (द्वितीय) कहलाती थी, उन्हें अब एक कर के प्रदेश चिकित्सा सेवा कर दिया गया है और इसी प्रकार पी० एच० एस० (प्रथम) और पी० एच० एस० (द्वितीय) को एक करके प्रदेश जन-स्वास्थ्य सेवा कर दिया गया है। चिकित्सा तथा स्वास्थ्य अधिकारियों की कमी को दूर करने के लिए इन सेवाओं के वेतन-क्रम भी पुनरीक्षित किये गये हैं और अन्य सुविधाएं, यथा निजी रूप में चिकित्सा व्यवसाय न करने

[श्री कैलाश प्रकाश]

के भत्ते की सुविधाएं, बढ़ा दी गई हैं जिससे कि इन सेवाओं की ओर अधिक लोग आकर्षित हो सकें। परिवार नियोजन के कार्यक्रम को तेजी के साथ चलाया जा रहा है और अब तक राज्य में ६९५ ग्रामीण, ७० शहरी, १० सचल परिवार नियोजन क्लीनिक और ६ सचल वैसेक्टा भी दल स्थापित किये जा चुके हैं। स्टरलाइजेशन आपरेशन कराने के लिए विशेष प्रकार के प्रोत्साहन दिये जा रहे हैं जिनके फलस्वरूप इस प्रकार का आपरेशन कराने वालों की संख्या बढ़ कर २३ हजार से अधिक हो गई है जब कि पिछले कई वर्षों में आपरेशनों की संख्या ६ हजार ८ सौ से अधिक नहीं गई।

विशेष व्यवस्थायें

अब मैं बजट की कुछ विशेष बातों का उल्लेख करूंगा। पिछले बजट के समय की गई घोषणा के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के वेतन तथा अन्य उपलब्धियों के अभिनवीकरण के लिये सरकार एक समिति नियुक्ति कर चुकी है। मुझे आशा है कि यह समिति अपनी रिपोर्ट अप्रैल, १९६५ के अन्त तक दे देगी। सरकार समिति की उन सिफारिशों को लागू करने के लिये अत्यन्त उत्सुक है जिन्हें बजट वर्ष में कार्यान्वित करना सम्भव होगा। इससे कितना व्यय होगा वह इस समय बताना कठिन है, किन्तु सरकार का विचार है कि इस प्रयोजन के लिये कम से ११ करोड़ ५० लाख रुपये की आवश्यकता होगी और बजट अनुमानों में इस धनराशि की व्यवस्था कर दी गई है।

रहन-सहन के व्यय में असामान्य वृद्धि हो जाने के कारण राज्य सरकार के कर्मचारी अन्तरिम सहायता की मांग कर रहे हैं। सरकार ने इस प्रश्न को वेतन अभिनवीकरण समिति को विचारार्थ भेजा था। समिति का सुझाव यह है कि सरकारी कर्मचारियों को कुछ वास्तविक सहायता देने के लिये एक योजना बनाई जाय। सरकार का भी यह मत है कि सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में बढ़ती करते रहने से अन्ततः सरकारी कर्मचारियों को कोई सहायता मिलने के बजाय मुद्रास्फीति बढ़ेगी। इसलिये सरकार विभिन्न केन्द्रों पर सरकारी कर्मचारियों के लाभ के लिये उपभोक्ता भण्डार खोलकर उन्हें उचित दरों पर आवश्यक वस्तुएं देने की योजना पर विचार कर रही है। सरकार का विचार है कि इस प्रकार की योजना से न केवल सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को सहायता मिलेगी बल्कि इससे आमतौर पर कीमतों को गिराने में भी सहायता मिलेगी। इस प्रकार कीमतें गिरने से राज्य के सभी लोगों को लाभ होगा। किन्तु इसमें अभी कुछ थोड़ा-सा समय लग सकता है और अवर श्रेणियों के सरकारी कर्मचारियों को तात्कालिक सहायता देने के लिये वेतन अभिनवीकरण समिति की सिफारिशों के आधार पर यह निश्चय किया गया है कि सरकारी कर्मचारियों को १ जनवरी, १९६५ से निम्नलिखित सहायता दी जाय:—

५० रुपये तक प्रतिमास वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों को ५ रुपये प्रतिमास।

५१ रुपये से लेकर १५० रुपये प्रतिमास तक वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों को १० रुपये प्रतिमास।

१५१ रुपये से लेकर ४५० रुपये प्रतिमास तक वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों को १२ रुपये ५० पैसा प्रतिमास।

और जहां कहीं आवश्यक हो सीमान्त समायोजन किया जाय। ये धनराशियां केवल तदर्थ आधार पर हैं और ये बाद में अभिनवीकृत उपलब्धियों में मिला दी जायंगी। यह सहायता केवल उन्हीं सरकारी कर्मचारियों को देय है जिन्हें १९४७ के संशोधनों या उन्हीं के समतुल्य वेतन-क्रमों में सरकार के नियमित (रेगुलर) अधिष्ठानों से वेतन मिलता है।

किन्तु इस सम्बन्ध में कुछ सरकारी कर्मचारियों ने जो आन्दोलनात्मक तरीके अपनाये उससे मुझे खेद है। मैं आशा करता हूं कि सद्बुद्धि से काम लिया जायगा और सरकारी कर्मचारी कोई ऐसे कार्य नहीं करेंगे जो अनुशासन तथा सामान्य आचरण संहिता के विरुद्ध हों।

यह भी प्रस्ताव है कि जूनियर और सीनियर बेसिक स्कूलों के अध्यापकों को भी बजट वर्ष से ५ रु० प्रति मास तदर्थ सहायता दी जाय। डिग्री कालेजों के ३५० रु० प्रति मास तक वेतन पाने वाले अध्यापक इस समय कोई भी महंगाई भत्ता नहीं पा रहे हैं, यद्यपि इण्टरमीडिएट कालेजों में इन्हीं वेतन-क्रमों में वेतन पाने वाले अध्यापकों को २० रु० मासिक का महंगाई भत्ता दिया गया है। इसलिये ३५० रु० तक वेतन पाने वाले डिग्री कालेज के अध्यापकों को उन्हीं दरों से महंगाई भत्ता देने की व्यवस्था की गई है जिन दरों से इन्टरमीडिएट कालेजों के अध्यापकों को महंगाई भत्ता दिया जाता है। इसी प्रकार डिग्री कालेजों को ऐसे कर्मचारियों को भी, जो अध्यापकवर्ग के अन्तर्गत नहीं आते, और जिनका वेतन ३५० रु० प्रतिमास तक है, वही महंगाई भत्ता दिया जायगा जो माध्यमिक विद्यालयों के सामान वेतन-क्रमों में वेतन पाने वाले कर्मचारियों को दिया जाता है। सहायता-प्राप्त इण्टरमीडिएट कालेजों के प्रधानाचार्यों तथा विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को अभी तक कोई महंगाई भत्ता नहीं दिया गया है। यह प्रस्ताव है कि बजट वर्ष से उन्हें २० रु० प्रतिमास महंगाई भत्ता दिया जाय। इसके लिये बजट अनुदानों में उपयुक्त धनराशि की व्यवस्था कर दी गयी है।

संसाधन

माननीय सदस्य देखेंगे कि योजना तथा योजना से भिन्न मदों में जिन आवश्यकताओं के लिये व्यवस्थायें की गई हैं उन पर २६२ करोड़ ६५ लाख रुपये का कुल राजस्व व्यय होगा। इस प्रकार राजस्व प्राप्तियों तथा प्रस्तावित व्यय के बीच १४ करोड़ ९१ लाख रुपये का अन्तर रहेगा। इस बड़े घाटे को छोड़ रखना ठीक नहीं होगा। सरकार करों की दरों में कुछ समायोजन करना चाहती है तथा करावंचन रोकने के लिये सक्रिय उपाय करना चाहती है। केवल इन्हीं उपायों से यह घाटा पूरा न हो पायेगा। इसलिये अतिरिक्त कर लगाना ही पड़ेगा। विचार यह है कि अगले वर्ष ७ करोड़ ५ लाख रुपये की कुल धनराशि इकट्ठी की जाय ताकि राजस्व प्राप्तियों तथा व्यय के बीच का अन्तर कुछ हद तक पूरा किया जा सके और साथ ही चौथी पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष में पर्याप्त मात्रा में योजना परिव्यय के लिये एक आधार बनाया जा सके। १९६६–६७ में राज्य सरकार को तीसरी योजना की स्कीमों का काफी भार वहन करना पड़ेगा। इस व्यय को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार को चौथी योजना के पहले वर्ष में लगभग ७० करोड़ रुपये घाटा होगा। अगर वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप घाटा पूरा हो जाय तो भी चौथी योजना के राजस्व व्यय के लिये वर्तमान राजस्वों से कोई धनराशि प्राप्त न होगी। इस प्रकार राजस्व व्यय को केवल दो साधनों से ही पूरा करना पड़ेगा—योजना के लिये दिये जाने वाले केन्द्रीय अनुदानों से, और अतिरिक्त कर लगा कर। हम अपनी योजना की स्कीमों में पर्याप्त अनुदानों के लिये प्रयत्न करेंगे ही; फिर भी यह जाहिर है कि चौथी योजना के लिये राजस्व व्यय का हमारा अपना हिस्सा अतिरिक्त कर लगा कर ही पूरा करना पड़ेगा। यदि योजना में कटौती नहीं होने देनी है तो हमें नये कर बजट वर्ष से ही लगाने पड़ेंगे। सरकार यथासमय सदन के सामने आवश्यक विधान प्रस्तुत करेगी।

मैं जानता हूं कि अतिरिक्त कर लगाने से राज्य के लोगों को काफी त्याग करना पड़ेगा। किन्तु मैं सदन को आश्वासन देना चाहता हूं कि अतिरिक्त करों का बोझ आवश्यक मात्रा से अधिक न होगा।

इस सम्बन्ध में यह कहना अप्रासंगिक न होगा कि तीनों योजनाओं की अवधि में सरकार व्यय में मितव्ययिता करती रही है। यह उल्लेखनीय है कि इस राज्य में सामान्य प्रशासन

[श्री कैलाशप्रकाश]

का व्यय अन्य राज्यों की अपेक्षा कम है। यही बात सरकारी व्यय के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों के सम्बन्ध में भी है। फिर भी सरकार सभी प्रकार के व्यय पर निरन्तर निगरानी रखती रही है और रखेगी तथा इससे कार्यकुशलता पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ने देगी।

खाद्यान्नों के न्यूनतम मूल्यों के निर्धारित हो जाने से किसानों को भी कुछ न कुछ लाभ मिलना सुनिश्चित हो गया है और व्यापार तथा उद्योग की स्थिति में भी सुधार दिखलाई पड़ रहा है। अतएव यह अनुचित न होगा कि सरकार योजनाओं में और धन लगाने के लिये अर्थ-व्यवस्था की अतिरिक्त आय का एक छोटा सा हिस्सा ले ले। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि सरकार मुख्य रूप से उन वर्गों से धन प्राप्त करने का प्रयास करेगी जिनकी आर्थिक सामर्थ्य में वृद्धि हुई है और जिनके विकास प्रयत्नों पर इस अतिरिक्त बोझ से कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। मुझे विश्वास है कि सदन के समक्ष यथासमय जो प्रस्ताव रखे जायेंगे उन्हें सभी सदस्यों का पूर्ण समर्थन प्राप्त होगा।

हम शीघ्र ही आयोजना आयोग से अनुरोध करेंगे कि चौथी योजना के लिये हमें इतनी धनराशि दी जाय जो कि हमारी आवश्यकताओं के अनुरूप हो। चूंकि पहली दो योजनाओं में हम पीछे रह गये हैं इसलिये चौथी और पांचवीं योजना से हमारे राज्य की जनता पर बड़ा भार पड़ेगा। एक ओर तो हमें संसाधन जुटाने होंगे और दूसरी ओर लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये निर्धारित धनराशियों का वास्तविक रूप में उपयोग करना होगा। इसलिये यह आवश्यक है कि राज्य के सभी लोग अपने मतभेदों को भूल कर अथक परिश्रम के लिये तैयार रहें। मैं इस महान्-कार्य में माननीय सदन के सभी वर्गों के योगदान का अनुरोध करता हूं।

इसके पूर्व कि अपना भाषण समाप्त करूं मैं अपना कर्त्तव्य समझता हूं कि वित्त विभाग के आयुक्त एवं सचिव, श्री भिडे को हृदय से धन्यवाद दूं। इन्होंने बजट के बनाने और तैयार करने में मेरी बड़ी सहायता की है। उनके अनुभव से बजट निर्माण में बहुत लाभ हुआ है और उनकी योग्यता एवं कार्यकुशलता से बजट पेश करने में बहुत सुविधा हुई। साथ-साथ विशेष वित्त सचिव श्री दवे, संयुक्त सचिव श्री वातल, उपसचिव श्री नरेशचन्द्र राय, श्री दीक्षित, श्री विश्वनाथ प्रसाद, श्री चौधरी तथा श्री मजूमदार को मैं धन्यवाद देता हूं। इसके अतिरिक्त वित्त विभाग के अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों के प्रति मैं अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूं जिन्होंने अपने अथक परिश्रम से बजट बनाने में मदद की। मैं भाषा विभाग के अधिकारी तथा कर्मचारियों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने बड़े परिश्रम से बजट साहित्य बनाने में मदद दी। अन्त में गवर्नमेन्ट प्रेस के सुपरिन्टेन्डेन्ट, श्री हाल्ज, तथा ज्वाइंट सुपरिंटेंडेंट, श्री गुप्ता, एवं अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों का मैं आभारी हूं जिन्होंने सारे बजट साहित्य को बड़ी कुशलता से एवं सतर्कता से छापकर उसे प्रस्तुत करने में योगदान दिया।

महोदय, मैं १९६५-६६ का बजट प्रस्तुत करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और १५ फरवरी को ११ बजे मिलेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ४१ मिनट पर सोमवार, १५ फरवरी, १९६५ के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
१२ फरवरी, १९६५।

नत्थी 'क'

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न १—२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४६० पर)

कृषि विभाग उत्तर प्रदेश में पंजाब गेहूं सन् १९६४, बचे हुए का विवरण

खंड का नाम	जिले का नाम	गेहूं की मात्रा मिट्रिक टनों में	खंड सहयोग
१	२	३	४
आगरा ..	एटा	३१.००००	
	मैनपुरी	८१.००००	
	अलीगढ़	२८.८५४८	१४०.८५४८
मेरठ ..	मेरठ	१४९.६४००	
	देहरादून	११७.८८५०	
	बुलन्दशहर	७२०.५५००	
	सहारनपुर	३.००००	९९१.०७५०
वाराणसी ..	वाराणसी	६५.९०२१	
	जौनपुर	४३.३४७४	
	गाजीपुर	९.९०९३	
	बलिया	२९४.२५०६	४१३.४७९४
फैजाबाद ..	फैजाबाद	३४३.००००	
	बहराइच	४४.७०००	
	प्रतापगढ़	६४६.६५००	
	बाराबंकी	७०३.००००	१७३७.३५००
गोरखपुर ..	गोरखपुर	९५.२९०३	
	बस्ती	१८१.४०००	
	आजमगढ़	२३६.९७६२	५१३.६६६५
इलाहाबाद ..	इलाहाबाद	२०७.००००	
	फतेहपुर	५६०.००००	
	इटावा	४६.००००	
	फर्रुखाबाद	७.५०००	८२७.५०००
बरेली ..	बरेली	१०३०.००००	
	बदायूं	४७३.००००	
	बिजनौर	४३९.०१००	
	मुरादाबाद	१६.००००	
	पीलीभीत	६०.६५००	

खंड का नाम	जिले का नाम	गेहूं की मात्रा मिट्रिक टनों में	खंड सहयोग
१	२	३	४
	रामपुर	३९३.८६००	
	शाहजहांपुर	१२८३.१८००	३६९५.५०००
लखनऊ ..	लखनऊ	१२६.८५७६	
	उन्नाव	१४१.१५००	
	रायबरेली	३२.११००	
	सीतापुर	८५.००००	
	हरदोई	१९.६०००	
	खीरी	३९३.५६८५	७१८.२८६१
झांसी ..	हमीरपुर	३०.००००	
	बांदा	७५.००००	१०५.००००
नैनीताल ..	पौड़ी और चंदोली	६३.८८९०	६३.८८९०
	महायोग ..		१२८६.६००८

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १८–१९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४७३–४७४ पर)

प्रश्न संख्या १८

उन कर्मचारियों के पदों का नाम तथा संख्या जिनकी सेवायें समाप्त की गईं

क्रम संख्या	पद का नाम	कुल संख्या	अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की संख्या
१	सहायक चकबन्दी अधिकारी ..	१०	—
२	चकबन्दी कर्त्ता ..	१६	१
३	लेखपाल ..	३४६	७
४	चपरासी	५२	११
	योग ..	४२४	१९

प्रश्न संख्या १९

वर्तमान कर्मचारियों की सूची

क्रम संख्या	पद का नाम	कुल संख्या	अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की संख्या
१	चकबन्दी अधिकारी	३	—
२	सहायक चकबन्दी अधिकारी ..	१७	१
३	चकबन्दी कर्त्ता ..	३४	२
४	ड्राफ्ट्स मैन	३	—
५	ट्रेसर	६	१
६	कार्यालय लिपिक	३४	—
७	लेखपाल	११३	५
८	चपरासी	७०	७
	योग .	२८०	१६

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न २२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४७५ पर)

मुरादाबाद के निम्नांकित कालेजों में टीचर्स का रिप्रिजेन्टेशन है और प्रत्येक कालेज के समक्ष दिये गये नाम के व्यक्ति कालेज की मैनेजिंग कमेटी में टीचर्स रिप्रेजेन्टेटिव हैं।

कालेज का नाम	रिप्रेजेंटेटिव का नाम
१—के० जी० के० कालेज, मुरादाबाद	श्री राजनाथ महरोत्रा, उप प्रधानाचार्य।
२—बलदेव आर्य कन्या डिग्री कालेज, मुरादाबाद	कुमारी सरोज सचदेव तथा कुमारी पुष्पा-सजनानी।
३—जे०एस० हिन्दू डिग्री कालेज, अमरोहा	प्रो० पी०डी० करनाटक।
४—एस० एम० कालेज, चन्दौसी	डा० सी० पी० सिंहल तथा श्री जी० एस० शील।
५—डी० एस० एम० डिग्री कालेज, कांठ	श्री ए० के० गुप्ता और श्री पी०के० गुप्ता।

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४७–४८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४८३ पर)

बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों के छात्रों को दी गई छात्र-वृत्ति की सूची

	रु०		रु०
१—मुजफ्फरनगर	५,०००	१४—आजमगढ़	३,०००
२—मेरठ	१०,०००	१५—देवरिया	५,०००
३—बुलन्दशहर	१०,०००	१६—उन्नाव	२,०००
४—अलीगढ़	५,०००	१७—गोंडा	३,०००
५—मथुरा	१०,०००	१८—बहराइच	३,०००
६—आगरा	६,०००	१९—बाराबंकी	२,०००
७—मैनपुरी	८,०००	२०—खीरी	१,०००
८—एटा	५,०००	२१—सीतापुर	२,०००
९—बदायूं ..	५,०००	२२—हरदोई	२,०००
१०—बलिया ..	२,०००	२३—फर्रुखाबाद	१०,०००
११—मुरादाबाद ..	२,०००		
१२—गोरखपुर	५,०००	योग ..	१,१०,०००
१३—बस्ती	४,०००		

जिलाधीशों द्वारा १९६३–६४ में बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों में विद्यार्थियों को दिये जाने के लिये अनुदान का तखमीना

क्रम संख्या	जिले का नाम	मांगा गया धन	क्रम संख्या	जिले का नाम	मांगा गया धन
		रु०			रु०
१	जालौन	२,२५०	९	फर्रुखाबाद	१०,०००
२	गोरखपुर	२०,०००	१०	बिजनौर	५,०००
३	आजमगढ़	२०,०००	११	बदायूं	२०,०००
४	देवरिया	४०,०००	१२	मुरादाबाद	५,०००
५	बस्ती	१०,०००	१३	पीलीभीत	१,६६०
६	गोंडा	१०,०००	१४	उन्नाव	५,०००
७	बहराइच	२०,०००	१५	मुजफ्फरनगर	६,७६८.८६
८	बाराबंकी	५,०००	१६	बुलन्दशहर	८६,८००

विधान सभा सचिवालय पुस्तकालय

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४९३ पर)

क्रम-संख्या	नाम तहसील	वर्ष	किसानों की संख्या जिनके विरुद्ध तकावी के संबंध में वारन्ट गिरफ्तारी तथा कुर्की जारी किये गये		किसानों की संख्या जिनके विरुद्ध मालगुजारी के संबंध में वारन्ट गिरफ्तारी तथा वारन्ट कुर्की जारी किये गये।	
			वारन्ट गिरफ्तारी	वारन्ट कुर्की	वारन्ट गिरफ्तारी	वारन्ट कुर्की
१	चायल	१९६२–६३	६०	–	२७५	३
२	मंझनपुर	"	२८	१२	३२	८
३	सिराथू	"	११	६	६	२
१	चायल	१९६३–६४	१००	–	२५०	७
२	मंझनपुर	"	६०	२२	४२३	११७
३	सिराथू	"	२०	१०	१५	१०
१	चायल	अगस्त १९६४ तक	४०	–	१५०	–
२	मंझनपुर	"	३	१	१२०	४९
३	सिराथू	"	२५	११	११	२

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४९४ पर)

तहसील का नाम	लगान में दी गई छूट की धनराशि	दी गई अहेतुक सहायता	निःशुल्क दी गई अन्य सहायता में व्यय का विवरण	फीस माफी विशेष के रूप में सहायता
	रु०	रु०	रु०	
१—देवरिया ..	७०,०६०.५१	६,७७९.९९	२५,७०९.४३	इस मद में ४,९९६.०० रु० पूरे जिले के छात्रों में वितरित किये गए थे।
२—सलेमपुर ..	१,००,६८५.३०	१,५४६.००	१६,५७१.७७	
३—पड़रौना ..	३,९९०.७६	..	३,५९५.०३	
४—हाटा ..	१०,८५७.२१	१,१३७.२१	५,३५१.१२	

वर्ष १९६४—६५ में बाढ़ के कारण दी गई सहायता का विवरण

लगान की वसूली का स्थगन

	रु०	रु०	रु०		
१—देवरिया	६१,३९५.३१	२,९६४.२२	१४,३१५.०४	इस मद में शासन द्वारा स्वीकृत ३०००) की धनराशि वितरित की जा रही है।	राजस्व कर की जो धनराशि वसूल नहीं की जा रही है उसमें अंतिम सहायता प्रस्ताव प्राप्त होने पर छूट दी जावेगी।
२—सलेमपुर	१,२२,३३०.३०	३,५७५.००	२१,०००.००		
३—पड़रौना	११,०८५.७१	२,२३७.०१	४,५८४.५४		
४—हाटा ..	क्षति ३७ पैसे से कम होने के कारण स्थगन तथा अहेतुक सहायता नहीं दी गई।				

संसद सदस्य सेवा

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ११२ का उत्तर पीछे पृष्ट ४९७ पर)

क्रम संख्या	अभ्यर्थी का नाम	अमीन के पद पर कार्य की अवधि
		फसल
१	सर्वश्री चन्द्रसेन द्विवेदी	३
२	,, सतीश सरन	३
३	,, जैराम सिंह यादव	१२
४	,, जगत सिंह यादव	१०
५	,, रमेश चन्द्र मिश्रा	३
६	,, ओम प्रकाश श्रीवास्तव	४
७	,, लक्ष्मण सिंह	२
८	,, कालीचरन वर्मा	३
९	,, राम भरोसे जाटव	४
१०	,, पर्वत सिंह	७
११	,, विपिन बिहारी	१
१२	,, कैलाश नरायण	२
१३	,, बाबू राम जाटव	६
१४	,, रघुनाथ प्रसाद	२
१५	,, श्रीचन्द	९
१६	,, किशन अवतार यादव	५
१७	,, मुरली धर	८
१८	,, यतेन्द्र कुमार	१
१९	,, सतीश चन्द्र कटियार	३
२०	,, रामनाथ कटियार	३
२१	,, विशम्भर सिंह	३
२२	,, चन्द्र शेखर दुबे	७
२३	,, सुखलाल	३
२४	,, जय प्रकाश सिंह	३
२५	,, शिव स्वरूप श्रीवास्तव	३
२६	,, राम नाथ सिंह	३
२७	,, मुमताज अहमद	१
२८	,, गजराज सिंह	२
२९	,, राम लाल पाठक	२

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न १२८ का उत्तर पीछे पृष्ठ—५०० पर)

नाम	पद	नियुक्ति की तिथि
१—श्री रूप चन्द सिंघल	सहायक अभियन्ता	७-१०-१९६३
२—,, प्रेम मुरारी वर्मा	,, ,,	६-१०-१९६३
३—,, विक्रम सिंह बैनीवाल	,, ,,	१५-१०-१९६३
४—,, सतीश कुमार गौर	,, ,,	७-१०-१९६३
५—,, ताहिर हुसेन आब्दी	,, ,,	४-१०-१९६३
६—,, सत्य प्रकाश (द्वितीय)	,, ,,	६-११-१९६३
७—,, विजय कुमार भटनागर	,, ,,	७-१०-१९६३
८—,, वसीमुर्रहमान	,, ,,	२-१०-१९६३
९—,, मोहम्मद आफताब जमील	,, ,,	१८-१२-१९६३
१०—,, मुहरपाल गौतम	,, ,,	२१-१२-१९६३

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'झ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १३६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५०२ पर)

प्रश्न	उत्तर		
	तहसील चायल	तहसील मंझनपुर	तहसील सिराथू
(क) टेस्ट वर्क कहां-कहां खोले गये और कब से?	मखऊपुर से औघन घाट तक ६ मील कच्ची सड़क पर मिट्टी चढ़ाने का काम खोला गया, १३-८-६४ से प्रारम्भ होकर ३१-१०-६४ को समाप्त हुआ।	शाहपुर बैरमपुर, पश्चिम शरीरा में सड़क की मरम्मत का कार्य २४ अगस्त ६४ से आरम्भ होकर २-१२-६४ को समाप्त किया गया।	इस तहसील में कोई टेस्ट वर्क नहीं खोला गया।
(ख) प्रत्येक में अलग-अलग कितने लोगों ने कितने दिनों तक काम किया?	कुल ७० दिन तक कार्य हुआ। १७,०१३ पुरुष, १०,१०६ स्त्रियों तथा १५,-३१९ बच्चों ने कार्य किया।	कुल १०१ दिन कार्य हुआ। २०,४१२ पुरुष, ४,७११ स्त्रियां तथा १०,-७१० बच्चों ने कार्य किया।	
(ग) कितना धन सरकार द्वारा व्यय किया गया?	कुल २२,०८५.३६ पैसे व्यय हुआ।	कुल १४,४५० रुपया व्यय हुआ।	
(घ) क्या निर्माण कार्य किया गया?	६ मील कच्ची सड़क पर मिट्टी डाली गई।	७ मील कच्ची सड़क पर मिट्टी डाली गई।	

नत्थी 'ञ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५०५ पर)

नाम	फार्म का क्षेत्रफल
	एकड़ में
१—श्री केशव चन्द राय	८०
२—श्री ब्रह्म स्वरूप सोती	९८
३—श्री विजेन्द्र कुमार	७९
४—श्री राम रतन लाल	८०
५—श्री वकील अहमद	७८
६— रानी भगवती देवी	१९९
७—श्री धर्म वीर	१९९
८—श्री सत्यवीर	१९९
९—श्री कान्ती वीर	१९९
१०—श्री मरगुबूल रहमान	१९१
११—कोआपरेटिव सोसाइटी वितरौला फार्म, जहानाबाद।	८५६

विधान सभा पुस्तकालय

नत्थी 'ट'

(देखिये अतारांकित प्रश्न १७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५०८ पर)

क्रम संख्या नाम अध्यापक	वेतन रुकने का कारण
१—श्री कृपा राम, प्र० अ० सदेंवा ..	पाठशाला से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने, अनुशासन हीनता के कारण। वैधानिक कार्यवाही चल रही है।
२—श्री सुन्दरलाल, स० अ० ..	पाठशाला से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने तथा अध्यक्ष महोदय के आदेश का पालन न करने के कारण निलम्बित हैं, वैधानिक कार्यवाही चल रही है।
३—श्री इफ़्हामुल्ला, प्र० अ०, असरफपुर ..	अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण। वैधानिक कार्यवाही चल रही है।
४—श्री मु० कामिल, अप्रशिक्षित स०अ०	ये अप्रशिक्षित अध्यापक हैं। विद्यालय उप निरीक्षक के आदेशों का पालन न करने तथा अनधिकृत रूप से पत्र व्यवहार करने के कारण निलम्बित हैं। वैधानिक कार्यवाही चल रही है।
५—श्री शिव कुमार पांडे, स० अ० मा० वि० सरसवां ..	अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण, जांच पूरी हो चुकी है।
६—श्री माता प्रसाद, प्र० अ० ..	पाठशाला से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने तथा अध्यक्ष महोदय के आदेशों का पालन न करने के कारण निलम्बित हैं वैधानिक कार्यवाही चल रही है।
७—श्री देवकी नन्दन, प्र० अ० दौलतपुर ..	पाठशाला से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने तथा अध्यक्ष महोदय के आदेशों का उल्लंघन करने के कारण निलम्बित हैं। वैधानिक कार्यवाही चल रही है।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० २१० एल० ए०—१९६५—८६०।